खण्ड-375, अंक-4
मंगलवार, 6 फाल्गुन, शक संवत् 1907
(25 फरवरी, 1986 ई0)

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 375 में 10 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:

अधीक्षक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, उत्तर प्रदेश (भारत)

1986

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 31 पैसे।

वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये।

उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम की 29वीं वार्षिक रिपोर्ट एवं लेखा विवरण, 1984 (सदन के पटल पर रखा गया) 91

उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम के वर्ष 1983–84 के लेखा पर महालेखाकार उत्तर प्रदेश द्वारा परीक्षा प्रतिवेदन (सदन के पटल पर रखा गया) 91

उत्तर प्रदेश सहकारी समिति (सत्रहवां संशोधन) नियमावली, 1984 (सदन के पटल पर रखी गयी) 91

कतिपय सदस्यों की गिरफ्तारी की सूचनाएं 91

जनपद गाजियाबाद के कस्बा लोनी को नगरपालिका बनाए जाने के सम्बन्ध में याचिका (उपस्थित की गयी) 91

कार्य-मन्त्रणा समिति द्वारा समय निर्धारण का प्रस्ताव (स्वीकृत) .. 91–93

प्रदेश में आलू की फसल में झुलसा रोग लगने से क्षति होने के सम्बन्ध में वक्तव्य 94–96

मुरादाबाद स्थित ग्राम गनीमतनगर के खेड़े के समीप नदी में एक महिला की लाश पाए जाने के सम्बन्ध में होने वाले वक्तव्य का स्थगन .. 97

उत्तर प्रदेश शोरा नियन्त्रण (संशोधन) विधेयक, 1986 (पुरःस्थापित किया गया) 97

उत्तर प्रदेश विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण विधेयक, 1986 (पुरःस्थापित किया गया) 97

उत्तर प्रदेश मोटर स्प्रिट, डीजल आयल तथा अल्कोहल बिक्री कराधान (संशोधन) विधेयक, 1986 (पुरःस्थापित किया गया) 97

औचित्य के प्रश्नों को सूचना देने वाले सदस्यों का नाम कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचनाओं में सम्मिलित किए जाने की मांग 98

कार्य-स्थगन प्रस्तावों की सूचनाएं 98–119

1986–87 के आय-व्ययक पर सामान्य चर्चा 119–151

नियम 51 के अन्तर्गत सूचनाएं 151

मुरादाबाद स्थित ग्राम गनीमत नगर के खेड़े की समीप नदी में एक महिला की लाश पाए जाने के सम्बन्ध में वक्तव्य 151–153

निर्माण निगम के कर्मचारियों द्वारा अपनी मांगों को लेकर विधान सभा के समक्ष धरना देने के सम्बन्ध में नियम 49 के अन्तर्गत चर्चा .. 153–158

अंग्रेजी 'साप्ताहिक सन्डे' समाचार-पत्र के प्रकाशक, सम्पादक एवं सम्बन्धित संवाददाता के विरुद्ध उठाए गये विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न पर श्री अध्यक्ष का निर्णय 158–159

तत्कालीन खाद्य मन्त्री श्री वासुदेव सिंह के विरुद्ध उठाए गए विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न पर अध्यक्ष का निर्णय 159

श्री राजा मोहम्मद अमीर मोहम्मद खां, सदस्य, विधान सभा के विरुद्ध उठाए गए विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न पर श्री अध्यक्ष का निर्णय 159–160

तत्कालीन कृषि मन्त्री चौधरी नरेन्द्र सिंह के विरुद्ध उठाए गए विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न पर श्री अध्यक्ष का निर्णय 160–161

नत्थियां 162–165

उत्तर प्रदेश विधान सभा

उत्तर प्रदेश विधान सभा

मंगलवार, दिनांक 25 फरवरी, 1986

विधान सभा की बैठक सभा मण्डप, लखनऊ में 11 बजे दिन में अध्यक्ष श्री नियाज हसन की अध्यक्षता में आरम्भ हुई।

निम्नांकित सदस्यों के अतिरिक्त अन्य सभी सदस्य उपस्थित थे :–

अकबर हुसैन बाबर, श्री	फैजाबाद	मलिक मोहम्मद कमाल यूसुफ, श्री	बस्ती
अचल सिंह, श्री	फतेहपुर	माताप्रसाद पाण्डेय, श्री	बस्ती
अजीजुर्रहमान, श्री	बिजनौर	मुहम्मद आजम खां, श्री	रामपुर
अब्दुल वहीद कुरैशी, श्री	मेरठ	मोहम्मद आकिल, श्री (उर्फ मुन्ना मियां)	मुरादाबाद
अमीर आलम खां, श्री	मुजफ्फरनगर	मोहम्मद मसूद खां, श्री	आजमगढ़
अम्बा प्रसाद वर्मा, श्री	बरेली	मोहम्मद रिजवानुल हक, श्री	मुरादाबाद
अरविन्द तिवारी, श्री	जालौन	रफीक अहमद, श्री (उर्फ रफ्फन)	बरेली
अवधेश प्रताप मल्ल, श्री	देवरिया	रमेश चन्द्र शुक्ल, श्री	रायबरेली
अशोक सेहरा, श्री	आगरा	राजेन्द्र सिंह, श्री	फर्रुखाबाद
उदयवीर सिंह राठौर, श्री	एटा	रामपाल सिंह एडवोकेट, श्री	गोण्डा
काशी सिंह ऐरी, श्री	पिथौरागढ़	राम सजीवन, श्री	बांदा
कैलाश प्रसाद, श्री	गोरखपुर	लोकेन्द्र दत्त सकलानी, श्री	टिहरी गढ़वाल
गंगा स्वरूप भटनागर, श्री	सीतापुर	विक्रमादित्य पाण्डेय, श्री	बलिया
गेन्दा देवी, श्रीमती	बस्ती	विजय लक्ष्मी, श्रीमती	बलिया
चन्द्र भान मौर्य, श्री	आगरा	वीरेन्द्र प्रताप शाही, श्री	गोरखपुर
जनार्दन प्रसाद ओझा, श्री	गोरखपुर	वीरेन्द्र सिंह, श्री	मुजफ्फरनगर
जय नारायण शर्मा, श्री	मेरठ	शफीकुर्रहमान बर्क, श्री	मुरादाबाद
दिवाकर विक्रम सिंह, श्री	बस्ती	शिव बालक पासी, श्री	रायबरेली
देवता दीन, श्री	बहराइच	संकठा प्रसाद शास्त्री, श्री	वाराणसी
नरेन्द्र सिंह यादव, श्री	फर्रुखाबाद	संजय सिंह, राजकुमार	सुल्तानपुर
निरोत्तम सिंह, श्री	इटावा	सन्तन बड़थ्वाल, श्री	चमोली
पशुपति नाथ मेहरोत्रा, श्री	कानपुर	समरपाल सिंह, श्री	मुरादाबाद
फजलुल बारी, श्री	गोण्डा	सुखपाल पाण्डे, श्री	बस्ती
फसीउर्रहमान श्री (उर्फ मुन्नन खां)	गोण्डा	सुग्रीव सिंह, श्री	देवरिया
बल्देव सिंह, कैप्टन	अलीगढ़	सुरेन्द्र प्रसाद मिश्र, श्री	देवरिया
बुनियाद हुसैन अन्सारी, श्री	सीतापुर	सुरेन्द्र बहादुर सिंह, श्री	रायबरेली
ब्रह्मदत्त द्विवेदी, श्री	फर्रुखाबाद	हर नारायण सिंह, श्री	रायबरेली
भगवान दास, श्री	मुरादाबाद	हर्ष वर्धन, श्री	गोरखपुर
मंगलदेव, श्री	गोण्डा	हितेश कुमारी, श्रीमती	बुलन्दशहर
मनोहर लाल, श्री	उन्नाव		

नोट :–श्री अरुण कुमार सिंह, सहकारिता मंत्री, श्री सिब्ते रजी, शिक्षा मंत्री, कु0 सरस्वती अम्माल, श्रम राज्य मंत्री, श्री निसार अहमद अन्सारी, लघु उद्योग एवं हथ करघा राज्य मंत्री ।

प्रश्नोत्तर

मंगलवार, 25 फरवरी, 1986

अल्पसूचित तारांकित प्रश्न

सिंचाई विभाग के कर्मचारियों का आमरण अनशन

****1—श्री रामचन्द्र बख्श सिंह—**

क्या सिंचाई मंत्री कृपया बतायेंगे कि सिंचाई विभाग के कर्मचारी 10 दिसम्बर, 85 से प्रमुख अभियन्ता, सिंचाई विभाग के समक्ष आमरण अनशन कर रहे हैं जिनमें से अनेकों कर्मचारियों को जेल में भी बन्द किया गया है ? क्या यह भी सही है कि 10 जनवरी, 86 से सिंचाई कर्मचारियों ने आम हड़ताल कर दी है? यदि हां, तो सिंचाई कर्मचारियों की प्रमुख मांगें क्या हैं और सरकार द्वारा उनको न मानने में क्या कठिनाई है?

सिंचाई राज्य मंत्री (श्री भोला शंकर मौर्य)—

जी हां। 10-12-85 से आमरण अनशन करने वाले कुछ कर्मचारियों को पुलिस द्वारा जेल ले जाया गया था। 10 जनवरी, 1986 से सिंचाई विभाग के कार्य प्रभावित कर्मचारी आंशिक हड़ताल पर रहे जिसे उन्होंने 1 फरवरी, 1986 को समाप्त कर दिया। कार्यप्रभारित कर्मचारियों की मुख्य मांगें निम्न थीं :-

1—कार्यप्रभारित कर्मचारियों के वेतन की अधिकतम सीमा रु0 750/- को बढ़ाना।

2—कर्मचारियों को पेमेन्ट आफ ग्रेच्युटी एक्ट, 1972 के प्राविधानों के अनुसार ग्रेच्युटी का दिया जाना।

3—कार्यप्रभारित कर्मचारियों पर श्रम अधिनियमों का लागू किया जाना।

4—जिन कार्यप्रभारित कर्मचारियों ने विभाग में तीन वर्ष तक की सेवा पूर्ण कर ली है, उनको नियमित किया जाना।

उक्त मांगों पर सक्रिय रूप से विचार किया जा रहा है।

श्री राम चन्द्र बख्श सिंह—

मान्यवर, यह मामला 10-12-85 से चल रहा है, आमरण अनशन पर लोग बैठे, महीनों हड़ताल चली और उत्तर आ रहा है कि सक्रिय रूप से विचार किया जा रहा है। इस उत्तर के सन्दर्भ में मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि जब हड़ताल समाप्त हुई तो क्या हड़ताली कर्मचारियों और सरकार के बीच में कुछ बात हुई और कोई आश्वासन दिया गया? क्या इन मांगों पर विचार करने के लिये कोई कमेटी आदि गठित की गयी है या हवा में विचार हो रहा है?

श्री भोला शंकर मौर्य—

मान्यवर, 4 मुख्य मांगें थीं, उन पर हमारा समझौता हो गया है। उन पर शासन सक्रिय रूप से विचार कर रहा है और औपचारिकताएं पूर्ण कराने के बाद आदेश निर्गत कर दिये जायेंगे।

श्री राम चन्द्र बख्श सिंह—

मान्यवर, अभी मा0 मंत्री जी ने कहा कि समझौता हो गया, तो मैं जानना चाहूंगा कि किन मांगों पर समझौता हो गया। जो 4 मांगें दर्शायी गयी हैं, क्या उन पर समझौता हो गया तथा इस

समझौते के अनुसार आदेश कब तक निर्गत करा देंगे।

श्री भोला शंकर मौर्य–

मान्यवर, मैं पहले ही अर्ज कर चुका हूं कि चार मांगों पर समझौता हो चुका है और उसको शीघ्र लागू कराने जा रहे हैं।

श्री राम चन्द्र बख्श सिंह–

मान्यवर, साफ उत्तर नहीं आ रहा है। समझौता हो गया है, तो क्या हुआ है। उनकी मांगें मान ली गयीं कि नहीं मानी गयीं। मांगें पूरी मानी गयीं या आंशिक रूप से मानी गयीं, इसको साफ बता दें?

श्री अध्यक्ष–

यह फरमा रहे हैं कि जो चार मांगों पर समझौता हुआ है, तो कौन-कौन सी मांगों पर हुआ है, आप बता सकें तो बता दें।

श्री भोला शंकर मौर्य–

मान्यवर, पहली मांग जो यह थी कि कार्यप्रभारित कर्मचारियों के वेतन की अधिकतम सीमा रु0 750/- को बढ़ाना, इस पर हमारा समझौता हो गया है। इसको बढ़ा रहे हैं। दूसरी मांग यह थी कि कर्मचारियों को पेमेंट आफ ग्रेच्युटी एक्ट, 1972 के प्रावधानों के अनुसार ग्रेच्युटी का दिया जाना, तो इसको कर रहे हैं। औपचारिकताएं पूर्ण होने पर आदेश करा देंगे। तीसरी मांग थी कार्यप्रभारित कर्मचारियों पर श्रम अधिनियमों का लागू किया जाना, इसको भी कर रहे हैं, सक्रिय कान्सीडरेशन में है। जैसे ही औपचारिकतायें पूर्ण हो जाएंगी, आदेश कर देंगे। चौथी मांग थी कार्यप्रभारित कर्मचारियों ने विभाग में तीन वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली है, उनको नियमित किया जाना, इस पर भी सक्रिय रूप से कान्सीडरेशन कर रहे हैं, इसको भी करा देंगे।

श्री अशोक बाजपेयी–

मान्यवर, माननीय मंत्री जी के उत्तर के सन्दर्भ में मैं जानना चाहता हूं कि कर्मचारी नेताओं द्वारा जितनी मांगें की गयी थीं, सब शासन द्वारा स्वीकार कर ली गयीं, इसको स्पष्ट कराना चाहूंगा। सारी मांगें मान ली गयीं या आंशिक रूप से मानी गयीं?

श्री भोला शंकर मौर्य–

मान्यवर, मैं उत्तर दे चुका हूं। मैंने कहा कि 4 मुख्य मांगें थीं, वैसे मांगें और ज्यादा थीं।

श्री मित्रसेन–

माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि कितने कर्मचारी गिरफ्तार हुए थे? जितने गिरफ्तार हुए थे, उन सबको छोड़ दिया गया है या नहीं? यह हड़ताल कितने दिन चली और इससे कितना नुकसान सरकार को हुआ?

श्री भोला शंकर मौर्य–

मान्यवर, मुझे जो सूचना मिली है, उसके हिसाब से 51 कर्मचारी गिरफ्तार हुए थे। इन सब को छोड़ दिया गया है।

श्री किरनपाल सिंह–

मान्यवर, कर्मचारियों की जो 4 मांगें थीं, वे तो माननीय मंत्री जी ने मान लीं, जो एक अच्छी बात है। कर्मचारियों की जो शेष मांगें हैं, और जो रिजनेबल भी हैं, क्या उन पर भी विचार करने के लिए माननीय मंत्री जी कर्मचारियों के जो संगठन हैं, उनसे वार्ता करेंगे ताकि भविष्य में हड़ताल न हो पाये?

श्री अध्यक्ष–

यह तो काल्पनिक प्रश्न है।

प्रदेश के सातवीं पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य

*2--श्री सूर्य प्रताप शाही--

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उत्तर प्रदेश शासन ने सातवीं पंचवर्षीय योजना के प्रमुख लक्ष्य क्या निर्धारित किए हैं ?

वित्त राज्य मन्त्री (श्री ओम प्रकाश रिछारिया)-

सातवीं योजना (1985-90) के प्रमुख लक्ष्य निम्नवत् हैं--

मद	इकाई	लक्ष्य
1	2	3
1--कुल खाद्यान्न उत्पादन (दालों को सम्मिलित करते हुए)।	लाख मीट्रिक टन	424.50
2--एकीकृत ग्राम्य विकास कार्यक्रम के द्वारा लाभान्वित परिवार।	संख्या (लाख में)	31.60
3--राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम के द्वारा सृजित रोजगार।	लाख मानव दिवस	2500.00
4--वृहत् एवं मध्यम, राजकीय एवं निजी लघु सिंचाई साधनों के अतिरिक्त सिंचन क्षमता का सृजन।	लाख हेक्टेयर	49.01
5--विद्युत--		
(क) अतिरिक्त अधिष्ठापित क्षमता	मेगावाट	1,638
(ख) विद्युत उत्पादन स्तर	मिलियन यूनिट	25,047
(ग) अतिरिक्त ग्रामों का विद्युतीकरण	संख्या	25,170
6--योजना काल में ग्रामीण एवं लघुस्तरीय इकाइयों की स्थापना।	सख्या	1,00,000
7--पक्की सड़कों का निर्माण	कि0मी0	7,474
8--शिक्षा--		
(क) जूनियर बेसिक स्कूल (अतिरिक्त)	संख्या	2,740
(ख) सीनियर बेसिक स्कूल (अतिरिक्त)	संख्या	700
(ग) हायर सेकेन्ड्री स्कूल (अतिरिक्त)	संख्या	196
9--चिकित्सा एवं जन स्वास्थ्य चिकित्सालय/ औषधालय--		
(क) नगरीय	संख्या	141
(ख) ग्रामीण	संख्या	995
योग	संख्या	1,136
10--योजना काल में ग्रामीण जल सम्भृति के अन्तर्गत लाभान्वित ग्राम	संख्या	29,547

श्री सूर्य प्रताप शाही–

मान्यवर, छठी पंचवर्षीय योजना में 14 वर्ष तक के विद्यार्थियों को नि: शुल्क शिक्षा देने का प्राविधान किया गया था । 1971 की जनगणना के आधार पर 1500 की आबादी वाले इलाके को सम्पर्क मार्ग से जोड़ने का प्राविधान किया गया था, किन्तु सरकार इन दोनों लक्ष्यों को पूरा नहीं कर पाई । माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि क्या इन दोनों लक्ष्यों को पूरा करने का प्राविधान 7वीं पंचवर्षीय योजना में किया गया है ?

श्री ओम प्रकाश रिछारिया–

मान्यवर, प्लान का जो प्रारूप बनाया जाता है वह अनुमान के आधार पर होता है और अनुमान के आधार पर ही लक्ष्य निर्धारित कर लिया जाता है । फिर जब प्लान पूरा हो जाता है तो उसके बाद यह देखा जाता है कि हमने कितना एचीव कर लिया है । उसी को बेस मानकर आने वाली पंचवर्षीय योजनाओं का लक्ष्य निर्धारित किया जाता है । उसमें माननीय सदस्य जो चाहते थे, उसका समावेश हो चुका है ।

श्री मैनेजर सिंह–

मान्यवर, माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि सिंचाई क्षमता बढ़ाने के लिए, स्कूल भवनों के निर्माण के लिए और मार्गों के निर्माण के लिए जो धन आप आवंटित करना चाहते है 7वीं पंचवर्षीय योजना में, इस बात को देखते हुए कि पिछली पंचवर्षीय योजना में जो कार्य हुए हैं और जो नलकूप लगे है उनके नाले और हौज बनने के दूसरे दिन बह गये, स्कूल भवन जो बने ध्वस्त हो गये और आई0 आर0 डी0 में जो रुपया व्यय हुआ, वह दलालों को मिल गया, क्या इस भ्रष्टाचार को दूर करने का भी कोई कार्यक्रम सातवीं योजना में बनाया है या नहीं ?

श्री ओम प्रकाश रिछारिया–

20–सूत्रीय कार्यक्रम जो है, जिला स्तरीय कमेटी है, वह इसकी मानीटरिंग करके इसको देखेगी ।

श्री हरिश्चन्द्र, हरीश जी–

माननीय मंत्री जी ने बताया कि सातवीं पंचवर्षीय योजना में 1638 मेगावाट बिजली का उत्पादन बढ़ाया जायगा । इसमें उल्लेख नहीं है कि क्या कोई नया प्रोजेक्ट बनाया जा रहा है, मेरी इस जानकारी के आधार पर कि कोई नया प्रोजेक्ट नहीं बनाया जा रहा है, क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि यह 1638 मेगावाट की बढ़ोत्तरी कैसे की जायगी ?

श्री ओम प्रकाश रिछारिया–

प्रदेश में कई योजनायें चालू हैं, जब उनको प्रति वर्ष धन देंगे तभी पूरी होंगी, सातवीं योजना के अन्त तक वे परियोजनायें पूरी हो जायेंगी और उससे उतनी अधिष्ठापित क्षमता हम कर लेंगे ।

श्री किरन पाल सिंह–

सातवीं पंचवर्षीय योजना में कृषि विकास की दर की लक्ष्य पूर्ति क्या रखी है और उसको प्राप्त करने के लिए क्या विशेष कदम उठाना तय किया है?

श्री ओम प्रकाश रिछारिया–

सातवीं पंचवर्षीय योजना में जो कृषि का ग्रोथ रेट है इसको 5.1 रखा है और इसको प्राप्त करने के लिये जिन विशेष कदमों के विषय में आप जानना चाह रहे हैं, उसके लिये टारगेट है 424.50 लाख मीट्रिक टन, जिसे प्राप्त करना है, छठी पंचवर्षीय योजना के "बेस इयर" में यह 302.92 लाख मीट्रिक टन था, इसको बढ़ाकर इतना

किया है और इसमें जो पैसा खर्च किया जाना है वह खाद के लिये सहकारिता से 380 हजार टन खाद का करायेंगे और 80 हजार टन एग्रीकल्चर विभाग द्वारा डिस्ट्रीब्यूशन करायेंगे । पूर्वांचल में विशेष योजना, जिसके विषय में पिछली बार बताया था, टी0 एण्ड वी0 जो कार्यक्रम था, वह पूर्वांचल में विशेष तौर से इन्ट्रोड्यूज किया जा रहा है ।

श्री सत्यपाल सिंह–

मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि प्रदेश सरकार ने सातवीं पंचवर्षीय योजना का प्रारूप कितना रखा था ? केन्द्र सरकार ने कितने की कटौती की ? उसके आधार पर किसी विशेष क्षेत्र में कटौती की है या विकास के समस्त कार्यों पर कटौती की गयी है ?

श्री ओम प्रकाश रिछारिया–

जैसा माननीय सदस्य जानना चाहते हैं जो प्रारूप पेश किया था वह 2347.39 करोड़ रुपये का था और उन्होंने जो किया है 2150 करोड़ रु0 का किया है । हर बार प्रति वर्ष का लक्ष्य बनाकर भेजते हैं और उसके ऊपर वह संसाधन और मानकों के आधार पर एलाटमेंट करते हैं, उसी के हिसाब से हुआ है । इसमें यह कहना सही नहीं है कि कटौती हुई है ।

डा0 दिनेश जौहरी–

क्या माननीय मंत्री जी यह बतलाने की कृपा करेंगे कि छठी पंचवर्षीय योजना में जितने अस्पताल बनाने की योजना थी और उसमें कुछ कमी रह गयी थी, तो क्या सातवीं पंचवर्षीय योजना में जो आपने बताया है कुल योग 1136 का तो यह उन्हें ले करके है या छोड़ करके है ? क्या सातवीं पंचवर्षीय योजना में नये मेडिकल कालेज खोलने की भी योजना है ?

श्री ओम प्रकाश रिछारिया–

नये मेडिकल कालेज खोलने की कोई योजना प्रस्तावित नहीं है ।

श्री सूर्य प्रताप शाही–

प्रदेश के जनपदों में क्षेत्रीय असन्तुलन को देखते हुए और आर्थिक विषमता को देखते हुए इसके लिये सातवीं पंचवर्षीय योजना में आपकी क्या योजना है ? क्या पूर्वी उत्तर प्रदेश के लिये कोई सब प्लान तैयार किया गया है ? यदि हां, तो यह योजना क्या है और इसकी लागत क्या है ?

श्री ओम प्रकाश रिछारिया–

श्रीमन्, व्यय का जो बंटवारा करते हैं 50 प्रतिशत जनसंख्या के हिसाब से स्टेट सेक्टर और डिस्ट्रिक्ट सेक्टर की, तो जिला सेक्टर की 50 प्रतिशत के हिसाब से, पूर्वांचल में पापुलेशन अधिक है, दूसरी है शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स तो यह मिर्जापुर में अधिक है । 10 प्रतिशत छोटे किसानों के लिये है तो लघु किसान पूर्वान्चल में ज्यादा है । 30 प्रतिशत के हिसाब से जो बंटवारा किया जाता है, उसमें पूर्वान्चल को ज्यादा पैसा मिला है । इसकी सूचना हम सदन में अभी दो-एक दिन पहले ही दे चुके हैं ।

तारांकित प्रश्न

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली, 1958 के नियम 29(4) के अन्तर्गत प्राथमिकता प्राप्त तारांकित प्रश्न]

गन्ना समिति बुलन्दशहर पर कृषकों के बकाया गन्ने मूल्य का भुगतान

*1–श्री किरन पाल सिंह

क्या गन्ना विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गन्ना समिति, बुलन्दशहर पर

किसानों का 1970 से 1980 के बीच का गन्ने का कितने लाख रुपया बकाया है ? उक्त बकाया धनराशि का ब्याज सहित भुगतान कब तक कर दिया जायेगा ? अब तक उन्हें भुगतान न किये जाने का क्या कारण है ?

श्री ओम प्रकाश रिछारिया–

गन्ना समिति बुलन्दशहर पर किसानों का 1970–1980 के बीच का लगभग 1–50 लाख रुपया गन्ना, मूल्य भुगतान हेतु बकाया है। यह बकाया धनराशि ऐसे कृषकों की है जिन पर समिति का कर्जा है या जिनकी मृत्यु हो गयी है अथवा जिनके पास गन्ने की पर्ची नहीं है। शेष कृषकों का भुगतान कर दिया गया है।

यह विवादास्पद है कि ब्याज भारत सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम गन्ना मूल्य पर देय होगा अथवा राज्य सरकार द्वारा परामर्शित गन्ना मूल्य पर। इस बिन्दु का विधिक दृष्टि से परीक्षण कराया जा रहा है। विधिक स्थिति के अनुसार यथोचित कार्यवाही की जायेगी ।

श्री किरनपाल सिंह–

माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने जो अपने उत्तर में बताया है कि 1970–80 के बीच में लगभग 1·50 लाख रुपया गन्ना मूल्य का भुगतान हेतु बकाया है, तो क्या मंत्री जी यह बताने का कष्ट करेंगे कि क्या समिति का आडिट कराया गया है? यदि हां, तो उसकी रिपोर्ट क्या है?

श्री ओम प्रकाश रिछारिया–

श्रीमन्, यह एक लिस्ट है बकायेदारों की। सर्वे कराया गया तभी तो यह आयी है। आप कहें तो मैं इसे पढ़ दूं?

श्री शतरुद्र प्रकाश–

जिन किसानों की पर्चियां खो गयी हैं और उनका भुगतान बाकी है, तो क्या सरकार की ओर से ऐसा कोई आडिट कराया जायेगा, या कोई जांच करायी जायेगी कि जिनकी पर्चियां खो गयी हैं और उन किसानों का भुगतान बाकी है, वह उनको दिया जा सके?

श्री ओम प्रकाश रिछारिया–

इसमें श्रीमन्, शासन की ओर से उनका भुगतान कराये जाने की व्यवस्था करायी जा रही है। इसमें एक व्यवहारिक दिक्कत आयी है, कुछ लोगों की मृत्यु हो गयी है और उनके उत्तराधिकारी नहीं मिल रहे हैं जिन लोगों की पर्चियां खो गयी हैं, अगर उनकी डुप्लीकेट प्रोड्यूस करेंगे तो उनका भुगतान कर दिया जायेगा।

श्री किरन पाल सिंह–

मान्यवर, हमारी स्पष्ट जानकारी है कि पिछले 1970 से 1980 के बीच में 10 लाख रुपया गन्ना समितियों पर बकाया है और वह दिया नहीं जा रहा है, घोटाला कर लिया है, तो क्या हमारी जानकारी को सही मानते हुये उस समिति का आडिट कराने का कष्ट करेंगे?

श्री ओम प्रकाश रिछारिया–

जी हां, करा लूंगा ।

श्री अशोक बाजपेयी–

मान्यवर, जिस प्रकार से बुलन्दशहर की गन्ना मिल पर किसानों का रुपया बकाया है, उसी प्रकार से हरदोई की मिल पर भी 3 करोड़ रुपया अधिगृहीत चीनी मिल पर बकाया है, क्या इस बकाये का भुगतान करायेंगे?

श्री अध्यक्ष–

इससे इसका प्रश्न नहीं उठता है।

श्री अशोक बाजपेयी–

यह तो किसी भी जिले का हो सकता है?

(कोई उत्तर नहीं दिया गया)

स्थानीय निकायों के चुनाव कराने की मांग

*2–श्री अशोक बाजपेयी, श्री राम आसरे वर्मा, श्री सरदार सिंह, श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी, श्री ब्रह्मदत्त द्विवेदी, श्री मित्र-सेन, श्री कौशिक रमाशंकर, श्री सूर्य प्रताप शाही तथा कुंवर रेवती रमण सिंह –

क्या मुख्य मंत्री को जानकारी है कि तत्कालीन मुख्य मंत्री श्री नारायण दत्त तिवारी एवं नगर विकास मंत्री ने वर्ष 85 के बजट सत्र में सदन को आश्वासन दिया था कि स्थानीय निकायों के चुनाव दो चरणों में वर्ष 85 में सम्पन्न करा दिए जायेंगे? यदि हां, तो चुनाव न कराये जाने के क्या कारण थे ? क्या निकट भविष्य में स्थानीय निकायों के चुनाव कराने के सम्बन्ध में सरकार विचार कर रही है?

नगर विकास राज्य मंत्री (श्रीमती पद्मा सेठ)–

तत्कालीन मुख्य मंत्री जी ने यह आश्वासन दिया था कि स्थानीय निकायों के चुनाव अतिशीघ्र सम्पन्न कराये जायेंगे।

चुनाव अपरिहार्य कारणों से सम्पन्न नहीं कराये जा सके।

चुनाव शीघ्र कराये जाने पर विचार किया जा रहा है।

श्री अशोक बाजपेई–

मान्यवर, ऐसा लगता है कि अपरिहार्य कारण सदैव बने रहेंगे, जो मुख्य मंत्री घोषणा करता है, वह चला जाता है, इसलिये तारीख की घोषणा की हिम्मत वह नहीं कर रहे हैं इसलिये मैं स्पष्ट रूप से जानना चाहूंगा कि माननीय मुख्य मंत्री और माननीय नगर विकास मंत्री जी ने पिछले बजट सत्र में स्पष्ट रूप से आश्वस्त किया था कि वर्ष 1985 में नगर निकायों के चुनाव करा दिये जायेंगे और माननीय, अब यह 1986 चल रहा है और माननीया मंत्री जी जो उत्तर दे रही हैं वह है कि अपरिहार्य कारणों से चुनाव नहीं कराये जा सके, तो मैं यह जानना चाहता हूं कि वह अपरिहार्य कारण क्या हैं, चुनाव शीघ्र करा दिए जायेंगे और कोई तिथि निर्धारित करेंगी और उस तिथि की घोषणा इस सदन में करेंगी । दो चीजें बता दें कि अपरिहार्य कारण क्या हैं और किस तारीख को चुनाव सम्पन्न करा दिये जायेंगे?

श्रीमती पद्मा सेठ–

मान्यवर, दिसम्बर, 1985 में चुनाव होने थे और चुनाव न हो सकने के अपरिहार्य कारण हैं। एक तो यह कारण है कि बिजनौर का चुनाव बीच में आ गया और दूसरे सत्र शुरू हो गया, तो सत्र के बीच में चुनाव कराना उचित नहीं है और यह चुनाव जल्दी से जल्दी करा दिए जायेंगे, सरकार की नीयत बिलकुल साफ है ।

श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी–

मैं माननीय मंत्री जी के उत्तर के संदर्भ में पूछना चाहता हूं कि चुनाव शीघ्र कराये जाने पर विचार किया जा रहा है पिछले मुख्य मंत्री ने घोषणा की थी उससे ऐसा लगता था कि चुनाव की तैयारी पूरी हो गयी है और माननीया मंत्री जी ने बताया कि बिजनौर के बाई-इलेक्शन और सत्र आ गये और इस कारण चुनाव नहीं हो सके, तो क्या माननीया मंत्री जी स्पष्ट रूप से बताने का कष्ट करेगी कि क्या चुनाव की तैयारी पूरी हो चुकी है और उसमें कोई कोर कसर नहीं रह गयी है और यदि पूरी तैयारी हो चुकी है तो क्या इस सत्र की समाप्ति पर शीघ्र ही चुनाव करा दिये जायेंगे?

श्रीमती पद्मा सेठ–

मान्यवर, जल्दी से जल्दी कराने का विचार है और बहुत जल्दी करा देंगे।

(तारांकित प्रश्न संख्या 3 के पुकारे जाने पर तथा श्री राम सरन व श्री मित्रसेन के एक साथ बोलने पर)

श्री अध्यक्ष–

राम सरन जी मैंने मित्रसेन जी को बुला लिया है उसके बाद आप बोल लें।

श्री मित्रसेन–

मान्यवर, रवीन्द्र नाथ तिवारी जी ने स्पष्ट पूछा और उन्होंने कहा कि विचार किया जा रहा है। यह चुनाव प्रक्रिया की जो कार्यवाही है क्या वह पूरी हो चुकी है ? इसका मंत्री जी ने स्पष्ट उत्तर नहीं दिया। मैं यह जानना चाहता हूं कि चुनाव कराने की जो प्रक्रिया है उसमें कौन-कौन सी कार्यवाही पूरी हो चुकी है? सुनिश्चित रूप से कब तक चुनाव करा देंगी?

संसदीय कार्य राज्य मंत्री (श्री हुकुम सिंह)–

मान्यवर, यह बात सही है कि पहले चुनाव कराने के लिए सरकार ने स्पष्ट आश्वासन दिया था . . .

श्री किरन पाल सिंह–

मान्यवर, यह कोई संसदीय मामला तो है नहीं, यह किस हैसियत से बोल रहे हैं?

श्री हुकुम सिंह–

मान्यवर, तिवारी जी ने जो पूछा और मित्रसेन जी ने भी उसका उल्लेख किया कि क्या अपरिहार्य कारण हो गये थे? मान्यवर, आपको जानकारी होगी कि पूरा प्रदेश बाढ़ की विभीषिका से ग्रसित था और उस समय चुनाव कराना मुमकिन नहीं था। दूसरा प्रश्न पूछा गया कि चुनाव की प्रक्रिया कहां तक पूर्ण हो चुकी है। चुनाव प्रक्रिया चुनाव होने के बाद ही पूरी होती है। मान्यवर, हमारे लिए बाढ़ की विभीषिका से निपटना ज्यादा महत्वपूर्ण था या चुनाव कराना ज्यादा महत्वपूर्ण था। हम आश्वस्त करते हैं कि नगरपालिकाओं और स्थानीय निकायों के चुनाव 1986 में करा दिये जायेंगे।

श्री राम सरन–

मान्यवर, मेरा एक निवेदन सुन लीजिए। मैं इनका (श्री हुकुम सिंह का) तो जवाब चाहूंगा नहीं मैं जवाब सिर्फ उनका (श्रीमती पद्मा सेठ का) चाहूंगा। मैं माननीय मंत्री जी, पद्मा सेठ जी आपसे निवेदन करूंगा कि आपने वायदा किया है यह आपका वायदा पक्का रहेगा या कच्चा?

(कोई उत्तर नहीं दिया गया)

अमर शहीद चन्द्रशेखर का विवादग्रस्त जन्म स्थान

*3–श्री हृदय नारायण दीक्षित–

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि अमर शहीद चन्द्र शेखर आजाद के जन्म स्थान उन्नाव जिले के बदरका ग्राम को माने जाने के सम्बन्ध में क्या विवाद है और उस पर अन्तिम निर्णय कब तक ले लिया जायेगा? उन्नाव के जिलाधिकारी ने चन्द्रशेखर समारोह दिनांक 7 जनवरी, 86 के अवसर पर प्रकाशित 'आज' अखबार के परिशिष्ट में भेजे संदेश में 'आजाद' का जन्म स्थान बदरका कैसे मान लिया है?

सामान्य प्रशासन राज्य मंत्री (श्री राम नरेश शुक्ल)–

ऐतिहासिक अध्ययन संस्थान, कलकत्ता के निदेशक श्री एस0पी0 सेन द्वारा सम्पादित "राष्ट्रीय जीवन गाथा कोष" में अंकित सूचना के अनुसार ग्राम बदरका जनपद उन्नाव निवासी पंडित सीताराम तिवारी के सुपुत्र अमर शहीद चन्द्रशेखर "आजाद" का जन्म मध्य प्रदेश के झबुआ

जिले के ग्राम भांयरा में दिनांक 23 जुलाई, 1906 को हुआ था। इसके विपरीत एक अन्य मान्यता के अनुसार अमर शहीद चन्द्रशेखर "आजाद" का जन्म 7 जनवरी, 1906 को जनपद उन्नाव के बदरका ग्राम में हुआ था।

जहां तक जिला मजिस्ट्रेट उन्नाव द्वारा समाचार पत्र "आज" के 7 जनवरी, 1986 के परिशिष्ट में भेजे संदेश में अमर शहीद चन्द्रशेखर "आजाद" का जन्म स्थान बदरका माने जाने का सम्बन्ध है, यह उपरोक्त उल्लिखित मान्यता के आधार पर है और इसी आधार पर ग्राम बदरका में प्रतिवर्ष 7 जनवरी को अमर शहीद चन्द्रशेखर आजाद का जन्म दिवस एवं शहीद समारोह मनाया जाता है।

श्री हृदय नारायण दीक्षित–

माननीय मंत्री जी अपने उत्तर के सन्दर्भ में कृपया यह जानकारी देने का कष्ट करें कि उत्तर प्रदेश सरकार विभिन्न तथ्यों के आधार पर किस नतीजे पर पहुंची है कि अमर शहीद चन्द्र शेखर आजाद का जन्म स्थान और जन्म भूमि कहां है? और अगर उत्तर प्रदेश सरकार इस नतीजे पर पहुंची है और जैसा उन्होंने उनका जन्म स्थान मध्य प्रदेश बताया है तो उन्नाव के जिलाधिकारी ने बदरका में उनका जन्म-स्थान कैसे लिखा? क्या यह सही है कि उन्नाव के जिलाधिकारी ने अखबार में अपना फोटो व नाम छपवाने के लिए इस तरह का संदेह पैदा किया है?

श्री राम नरेश शुक्ल–

मान्यवर, बदरका का जो मामला है वह दूसरी मान्यता के आधार पर है। मान्यता यह है कि सन् 1938 में जब बाबू सम्पूर्णानन्द जी यहां पर शिक्षा मंत्री थे तो पहली बार इनका समारोह वहां मनाया गया था। उसके पश्चात् सन् 1950 से आज तक लगातार बदरका गांव में शहीद का जन्म दिवस मनाया जाता है और उसमें हिन्दुस्तान के तमाम लोग केन्द्र सरकार और प्रदेश सरकार के मंत्रीगण तथा गणमान्य नेता, इस तरफ के और उस तरफ के जाते हैं। यही एक मान्यता है। इसके अतिरिक्त मुझे स्वयं भी याद है कि मैं खुद और उस समय के विधान परिषद् के लोक दल के नेता महिपाल सिंह उसमें शामिल हुये थे। यह जो इतने दिनों से बदरका में उनका जन्म दिवस मनाया जा रहा है उसके आधार पर ही वहां के जिलाधिकारी ने दिया है। जहां तक शासन का सम्बन्ध है शासन यह नहीं मानता कि उनका जन्म स्थान झबुआ में है या बदरका में है। बदरका तो एक स्थान मानता है।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

क्या माननीय मंत्री जी को जानकारी है कि जिस समय वहां पहली बार आयोजन हुआ उस समय भी यह विवाद उठा था कि वह चन्द्र शेखर आजाद का जन्म-स्थान है या उनके पितामह वहां रहते थे। वह हमारे देश के महापुरुष हैं, चाहे वे उन्नाव के हों या झबुआ के। मैं मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि क्या यह सही है कि उन्नाव का जो जिला गजेटियर है उसमें तो उनकी जन्म-भूमि बदरका होना तो लिखा नहीं है? यदि हां, तो बार-बार भांति धारणा पर जो वहां पर उनका जन्म-स्थान मनाया जाता है और जिलाधिकारी या मंत्रियों का वहां जाना और उसमें भाग लेना, इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए क्या अभी तक सरकार ने कोई इस तरह की विधिवत कमेटी या आयोग गठित किया है जो इस बात का पता लगाये कि उनका जन्म स्थान बदरका है या नहीं? यदि है, तो उसकी क्या रिपोर्ट है? यदि ऐसा नहीं किया गया है तो क्या सरकार ऐसा प्रयास करेगी कि कोई कमेटी या आयोग बिठाकर इस बात को सुनिश्चित करे कि उनका जन्म स्थान बदरका था या झबुआ?

श्री राम नरेश शुक्ल–

मान्यवर, पहली बात तो यह है कि हर बड़े व्यक्ति की जो बहुत बड़े हुये हैं, उनके जन्म स्थान और तिथि पर विवाद अकसर हो जाया करता है। जैसे तुलसीदास, सूरदास या चन्द्र शेखर आजाद। लेकिन माननीय गुप्ता जी ने जो सुझाव दिया है उस पर जो हमारी उत्तर प्रदेश स्वतंत्रता संग्राम इतिहास परामर्शदात्री समिति है, उसको हम कहेंगे कि इसको भी देख ले।

श्री राम चन्द्र बख्श सिंह–

मान्यवर, यह बड़ा गम्भीर मामला है। अमर शहीद चन्द्र शेखर आजाद के जन्म-स्थान के बारे में यह सरकार निश्चित नहीं कर पा रही है कि उनका जन्म कहां हुआ था। यह सरकार के लिये बड़े शर्म की बात है। मैं एक रिफरेन्स देना चाहूंगा कि शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार का एक प्रकाशन है हू-एज-हू "दि मार्टियर्स" के पृष्ठ 15 पर उनके जन्म स्थान के बारे में लिखा है। इस समय प्रश्न यह है कि जिलाधिकारी उन्नाव ने उनका जन्म स्थान बदरका कैसे मान लिया? जैसा कि माननीय गुप्ता जी ने कहा **क्या आप जिलाधिकारी के विरुद्ध कोई कार्यवाही करेंगे जिन्होंने भारत सरकार के प्रकाशनों के बावजूद भी बदरका में उनका जन्म-स्थान लिखा है?**

श्री राम नरेश शुक्ल–

मान्यवर, यह जो मामला है इसमें एक्शन लेने का प्रश्न ही नहीं उठता है।

(दिनांक 25 फरवरी, 1986 हेतु निर्धारित तारांकित प्रश्न)

*1–श्री शारदा प्रताप–

[29वें मंगलवार में ता0प्र0सं0 20 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

नगर पालिका, सीतापुर के सार्वजनिक निर्माण विभाग में कार्यरत मेट तथा गेंगमैनों के समयबद्ध वेतन का निर्धारण

*2–श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

क्या नगर विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि सीतापुर नगर पालिका के सा0नि0वि0 में कार्यरत मेट तथा गैंगमैनों के वेतन निर्धारण के बारे में वहां के प्रभारी अधिकारी द्वारा जो अनुशंसा निदेशक स्थानीय निकाय उ0 प्र0 को जिलाधिकारी सीतापुर के माध्यम से 24 जून, 85 से 30 जून, 85 के बीच मिली, वह क्या है तथा उस पर निदेशक स्थानीय निकाय द्वारा क्या निर्णय लिया गया है ?

श्रीमती पद्मा सेठ–

नगरपालिका, सीतापुर के सार्वजनिक निर्माण विभाग में कार्यरत मेट तथा गैंग मैनों को समय-बद्ध वेतनमान आदि की सुविधा दिये जाने के बारे में प्रभारी अधिकारी, नगरपालिका, सीतापुर का पत्र दिनांक 24 जून, 1985 जिलाधिकारी के माध्यम से स्थानीय निकाय निदेशालय में दिनांक 16-7-85 को प्राप्त हुआ था, जिसमें यह संस्तुति की गयी थी कि नगर पालिका, सीतापुर के चतुर्थ श्रेणी के अन्य नियमित कर्मचारियों की भांति उक्त कर्मचारियों को भी निर्धारित वेतनक्रम, प्रोन्नति तथा स्थायी न होने की दशा में उनका फण्ड काटे जाने की सुविधा प्रदान की जाय ।

निदेशक, स्थानीय निकाय द्वारा परीक्षण के दौरान प्रशासक/जिलाधिकारी से अन्य अनावश्यक सूचनाएं मांगी गई थीं जो 6-2-86 को प्राप्त हो सकी । निदेशक द्वारा नगरपालिका का उक्त प्रस्ताव अपनी संस्तुति सहित शासन को दिनांक 21-2-86 को भेजा गया है।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

क्या माननीय मंत्री जी अपने उत्तर को

अंतिम भाग के सन्दर्भ में बताने की कृपा करेंगी कि यह जो नगर पालिका सीतापुर का प्रस्ताव आया था वह शासन को प्राप्त हो चुका है । तो मैं जानना चाहता हूं कि उस पर शासन को क्या संस्तुति मिली है और उस पर फैसला कब तक हो जायेगा। (व्यवधान)

श्री विजय सिंह राणा–

मान्यवर, सदन में एक भी कैबिनेट स्तर का मंत्री नहीं है ।

ऊर्जा राज्य मंत्री (श्री प्रमोद कुमार)–

मान्यवर, माननीय मुख्य मंत्री स्वयं आ गये हैं ।

श्री विजय सिंह राणा–

मैं माननीय मुख्य मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि संसदीय परम्परा के अनुसार प्रश्नोत्तरकाल में कम से कम एक कैबिनेट स्तर का मंत्री जरूर होना चाहिए और मान्यवर, आपको याद होगा माननीय नारायण दत्त तिवारी स्वयं बैठते थे ।

श्री अध्यक्ष–

आपके हुक्म की तुरन्त तामील की गई।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

यह बात सही है जब माननीय मुख्य मंत्री जी को पता लगा कि उनके कैबिनेट मंत्रियों ने असहयोग कर दिया है और कोई सदन में नहीं जा रहा है तो वे बेचारे खुद यहां आ गए ।

श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी–

मान्यवर, कम से कम प्रश्नोत्तर काल में कैबिनेट स्तर का मंत्री यहां जरूर रहा करते हैं यह मर्यादा रही है । दूसरी बात ज्वाइन्ट रिस्पांसिबिलिटी के नाम पर हम देख रहे हैं कि एक मंत्री जबाब देता है और पूरक प्रश्न का उत्तर दूसरा देता है । अगर वह उत्तर देने में अक्षम हैं तो जो पूरक में मदद करते हैं वह शुरु से ही उत्तर दिया करें यह निर्देश आप शासन को दे दें ।

श्री अध्यक्ष–

आपका इशारा ही काफी है। (व्यवधान)

श्री किरन पाल सिंह–

मान्यवर, आप शायरी करते हैं ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

मैं माननीय तिवारी जी का इशारा समझ गया वह फाइल देख रही हैं । मैं फिर से प्रश्न कर रहा हूं। आपके लिखित उत्तर के अंत में लिखा है कि निदेशालय से संस्तुति 21 तारीख को शासन से आ गई है तो मैं इतना जानना चाहता हूं कि जो संस्तुति शासन को भेजी गई है वह क्या है और उन पर निर्णय कब तक प्राप्त हो जायेगा ?

श्रीमती पद्मा सेठ–

जिलाधिकारी सीतापुर का पत्र दिनांक 6-2-86 के साथ प्रभारी अधिकारी सीतापुर के प्रस्ताव दिनांक 24-6-85 से सहमति व्यक्त करते हुए मेट एवं गैंगमैनों का वेतन 305 से 390 किए जाने की संस्तुति की है ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

मान्यवर, मैं यह जानना चाहता हूं कि यह जो संस्तुति निदेशालय ने शासन को दी है यह मेटों के संबंध में केवल सीतापुर का ही नहीं है यह तो एक टोकन है । सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश में मेट एवं गैंगमैन जो काम कर रहे हैं वह 9 रु0 दैनिक मजदूरी पर काम कर रहे हैं। तो शासन ने जो फैसला लिया है तो क्या मैं यह समझूं कि फोर्थ क्लास कर्मचारी जो नगर पालिका के पी0 डब्लू0 डी0 में हैं उनको समान पैरिटी दी जायेगी या उनके साथ भेदभाव होगा ।

दूसरे इस पर निर्णय कब तक हो जायेगा और यह निर्णय समस्त प्रदेश की नगरपालिकाओं में लागू होगा या नहीं ? यदि नहीं तो क्यों ?

श्रीमती पद्मा सेठ–

मान्यवर, यह मामला वेतन आयोग को भेजा जा रहा है और जो उसका निर्णय होगा उसको पालन किया जायेगा ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

मान्यवर, नगरपालिका आटोनामस बाडी है, उसने प्रस्ताव किया है कि उनको स्थायी कर दिया जाये । नगरपालिकाओं ने स्पष्टीकरण मांग कि फोर्थ क्लास इम्पलाइज जो हैं उनको अन्य चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के समान वेतन भत्ते दें कि न दें । पहले उत्तर दिया कि उनके सुझाव से सहमत हैं लेकिन अब कहा जा रहा है कि वेतन आयोग को दे दिया जायेगा जो कि इस समय नहीं है । भविष्य में प्रयास होगा कि वेतन आयोग बैठे तो यह विसंगति होगी । इसलिए मान्यवर, पहले जो उत्तर दिया है कि वह संस्तुति शासन को भेज दी जायेगी और शासन उस जिलाधिकारी, सीतापुर की आख्या को कब तक स्वीकार कर लेगा और जो उत्तर प्रदेश के समस्त नगरपालिकाओं में लागू कर दिया जायेगा । इसलिए मैं जानना चाहता हूं कि वेतन आयोग को भेजने का क्या कारण है चूंकि वेतन आयोग इक्जिस्ट नहीं कर रहा है ।

श्रीमती पद्मा सेठ–

मान्यवर, यह मामला सीतापुर का ही नहीं बल्कि पूरे प्रदेश का है । तो वेतन आयोग का जो निर्णय होगा वह पूरे प्रदेश में लागू होगा ।

थाना ठठिया ग्रा0 बेहटा, जनपद फर्रुखाबाद में हुए हत्याकाण्ड की जांच

*3–श्री ब्रह्मदत्त द्विवेदी (अनुपस्थित)–

क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद फर्रुखाबाद के ग्राम बेहटा, थाना ठठिया में पांच व्यक्तियों की सामूहिक हत्या अगस्त सन् 1985 में कर दी गई थी और इस हत्या का षडयंत्र स्थानीय पुलिस थाना ठठिया ने अभियुक्तगण से 85000/- अग्रिम धनराशि लेकर किया था जिसमें उपनिरीक्षक वर्मा जो इस काण्ड के मुख्य अभियुक्त थे को वह धनराशि दी गई थी? यदि हां, तो थाना ठठिया के पुलिस अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई ?

मुख्य मंत्री (श्री वीर बहादुर सिंह)–

प्राप्त सूचनानुसार प्रश्न में उल्लिखित हत्याकाण्ड में थाना ठठिया की पुलिस का किसी भी रूप में सम्बद्ध होने का आरोप सर्वथा निराधार है । अन्य प्रश्न नहीं उठते ।

अवकाश प्राप्त आई0 ए0 एस0 तथा पी0 सी0 एस0 अधिकारियों को पुनः सेवा में लिया जाना

*4–श्री सूर्य प्रताप शाही–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि भारत सरकार ने कोई ऐसा निर्देश उत्तर प्रदेश शासन को दिया है कि अवकाश प्राप्त अधिकारियों या कर्मचारियों को पुनः नौकरियों में न रखा जाय ? यदि हां, तो उत्तर प्रदेश शासन ने 1984 से अब तक ऐसे कितने आई0 ए0 एस0 और पी0 सी0 एस0 अधिकारियों को अवकाश ग्रहण करने के बाद पुनः सेवा का अवसर प्रदान किया है तथा ऐसा करने से पी0सी0 एस0 सेवा के कितने वरिष्ठ अधिकारी आई0 ए0 एस0 कैडरों में लिए जाने से वंचित रह गए ? यदि हां, तो ऐसा क्यों हुआ ?

श्री प्रमोद कुमार–

सूचना एकत्र की जा रही है ।

श्री सूर्य प्रताप शाही –

मान्यवर, महत्वपूर्ण प्रश्न है । मैंने पूछा था कि क्या भारत सरकार ने उत्तर प्रदेश सरकार को ऐसे निर्देश दिये थे कि अवकाश प्राप्त आई0 ए0 एस0 और पी0 सी0 एस0 अधिकारियों को पुनः नौकरियों

में न रखा जाये, जिसके सम्बन्ध में कुछ नहीं बताया गया है । मेरी निजी जानकारी के अनुसार मुख्य मंत्री ने सत्ता संभालने के बाद एक आदेश किया कि किसी भी अधिकारी को पुनः नौकरी में न रखा जाय, लेकिन उसके बावजूद 12 आई0 ए0 एस0 अधिकारियों को पुनः नौकरी में रखा गया है । यदि यह सूचना मंत्री जी के पास नहीं है तो इससे निकम्मापन क्या हो सकता है ? (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

आपने प्रश्न किया, उत्तर आया कि सूचना एकत्र की जा रही है, तो 15 दिन बाद फिर यह प्रश्न आ जायेगा ।

श्री मैनेजर सिंह–

केन्द्र सरकार का पत्र आया है तो उसमें क्या सूचना एकत्र करनी है । क्या वह पत्र गुम हो गया है ?

श्री प्रमोद कुमार–

मान्यवर, माननीय सदस्य ने जो प्रश्न पूछा उसमें ऐसा नहीं पूछा था और यदि वह पूछते कि कितने आई0 ए0 एस0 और पी0 सी0 एस0 अधिकारियों को इक्सटेंशन दिया गया है, तो इसकी सूचना दे देते, लेकिन उन्होंने पूछा था कि कितने आई0 ए0 एस0 और पी0 सी0 एस0 अधिकारियों को अवकाश ग्रहण करने के बाद पुनः सेवा में रखा गया है, तो इक्सटेंशन जो देते हैं उसकी जानकारी रहती है, किन्तु बहुत से ऐसे हैं जो रिटायरमेंट के बाद 59 निगम हैं उनमें कहीं सलाहकार के रूप में रख लिए गए हैं, विभागों में पुनः रख लिए गए हैं, इसलिए इस सब की सूचना एकत्र होने के बाद चूंकि विभाग पूरे उत्तर प्रदेश में फैले हैं, उत्तर दे सकेंगे ।

जहां तक यह सवाल है कि क्या कोई केन्द्र सरकार से निर्देश आया है, तो उसके सन्दर्भ में यह कहना चाहता हूं कि केन्द्र से कुछ नहीं आया है । हमारी प्रान्तीय सरकार ने खुद यह निर्णय लिया है, इसलिए हम खुद नहीं एक्सटेंशन दे रहे हैं अधिकांश मामलों में ।

राज्य लोक सेवा आयोग के परीक्षा के संबंध में सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय

*5–मलिक मोहम्मद कमाल यूसुफ (अनुपस्थित) –

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा श्री अशोक कुमार यादव बनाम हरियाणा राज्य नामक वाद में दिनांक 13 मई, 85 को समस्त राज्य लोक सेवा आयोगों को जो इस आशय के निर्देश दिये गये हैं कि उनके द्वारा आयोजित लिखित परीक्षाओं के लिए निर्धारित अंकों के 12.2 प्र0श0 से अधिक अंक साक्षात्कार के लिए न रखे जायं, का पालन शासन द्वारा सुनिश्चित कर लिया गया है? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री वीर बहादुर सिंह–

माननीय सर्वोच्च न्यायालय के उपरोक्त निर्णय के क्रियान्वयन हेतु वांछित कार्यवाही की जा रही है।

मुख्यालय, जल निगम में वरिष्ठ लिपिकों को कनिष्ठ कर दिए जाने के सम्बन्ध में जांच

*6–श्री सरदार सिंह–

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मुख्यालय जल निगम में कितने वरिष्ठ लिपिक ऐसे हैं जिनको बिना किसी कारण 18 व्यक्तियों से कनिष्ठ कर दिया गया? क्या यह विषय अगस्त, 1984 में जल निगम संचालक बोर्ड के समक्ष आया था? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई? यदि नहीं, तो क्यों? क्या मंत्री जी यह भी बतायेंगे कि मुख्य कार्मिक अधिकारी के पत्र संख्या 118/

अ-3/से0पू0वे0नि0, दिनांक 17-11-83 एवं शासन के पत्र संख्या 1732/9-3-84-555 सी/84, दिनांक 28-4-84 पर क्या कार्यवाही की गई है? यदि नहीं, तो क्यों?

श्रीमती पद्मा सेठ–

मुख्यालय जल निगम में कोई ऐसा वरिष्ठ लिपिक नहीं है जिसको बिना किसी कारण किसी लिपिक से कनिष्ठ कर दिया गया है।

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता।

इसकी आवश्यकता नहीं समझी गई। सन्दर्भित पत्रों के सन्दर्भ में जल निगम द्वारा कोई अन्य कार्यवाही अपेक्षित नहीं थी क्योंकि सम्बन्धित कार्मिक को पूर्व में ही अवगत कराया जा चुका था कि उनकी मांग नियमानुसार मान्य नहीं है।

यमुना नदी के जल के प्रदूषण का निवारण तथा नियन्त्रण की व्यवस्था

*7–श्री जयदीप सिंह बरार–

क्या पर्यावरण मंत्री को जानकारी है कि केन्द्रीय जल प्रदूषण कन्ट्रोल की एक रिपोर्ट के अनुसार यमुना नदी के उ0 प्र0 से दिल्ली में प्रवेश करने से लेकर उसके पुन: उ0 प्र0 में आने तक लगभग 150 टन ठोस एवं रसायनिक प्रदूषणकारी पदार्थ यमुना में गिरते हैं, जिसके कारण यमुना का जल पीने योग्य नहीं रह जाता परन्तु फिर भी उसी जल को उ0 प्र0 के बहुत से नगरों में पीने के प्रयोग में लाया जाता है ? यदि हां, तो उ0 प्र0 सरकार इस प्रदूषण को समाप्त करने हेतु क्या-क्या प्रशासनिक, राजनैतिक एवं न्यायिक प्रयास कर रही है ? यदि नहीं तो क्यों ?

पर्वतीय राज्य मंत्री (श्री राम आँतार दीक्षित)–

दिल्ली से लगभग 150 टन का कार्बनिक भार यमुना नदी में प्रतिदिन प्रवाहित होता है । यमुना का जल प्रदेश के विभिन्न नगरों में शुद्धिकरण के पश्चात् पीने के प्रयोग में लाया जाता है जल निगम से प्राप्त सूचना के अनुसार उत्तर प्रदेश में यमुना नदी में प्रदूषण मुख्यत: वृन्दावन, मथुरा, आगरा एवं इलाहाबाद, नगरों में नदी में गिरने वाले नालों से होता है । प्रथम चरण में मथुरा, वृन्दावन नगरों से होने वाले प्रदूषण को आंशिक रूप से समाप्त करने के लिए दोनों नगरों की सीवर व्यवस्था का पुनरोद्धार करने की दो योजनाएं बनाकर जल निगम द्वारा कार्यान्वित की जा रही हैं, तथा इलाहाबाद में 9 नाले यमुना नदी में मिलते हैं, इनसे प्रदूषण रोकने के लिए गंगा एक्सन प्लान के अन्तर्गत योजना बनाई जा रही है। औद्योगिक उत्प्रवाह से यमुना में उत्पन्न प्रदूषण के निवारण हेतु उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा उद्योगों को जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1974 के अन्तर्गत प्रदूषण नियंत्रण की व्यवस्था करने हेतु निर्देश दिये गये हैं।

श्री जयदीप सिंह बरार–

मैंने मंत्री जी से प्रश्न किया है कि क्या इनको जानकारी है कि केन्द्रीय जल प्रदूषण कन्ट्रोल बोर्ड की एक रिपोर्ट के अनुसार 150 टन ठोस एवं रसायनिक प्रदूषणकारी पदार्थ, यमुना नदी में दिल्ली में गिरता है, इस पर उन्होंने कहा है कि जल निगम से प्राप्त सूचना के बारे में, तो मेरे प्रश्न का तो उत्तर मंत्री जी ने नहीं दिया है, वह यह बताएं कि क्या उन्हें यह जानकारी है कि केन्द्रीय जल प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड के अनुसार दिल्ली प्रदेश में 150 टन रसायनिक प्रदूषणकारी पदार्थ, न कि कार्बनिक भार, जो न समाप्त होता है और न उसे साफ किया जा सकता है,

यमुना में गिरते हैं, जिसकी परेशानी हमको भुगतनी पड़ती है? इस सम्बन्ध में सरकार क्या कार्यवाही कर रही है कि वह यमुना में न गिरे? उसके लिए सरकार क्या रास्ता अपना रही है, जिससे वह उसमें न गिरे?

श्री राम औतार दीक्षित–

मान्यवर, इसके लिए मुख्य मंत्री जी ने प्रधान मंत्री जी को एक पत्र लिखा है कि जिस तरह गंगा एक्शन प्लान बना है, उसी तरह से यमुना एक्शन प्लान भी बना दिया जाए ।

श्री प्रदीप माथुर–

क्या मंत्री जी बतायेंगे कि अभी जल निगम के चेयरमैन ने एक प्रेस में स्टेटमेंट दिया है कि केन्द्र सरकार ने 5 करोड़ रुपया जमुना के प्रदूषण को दूर करने के लिए, मथुरा में साफ करने के लिए दिया है और उसमें से 80 लाख रुपया प्रदेश शासन को प्राप्त भी हो गया है, क्या यह सही है या नहीं?

श्री राम औतार दीक्षित–

मान्यवर, मथुरा में यमुना के प्रदूषण की रोकथाम की योजना, स्टेप–1, पार्ट–1, जिसकी अनुमानित लागत 25.26 लाख रुपये है, चल रही है। इसके अन्तर्गत सीवेज पंपिंग स्टेशन्स की मरम्मत का कार्य, सीवर लाइंस की सफाई, सीवेज चैनल की मरम्मत का कार्य, राइजिंग मेंस को बिछाने का कार्य, लाल दरवाजा से गऊघाट तक डाइवर्जन सीवर डालने का कार्य, पेन स्टाक लगाने का कार्य, स्पेशल टी0 एण्ड पी0 की आपूर्ति, समस्त पम्पिंग स्टेशंस के पम्पों की मरम्मत/बदलने का कार्य विचाराधीन है।

श्री विजय सिंह राणा–

मान्यवर, बरार साहब के मूल प्रश्न को देखने की कृपा करें। उन्होंने पूछा है कि यमुना नदी के दिल्ली में प्रवेश होने के बाद और पुनः उत्तर प्रदेश में आने पर उसमें लगभग 150 टन ठोस एवं रासायनिक प्रदूषण मिलता है या नहीं? मंत्री जी ने उत्तर दिया है कि सीवर लाइन बदल रहे हैं, तो सीवर लाइन बदलने से प्रदूषण तो हट नहीं जायगा। माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करें कि जो यह रासायनिक प्रदूषण हो रहा है तो इसको हटाने के लिये क्या कार्यवाही कर रहे हैं। के0 डी0 शर्मा की रिपोर्ट आप देख लें दिल्ली से आगरा में 200 गुना अधिक वाटर पाल्यूशन है। इसको दूर करने के लिये क्या प्रयास कर रहे हैं।

श्री राम औतार दीक्षित–

मान्यवर, आगरा में सबसे ज्यादा प्रदूषण मेसर्स पार्क लेदर इंडस्ट्रीज की वजह से होता है। इसके खिलाफ अधिनियम की धारा 33(1) के अन्तर्गत मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी, आगरा के न्यायालय में प्रार्थना पत्र इस आशय का दिया गया कि उद्योग को अपना प्रदूषित उत्प्रवाह सरिता में प्रवाहित करने से रोका जाय। यह प्रार्थना पत्र पंजीकृत हुआ और 30-5-85 अग्रिम आदेश हेतु नियत हुई। इसके बाद केस में सुनवाई मैजिस्ट्रेट द्वारा स्थगित कर 4-6-85 आदेश हेतु नियत किया गया। अधिनियम की धारा 44 के अन्तर्गत बिना उ0 प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के सहमति के प्रदूषित बहिस्राव करने के कारण परिवाद उद्योग तथा अन्य जिम्मेदार व्यक्तियों के विरुद्ध प्रस्तुत किया गया। यह कार्यवाही 18-6-85 को की गयी। इसके बाद कोर्ट में हड़ताल होने के कारण कोई कार्यवाही दिनांक 24-6-85 को सम्पन्न न हो सकी। 29-6-85 को आदेश पारित नहीं हो सके। इसके बाद धारा 44 के परिवाद में अभियुक्तों को

उपस्थिति हेतु सम्मन जारी किये गये हैं और उस पर कार्यवाही हो रही है।

डा0 कृष्ण वीर सिंह कौशल–

मान्यवर, माननीय मंत्री जी के उत्तर के संदर्भ में। मैं दो प्रश्नों की ओर आपके माध्यम से मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। जो मूलभूत प्रश्न माननीय सदस्य ने पूछा है उसका उत्तर ही नहीं दिया गया है। उन्होंने स्पष्ट रूप से पूछा था कि कितना रासायनिक प्रदूषण होता है दिल्ली के क्षेत्र में जब यमुना प्रवेश करती है। मंत्री जी ने कार्बनिक भाग से कितना प्रदूषण होता है? इसका उत्तर दे दिया।

मान्यवर, रासायनिक प्रदूषण कितना है और उस सम्बन्ध में सेंट्रल पोल्यूशन बोर्ड की जो रिपोर्ट है उसका जिक्र नहीं है। मंत्री जी ने जो उत्तर दिया है उसमें कहा है कि मथुरा, वृन्दावन, इलाहाबाद में योजनायें चल रही हैं प्रदूषण को रोकने के लिये। मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूं। मंत्री जी को कि धोतियों की सफाई और छपाई जो मथुरा में होती है उससे लाल पानी, पीला पानी, हरा पानी पीने को मिलता है। जिस रंग की धोतियों की धुलाई होती है, वह पानी हम लोगों को पीने के लिए मिलता है, तो मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहूंगा कि उस रसायनिक प्रदूषण को रोकने की क्या कार्यवाही की जा रही है?

श्री राम औतार दीक्षित–

मान्यवर, कई बार मूल प्रश्न की बात आयी, जिस तरह से प्रश्न आते रहे हैं, मैं उनका उसी तरह से जवाब देता रहा और अब आगरा मथुरा की साड़ियों के बारे में बात आ गयी तो इस संबंध में मैं माननीय सदस्य को बताना चाहता हूं कि इन स्थानों के साड़ी उद्योग से लगभग एक लाख व्यक्ति संबंधित हैं। पिछले वर्ष इन्हीं बातों को लेकर, वहां के जिलाधिकारी ने इसकी रोक-थाम की थी, तो इससे एक लाख व्यक्ति प्रभावित हुए थे और इस उद्योग की कई छोटी-छोटी इकाइयां हैं, जिनसे सामूहिक प्लांट लगाने की बात की जा रही है और जहां तक आपके मूल प्रश्न की बात है, इस संबंध में केन्द्र प्रदूषण बोर्ड से जानकारी कर लेंगे।

श्री हरिश्चन्द्र, हरीशजी–

मान्यवर, मथुरा और वृन्दावन दोनों तीर्थ स्थल हैं, जहां पर देश के कोने-कोने से लोग आते हैं और यही स्थिति आगरे की भी है। तो माननीय मंत्री जी ने अपने उत्तर में बताया कि हम इन स्थानों के प्रदूषण को आंशिक रूप से दूर करने के प्रयास कर रहे हैं, तो मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि पूरी तरह से इन स्थानों के प्रदूषण को रोकने की कार्यवाही क्यों नहीं की जा रही है?

श्री वीर बहादुर सिंह–

मान्यवर, केवल मथुरा और आगरा के प्रदूषण को रोक दिये जाने से, पूरी तरह से प्रदूषण नहीं रुक जायेगा क्योंकि दिल्ली, फरीदाबाद और हरियाणा से भी प्रदूषण होता है, इसलिए जब तक इन जगहों का भी प्रदूषण नहीं रोका जायेगा, तब तक इस समस्या का पूरी तरह से हल नहीं होगा। इसलिए भारत सरकार को लिखा गया है कि जिस तरह से गंगा का प्रदूषण रोका गया है, उसी तरह से यमुना का कर दिया जाए, तो पूरी तरह से इस समस्या का समाधान हो जायेगा।

गाजियाबाद जिले में वकीलों, किसानों पर तहसीलदार तथा उनके कर्मचारियों द्वारा हमला

*8–श्री महेन्द्र सिंह भाटी–

क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गाजियाबाद जिले में दादरी तह0 मुख्यालय पर 15-10-85 को धरना दे रहे वकीलों व किसानों पर तहसीलदार व कर्मचारियों ने लाठीचार्ज, ईंट व तेजाब की बोतलों से हमला किया था? क्या हमले में कई लोग घायल हुए थे? यदि हां, तो हमले की नामजद रिपोर्ट होने के बावजूद भी किसी को गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया? क्या नामजद लोगों के खिलाफ शासन कार्यवाही करने जा रहा है? यदि हां, तो कब तक ?

गृह राज्य मंत्री (श्री सुरेन्द्र सिंह चौहान)–

प्राप्त सूचनानुसार दिनांक 15-10-85 को प्रदर्शन कर रहे वकीलों और तहसील कर्मचारियों के बीच झड़प हो गयी थी। इस सम्बन्ध में दोनों पक्षों द्वारा प्रथम सूचनाएं अंकित करायी गयी थी। इसमें कुछ वकीलों और कर्मचारियों को मामूली चोटें आयी थीं। विवेचना से यह पाया गया कि झड़प के दौरान असामाजिक तत्वों द्वारा पत्थर फेंका गया था। लाठी और तेजाब का प्रयोग नहीं हुआ था। साक्ष्य के अभाव में नामजद अभियुक्तगण की गिरफ्तारी सम्भव नहीं हो पायी। दोनों मामलों की विवेचना अन्तिम रिपोर्ट द्वारा समाप्त की जा चुकी है। अब कोई कार्यवाही बाकी नहीं है।

श्री महेन्द्र सिंह भाटी–

मान्यवर, ऐसा लगता है कि वकीलों की नियत ही में पिटना है और शासन को हर मामले में अंतिम रिपोर्ट ही लगाना है। वकीलों ने मान्यवर, तहसीलदार के विरुद्ध 308 का एक मुकदमा दर्ज कराया, जो बहुत ही गम्भीर अपराध में आता है। इसके उत्तर में मा0 मंत्री जी ने बताया कि कुछ असामाजिक तत्वों ने पत्थर फेंके । तो मान्यवर, क्या विवेचना से कोई तथ्य प्रकाश में आया है कि वह असामाजिक तत्व कौन है?

श्री सुरेन्द्र सिंह चौहान–

मान्यवर, जैसा कि मुख्य उत्तर में बताया गया कि चूंकि साक्ष्य का अभाव था, इसलिए उसमें फाइनल रिपोर्ट लगा दी गयी और यह मुकदमा मान्यवर, दोनों तरफ से वकीलों और तहसील कर्मचारियों व लेखपालों आदि की तरफ से दर्ज हुआ था और झगड़ा तहसीलदार के हटाये जाने का था तो मान्यवर, तहसीलदार को वहां से हटा दिया गया है और इस प्रकार सारा झगड़ा खत्म होकर वहां पर पूर्णरूप से शांति है, इसलिए फाइनल रिपोर्ट लगा दी गयी।

श्री हरेन्द्र सिंह–

मान्यवर, मेरी जानकारी को सत्य मानते हुए कि इस घटना की जांच परगनाधिकारी, श्रीमती स्नेह अग्रवाल द्वारा की गयी थी तो क्या माननीय मंत्री जी उस जांच रिपोर्ट के अनुसार कार्यवाही करने का कष्ट करेंगे या इस जांच रिपोर्ट को सदन के पटल पर रखने का कष्ट करेंगे ?

श्री सुरेन्द्र सिंह चौहान–

मान्यवर. इस तरह की कोई जांच रिपोर्ट सूचना में नहीं है।

श्री सत्यपाल सिंह–

माननीय अध्यक्ष महोदय, यह क्रास-केस माननीय मंत्री जी ने बताया और इसमें दोनों तरफ से चोटें आई होंगी । तो मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि जब तहसीलदार की तरफ

से केस लिखाया गया, तो उसमें किन-किन लोगों को चोट आने का उल्लेख है और उसकी मेडिकल रिपोर्ट क्या है और जो वकील की तरफ से रिपोर्ट लिखाई गयी, उसमें किन-किन लोगों को चोट आने का उल्लेख है और उसकी मेडिकल रिपोर्ट क्या है?

श्री अध्यक्ष–

माननीय मंत्री जी, अगर सूचना हो तो बता दें।

(कोई उत्तर नहीं आया।)

श्री मैनेजर सिंह–

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने कहा कि साक्ष्य के अभाव में फाइनल रिपोर्ट लगा दी गयी। तो मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या वहां के बार एसोसियेशन के मेम्बर श्री भाटी को चोट लगी थी, क्या उन्होंने अपनी रिपोर्ट में कोई साक्ष्य का नाम नहीं दिया था और जो गाजियाबाद के दादरी तहसील के तहसीलदार की तरफ से रिपोर्ट लिखाई गयी थी, उसमें उन्होंने अपनी रिपोर्ट के समर्थन में क्या कोई साक्ष्य नहीं दिया था? यदि दोनों पक्षों ने साक्ष्य नहीं दिया. तो इन दोनों पक्षों के खिलाफ झूंठी रिपोर्ट लिखाने की कार्यवाही करेंगे?

श्री सुरेन्द्र सिंह चौहान–

मान्यवर, वास्तविकता यह है कि मुख्य रूप से तहसीलदार के खिलाफ वकील लोग नाराज थे। वकील लोग इस प्रयास में थे कि वह तहसीलदार किसी तरह से वहां से स्थानांतरित हो जाय और मान्यवर, दोनों पक्षों की तरफ से किसी ने कोई साक्ष्य देना नहीं चाहा, और तहसीलदार वहां से ट्रांन्सफर हो गये, तो दोनों पक्ष अपनी-अपनी रिपोर्ट के बारे में उदासीन हो गये। मान्यवर, यह मुख्य बात थी।

अधिशासी अभियंता उ0 प्र0 जल निगम, द्वारा किये गये फर्जी भुगतान की जांच

*9–श्री राम चन्द्र बख्श सिंह–

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उ0 प्र0 जल निगम में निर्माण खण्ड, आजमगढ़ के अधिशासी अभियंता के आचरण के संबंध में प्रश्नकर्ता का दिनांक 15-7-85 का पत्र मुख्य मंत्री जी को प्राप्त हुआ है? क्या उक्त अभियंता को आजमगढ़ से अन्यत्र स्थानान्तरित कर शासन एवं जल निगम प्रशासन द्वारा निष्पक्ष प्राथमिक जांच करा ली गई है? यदि नहीं, तो उक्त जांच कब तक पूर्ण की जायेगी? क्या यह सही है कि जल निगम में झांसी मण्डल के अन्तर्गत कार्यरत कार्यकाल में किसी आर0 सी0 सी0 जलाशय का फर्जी भुगतान करने हेतु उपरोक्त अधिशासी अभियंता निलम्बित किए गए थे?

श्रीमती पद्मा सेठ–

जी हां।

प्रश्नगत मामले में जांच कराई जा रही है किन्तु सम्बन्धित अभियंता को अन्यत्र स्थानान्तरित नहीं किया गया है एवं प्रारम्भिक जांच शीघ्र ही पूर्ण करा ली जायेगी।

जी हां।

श्री राम चन्द्र बख्श सिंह–

मान्यवर, मंत्री जी के उत्तर के संदर्भ में। मान्यवर, यह शिकायती पत्र मेरे द्वारा दिनांक 15-7-85 को दिया गया था और 7 महीने बाद यह जवाब आ रहा है कि प्रारम्भिक जांच पूरी करा ली जायगी। तो मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि इस जांच के आदेश कब दिये गये और इसकी जांच कौन अधिकारी कर रहा है?

श्रीमती पद्मा सेठ–

मान्यवर, माह सितम्बर, 1985 में जांच अधिकारी नियुक्त किया गया था।

श्री राम चन्द्र बख्श सिंह–

मान्यवर, 5 सितम्बर, 1985 से अब तक प्रारम्भिक जांच पूरी नहीं हो पाई है, तो मैं यह जानना चाहता हूं कि वह जांच कौन अधिकारी कर रहा है? मान्यवर, ऐसा तो नहीं है कि वह जांच अधिकारी उक्त अधिशासी अभियंता से मिल गये हैं? यदि मान्यवर, ऐसा है, तो उस जांच अधिकारी के खिलाफ कार्यवाही करेंगे कि नहीं?

श्रीमती पद्मा सेठ–

मान्यवर, श्री ए0 बी0 मिश्रा, अधीक्षण अभियंता द्वारा जांच कराई जा रही है।

कैंट थाना, गोरखपुर के प्रभारी द्वारा अवैध गिरफ्तारी

*10–श्री अनुग्रह नारायण सिंह व श्री राम आधार मिश्र –

क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गोरखपुर शहर के थाना कैन्ट की पुलिस ने श्री बी0 डी0 सिंह पुत्र श्री दुधई सिंह निवासी मोहद्दीपुर को दिनांक 7-7-85 को गिरफ्तार करके दि0 8-7-85 को नाजायज असलहा दिखाकर फर्जी दफाओं में गिरफ्तार किया और साथ ही यह भी आरोप लगाया कि उक्त अभियुक्त छत से कूदकर भागने का प्रयास कर रहा था? यदि हां, तो क्या यह सही है कि उक्त अभियुक्त श्री बी0 डी0 सिंह एक विकलांग व्यक्ति हैं और कूदने, भागने चलने में असमर्थ है? यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में पुलिस कर्मियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री सुरेन्द्र सिंह चौहान–

यह सूचना पाकर कि लेबर कालोनी मोहद्दीपुर में बी0 डी0 सिंह के यहां नाजायज असलहा व बाहर के बदमाश मौजूद हैं। आउट पोस्ट मोहद्दीपुर पुलिस ने दिनांक 8-7-85 को प्रातः लगभग 8 बजे बी0डी0 सिंह व उनके लड़के नरेन्द्र जीत सिंह को एक अदद देशी रिवाल्वर व भुजाली अंतर्गत धारा 25 आर्म्स एक्ट में गिरफ्तार किया। अभियुक्तों ने मकान से कूदकर भागना चाहा लेकिन आवश्यक बल प्रयोग करके उनको पकड़ा गया। यह सही है कि बी0 डी0 सिंह एक पैर से लंगड़ा कर चलते हैं किन्तु यह विकलांगता ऐसी नहीं है कि वे चलने फिरने व भागने में असमर्थ थे। तथापि इस प्रकरण की विवेचना अपराध अनुसंधान विभाग द्वारा की जा रही है। वर्तमान परिस्थिति में पुलिस कर्मियों के विरुद्ध कार्यवाही का प्रश्न नहीं उठता।

श्री अनुग्रह नारायण सिंह–

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने स्वीकार किया है कि लंगड़ाकर चलते हैं, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि चलने फिरने की असमर्थता मापने का इनका आधार क्या रहा है? यह मामला अपराध अनुसंधान को क्यों सौंपा गया? और कब सौंपा गया, क्या मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे?

श्री सुरेन्द्र सिंह चौहान–

यह मामला जल्दी ही अपराध अनुसंधान विभाग को सौंपा गया है, इसमें अभी कोई रिपोर्ट नहीं आई है, यह मामला सी0 आई0 डी0 को इसलिए दिया गया है कि सब तथ्य खुलकर सामने आ जाएं।

श्री अध्यक्ष–

माननीय सदस्य जब प्रश्न कर चुकें तो बैठ जाया करें, फिर जब मैं पुकारूं, तब खड़े होकर प्रश्न किया करें।

श्री अनुग्रह नारायण सिंह–

जी, आगे से बैठ जाया करूंगा। मान्यवर, सवाल का ठीक जवाब नहीं दिया जा रहा

है, मैं जानना चाहता हूं कि सी0 आई0 डी0 की जांच की इसमें क्या आवश्यकता पड़ गई? किस आधार पर यह जांच सी0 आई0 डी0 को दी गई और क्यों दी गई?

श्री अध्यक्ष–

माननीय सदस्य जानना चाहते हैं कि सी0 आई0 डी0 की जांच क्यों दी गई?

श्री सुरेन्द्र सिंह चौहान–

मान्यवर, जो शंकायें माननीय सदस्य को उठ रही हैं वही शासन को भी थीं, इसी-लिए इसको सी0 आई0 डी0 को दिया गया।

राजकीय इंजीनियरिंग कालेज चरखारी, हमीरपुर की स्थापना हेतु चन्दा

*11–कुंवर मानवेन्द्र सिंह–

क्या प्राविधिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि चरखारी (हमीरपुर) में भू0 पू0 मंत्री श्री जगदीश चन्द्र दीक्षित द्वारा राजकीय इंजीनियरिंग कालेज की स्थापना के लिए 5 लाख रुपये का चन्दा जनपद हमीरपुर की जनता से एकत्र करने हेतु बुन्देलखण्ड शिक्षा परिषद् (रजिस्टर्ड) चरखारी का गठन किया गया था ? यदि हां, तो एकत्र चन्दे की धनराशि का, स्थापना के अभाव में पंजीकृत समिति द्वारा गबन कर लिया गया है अथवा दानदाताओं को वापिस की जा रही है ?

ग्राम्य विकास एवं प्राविधिक शिक्षा राज्य मंत्री (श्री चेतराम गंगवार)–

प्राप्त सूचना के अनुसार चरखारी नगर के निवासियों द्वारा चरखारी में एक इंजी-नियरिंग कालेज खोले जाने के लिए चन्दा एकत्रित करने हेतु बुन्देलखण्ड शिक्षा परि-षद् चरखारी (हमीरपुर) का गठन किया गया था जिसने इस हेतु कुछ धनराशि भी एकत्र की थी । चूंकि चरखारी में इंजी-नियरिंग कालेज खोले जाने का कोई निर्णय नहीं लिया गया। अतः जिलाधिकारी को यह निर्देश दे दिए गए थे कि वे अपने विवेक से निर्णय लें कि एकत्रित धनराशि को नागरिकों को वापस किया जाए अथवा उसका अन्यथा उपयोग किया जाये। जिला-धिकारी से प्राप्त सूचना के अनुसार चन्दे की धनराशि दानदाताओं को वापस किए जाने अथवा उसका अन्यथा उपयोग किए जाने के प्रश्न पर विचार किए जाने हेतु उक्त परिषद् की कार्यकारिणी समिति की बैठक दिनांक 2-3-86 को आहूत की गई है ।

कुंवर मानवेन्द्र सिंह–

मान्यवर, मैंने प्रश्न किया था भूतपूर्व मंत्री श्री जगदीश चन्द्र दीक्षित द्वारा राज-कीय इंजीनियरिंग कालेज की स्थापना के लिए पांच लाख रुपया इकट्ठा करने के लिए जो समिति गठित हुई थी, वह क्या भूत-पूर्व मंत्री जी के कहने पर गठित की गई थी ? इसको मंत्री जी गोल कर गए । मैं मंत्री जी से तीन बातें जानना चाहता हूं कि इस समिति का गठन कब हुआ ? इस समिति के पदाधिकारी कौन-कौन हैं ? इस समिति ने कितना धन इकट्ठा किया?

श्री चेतराम गंगवार–

मान्यवर, यह बात सही है कि भूतपूर्व श्रम मंत्री जी जगदीश चन्द्र दीक्षित ने वहां पर 1981 में एक सभा की थी और वहां के निवासियों के आग्रह पर आश्वासन दिया था कि इंजीनियरिंग कालेज खोलेंगे लेकिन उन्होंने कहा था कि इसमें धन की आवश्य-कता होगी । 5 लाख रुपये एकत्रित करने का आश्वासन वहां के निवासियों ने दिया था और इसके लिए 7-2-82 को एक समिति का गठन भी किया गया । इसके कर्ताधर्ता महामंत्री और कोषाध्यक्ष श्री मुकुन्द कुमार गोस्वामी थे । कुछ संस्-थाएं थीं जिनसे धन एकत्रित किया गया। जैसे गुमान विहारी रायनपुर ट्रस्ट ने 2 लाख रुपया देने का बचन दिया था, गांव सभाओं

की एकीकृत निधि से दो लाख की बात कही गई, कुछ कूपन भी छपवाये थे । जो अभी तक पता चला है 78 हजार 187 रुपए की धनराशि एकत्रित की गई थी । जो अभी भी सुरक्षित है । इसमें से 70 हजार पोस्ट आफिस में और 8 हजार कुछ रुपए बैंक में जमा है ।

पत्रकारों की मान्यता हेतु 'मान्यता समिति' के पुनर्गठन पर विचार

*12–श्री राम आसरे वर्मा तथा
श्री अशोक वाजपेयी (अनुपस्थित)–

क्या सूचना मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि पत्रकारों की मान्यता हेतु गठित "मान्यता समिति" की बैठक नियमित होती है ? यदि नहीं, तो क्यों? क्या समिति का नियमत: कार्यकाल समाप्त हो चुका है ? यदि हां, तो उसका पुनर्गठन कब तक होगा?

श्री प्रमोद कुमार–

उत्तर प्रदेश प्रेस मान्यता समिति का गठन शासन के आदेश दिनांक 4 जून, 83 के अधीन किया गया था और इसका कार्यकाल 31-12-85 तक रहा। इस अवधि में 9 बैठकें हुई ।

नियमावली के अनुसार बैठक तीन महीने में एक बार अवश्य बुलायी जानी चाहिए थी। लेकिन अपरिहार्य कारणोंवश एवं कार्य की आवश्यकता न रहते हुए पूरी अवधि में 10 बैठकों के बजाय केवल 9 बैठकें हो पायीं । इस प्रकार बैठकें लगभग नियमित ही हुई । समिति का कार्यकाल 31-12-85 को समाप्त हो चुका है और इसके पुनर्गठन करने के संबंध में विचार हो रहा है।

श्री अशोक बाजपेयी–

मान्यवर, मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि 31-12-85 को मान्यता समिति का कार्यकाल समाप्त हो गया, लगभग 2 माह हो गये, नई मान्यता समिति का गठन नहीं किया गया। मैं जानना चाहता हूं कि नई मान्यता समिति का गठन कब तक हो जायेगा और उसका मानक क्या होगा? कौन-कौन लोग उसमें होंगे? किस तरह से इसको निष्पक्ष बनायेंगे? क्योंकि निरन्तर मान्यता में सन्देह होता रहा है।

श्री प्रमोद कुमार–

मान्यवर, यह प्रदेश की सर्वोच्च संस्था है। कुल मिलाकर इसमें 15 सदस्य होंगे। 8 सदस्य विभिन्न संस्थाओं से लेने की बात है। जो अभी तक प्रतिनिधित्व करते थे, उन संस्थाओं में बंटवारा हो गया है। एक की जगह दो संस्थायें बन गई हैं। एक का कहना है कि दूसरे को न दिया जाय और दूसरे का कहना है कि पहले को न दिया जाय। इसको लेकर वह न्यायालय में चले गये हैं। इतनी महत्वपूर्ण समिति का गठन करने से पहले यह आवश्यक है कि उसके हर बिन्दुओं पर विचार कर लिया जाय।

श्री अशोक बाजपेयी–

मैंने अपने पूर्व प्रश्न में जानना चाहा था कि मान्यता के मानक क्या होंगे?

श्री अध्यक्ष–

मान्यता का ग्राउन्ड अलग चीज है।

श्री अशोक बाजपेयी–

नहीं, मान्यवर।

श्री प्रमोद कुमार–

मान्यवर, माननीय सदस्य को यह जानकारी देना चाहता हूं कि इसमें विभिन्न संस्थाओं को प्रतिनिधित्व देना है जैसे अखिल भारतीय समाचार पत्र सम्पादक सम्मेलन के 4 सदस्य, नेशनल यूनियन आफ जर्नलिस्ट, दिल्ली के 4 सदस्य, उत्तर प्रदेश श्रम जीवी पत्रकार संघ के 4 उत्तर प्रदेश हिन्दी समाचार पत्र सम्मेलन से 1, अखिल भारतीय लघु एवं

मध्यम समाचार पत्र एसोसियेशन दिल्ली से एक, अखिल भारतीय लघु एवं मध्यम समाचार पत्र फेडरेशन, कानपुर से एक सदस्य लेना है ताकि जो भी उक्त मान्यता से जुड़े हैं, सब का प्रतिनिधित्व हो जाय।

गन्ना विभाग द्वारा नकली कीट नाशक दवाओं का क्रय

*13–श्री किरन पाल सिंह तथा

श्री वीरेन्द्र सिंह–

क्या गन्ना विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि इस वर्ष गन्ना विभाग द्वारा द्वारा नकली कीटनाशक दवाइयां खरीद-कर किसानों को वितरित किये जाने संबंधी बड़ा घोटाला प्रकाश में आया है? यदि हां, तो कीटनाशक दवाओं की खरीद के लिए जिम्मेदार प्रदेश गन्ना मुख्यालय की समिति के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह–

नकली कीटनाशक दवाइयां खरीदने का कोई घोटाला प्रकाश में नहीं आया है। केवल क्रय की गयी कीटनाशक दवाइयों के कुछ बैच अधोमानक पाये गये हैं।

चूंकि उद्योग निदेशक, कानपुर द्वारा प्रसारित दर अनुबन्ध की विज्ञप्ति के अनुसार आई0एस0आई0 मार्क युक्त कीटनाशक दवाइयों का क्रय किया गया है, अतः मुख्यालय क्रय समिति के विरुद्ध कोई कार्यवाही किये जाने का प्रश्न नहीं उठता है।

श्री किरन पाल सिंह –

मान्यवर, माननीय मंत्री जी जबाब देने से पहले अगर माननीय कृषि मंत्री जी ने जो इसके पहले जबाब दिया था उसको पढ़कर आ जाते तो उनका उत्तर कुछ सत्यता लिये होता। मैं यह जानना चाहूंगा कि मंत्री जी ने यह तो स्वीकार किया कि जो दवा खरीदी गई थी वह अधोमानक थी लेकिन मंत्री जी ने कहा घोटाला नहीं हुआ। दवा ब्लैक लिस्टेड कम्पनी से खरीदी गई, इस आरोप में कुछ लोगों को दण्डित किया गया था यदि हां, तो आरोप क्या थे और कौन लोग थे ?

श्री ओम प्रकाश रिछारिया–

ब्लैक लिस्टेड कम्पनी से दवा खरीदी गई यह बात सही नहीं है। जो दवा अधोमानक सप्लाई की गई, इसके विरोध में कार्यवाही करने पर उनको ब्लैक लिस्टेड किया गया है, ऐसा नहीं है कि पहले से वह ब्लैक लिस्टेड थीं । किन-किन अधिकारियों के खिलाफ कार्यवाही की गई हैं, उसमें द्वितीय श्रेणी के अधिकारी श्री नरोत्तम सिंह तेबतिया जिला गन्ना अधिकारी, सहारनपुर, चन्द्र मोहन कपूर जिला गन्ना अधिकारी अलीगढ़ और सत्येन्द्र कुमार सम्मिलित थे।

श्री विजय सिंह राणा–

मंत्री जी ने कहा कि दवा अधोमानक थी । मंत्री जी ने कहा कि दवा क्रय करने में घोटाला नहीं हुआ । उस पर आई0 एस0 आई0 मार्क भी लगा था। मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि किस स्तर पर उसमें मिलावट की गई, इसकी जांच करायेंगे।

श्री ओम प्रकाश रिछारिया–

दवा खरीदते समय दो चीज देखी जाती है एक तो आई0 एस0 आई0 मार्क लगा हो, दूसरा कानपुर में जो डायरेक्टर इन्डस्ट्रीज है, उसका स्टोर परचेंजिंग का रजिस्ट्रेशन हो। इन दोनों चीजों को देखने के बाद परचेज करते हैं। खरीदने के पहले हम प्रिटेस्टिंग कराते हैं, उसमें से 240 बैचेज की टेस्टिंग कराई गई

नोटः– तारांकित प्रश्न संख्या 13 के उपरान्त प्रश्नोत्तर का समय समाप्त हो गया ।

थी, उनमें से कोई भी अधोमानक नहीं पाया गया था। पायरेला में जो दवा उपयोग करना था उसमें अधोमानक नहीं थे। इसके बाद स्पाट पर अटरेण्डम चौंकिग में यह अधोमानक पाये गये। उसकी विस्तृत रिपोर्ट दे रहा हूं।

सदर अस्पताल, आजमगढ़ में पायी गई नवयुवती के शव की सी0 आई0 डी0 जांच

*14–श्री विष्णु देव–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि दि0 18-7-85 को सदर अस्पताल आजमगढ़ के पीछे भट्ठे के पास लगभग 10 बजे रात एक नवयुवती को तेल छिड़क कर मार डालने की जानकारी है? यदि हां, तो इस मामले में क्या कार्यवाही की गई ? क्या मुख्य मंत्री जी की गई कार्यवाही को सदन के पटल पर रखने की कृपा करेंगे ?

श्री वीर बहादुर सिंह–

दिनांक 19-7-85 को सदर अस्पताल आजमगढ़ के पीछे एक अज्ञात महिला का शव पाया गया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अनुसार जलने के फलस्वरूप मृत्यु 18/19-7-85 की रात्रि में होना पाया गया। मामले की जांच सी0 आई0 डी0 से करायी जा रही है।

पंजाबी मार्केट, बरेली में दुकानों का निर्माण

*15–डा0 दिनेश जौहरी–

क्या नगर विकास मंत्री को यह जानकारी है कि शासन द्वारा दिनांक 1-2-84 को नगर पालिका बरेली को दिये गये आदेशानुसार पंजाबी मार्केट बरेली की 137 दुकानें उनके कब्जादारों को हस्तान्तरित कर दी गई थी एवं एग्रीमेंट की धारा 5 में यह अंकित था कि जिलाधीश की स्वीकृति से वे ऊपरी तल पर निर्माण कर सकते हैं किन्तु उन्हें ऐसा करने की अनुमति नहीं दी जा रही है ? यदि हां, तो क्या निर्माण की अनुमति शीघ्र दे दी जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह–

जी हां, यह आदेश दिनांक 1-2-74 को दिये गये थे (न कि दिनांक 1-2-84 को) प्रश्नगत भूमि शिक्षा विभाग से लेकर शरणार्थियों के लिये दुकाने निर्मित किये जाने के उद्देश्य से नगरपालिका बरेली को हस्तान्तरित की थी। यह भूमि राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय का अंश थी। अतः शिक्षा में व्यवधान न हो, इस लिये हस्तान्तरण में यह शर्त रखी गई थी कि कोई खिड़की या दरवाजा स्कूल की ओर न खोला जायेगा और ऊपरी मंजिल पर कोई निर्माण न किया जायेगा। इसी कारण क्रेताओं को इन दूकानों के ऊपर दूसरी मंजिल के निर्माण की अनुमति नहीं दी गई है। आगे भी इन्हीं कारणों से ऊपरी मंजिल का निर्माण करने की अनुमति न दी जा सकेगी।

जनपद मुरादाबाद, शुगर मिल अमरोहा में गन्ना किसानों को बकाया धनराशि का भुगतान

*16–हाजी मोहम्मद हयात–

क्या गन्ना विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद मुरादाबाद में शुगर मिल अमरोहा पर गन्ना किसानों का एक करोड़ 99 लाख रुपये, उस समय बाकी था, जब सरकार ने मिल को टेक ओवर किया था ? यदि हां, तो सरकार वह बाकी धनराशि गन्ना किसानों को कब तक दिलाने की कृपा करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री वीर बहादुर सिंह–

जनपद मुरादाबाद की शुगर मिल अमरोहा पर गन्ना किसानों के गन्ना मूल्य का रु0 14,91,061.48 मिल के टेक-

आवर के समय भुगतान हेतु बकाया था।

अधिग्रहण की तिथि के पूर्व के बकायों के संबंध में उ0 प्र0 चीनी उपक्रम (अर्जन) अधिनियम, 1971 के प्राविधानों के अनुसार कार्यवाही की जायेगी ।

प्रदेश में प्राविधिक शिक्षा विभाग के अन्तर्गत तकनीकी शिक्षा में कुल सीटों की संख्या

*17–कुंवर रेवती रमण सिंह –

क्या प्राविधिक शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रदेश के तकनीकी शिक्षा में कितनी सीटें हैं और कितने छात्र वर्ष 1985 में इंजीनियरिंग की परीक्षा पास किये हैं ?

श्री वीर बहादुर सिंह–

प्राविधिक शिक्षा विभाग के नियंत्रणाधीन तकनीकी शिक्षा में डिग्री, डिप्लोमा तथा सर्टीफिकेट स्तर की लगभग 12400 सीटें हैं और वर्ष 1985 में लगभग 8000 छात्रों ने इंजीनियरिंग की परीक्षा पास की है।

विधायक निवास, लालबाग में हुई बलात्कार की घटना की जांच

*18–श्री विक्रमादित्य पाण्डेय–

क्या गृह मंत्री को जानकारी है कि लालबाग, लखनऊ स्थित विधायक निवास में 23/24 मई, 85 की रात एक युवती का शीलभंग करते रंगे हाथ पुलिस द्वारा पकड़े गये और बंदी बनाये गये? यदि हां, तो घटना का विवरण क्या है और उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? भविष्य में ऐसी घटनायें न हों इसके लिए क्या व्यवस्था की गयी है ?

श्री वीर बहादुर सिंह–

प्राप्त सूचना के अनुसार दिनांक 22/23-5-85 की रात्रि में श्रीमती राजकुमारी पत्नी श्री राम आसरे शर्मा वर्तमान पता चारबाग रेलवे स्टेशन, लखनऊ द्वारा इस आशय की प्रथम सूचना रिपोर्ट थाना हजरतगंज पर अंकित कराई गई कि उसको एक व्यक्ति कोई काम कराने के बहाने दारुलशफा ए ब्लाक में ले आया था और दारुलशफा ए ब्लाक की छत पर उसके साथ तीन नामजद तथा दो अज्ञात व्यक्तियों द्वारा बलात्कार किया गया । इस घटना के संबंध में धारा 376 भा0दं0वि0 का अपराध पंजीकृत किया गया और विवेचना के उपरान्त तीनों नामजद अभियुक्तों के विरुद्ध आरोप पत्र प्रेषित किया गया जो न्यायालय के विचाराधीन है । भविष्य में ऐसी घटनाओं की रोकथाम के लिये दारुलशफा, लखनऊ में एक पुलिस चौकी की स्थापना कर दी गयी है ।

उन्नाव जनपद की पुरवा तहसील में गन्ने की सघन खेती तथा क्षेत्र बढ़ाये जाने के संबंध में कृत कार्यवाही

*19–श्री भगवती सिंह विशारद–

क्या गन्ना विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि पिछले 3 वर्षों से अब तक प्रश्नकर्ता तथा अन्य लोगों के इस आशय के आये हुए पत्रों पर कि उन्नाव जनपद और विशेष कर पुरवा तहसील में गन्ने की सघन खेती कराये जाने तथा उक्त तहसील का गन्ना रायबरेली जनपद के नंदगांव शक्कर मिल द्वारा खरीदने के लिए उसका क्षेत्र बढ़ाये जाने के संबंध में अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह–

प्रश्नकर्ता का इस आशय का पत्र शासन को प्राप्त हुआ था । पेराई सत्र 1984-85 तथा 1985-86 में उन्नाव जनपद का कुछ क्षेत्र नंदगंज सिहोरी शुगर कं0 लि0 दरियापुर (रायबरेली) को गन्ना बरीद हेतु अभ्यर्पित किया गया। विभाग द्वारा गन्ने की सघन खेती की योजना चीनी मिल के सुरक्षित क्षेत्र के 16 कि0 मी0 की परिधि में ही कार्यान्वित की

जाती है और उन्नाव जनपद की पुरवा तहसील निकटस्थ चीनी मिल दरियापुर (रायबरेली) से 16 कि0 मी0 की परिधि के बाहर होने के कारण उक्त क्षेत्र में सघन गन्ना विकास की योजना लागू नहीं की गयी ।

जनपद फैजाबाद, थाना कुमारगंज ग्राम अदिलपुर में श्री कृष्ण केवल उर्फ नंगे मिश्र की हुई हत्या की जांच

*20—श्री मित्रसेन—

क्या गृह मंत्री कृपया बतायेंगे कि दि0 7 अक्तूबर, 85 को जनपद फैजाबाद के अन्तर्गत थाना कुमारगंज, ग्राम अदिलपुर, निवासी श्री कृष्ण केवल उर्फ नंगे मिश्र की जघन्य हत्या उसी थाने के थाना इंचार्ज की साजिश से की गयी है जिसके स्पष्ट प्रमाण स्वरूप ही वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, फैजाबाद द्वारा उन्हें लाइन हाजिर किया गया है? यदि हां, तो प्राग्दर्शन में दोषी पाये जाने वाले पुलिस कर्मी के विरुद्ध शासन द्वारा अब तक प्रशासनिक कार्यवाही न किये जाने का क्या कारण है ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

श्री कृष्ण केवल उर्फ नंगे मिश्र की हत्या के संबंध में थाना कुमारगंज में मु0अ0 स0 122/85 धारा 147/148/149-302/120 बी0 भा0 द0 वि0 दिनांक 8-10-85 को पंजीकृत किया गया जिसकी विवेचना चल रही है । प्रशासनिक आधार पर थाना इंचार्ज श्री आर0 बी0 सिंह बघेल का स्थानान्तरण पुलिस लाइन किया गया । अब तक की विवेचना से तत्कालीन थानाध्यक्ष श्री बघेल के विरुद्ध उक्त हत्या की साजिश का आरोप सही नहीं पाया गया है ।

अतारांकित प्रश्न

बरेली गन्ना सहकारी समिति के श्री बांके कनौजिया द्वारा लड़े गये ब्लाक प्रमुख तथा विधायक के चुनाव के विरुद्ध कार्यवाही

1—श्री ब्रह्म दत्त द्विवेदी—

क्या गन्ना विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि बरेली गन्ना सहकारी समिति बरेली में श्री बांके कनौजिया ने सरकारी कर्मचारी होते हुए बिना समिति की अनुमति के सन् 1982 में ब्लाक प्रमुख पद हेतु एवं मार्च, 1985 के विधान सभा चुनाव राजकीय कर्मचारी होते हुए भी लड़ा था ? यदि हां, तो उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

श्री बांके सिंह कनौजिया सरकारी कर्मचारी नहीं है बल्कि वे दि कोआपरेटिव शुगर केन सप्लाई सोसाइटी लि0, बरेली में सामयिक लिपिक के पद पर कार्यरत रहे हैं । जब उन्होंने ब्लाक प्रमुख तथा विधान सभा का चुनाव लड़ा था उस समय वे सोसाइटी की भी सेवा में नहीं थे ।

अतः श्री कनौजिया के विरुद्ध कोई कार्यवाही किये जाने का प्रश्न नहीं उठता।

ग्राम मुहद्दीनपुर, फर्रुखाबाद में अपराधियों के संघर्ष में मृत श्री राम वीर सिंह की विधवा पत्नी को आर्थिक सहायता दिये जाने पर विचार

2—श्री ब्रह्म दत्त द्विवेदी—

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उन्हें जुलाई, 1985 के अंतिम सप्ताह में श्रीमती सरस्वती देवी, विधवा श्री रामवीर सिंह, निवासी ग्राम मुहद्दीनपुर थाना कम्पिल, जिला फर्रुखाबाद का पत्र मिला है कि उनका पति श्री राम वीर सिंह दिनांक 4-7-85 को अपराधियों से

संघर्ष करते हुए मारा गया है? यदि हां, तो क्या उसके प्रार्थना पत्र पर कोई आर्थिक सहायता की गई ? यदि हां, तो क्यों ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह–

जी हां ।

प्राप्त सूचनानुसार श्री रामवीर सिंह अपराधियों से संघर्ष में मारे जाने के संबंध में क्रमशः तीन अभियोग अ0सं0 206 से 208 धारा 307/302 व 25/27 शस्त्र अधिनियम, के अंतर्गत पंजीकृत है । तीनों अभियोगों की विवेचना अपराध अनुसंधान विभाग द्वारा की जा रही है। जांच के उपरान्त मृतक की विधवा को आर्थिक सहायता दिए जाने के प्रश्न पर विचार किया जाएगा ।

राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालय तुलसीदास मार्ग लखनऊ पर पार्क निर्माण की योजना

3–श्री ब्रह्म दत्त द्विवेदी–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि लखनऊ स्थित राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालय, तुलसीदास मार्ग, लखनऊ के ठीक सामने स्थित भूमि पर वित्तीय वर्ष 1979-80 से 1984 के बीच पार्क बनाने की योजना शासन के विचाराधीन थी ? यदि हां, तो क्या मुख्य मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि उक्त भूमि पर पार्क का निर्माण किया जा चुका है ? यदि हां, तो पार्क की लम्बाई व चौड़ाई क्या है और अब तक पार्क में विभिन्न मदों में कितना धन व्यय किया गया ? क्या मुख्य मंत्री जी यह भी बतायेंगे कि उक्त पार्क में झूले, प्रकाश आदि की व्यवस्था की गई है ?

श्री वीर बहादुर सिंह–

सूचना एकत्र की जा रही है ।

नगरपालिका क्षेत्र फर्रुखाबाद फतेहगढ़ में टर्मिनस बनाने की योजना

4–श्री ब्रह्म दत्त द्विवेदी–

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि नगरपालिका क्षेत्र फर्रुखाबाद फतेहगढ़ की बढ़ती अबादी एवं यातायात असुविधा को देखते हुए सरकार प्राइवेट बस ट्रकों व खड़खड़े के खड़े होने के लिए कोई निश्चित सुरक्षित स्थान बनाने पर विचार करेगी? यदि हां, तो कब तक और कहां पर बनायेगी ?

श्रीमती पद्मा सेठ–

नगरपालिका द्वारा फर्रुखाबाद-फतेहगढ़ महायोजना के अंतर्गत निम्नलिखित स्थानों पर बस टर्मिनस व ट्रक टर्मिनस बनाने का प्रस्ताव है :–

1. बस टर्मिनस:–फर्रुखाबाद नगर में लालगेट के निकट वर्तमान बस स्टेशन को वर्ष 2001 तक बस टर्मिनस के रूप में विस्तार करने का प्रस्ताव है ।

2. ट्रक टर्मिनस:–फर्रुखाबाद नगर में दो ट्रक टर्मिनस वर्ष 2001 तक बनाये जाने का प्रस्ताव है । इनमें से एक इटावा को जाने वाले मार्ग पर वृहद उद्योग के लिये प्रस्तावित स्थल के सामने और सार्वजनिक निर्माण विभाग के बाई पास के किनारे तथा दूसरा कन्नौज को जाने वाली रेलवे लाइन के किनारे जो कि औद्योगिक प्रशिक्षण केन्द्र, भंडारागार तथा हल्के एवं सेवा उद्योग के लिये प्रस्तावित स्थानों से काफी निकट है, पर प्रस्तावित किया गया है।

नगरपालिका क्षेत्र फर्रुखाबाद, फतेहगढ़ में आवारा पशुओं के नियंत्रण की योजना

5–श्री ब्रह्म दत्त द्विवेदी–

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि नगरपालिका क्षेत्र फर्रुखाबाद, फतेहगढ़ के अवारा घूमने वाले पशुओं को नियंत्रित करने के लिए क्या व्यवस्था है?

क्या कोई पशु अवरोधालय (कांजी हाउस) नगरपालिका क्षेत्र में चल रहे हैं ?

श्रीमती पद्मा सेठ–

नगरपालिका फर्रुखाबाद-फतेहगढ़ में आवारा घूमने वाले पशुओं को नियंत्रित करने के लिये वर्तमान में कोई व्यवस्था नहीं है तथा कोई पशु अवरोधालय (कांजी हाउस) नगर पालिका क्षेत्र में नहीं चल रहे हैं ।

फर्रुखाबाद में तीन वर्ष से अधिक समय से तैनात पी0 सी0 एस0 अधिकारी

6–श्री ब्रह्मदत्त द्विवेदी–

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद फर्रुखाबाद में ऐसे कितने पी0 सी0 एस0 अधिकारी हैं, जो तीन वर्ष से अधिक समय से जनपद फर्रुखाबाद में ही विभिन्न पदों पर बने हुए हैं?

श्री वीर बहादुर सिंह–

जनपद फर्रुखाबाद में केवल एक पी0 सी0 एस0 अधिकारी श्री शिव प्रसाद पाण्डे, अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व) के पद पर दिनांक 12-6-1982 से तैनात हैं, जिन्हें तीन वर्ष से अधिक समय हो गया है।

जिला मजिस्ट्रेट, फर्रुखाबाद द्वारा आग्नेयास्त्रों का लाइसेन्स नवीनीकरण

7–श्री ब्रह्म दत्त द्विवेदी–

क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद फर्रुखाबाद के जिला मजिस्ट्रेट डा0 नसीम जैदी द्वारा अपने कार्यकाल में आग्नेयास्त्रों के कितने नवीन लाइसेन्स स्वीकृत किये गये, उक्त लाइसेन्स धारियों के कितने लाइसेन्स बिना पुलिस आख्या के स्वीकृत किये गये? क्या मंत्री जी यह भी बतायेंगे कि उक्त लाइसेन्स धारियों में कितने लाइसेन्स-धारी दूसरे जिले के निवासी हैं जिन्होंने फर्जी तौर पर अपना निवास फर्रुखाबाद अंकित किया है? क्या मंत्री जी इस सूची को सदन के पटल पर रखने की कृपया करेंगे?

श्री वीर बहादुर सिंह–

प्राप्त सूचना के अनुसार जनपद फर्रुखाबाद के तत्कालीन जिला मजिस्ट्रेट डा0 नसीम जैदी द्वारा अपने कार्यकाल में आग्नेयास्त्रों के 593 लाइसेंस स्वीकृत किये गये जिनमें से 324 शस्त्र लाइसेंस सरकारी अधिकारियों/कर्मचारियों आदि को उनके विभागीय संस्तुति के आधार पर स्वीकृत किये गये।

ऐसा कोई मामला प्रकाश में नहीं आया है जिसमें अपना फर्जी पता अंकित करके लाइसेंस प्राप्त कर लिया गया हो। सूची को पटल पर रखने का प्रश्न नहीं उठता।

प्रधानाध्यापक प्राइमरी विद्यालय फतेहगढ़, फर्रुखाबाद द्वारा धर्म परिवर्तन

8–श्री ब्रह्म दत्त द्विवेदी–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद फर्रुखाबाद में प्राइमरी विद्यालय नगला दीना (फतेहगढ़) के प्रधानाध्यापक श्री गिरवर लाल हरिजन द्वारा धर्म परिवर्तन कर लेने की सूचना जिला मजिस्ट्रेट फर्रुखाबाद को जुलाई, 1985 में प्राप्त हुई है? यदि हां, तो उसका कारण क्या है और इस संबंध में सरकार ने अब तक क्या कार्यवाही की है?

श्री वीर बहादुर सिंह–

जी नहीं। अन्य प्रश्न नहीं उठते।

जनपद सुल्तानपुर के थानान्तर्गत हुई हत्याओं की जांच

9–श्री शिव नारायण मिश्रा–

क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे विधान सभा क्षेत्र-चांदा, जनपद सुल्तानपुर के अन्तर्गत पड़ने वाले थाने पीपरिपुर, कोतवाली शहर, कोतवाली देहात,

लम्भुआ व चांदा में मार्च, 1985 से आज तक अराजक तत्वों द्वारा कितने लोगों की हत्या हुई तथा उनके नाम क्या हैं? पुलिस ने अपराधियों पर क्या कार्यवाही की? यदि नहीं की, तो कारण क्या है? कब तक करेंगे?

श्री वीर बहादुर सिंह–

आठ व्यक्तियों की हत्या हुई। उनके नाम हैं सर्व श्री नान्हू, राम फेर सिंह, सरयू प्रसाद तिवारी, नरसिंह बहादुर, झारखंडे सिंह, जमादार सिंह, कालू गुप्ता तथा श्रीमती रामरती।

6 हत्याओं के संबंध में पुलिस ने अपराधियों के विरुद्ध आरोप पत्र न्यायालय भेज दिये हैं, तथा 2 हत्याओं के संबंध में आरोप पत्र शीघ्र न्यायालय प्रेषित किया जायेगा। इन दो हत्याओं के मामलों में से एक में पर्याप्त साक्ष्य उपलब्ध नहीं हो पाये हैं और दूसरे मामले में गिरफ्तारियों के प्रयास जारी हैं।

10–श्री राम गोविन्द चौधरी–

[राज्य सरकार से असम्बद्ध होने के कारण निरस्त]

जनपद गोण्डा, थाना करनैलगंज के ग्राम पचभरी में एक अपराधी को अंगरक्षक प्रदान किये जाने की जांच

11–श्री उमेश्वर प्रताप सिंह–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गोण्डा जनपद के थाना करनैलगंज, ग्राम पचभरी में किसी को अंगरक्षक दिया गया है तथा वह व्यक्ति फौजदारी मुकदमें में अभियुक्त है? यदि हां, तो क्या अन्य आपराधिक मामले के अभियुक्तों को भी अंगरक्षक दिये गये हैं? यह अंगरक्षक जिला पुलिस अधीक्षक की सिफारिश पर दिये गये हैं या अन्य किसी अधिकारी के आदेश से? सारी स्थिति सदन के पटल पर रखने की कृपा करेंगे?

श्री वीर बहादुर सिंह–

जनपद गोण्डा के थाना करनैलगंज के अन्तर्गत ग्राम पचभरी के एक व्यक्ति को अंगरक्षक प्रदान किया गया है जिसके विरुद्ध भा0 दं0 वि0 की कतिपय धाराओं के अन्तर्गत मुकदमा पंजीकृत होकर विवेचनाधीन है।

जनपद के एक अन्य व्यक्ति जिनके विरुद्ध फौजदारी का एक मुकदमा न्यायालय के विचाराधीन है, को भी अंगरक्षक प्रदान किया गया है। उनके साथ उनके जीवन भय के दृष्टिगत शासन के आदेशों से अंगरक्षक नियुक्त किया गया।

राजाजीपुरम, लखनऊ में कतिपय व्यक्तियों द्वारा जमीन तथा दूकानों पर अवैध कब्जा

12–श्री भोपाल सिंह–

क्या सरकार को जानकारी है कि राजाजीपुरम आवास एवं विकास कालोनी लखनऊ के ए-ब्लाक के पास स्थित हनुमान मंदिर के आस-पास कतिपय व्यक्तियों ने अवैधानिक रूप से परिषद् की जमीन पर दुकानें आदि रखकर कब्जा कर लिया है? क्या सरकार उक्त अवैध कब्जे को तत्काल हटवाने की कार्यवाही करेगी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री वीर बहादुर सिंह–

जी हां, राजाजीपुरम योजना के ए–ब्लाक में स्थित हनुमान मंदिर के आस-पास सड़क की पटरी पर कुछ गुमटियां एवं खोखे अनधिकृत रूप से रखे गये हैं। उक्त अवैध कब्जों को नियमानुसार हटवाने के लिए प्रशासक, नगर महापालिका लखनऊ को आवश्यक निर्देश दिये जा रहे हैं।

राज्य नियोजन संस्थान के निदेशक की पुनर्नियुक्ति की जांच

13–श्री राज किशोर सिंह–

क्या नियोजन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि राज नियोजन संस्थान में नियुक्त श्री जे0 सी0 बुद्धिराजा एवं श्री एस0 एस0 ए0 रिजवी जिनकी सेवा निवृत्ति की अवधि क्रमशः 31 जनवरी, 1985 तथा 30 जून, 1985 को समाप्त हो गयी है, की पुनर्नियुक्ति की गयी है? यदि हां, तो किस नियम, कानून एवं संविधान की धारा के तहत ऐसा किया गया है? यदि नहीं, तो इनके सेवा निवृत्ति के बाद उन पदों पर क्या किसी की नियुक्ति की गयी? यदि हां, तो किसकी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री वीर बहादुर सिंह–

राज्य नियोजन संस्थान के योजना मानीटरिंग एण्ड कास्ट मैनेजमेंट प्रभाग के निदेशक डा0 एस0 एस0 ए0 रिजवी दिनांक 30 जून, 1985 को सेवा निवृत्त हुये थे। सेवा निवृत्ति के उपरान्त उन्हें दिनांक 1 जुलाई, 1985 से एक वर्ष के लिए संविदा के आधार पर निदेशक के पद पर पुनर्नियुक्त किया गया है।

संस्थान के क्षेत्रीय नियोजन प्रभाग के निदेशक डा0 जगदीश चन्द्र बुद्धराजा दिनांक 31 जनवरी, 1985 को सेवा-निवृत्त हुये थे। उन्हें एक वर्ष के लिए दिनांक 1 फरवरी, 1985 से दिनांक 31 जनवरी, 1986 तक संविदा के आधार पर निदेशक के पद पर पुनर्नियुक्त किया गया था। डा0 बुद्धराजा को दिनांक 31 जनवरी, 1986 के पश्चात दिनांक 31 मार्च, 1986 तक और संविदा के आधार पर पुनर्नियुक्त करने का निर्णय लिया गया है।

उपर्युक्त दोनों नियुक्तियां संविदा के आधार पर उ0 प्र0 नियोजन शोध सेवा नियमावली, 1982 के नियम 5(2) के अन्तर्गत की गई हैं।

"सामूहिक दूरदर्शन योजना" के अन्तर्गत लखनऊ में उपलब्ध कराये गये दूरदर्शन सेटों के दुरुपयोग की जांच

14–श्री बुनियाद हुसैन अंसारी–

क्या सूचना मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सूचना विभाग द्वारा "सामूहिक दूरदर्शन योजना" के अन्तर्गत लखनऊ मंडल में किन-किन संस्थाओं को दूरदर्शन सेट दिये गये हैं? क्या इस योजना के अन्तर्गत पर्वतीय बन्धु मानस परिषद् हसनगंज, डालीगंज, लखनऊ को भी दूरदर्शन सेट दिया गया है? यदि हां, तो क्या यह सही है कि उस सेट का प्रयोग परिषद् कार्यालय, देवी निवास, हसनगंज में नहीं किया जा रहा है बल्कि एक श्री जगदीश चन्द्र तिवारी नाम के व्यक्ति के घर पर व्यक्तिगत रूप से किया जा रहा है? यदि हां, तो क्या यह सार्वजनिक सम्पत्ति का दुरुपयोग नहीं है? यदि हां, तो क्या सरकार इस संबंध में कोई कार्यवाही कर रही है?

श्री प्रमोद कुमार–

दूरदर्शन योजना के अन्तर्गत लखनऊ मण्डल में निम्नलिखित संस्थाओं को सेट वितरित किये गये हैं :– 1–ग्राम सभायें, 2–ग्राम पंचायतें, 3–श्रम कल्याण केन्द्र, 4–टाउन एरिया, नोटिफाइड एरिया, 5–नगर महापालिका व नगर पालिकाओं के सूचना केन्द्र, 6–पुस्तकालय, शिक्षण संस्थायें तथा सांस्कृतिक संस्थायें, 7–सहकारी बीज भण्डार।

जी हां।

प्राप्त सूचना के अनुसार परिषद् कार्यालय की मरम्मत हो रही है। अतः टी0 वी0 सेट परिषद् कार्यकारिणी के एक सदस्य श्री जगदीश चन्द्र तिवारी के मकान में रखवा दिया गया था। टी0 वी0 सेट वर्तमान में खराब हालत में है और सूचना तथा जन सम्पर्क विभाग के वर्कशाप में मरम्मत के लिये आया है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

"मानस उत्थान एवं कल्याण सहकारी आवास समिति लिमिटेड लखनऊ" का रजिस्ट्रेशन तथा मालियत

15–श्री बुनियाद हुसैन अंसारी–

क्या सरकार को जानकारी है कि "मानस उत्थान एवं कल्याण सहकारी आवास समिति लिमिटेड लखनऊ" ने कुछ भूखंडों, जिसे उसने ग्राम कल्याणपुर, परगना व तहसील व जिला लखनऊ से क्रय किया था, का रजिस्ट्रेशन अपने समिति के सदस्यों के नाम जनवरी तथा फरवरी, 1985 में निबंधन, सब रजिस्ट्रार कार्यालय, लखनऊ में कराया है? यदि हां, तो किस-किस रजिस्ट्रेशन संख्या के अंतर्गत किन-किन व्यक्तियों के नाम रजिस्ट्रेशन कराया गया तथा प्रत्येक निबंधन में कितनी-कितनी वर्गफीट भूमि अंकित है तथा प्रत्येक निबंधन में वर्गफीट की दर से भूमि की क्या मालियत लगायी गयी है?

श्री ओम प्रकाश रिछारिया–

जी हां। लेखपत्रों से संबंधित पूर्ण विवरण संलग्न है।

(देखिए नत्थी 'क' आगे पृष्ठ 162-163 पर)

गंगा प्रदूषण नियंत्रण की योजना

16–श्री अनुग्रह नारायण सिंह–

क्या नगर विकास मंत्री इलाहाबाद में गंगा प्रदूषण समाप्त करने हेतु नगर की गंदगी को सीवर का जाल बिछाकर नियंत्रित करने तथा उसका दूसरा उपयोग कराने की कृपा करेंगे?

श्री वीर बहादुर सिंह–

जी हां।

इलाहाबाद में गंगा नदी के प्रदूषण को दूर किये जाने की योजना पर कार्यवाही प्रारम्भ कर दी गई है जिसको पूरा किया जाना वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर करेगा।

17–श्री अनुग्रह नारायण सिंह–

[5वें मंगलवार में अता0 प्र0 सं0 177 के अन्तर्गत पुनः निर्धारित कर दिया गया]

राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम में निरुद्ध तथा मुक्त किये गये व्यक्तियों की संख्या

18–श्री अनुग्रह नारायण सिंह–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे सन् 83-84, 84–85 तथा सितम्बर, 85 तक कितने व्यक्ति राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम में निरुद्ध किये गये और कितने व्यक्ति राज्य सरकार द्वारा, मुक्त किये गये?

श्री वीर बहादुर सिंह–

क्रमशः सन् 1983–84 में 140, सन् 1984-85 में 597 तथा 1985 में सितम्बर तक 129 निरोधादेश पारित किए गये और क्रमशः सन् 1983-84 में 5, सन् 1984–85 में 183 एवं सितम्बर, 1985 तक 50 व्यक्तियों को राज्य सरकार द्वारा मुक्त किया गया।

इलाहाबाद के सिविल लाइन्स, जार्ज टाउन, टैगोर टाउन, राजापुर, अशोक नगर आदि में जमीन का पट्टा तथा उसका निर्बल वर्गों में आवंटन की मांग

19–श्री अनुग्रह नारायण सिंह–

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि इलाहाबाद के सिविल लाइन्स,

जार्ज टाउन, टैगोर टाउन, राजापुर, अशोक नगर आदि मुहल्लों में कितनी जमीनें पट्टे की हैं और उसमें से कितनों का पट्टा समाप्त हो गया है? क्या समाप्त होने वाले पट्टों की भूमि निर्बल एवं हरिजन वर्ग के लोगों में आवंटित करने की कोई योजना शासन के विचाराधीन है? यदि हां, तो कब तक आवंटित कर दी जायेगी ?

श्री वीर बहादुर सिंह–

इलाहाबाद स्थित सिविल लाइंस, जार्ज-टाउन, टैगोर टाउन, राजापुर तथा अशोक नगर आदि मुहल्लों में कुल 1700 एकड़ नजूल भूमि पट्टे पर दी गई है। 228 पट्टों की अवधि समाप्त हो चुकी है।

शासनादेश दिनांक 19-4-81 के प्राविधानों के अनुसार भूतपूर्व पट्टेदारों को पट्टा दिये जाने के पश्चात् जो भूमि बचेगी उसे निर्बल वर्ग के लोगों को सुनियोजित ढंग से निर्माण करके निर्मित भवनों का आवंटन किया जायेगा और इस आवंटन में प्राथमिकता अनिवार्य रूप से उन व्यक्तियों को दी जायेगी जो आउट हाउसेज के अध्यासी हैं।

पट्टेदारों ने उच्च न्यायालय में उक्त शासनादेश के विरुद्ध 49 रिट याचिकाएं प्रस्तुत की हैं जिसके कारण शासनादेश के कार्यान्वयन में गतिरोध उत्पन्न हो गया है। न्यायालय में बहस समाप्त हो चुकी है। निर्णय के पश्चात् अग्रिम कार्यवाही की जायेगी।

इलाहाबाद के कतिपय ग्रामों को नागरिक सुविधायें उपलब्ध कराने की मांग

20–श्री अनुग्रह नारायण सिंह–

क्या नगर विकास मंत्री को ज्ञात है कि इलाहाबाद के राजापुर नेवादा, मउसरैया, बेलीगांव, मोंहदौरी गांव, लाला की सरैया, सलोरी, सादियाबाद, पुराना फाफामऊ चिल्ला शिवकुटी तथा जोधबल आदि शहर में होते हुए भी गांव जैसे ही हैं और नगर विकास की तमाम सुविधायें वहां नहीं उपलब्ध हैं? यदि हां, तो क्या नागरिक सुविधायें उपलब्ध कराने की कृपा करेंगे ?

श्री वीर बहादुर सिंह–

प्रश्नगत मोहल्लों/गांवों में नागरिक सुविधायें आंशिक रूप से उपलब्ध हैं। इन मोहल्लों/गांवों की पुरानी आबादी में पिछले वर्षों पानी, बिजली, सड़क तथा नाली आदि की सुविधायें उपलब्ध कराई गई हैं। जिन क्षेत्रों में नागरिक सुविधायें नहीं हैं या कम हैं वहां पर भविष्य में विश्व बैंक परियोजना, मलिन बस्ती सुधार योजना तथा नगर महापालिका द्वारा अपने स्रोतों से सुविधाएं उपलब्ध कराया जाना प्रस्तावित है।

इलाहाबाद विकास प्राधिकरण द्वारा जी0 टी0 रोड पर अल्प आय वर्ग के लिये निर्मित भवनों के आवंटन की मांग

21–श्री अनुग्रह नारायण सिंह–

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बैरहना जी0 टी0 रोड पर निम्न आय-वर्ग के लिये इलाहाबाद विकास प्राधिकरण द्वारा कब से भवन निर्माण शुरू किया गया है और अभी पूरा हुआ अथवा नहीं तथा प्रारम्भ में इसकी लागत क्या विज्ञापित की गई थी और इस समय क्या लागत निश्चित की जा रही है एवम् कितने वास्तविक निर्बल आय वर्ग के लोगों को आवंटित किया गया है ?

श्री वीर बहादुर सिंह–

इलाहाबाद विकास प्राधिकरण द्वारा बैरहना जी0 टी0 रोड में (ओल्ड लश्कर साइड योजना के अन्तर्गत) अल्प आय-वर्ग के 22 भवनों का निर्माण कार्य दिनांक 22-12-1980 से प्रारम्भ हुआ और कार्य

पूरा हो चुका है । आरम्भ में इसकी लागत रु0 43,000.00 विज्ञापित की गई थी । वर्तमान समय में एक भवन की कीमत न्यूनतम रु0 52,881.00 व अधिकतम रु0 59,875.00 निर्धारित की गयी । निर्बल आय वर्ग के लोगों को कोई भवन आवंटित नहीं किया गया है क्योंकि ये भवन अल्प आय वर्ग के लोगों के लिए निर्मित किये गये हैं ।

इलाहाबाद विकास प्राधिकरण द्वारा पत्रकार कालोनी हेतु अध्याप्त की गई भूमि पर याचिका

22–श्री अनुग्रह नारायण सिंह–

क्या मुख्य मंत्री को ज्ञात है कि इलाहाबाद के पत्रकारों के लिये कालोनी निर्मित करने की योजना 1970 से लंबित है? यदि हां, तो इस योजना का कार्यान्वयन कराने की कृपा करेंगे ? यदि हां, तो कब तक ?

श्री वीर बहादुर सिंह–

इलाहाबाद विकास प्राधिकरण को अप्रैल 1983 में इलाहाबाद नगर में पत्रकार कालोनी हेतु प्रकरण निदेशक, सूचना एवं जनसंपर्क विभाग द्वारा प्राप्त हुआ । प्रस्ताव प्राप्त होने पर सुलेम सराय आवास योजना में भूमि/भवन आवंटन करने का प्रस्ताव रखा गया परन्तु पत्रकार यूनियन के पदाधिकारियों को उक्त प्रस्ताव मान्य नहीं हुआ । तत्पश्चात् प्राधिकरण द्वारा अध्याप्त की जा रही मौजा नसीबपुर बख्तियारा में भूमि उपलब्ध करने का प्रस्ताव निदेशक, सूचना एवं जनसंपर्क विभाग को प्रेषित किया गया था । उक्त भूमि अध्याप्ति की अधिसूचना जारी होने के पश्चात् भू-स्वामी द्वारा माननीय उच्च न्यायालय में समादेश याचिका दायर करके स्थगन आदेश प्राप्त कर रखा है । मामला न्यायालय में विचाराधीन होने के कारण फिलहाल आगे की कार्यवाही रुकी हुई है ।

इलाहाबाद के सिविल लाइन्स, टैगोर टाउन, जार्ज-टाउन आदि पट्टे के भूमि का दुर्बल आय के लोगों में आवंटन

23–श्री अनुग्रह नारायण सिंह–

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि इलाहाबाद के सिविल लाइन्स, जार्ज टाउन, टैगोर टाउन, राजापुर, अशोक नगर, कैंटूनमेंट पुराना की पट्टा समाप्ति भूमि वहां पर वर्षों से आवासित हरिजन एवं निर्बल वर्ग के लोगों (सागर पेशा) को आवंटित करने की कोई योजना शासन के विचाराधीन है ? यदि हां, तो कब तक कार्यान्वित होगी ? यदि नहीं, तो क्या ऐसी योजना बनाने की कृपा करेंगे ?

श्री वीर बहादुर सिंह–

सिविल लाईन्स, जार्ज टाउन, टैगोर टाउन, राजापुर, अशोक नगर तथा कैन्टोमेन्ट पुराना में से मात्र सिविल लाईन्स के क्षेत्र के पट्टों की अवधि समाप्त हुई है।

सिविल लाईन्स के अवधि समाप्त पट्टों के स्थान पर नये पट्टे दिये जाने के संबंध में दिनांक 19-4-81 को एक शासनादेश जारी किया गया है । उक्त शासनादेश के प्राविधानों के अनुसार भूतपूर्व पट्टेदारों को पट्टा दिये जाने के पश्चात् जो भूमि बचेगी उसे निर्बल वर्ग के लोगों को सुनियोजित ढंग से निर्माण करके निर्मित भवनों का आवंटन किया जायेगा और इस आवंटन में प्राथमिकता अनिवार्य रूप से उन व्यक्तियों को दी जायेगी जो आउट हाउसेज के अध्यासी हैं । सिविल लाईन्स के पूर्व पट्टेदारों ने उच्च न्यायालय में उक्त शासनादेश के विरुद्ध 49 रिट याचिकायें प्रस्तुत की हैं

जिसके कारण शासनादेश के कार्यान्वयन में गतिरोध उत्पन्न हो गया है । न्यायालय में बहस समाप्त हो चुकी है । निर्णय के पश्चात् अग्रिम कार्यवाही की जायेगी ।

विकास खण्ड मानिकपुर, बांदा में ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा के तत्कालीन जे0 ई0 तथा सहायक निरीक्षक के बीच हुये झगड़े की जांच

24—श्री सुरेन्द्र पाल वर्मा—

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि बांदा जनपद के विकास खण्ड मानिकपुर में ग्रामीण अभियंत्रण सेवा के तत्कालीन यूनियर इन्जीनियर एवं तत्कालीन कार्यरत सहायक कृषि निरीक्षक मानिकपुर के बीच अक्टूबर 83 में कोई झगड़ा हुआ था ? क्या यह सही है कि तत्कालीन जिलाधिकारी बांदा ने उक्त प्रकरण की जांच हेतु एक चार सदस्यीय कमेटी दिनांक 19-10-83 को पत्रांक 2074 व 2073 के तहत नियुक्त की थी ? यदि हां, तो इस जांच के परिणाम क्या थे एवं दोषी कर्मचारी के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

प्राप्त सूचनानुसार झगड़ा अक्टूबर, 1983 में न होकर दिनांक 25-9-83 को हुआ था, जिसके लिये तत्कालीन जिलाधिकारी के दिनांक 19-10-83 के पत्र संख्या 2074 व 2073 द्वारा एक चार सदस्यीय समिति गठित की गयी थी । इस मध्य अधिकारियों के स्थानान्तरण के फलस्वरूप जांच पूर्ण न हो सकने पर जांच पुनः 3 सितम्बर, 1985 के आदेश द्वारा अन्य अधिकारियों को सौंपी गयी। जांच से श्री इन्द्र देव सिंह अवर अभियन्ता ग्रामीण अभियंत्रण सेवा बांदा को दोषी पाये जाने पर उन्हें निलम्बित कर दिया गया है ।

बोखारा पैलेस कम्पनी भदोही पर सेल टैक्स का बकाया

25—श्री सुरेन्द्र पाल वर्मा—

क्या वित्त मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि कालीन निर्माता एवं निर्यात कर्ता बुखारा पैलेस कम्पनी ताड़ी वाराणसी व भदोही वाराणसी के ऊपर पिछले पांच वर्षों में मार्च, 85 तक कितने रुपये का सेल्स टैक्स लगाया गया ? क्या यह सही है कि 80 से लेकर मार्च 85 का सेल्स टैक्स का आंकलन बहुत कम किया गया है ? क्या वित्त मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उक्त बुखारा पैलेस फर्म में टैक्स से बचने के लिये कई हिस्सा अलग-अलग नामों से कर दिया है और सारा कारोबार एक ही में होता है ? यदि हां, तो क्या सरकार इसकी जांच करायेगी?

श्री वीर बहादुर सिंह—

(क) सर्वश्री बोखारा पैलेस कम्पनी भदोही एक पंजीकृत फर्म है । ताड़ी में उनका बुनाई केन्द्र है और वाराणसी में शो रूम। व्यापारी द्वारा कालीन खरीद करके अथवा बुनवाकर भारत के बाहर निर्यात किया जाता है । वे निर्यात के समर्थन में कर मुक्ति के लिए निर्धारित प्रमाण-पत्र, बिल आफ लेडिंग, फार्म-एच, एक्सपोर्ट सर्टिफिकेट/बैंक सर्टिफिकेट दाखिल करते हैं। अन्य कालीन निर्माताओं तथा निर्यातकर्ताओं के मामले में भी सामान्यतः यही तथ्य देखे गए हैं ।

(ख) उक्त फर्म की कोई सिस्टर कन्सर्न भदोही में नहीं है । सम्प्रति विभाग को ऐसी कोई जानकारी नहीं है कि टैक्स से बचने के लिए फर्म का कारोबार कई हिस्सों में अलग-अलग नामों से है। चूंकि कोई टैक्स देय नहीं होता, कई हिस्सों में कारोबार किया भी जाए तो कोई अन्तर नहीं पड़ता।

वाराणसी जनपद में बाबतपुर जमालापुर मार्ग पर ताड़ी स्थान पर बाई पास हेतु अर्जित की गई भूमि

26–श्री सुरेन्द्र पाल वर्मा–

क्या सार्व0 नि0 मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बाबतपुर जमालापुर मार्ग, वाराणसी स्थान ताड़ी में बहुत ही सकरी सड़क 11/12 फिट बाजार में ही है ? यदि हां, तो क्या इस स्थान में सन् 81 से बाई पास प्रस्तावित है ? यदि हां, तो क्या यह सही है कि उक्त बाई पास के लिये भूमि अर्जन की कार्यवाही की गयी थी ? यदि हां, तो अब तक भूमि अर्जन हुआ ? यदि नहीं, तो इसका क्या कारण है ?

श्री वीर बहादुर सिंह–

जी हां ।

जी हां ।

जी हां ।

जी नहीं ।

प्रश्नगत मार्ग पर पड़ने वाले ग्राम ताड़ी के संरेखण में विवाद होने के कारण भूमि का अर्जन नहीं हो सका है ।

मुजफ्फरनगर के सूजड ग्राम में आवासीय योजना का प्रस्ताव

27–श्री सुरेन्द्र पाल वर्मा–

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जनपद मुजफ्फरनगर के सूजड़ ग्राम में आवासीय योजनाएं प्रस्तावित हैं? क्या उपरोक्त गांव में 1/3 हिस्सों में पहले से ही औद्योगिक विभाग स्थापित हैं और 1/3 हिस्से में काली नदी का खादर है ? क्या सरकार यह भी बताने की कृपा करेगी कि उक्त ग्राम में खेती और खेत मजदूरों को दूसरा विकल्प देने के लिए क्या विचार कर रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बीर बहादुर सिंह–

जी हां, गांव के कुछ क्षेत्र में प्रस्तावित है । प्राप्त सूचना के अनुसार गांव के लगभग 7 प्रतिशत क्षेत्र में औद्योगिक इकाइयां हैं तथा 1 प्रतिशत क्षेत्र में नदी का खादर है जिस पर खेती नहीं होती ।

भूमि अध्यापित के बाद जिन काश्तकारों के पास 8 बीघे से कम भूमि रह जायेगी उनको योजना के किनारे पर समान भूमि खेती व मजदूरी के लिये नियमानुसार देने पर उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद् द्वारा विचार किया जायेगा ।

बांदा जनपद के थानाध्यक्ष बदौसा के विरुद्ध आरोप तथा उसकी जांच

28–श्री सुरेन्द्र पाल वर्मा–

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद बांदा के थानाध्यक्ष बदौसा के विरुद्ध प्रश्नकर्ता ने दिनांक 15-7-85 को शिकायती पत्र उ0 प्र0 पुलिस महानिदेशक को दिया है ? यदि हां, तो क्या यह भी सही है कि थानाध्यक्ष बदौसा के विरुद्ध जांच अधिकारी थानाध्यक्ष बदौसा से मिल गये हैं ? यदि हां, तो दोनों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री वीर बहादुर सिंह–

(अ) जी हां ।

(ब) जनपद बांदा के थानाध्यक्ष बदौसा के विरुद्ध आरोपों की जांच करने वाले भ्रष्टाचार निवारण संगठन के अधिकारी के विरुद्ध थानाध्यक्ष से मिल जाने आदि के आरोपों के समर्थन में अभी तक कोई साक्ष्य उपलब्ध नहीं हुआ है अतः किसी के विरुद्ध कार्यवाही का प्रश्न नहीं उठता ।

29–सुरेन्द्र पाल वर्मा–

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद बांदा के थानाध्यक्ष बदौसा श्री बी0बी0 सिंह के विरुद्ध श्री मेडी लाल निवासी भरतकूप एवं श्री चन्द्रिका प्रसाद गुप्त

निवासी बदौसा का पत्र प्रश्नकर्ता के संलग्न पत्र के साथ 31-7-85 गृह सचिव, उ0 प्र0 को प्राप्त हुआ? यदि हां, तो पत्रों में आरोप क्या है और उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री वीर बहादुर सिंह–

जी हां ।

पत्रों में थानाध्यक्ष बदौसा श्री बी0बी0 सिंह के विरुद्ध भ्रष्टाचार, रिश्वतखोरी, ज्यादतियां, कर्तव्यहीनता, आतंकवादिता तथा डकैती, कत्ल आदि के संगीन अपराधों को कम करके अंकित करने आदि के आरोप लगाये गये हैं । आरोपों की जांच भ्रष्टाचार निवारण संगठन को सौंप दी गई है तथा थानाध्यक्ष को जनपद बांदा से स्थानान्तरित कर दिया गया है ।

विकास प्राधिकरण द्वारा निर्मित हाता सरयू प्रसाद मुहल्ला गणेश गंज, लखनऊ में अवैध कब्जा

30–श्री सुरेन्द्र पाल वर्मा–

क्या नगर विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा निर्मित हाता सरयू प्रसाद मोहल्ला गनेशगंज लखनऊ में क्या अवैध कब्जा है ? यदि हां, तो अवैध कब्जेदारों को हटाकर क्या पात्र व्यक्तियों को कब्जा दिया जायेगा ? यदि हां, तो कब तक ? क्या यह सही है कि श्री शेषमणि तिवारी, हाता लक्ष्मण दास के रहने वाले थे ? यदि हां, तो उन्हें हाता लक्ष्मण दास में मकान न देकर हाता सरयू प्रसाद में मकान दिया गया है ? यदि हां, तो क्या उन्हें हाता लक्ष्मण दास में मकान दिया जायेगा ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह–

हाता सरजू प्रसाद में 56 भवन निर्मित हैं इनमें से कुछ पर अवैध कब्जा है जिनके बारे में जांच चल रही है । विकास प्राधिकरण लखनऊ द्वारा जांच पूरी होने पर नियमानुसार अवैध कब्जेदारों को हटाकर पात्र व्यक्तियों को शीघ्र कब्जा दिया जायेगा । यह सही है कि श्री शेषमणि तिवारी को जो हाता लक्ष्मण दास के विस्थापित थे, हाता सरयू प्रसाद में भवन आवंटित किया गया है। हाता लक्ष्मण दास में इन्हें भवन दिये जाने का प्रश्न नहीं है, क्योंकि वहां इस समय आवंटन हेतु कोई भवन उपलब्ध नहीं है।

जनपद बांदा के थाना अतर्रा ग्राम लोधन-पुरवा में म0 प्र0 पुलिस द्वारा गिरफ्तारी

31–श्री सुरेन्द्र पाल वर्मा–

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि क्या यह सही है कि सी0 आर0 पी0 सी0 की धारा 56 के अनुसार दूसरे प्रदेश की पुलिस बिना रेन्ज के पुलिस उप महानिरीक्षक अथवा जनपद के पुलिस अधीक्षक के बिना क्षेत्रीय थाने में आमद दिखाये बिना तथा क्षेत्राधिकार मजिस्ट्रेट से वारन्ट बनवाये बगैर किसी दूसरे प्रान्त के क्षेत्र में न तो छापा मार सकती है और न ही वांछित मुल्जिम पकड़ कर ले जा सकती है ? यदि हां, तो 2-7-85 को जनपद बांदा के थाना अतर्रा के मजरा लोधन पूरवा से म0 प्र0 की पुलिस मुल्जिम को पकड़कर ले गयी? क्या यह भी सही है कि उपरोक्त के संबंध में 2-7-85 को श्री सुखलाल ने लोधन पुरवा के थाना अतर्रा में रिपोर्ट दर्ज करायी है ? यदि हां, तो अभी तक म0 प्र0 पुलिस के विरुद्ध कार्यवाही करने हेतु म0 प्र0 की सरकार को लिखा है? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री वीर बहादुर सिंह–

जी नहीं । सी आर0 पी0 सी0 की धारा 56 में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है।

प्राप्त सूचना के अनुसार यह सही है कि दिनांक 2-7-85 को जनपद बांदा के थाना अतर्रा के मजरा लोधन पुरवा से मध्य प्रदेश पुलिस 3 व्यक्तियों को पकड़ कर ले गयी।

यह भी सही है कि दिनांक 2-7-85 को सुखलाल निवासी लोधन पुरवा ने थाना अतर्रा में रिपोर्ट दर्ज करायी । इस संबंध में पुलिस अधीक्षक, पन्ना, मध्य प्रदेश को अवगत करा दिया गया था ।

बांदा के थाना नरैनी ग्राम रिसौरा में हरिजनों पर मुकदमा

32–श्री सुरेन्द्र पाल वर्मा–

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद बांदा के थाना नरैनी के ग्राम रिसौरा के कितने हरिजनों ने फरवरी, 1985 से 15 जून, 1985 तक थाना नरैनी में मुकदमें कायम कराये ? अलग-अलग का विवरण एवं धारायें हैं तथा अभी तक इन मुकदमों में क्या कार्यवाही हुयी ?

श्री वीर बहादुर सिंह–

प्राप्त सूचना के अनुसार ग्राम रिसौरा थाना नरैनी जनपद बांदा के हरिजनों द्वारा फरवरी, 1985 से जून, 1985 तक दर्ज कराये गये अपराधों का विवरण निम्न प्रकार है :–

1–दिनांक 8-3-85 को श्री नत्थू आत्मज भरोसे निवासी ग्राम रिसौरा द्वारा हुरी आत्मज राम नाथ व अन्य के विरुद्ध थाना नरैनी में अहस्तक्षेपीय रिपोर्ट संख्या 19 अंतर्गत धारा 323/504/506 भा0 द0 वि0 दर्ज कराया जिसमें विवेचना उपरान्त अभियुक्तों का चालान 20-4-85 को किया गया, जो न्यायालय में विचाराधीन है ।

2–दिनांक 13-5-85 को श्री कल्ला आत्मज हल्के ग्राम रिसौरा ने उसी ग्राम के राज बहादुर आत्मज राम स्वरूप के विरुद्ध थाना नरैनी में अहस्तक्षेपीय रिपोर्ट संख्या 37 अंतर्गत धारा 323/504/506 भा0 द0 वि0 अंकित कराया । उक्त मामले में विवेचना उपरान्त अभियुक्त का चालान दिनांक 30-8-85 को किया गया, जो न्यायालय में विचाराधीन है ।

थाना अतर्रा, बांदा के ग्राम-महोतरा, गुगाई में हरिजनों पर कायम मुकदमें

33–श्री सुरेन्द्र पाल वर्मा–

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद बांदा के थाना अतर्रा के ग्राम महोतरा एवं ग्राम गुगाई के कितने हरिजनों ने माह फरवरी 85 से अब तक थाना अतर्रा में कितने मुकदमें कायम कराये ? अलग-अलग का विवरण क्या है ? इन दर्ज मुकदमों में अभी तक क्या कार्यवाही हुयी?

श्री वीर बहादुर सिंह–

प्राप्त सूचनानुसार ग्राम महोतरा के हरिजनों ने तीन मुकदमें एवं ग्राम गुगाई के हरिजनों द्वारा दो मुकदमें अतर्रा थाना में अब तक पंजीकृत कराये हैं। उक्त मुकदमों का अलग-अलग विवरण व मुकदमों में अभी तक की गयी कार्यवाही की स्थिति संलग्न है ।

(देखिए नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ 164 पर)

सा0 नि0 वि0 मध्य क्षेत्र में वैयक्तिक सहायक के पद पर नियुक्ति

34–श्री यदुनाथ सिंह–

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री जी को ज्ञात है कि प्रमुख अभियंता ने अपने पत्रांक 10088 व्यख/307 व्यख/82 दिनांक 8-4-85 वैयक्तिक सहायक मध्य क्षेत्र के कैम्प में तैनात किया है? यदि हां, तो पद शासन से स्वीकृत है? यदि हां, तो कब से तथा किस वेतन मान का? यदि नहीं, तो क्यों? तैनात किये जाने का क्या आधार है? मुख्य अभियन्ता मुख्य क्षेत्र में कितने पद आशुलिपिक के स्वीकृत हैं तथा किस-किस वेतन मान के हैं ?

श्री वीर बहादुर सिंह–

जी हां ।

शासनादेश दि0 27 नवम्बर, 1979 द्वारा सार्वजनिक निर्माण विभाग का पुनर्गठन करते हुये चार नये क्षेत्रीय कार्यालय खोले गये थे, जिनमें से एक कार्यालय मध्य क्षेत्र का भी है, जिसका मुख्यालय लखनऊ में है ।

शासनादेश दिनांक 29-5-80 द्वारा प्रत्येक क्षेत्रीय कार्यालय को तीन-तीन आशुलिपिक के पद इस शर्त के अधीन दिये गये थे कि आशुलिपिक का कोई भी अतिरिक्त एद सृजित नहीं किया जायेगा । आशय यह था कि क्षेत्रीय कार्यालयों में आशुलिपिकों के पूर्ति वर्तमान में स्वीकृत आशुलिपिकों के पदों में से ही की जायेगी। आंशुलिपिक के इन पदों में एक पद क्षेत्रीय मुख्य अभियंता, एक पद क्षेत्रीय कार्यालय के अधीक्षण अभियंता तथा एक पद अन्य अधिकारी के लिये रखे गये हैं। तद्नुसार मध्य क्षेत्र को भी आशुलिपिक के 3 पद दिये गये हैं।

द्वितीय वेतन आयोग द्वारा क्षेत्रीय कार्यालय के आशुलिपिकों को 1-7-79 से निम्न वेतनमान स्वीकृत किये गये हैं:–

मुख्य अभियंता से सम्बद्ध रु0 570–1100 अधीक्षण अभियन्ता एवं अन्य अधिकारी से सम्बद्ध रु0 515–860।

प्रमुख्य अभियन्ता द्वारा क्षेत्रीय कार्यालयों को आशुलिपिक के पदों के आवंटन में यह नीति अपनायी गयी है कि प्रत्येक क्षेत्रीय कार्यालय को आशुलिपिक के 2 पद प्रमुख अभियन्ता कार्यालय से तथा एक पद खण्डीय कार्यालय के पदों में से आवंटित किये जायेंगे, जिसके अनुसार वर्तमान में प्रसंगगत मध्य क्षेत्र में एक पद रुपये 570–1100, एक पद रु0 515–860 तथा तीसरा पद रुपये 470–735, जो खण्डीय आशुलिपिक का वेतनमान है, के वेतनमान में हैं ।

श्री एच0 के0 गर्ग, अधिशासी अभियन्ता सा0 नि0 वि0 द्वारा की गयी अनियमितताओं की जांच

35–श्री यदुनाथ सिंह–

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री जी को ज्ञात है कि श्री एच0 के0 गर्ग, अधिशासी अभियन्ता जब वर्ष 78–79 में मुजफ्फरनगर में तैनात थे, तो पानीपत-खटीमा, मुजफ्फरनगर बड़ौत, करोना, खातोली, शामली, बुढ़ाना लालूखेड़ी, सिसौली, बुढ़ाना, आदमपुर, मौराकली बुढ़ाना लहसुना, मोहम्मदपुर रायसिंह, चादहेडी लिंक मार्ग, पंचेडा दतियाना आदि सड़कों पर कराये गये कार्यों पर लाखों रुपये के गोलमाल की शिकायतें प्राप्त हुई हैं? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या मंत्री जी यह भी बताने की कृपा करेंगे कि बुढ़ाना के निकट हिन्डन नदी में बाढ़ के कारण और समय पर बचाव कार्य न होने के कारण सड़क कट कर बह गयी, सैकड़ों घर ढह गये इससे शासन को लाखों रुपये की क्षति हुई? इस क्षति की लागत के लिए जांच किसी खुफिया एजेन्सी से करायी गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ? यदि हां, तो संबंधित अधिकारी को क्या दण्ड दिया गया? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री वीर बहादुर सिंह–

मामले की छानबीन की जा रही है।

36–श्री यदुनाथ सिंह–

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री को ज्ञात है कि श्री एच0 के0 गर्ग, वैयक्तिक सहायक मध्य क्षेत्र के विरुद्ध वर्ष 1983-84 में कितनी शिकायतें प्राप्त हुई ? उनकी जांच किससे तथा कब करायी गयी? जांच आख्या कब प्राप्त हुई तथा उन पर क्या निर्णय हुआ ?

श्री वीर बहादुर सिंह–

मामले में छानबीन की जा रही है।

मुख्य अभियंता मध्य क्षेत्र सा0नि0वि0 में टेलीफोन की व्यवस्था

37–श्री यदुनाथ सिंह–

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि मुख्य अभियंता, मध्य क्षेत्र में कितने और कौन-कौन नम्बर के टेलीफोन किन-किन अधिकारियों के लिए शासन से स्वीकृत हैं ? क्या टेलीफोन नं0 51905 श्री एच0 के0 गर्ग, वैयक्तिक सहायक, म0 क्षेत्र के लिए स्वीकृत है तो कब से? निवास पर कब लगा? यदि नहीं, तो इस टेलीफोन पर खर्च हुई धनराशि की वसूली की जायेगी? यदि नहीं, तो क्यों? यदि हां, तो कब ?

श्री वीर बहादुर सिंह–

मुख्य अभियंता, मध्य क्षेत्र में निम्नलिखित अधिकारियों को उनके सम्मुख निर्दिष्ट टेलीफोन नम्बरों के 4 टेलीफोन शासन से स्वीकृत हैं :–

मुख्य अभियंता के कार्यालय में–47437
मुख्य अभियंता के आवास पर–46966
अधीक्षण अभियंता के आवास पर–47113
वैयक्तिक सहायक के आवास पर–75242

वैयक्तिक सहायक के आवास पर उक्त टेलीफोन उनके आवासीय क्षेत्र परिवर्तन के कारण टेलीफोन नं0 51905 के स्थान पर लगाया गया है ।

टेलीफोन नं0 51905 श्री एच0 के0 गये, वैयक्तिक सहायक के नाम 9-7-82 से स्वीकृत है, जो आवासीय परिवर्तन के कारण इनसे पूर्व तैनात वैयक्तिक सहायक को स्वीकृत टेलीफोन नं0 46643 के स्थान पर लगाया गया था । अगस्त, 1982 से लगा ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रान्तीय खंड लखनऊ सा0 नि0 वि0 में आशुलिपिक की नियुक्तियां

38–श्री यदुनाथ सिंह–

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रान्तीय खंड लखनऊ में कितने आशुलिपिकों के पद शासन से स्वीकृत हैं तथा वर्ष 1981 से 7/85 तक कितने और किन-किन आशुलिपिकों का वेतन प्रान्तीय खंड लखनऊ से भुगतान किया गया ? प्रान्तीय खंड लखनऊ में कार्यरत आशुलिपिकों को कितने वर्षों से इस खंड व अन्य लखनऊ के कार्यकारी खंडों में कार्यरत रक्खा गया ? इस आशुलिपिक का स्थानान्तरण नीति के अंतर्गत स्थानान्तरण अन्य अकार्यकारी खंड में क्यों नहीं किया गया ? क्या इस खंड में आशुलिपिक को हटाने तथा अन्य को तैनात करने के लिये प्रमुख अभियंता को माननीय मुख्य मंत्री जी/राज्य मंत्री जी तथा अन्य विधायकों से क्रमशः पत्र दिनांक 6-7-85/8-7-85/20-3-85/15-5-85/14-7-85 व 16-7-85 के पत्र प्राप्त हुये हैं ? यदि हां, तो क्या कार्यवाही की गयी ? नहीं, तो क्यों और कब तक की जायेगी?

श्री वीर बहादुर सिंह–

प्रान्तीय खंड, सार्वजनिक निर्माण विभाग, लखनऊ में आशुलिपिक का एक पद स्वीकृत है ।

वर्ष 81 से माह 7/85 तक निम्नलिखित आशुलिपिकों का वेतन प्रान्तीय खंड, लखनऊ से भुगतान किया गया है :–

(1) श्री गोरख नाथ कक्कड़, दिनांक 15-7-81 से अब तक

(2) श्री धर्मवीर सिंह, दिनांक 1-10-81 से 31-7-85 तक

(3) कुमारी कान्ता देवी बालवार, दिनांक 1-10-81 से 31-7-85 तक

(4) श्रीमती चन्द्र कान्ता वेदी, , माह जुलाई, 1985 का वेतन

(5) श्रीमती बलविन्दर कौर, दिनांक 1-7-81 से 30-6-84 तक

(6) श्री जय कुमार वर्मा, दिनांक 1-8-81 से 31-7-84 तक

(7) कुमारी जसवीर कौर, दिनांक 1-6-82 से 31-7-84 तक

प्रान्तीय खण्ड, लखनऊ में कार्यरत गोरख नाथ कक्कड़, आशुलिपिक को लखनऊ के अन्य खंडों एवं इस खंड में 11-8-75 से अब तक रखा गया है।

इस आशुलिपिक ने प्रान्तीय खंड सार्वजनिक निर्माण विभाग, लखनऊ में दिनांक 15-7-81 से कार्य ग्रहण किया है और अभी इनके 5 वर्ष पूर्ण नहीं हुए हैं । अतः इनका स्थानान्तरण करने का प्रश्न नहीं उठता ।

जी हां ।

इन पत्रों के प्राप्त होने के उपरान्त एक आशुलिपिक को राष्ट्रीय मार्ग खंड नं0-2 लखनऊ में प्रस्थापित कर दिया गया है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

मोहल्ला तकी, उन्नाव में नलकूप की खराबी से उत्पन्न पेयजल समस्या

39—श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी तथा
श्री हृदय नारायण दीक्षित—

क्या सरकार को जानकारी है कि उन्नाव जनपद में उन्नाव शहर के मोहल्ला तकी नगर में 14 लाख रुपये की लागत से जल निगम द्वारा लगाया गया नलकूप नं0 14 एक वर्ष के अंदर ही खराब हो गया है ? यदि हां, तो इसके लिए कौन दोषी है और दोषी को दंडित करने तथा उक्त क्षेत्र की पेयजल समस्या को हल करने के लिए सरकार क्या कर रही है ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

नलकूप संख्या-14 के केवल पम्प में खराबी आ गयी थी जिसे ठीक करा दिया गया । सम्प्रति उक्त नलकूप चालू है।

उन्नाव जनपद में जल निकासी योजना

40—श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी तथा
श्री हृदय नारायण दीक्षित—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि उन्नाव नगर की जल निकासी योजना के अंतर्गत वर्ष 84-85 में संतीबाल से अब्बास बाग तक नाले को पक्का कराये जाने तथा झारखंडेश्वर व जामा मस्जिद के पास की पुलिया चौड़ी कराने की योजना शासन के विचाराधीन थी? यदि हां, तो अभी तक उक्त कार्यों में से कोई काम नहीं कराया गया? यदि हां, तो क्यों?

श्री वीर बहादुर सिंह—

जिलाधिकारी, उन्नाव के अनुरोध पर उन्नाव नगर के जल निकासी कार्यों हेतु जल निगम द्वारा एक प्रारम्भिक प्राक्कलन अनुमानित लागत रु0-5 लाख वर्ष 1984-85 में बनाया गया था ।

धनाभाव के कारण कार्य नहीं कराया जा सका है ।

अमीनाबाद, लखनऊ में ट्यूब लाइट की योजना

41—श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि मुहल्ला बताशेवाली गली (अमीनाबाद) लखनऊ में ट्यूब लाइट लगाने की मांग स्थानीय जनता जन जागरण सेवा समिति द्वारा वर्ष 1980 से जून 1985 तक लगातार नगरमहापालिका लखनऊ से की

जा रही है? यदि हां, तो उक्त कार्य को अब तक न किये जाने का क्या कारण है? क्या उक्त मुहल्ले में ट्यूब लाइट लगाने की व्यवस्था की जायेगी? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री वीर बहादुर सिंह–

मोहल्ला बताशे वाली गली (अमीनाबाद) लखनऊ में ट्यूब लाईट लगाये जाने से संबंधित स्थानीय जनता एवं जन सेवा जागरण समिति के कई पत्र प्राप्त हुये हैं। उक्त गली में प्रकाश व्यवस्था हेतु 9 पोल तथा 3 ब्राकेट लगे हैं जिन पर डी0 सी0 लाइन होने के कारण उपरोक्त पोलों पर ट्यूब-फिटिंग लगाया जाना सम्भव न था।

वर्ष 1985 में डी0 सी0 लाइन को ए0 सी0 लाइन में परिवर्तित करा दिया गया है। परन्तु महापालिका स्टोर में ट्यूब फिटिंग उपलब्ध न होने के कारण ट्यूब फिटिंग नहीं लगाई जा सकी।

महापालिका द्वारा ट्यूब फिटिंग क्रय करने की कार्यवाही हो रही है और यह उपलब्ध होने पर उपरोक्त गली में स्थित 9 पोलों पर ट्यूब फिटिंग लगा दी जाएगी। वर्तमान समय में उक्त गली में साधारण बल्ब की व्यवस्था है।

जंगलीगंज (अमीनाबाद) लखनऊ में सड़क तथा सीवर व्यवस्था की मांग

42–श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी–

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि मुहल्ला जंगलीगंज (अमीनाबाद रोड) लखनऊ में सड़क बनाने तथा सीवर लाइन डालने की मांग जन जागरण सेवा समिति के संस्थापक श्री शाहिद अली अच्छे नेता द्वारा स्थानीय जनता द्वारा 1970 से जून 1985 तक लगातार की जा रही है? यदि हां, तो क्या उक्त कार्य पूरा कर लिया गया है? यदि नहीं, तो क्यों और उसे कब तक पूरा किया जायगा?

श्री वीर बहादुर सिंह–

जी हां।

लखनऊ जल संस्थान की वित्तीय स्थिति ठीक न होने के कारण सीवर का कार्य पूरा नहीं किया जा सका। जनवरी, 1986 में सीवर लाइन डालने का कार्य शुरू कराया जा चुका है जिसकी इसी वित्तीय वर्ष में पूर्ण होने की सम्भावना है।

सड़क बनाने का कार्य तकनीकी दृष्टि से सीवर लाइन पड़ जाने के बाद ही किया जाना उपयुक्त होगा।

आवास विकास परिषद्, विकास खण्ड तृतीय, मेरठ द्वारा मिट्टी के कार्य का कार्यादेश जारी कराने के विरुद्ध जांच

43–श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उत्तर प्रदेश आवास विकास परिषद् के विकास खण्ड तृतीय मेरठ द्वारा योजना संख्या–6 में दिनांक 22-11-84 से 2-1-85 तक मिट्टी का कार्य कार्यादेश जारी कर कराया गया? यदि हां, तो कुल कितनी लागत के कितने कार्यादेश कितनी फर्मों को जारी किये गये तथा इससे हुई राजस्व की हानि के लिए क्या सरकार दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध कार्यवाही करेगी?

श्री वीर बहादुर सिंह–

जी हां। कुल रु0 49,141-00 के दस कार्यादेशों से 4 फर्मों से मिट्टी का कार्य कराया गया। कार्यादेशों से कार्य कराने में आवास विकास परिषद् को किसी प्रकार की कोई हानि नहीं हुई, अतः दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध कार्यवाही किए जाने का प्रश्न नहीं उठता है।

फैजाबाद में शस्त्रों का लाइसेन्स

44—श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी—

विधान सभा के द्वितीय सत्र 85 के 3रे मंगलवार (30-7-85) के लिए निर्धारित प्रश्नकर्ता के अता0 प्र0 सं0 16 के उत्तर के संदर्भ में क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद फैजाबाद में 10-5-85 तक बंदूक पिस्तौल तथा अन्य शस्त्रों के लाइसेंस की कुल कितनी दरख्वास्तें जिलाधिकारी फैजाबाद के स्तर पर असलहा क्लर्क के पास अनिर्णीत पड़ी थीं और उनमें से कितने वर्ष 1981 की हैं? क्या मुख्य मंत्री जी असाधारण रूप से विलम्ब के लिए दोषी लोगों को दंडित करने की कृपा करेंगे? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री वीर बहादुर सिंह—

प्राप्त सूचना के अनुसार जनपद फैजाबाद में दिनांक 10-5-1985 तक विभिन्न शस्त्रों के लाइसेंस हेतु 7863 प्रार्थना-पत्र लम्बित थे, जिनमें से 1541 प्रार्थना-पत्र वर्ष—1981 के थे। उक्त 1541 प्रार्थना-पत्रों में से 1204 प्रार्थना-पत्र ज्येष्ठ पुलिस अधीक्षक, फैजाबाद के स्तर पर, 204 प्रार्थना-पत्र परगना मैजिस्ट्रेट के स्तर पर और 133 प्रार्थना-पत्र जिलाधिकारी के स्तर पर लम्बित थे। जनवरी, 1986 तक वर्ष—1981 के लम्बित प्रार्थना-पत्रों में से 969 प्रार्थना-पत्रों का निस्तारण किया जा चुका है। शेष 572 प्रार्थना-पत्रों में से 478 प्रार्थना-पत्र ज्येष्ठ पुलिस अधीक्षक के स्तर पर और 73 प्रार्थना-पत्र परगना मैजिस्ट्रेट के स्तर पर जांच आख्या हेतु लम्बित हैं और केवल 21 प्रार्थना-पत्र जिलाधिकारी के स्तर पर लम्बित हैं।

शस्त्र लाइसेंस हेतु बड़ी मात्रा में प्रार्थना-पत्र प्राप्त होने तथा उन पर विभिन्न स्तरों से जांच कराने व प्राप्त रिपोर्टों पर विचार करने में समय लगना स्वाभाविक है, अतः विलम्ब के लिए किसी को दंडित करने का प्रश्न नहीं उठता।

जनपद फैजाबाद के भीटी ब्लाक के कतिपय ग्रामों में आई0 आर0 डी0 तथा अंत्योदय योजनाओं में लाभार्थियों द्वारा पंजीकृत अपराध तथा कृत कार्यवाही

[redacted]

45—श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी—

क्या गृह मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद फैजाबाद के भीटी थाना में भीटी ब्लाक के रिउना, मदारभारी और तरसावां ग्रामों में आई0 आर0 डी0 तथा अंत्योदय योजनाओं में लाभार्थियों को डनलप गाड़ी आदि की आपूर्ति किये बिना ही पैसा हड़प लेने के संबंध में कोई मुकदमा पंजीकृत हुआ है, जो इस समय विवेचनाधीन है? यदि हां, तो पूरे तथ्य क्या हैं और दोषी अधिकारियों को गिरफ्तार करने में सरकार को क्या कठिनाई है?

श्री वीर बहादुर सिंह—

यह शिकायत की गयी है कि ग्राम रेउना में सर्वश्री मधाउर, फते बहादुर लालजी हलवाई और ग्राम तरसावां में श्री सन्तोषी को डनलप का पैसा देने की फर्जी कार्यवाही की गयी और मदारभारी का बरसाती भी कमीशन न तय हो पाने के कारण अन्त्योदय योजना में स्वीकृत डनलप गाड़ी एवं बैल खरीदने हेतु रुपया नहीं पाया। थाना भीटी पर अपराध पंजीकृत हुआ। जांच से पर्याप्त साक्ष्य एवं आधार उपलब्ध होने पर ही नियमानुसार गिरफ्तारी अथवा अन्य कार्यवाही हो सकती है।

46—श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी—

[स्पष्टीकरण हेतु हटाया गया]

उप निरीक्षक श्री ए0 पी0 शर्मा, थाना राया (मथुरा) के विरुद्ध आरोपों की जांच

47–श्री सरदार सिंह–

क्या गृह मंत्री की जानकारी में है कि पुलिस उप निरीक्षक श्री ए0 पी0 शर्मा को माह जुलाई, 1985 में थाना राया (मथुरा) से एक कत्ल केस को न दर्ज करने के कारण हटाया गया था? यदि हां, तो वह कत्ल केस कौन सा था? क्या पूर्ण विवरण सदन के पटल पर रखते हुए उक्त थानाध्यक्ष के खिलाफ की गई कार्यवाही से सदन को अवगत कराने की कृपा करेंगे? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री वीर बहादुर सिंह–

प्राप्त सूचना के अनुसार दिनांक 24-6-85 को श्री मासूक अली, चौकीदार, मौजा–आयराखेड़ा, थाना–राया ने चौधरी विक्रम सिंह, निवासी आयराखेड़ा, की लिखित रिपोर्ट थाने पर इस आशय की दी कि नत्थी लाल के लड़के की बहू श्रीमती कुसमा देवी की आग लगने के कारण मृत्यु हो गई है। इस सूचना पर जांच तलब रिपोर्ट अंकित की गई। जांच के बाद अभियोग, अन्तर्गत धारा 302 भा0 दं0 वि0 बनाम नत्थी लाल आदि के विरुद्ध पंजीकृत किया गया। घटना स्थल पर समय से न जाने तथा विवेचना में उदासीनता बरतने के संबंध में तत्कालीन थानाध्यक्ष श्री ए0 पी0 शर्मा को थानाध्यक्ष के पद से पदावनत कर दिया गया और उन्हें एक दुष्चरित्र लेख भी प्रदान किया गया। अभियोग की विवेचना के उपरान्त अभियुक्तों के विरुद्ध आरोप पत्र प्रेषित किया जा चुका है, जो न्यायालय में विचाराधीन है।

नगर महापालिका, लखनऊ में कार्यरत पालिका केन्द्रीयत सेवा के अधिकारी का सेवायोजक

48–श्री अशोक बाजपेई–

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि महापालिका लखनऊ में कार्यरत पालिका केन्द्रीयत सेवा के अधिकारी का सेवायोजक कौन है?

श्रीमती पद्मा सेठ–

नगर महापालिका, लखनऊ में कार्यरत पालिका केन्द्रीयित सेवा के अधिकारी का सेवायोजक नगर महापालिका, लखनऊ है।

नगर महापालिका प्रशासक के पद पर केन्द्रीयित सेवा प्राधिकारियों की नियुक्ति

49–श्री अशोक बाजपेयी–

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि वेतन आयोग स्थानीय निकाय 1979-80 द्वारा नगर महापालिका प्रशासक तक के पदों पर पालिका केन्द्रीयित सेवा के प्राधिकारियों को नियुक्त किये जाने की संस्तुति की है? यदि हां, तो उक्त संस्तुति के आधार पर कितने ऐसे पदों पर पालिका अधिकारियों की नियुक्ति की गयी? यदि नहीं, तो कब तक की जायेगी?

श्रीमती पद्मा सेठ–

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश के पालिका अधिशासी अधिकारी सेवा संगठन के प्रतिनिधि मंडल की मुख्य मंत्री से भेंट वार्ता में लिये गये निर्णय, केन्द्रीयित सेवा के कर्मचारियों को पेंशन/ग्रेच्युटी का लाभ

50–श्री अशोक बाजपेयी–

क्या मुख्य मंत्री को जानकारी है कि उत्तर प्रदेश पालिका अधिशासी अधिकारी सेवा संगठन के प्रतिनिधि मंडल से उनके पूर्ववर्ती मुख्य मंत्री से 15-10-

82 व 24-6-83 की भेंट वार्ता की कार्यवाही लायी गयी है?

क्या उक्त बैठक में पालिका अधिकारियों की सेवा स्थिति में बेहतरी व स्थानीय निकाय की आर्थिक स्थिति में सुधार पर चर्चा के उपरान्त कतिपय निर्णय लेकर कार्यवाही की गयी थी जिन पर सचिव नगर विकास द्वारा कार्यवाही किये जाने के आदेश आपके कार्यालय से 6-7-83 को निर्गत हुये थे? क्या उक्त आश्वासनों की पूर्ति व निर्णय का क्रियान्वयन इस वर्ष के अंत तक हो जायेगा? यदि नहीं, तो क्यों?

श्रीमती पद्मा सेठ–

उत्तर प्रदेश पालिका अधिशासी अधिकारी सेवा संगठन के प्रतिनिधि मण्डल की तत्कालीन मुख्य मंत्री जी से दिनांक 15-10-82 व 24-6-83 को भेंट वार्ता हुई थी। भेंट वार्ता के आधार पर लिए गए निर्णयों (जैसे अधिशासी अधिकारी श्रेणी–1) व सहायक नगर अधिकारी के पदों पर प्रोन्नतियां, तदर्थ नियुक्तियों को नियमित करने के लिए नियमावली बनाना, केन्द्रीयित सेवा के अधिकारियों को पेंशन स्वीकृत करना, आदि) के अनुसार आवश्यक कार्यवाही की जा चुकी है।

प्रश्न नहीं उठता।

51–श्री अशोक बाजपेयी–

क्या मुख्य मंत्री को जानकारी है कि शहरी स्थानीय निकाय के पालिका केन्द्रीयित सेवा के अधिकारियों की पेन्शन नियमावली, 1951 से लागू होने के बावजूद उक्त लाभ से सेवा निवृत्ति अधिकारी वंचित हैं? क्या इस मामले में लापरवाही व विलम्ब के कारण स्थानीय निकाय निदेशालय के संबंधित अधिकारियों के विरुद्ध कोई कार्यवाही की गई? यदि नहीं, तो क्यों तथा उक्त सुविधा का वास्तविक लाभ पालिका केन्द्रीयित सेवा के अधिकारियों को किस तिथि को प्राप्त होगा?

श्रीमती पद्मा सेठ–

उत्तर प्रदेश पालिका (केन्द्रीयित) सेवा–सेवानिवृत्ति लाभ नियमावली, 1981 जिसके अन्तर्गत केन्द्रीयित सेवा के कर्मचारियों को पेंशन/ग्रेच्युटी का लाभ अनुमन्य है दिनांक 5-9-81 से लागू है। इसके अधीन अब तक 18 सेवानिवृत्त अधिकारियों/कर्मचारियों को पेंशन/ग्रेच्युटी का लाभ दिया जा चुका है। पर्याप्त स्टाफ का अभाव होते हुए भी स्थानीय निकाय निदेशालय द्वारा पेंशन के मामलों को शीघ्रता से निपटाया जा रहा है। अतः निदेशालय के किसी अधिकारी के विरुद्ध कार्यवाही करने का प्रश्न नहीं उठता। पेंशन नियमों के अन्तर्गत लाभ/सुविधा पालिका केन्द्रीयित सेवा के अधिकारियों को प्राप्त हो रहे हैं।

52–श्री अशोक बाजपेयी–

[दिनांक 12-2-86 को अता0 प्र0 सं0 33 द्वारा उत्तरित]

53–श्री अशोक बाजपेयी–

[विभिन्न विभागों से संबंधित होने के कारण निरस्त]

महाप्रबन्धक एवं चेयरमैन के आवास के रखरखाव पर जल संस्थान झांसी द्वारा व्यय

54–कुंवर मानवेन्द्र सिंह–

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि झांसी में वर्ष 83-84 84-85, 85-86 में जल संस्थान द्वारा महाप्रबंधक एवं चेयरमैन (आयुक्त झांसी मण्डल) के आवासों के रख-रखाव एवं आधुनिकीकरण में कितना-कितना धन व्यय किया गया?

श्री वीर बहादुर सिंह–

झांसी जल संस्थान के महाप्रबन्धक के आवास के रख-रखाव में वर्ष 1983-84 में रुपया 2,361.70, वर्ष 1984-85 में शून्य तथा वर्ष 1985-86 में रुपया 4,367.00 व्यय किया गया। इन वर्षों में उक्त आवास में कोई आधुनिकीकरण का कार्य नहीं किया गया।

झांसी जल संस्थान के चेयरमैन (आयुक्त, झांसी मण्डल) के आवास के रख-रखाव में वर्ष 1983-84, 1984-85 तथा 1985-86 में कोई भी धनराशि व्यय नहीं की गई।

झांसी के एरच घाट एप्रोच रोड पर श्री राजेन्द्र कुमार तिवारी, अवर अभियन्ता द्वारा कराये गये मस्टररोलों के कार्य की महालेखाकार द्वारा जांच

55–कुंवर मानवेन्द्र सिंह–

क्या सा0 निर्माण मंत्री कृपया बतायेंगे कि झांसी जिले के एरच घाट एप्रोच पर श्री राजेन्द्र तिवारी अवर अभियन्ता की देखरेख में उनके कार्यकाल में कितने रुपये की मिट्टी डलवाई गई? क्या इस मिट्टी की मात्रा एवं मस्टर रोलों की टी0 ए0 सी0 द्वारा जांच करायेंगे? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री वीर बहादुर सिंह–

एरच घाट एप्रोच रोड पर श्री राजेन्द्र कुमार तिवारी, अवर अभियन्ता के द्वारा मार्च, 1985 तक 14.59 लाख रु0 एवं वर्तमान वित्तीय वर्ष में अब तक कुल 2.67 लाख रुपये की मिट्टी का कार्य कराया गया। यह कार्य विभागीय श्रमिकों द्वारा मस्टर रोल पर कराया गया। इन मस्टररोलों की जांच महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद की लेखा परीक्षक पार्टी द्वारा माह अगस्त, 1985 में की जा चुकी है।

आवास विकास परिषद्, राजाजीपुरम सी ब्लाक सेक्टर–12 में स्ट्रीट लाइटों, पार्कों एवं सीवरों की व्यवस्था एवं दुर्बल आर्य वर्ग के भवनों की मरम्मत

56–श्री विष्णुदेव–

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि आवास विकास परिषद् द्वारा निर्मित राजाजीपुरम् (तालकटोरा) में दुर्बल आय वर्ग के सी ब्लाक सेक्टर 12 के अन्तर्गत बनी सभी स्ट्रीट लाइटें (ट्यूब लाइटें) लगभग 3 साल से खराब पड़ी हैं जिससे कालोनी में घोर अन्धकार रहता है? स्ट्रीट लाइटों के खराब हो जाने के बारे में सेक्टर 12 के अध्यासियों द्वारा संबंधित अधिकारियों से कई बार शिकायत करने के बावजूद भी आज तक उनके ठीक न किये जाने का क्या कारण है? क्या राजाजीपुरम् सेक्टर 12 में ही बनी सभी पार्कें, ऊबड़ खाबड़, गहरी एवं गन्दगी से भरी पड़ी है तथा सीवर लाइन भी जाम पड़ी है? क्या मंत्री जी राजाजीपुरम् में दुर्बल आय वर्ग के सी ब्लाक सेक्टर 12 की सभी स्ट्रीट लाइटों, पार्कों एवं सीवरों को तुरन्त ठीक कराने का कष्ट करेंगे?

श्री वीर बहादुर सिंह–

प्रश्नगत क्षेत्र में 3 वर्ष पूर्व आवास विकास परिषद् द्वारा कोई भी स्ट्रीट-लाइट नहीं लगायी गयी थी, अतः उक्त क्षेत्र की स्ट्रीट लाइट तीन साल से खराब होने का कोई प्रश्न नहीं उठता है। आवास विकास परिषद् द्वारा उक्त क्षेत्र में मार्च, 1984 से सितम्बर, 1985 के बीच विभिन्न चरणों में स्ट्रीट लाइट फिटिंग्स लगाकर इनका रख-रखाव लखनऊ नगर महापालिका को हस्तान्तरित कर दिया गया है और अब स्ट्रीट लाइट फिटिंग्स के रख-रखाव का कार्य तथा ट्यूब लाइट इत्यादि के बदलने का कार्य नगर महापालिका लखनऊ द्वारा किया

जा रहा है। सेक्टर 12 की सीवर लाइन की सफाई आवास विकास परिषद् द्वारा करा दी गयी है।

57–श्री विष्णु दत्त–

क्या नगर विकास मंत्री की जानकारी में है कि आवास विकास परिषद् द्वारा निर्मित राजाजीपुरम् (ताल-कटोरा) में दुर्बल आय वर्ग सी ब्लाक सेक्टर 12 के सभी कमरों की छत बहुत नीची बनाई गयी हैं जिससे अध्यासियों को असुविधा का सामना करना पड़ रहा है एवं बरसात के दिनों में सेक्टर 12 के सभी कमरों में घुटने भर पानी भर जाता है ? क्या मंत्री जी दुर्बल आय वर्ग के सी ब्लाक सेक्टर 12 के सभी कमरों की छत ऊंचा कराने की कृपा करेंगे ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह–

आवास विकास परिषद् द्वारा निर्मित राजाजीपुरम (तालकटोरा) में दुर्बल आय वर्ग सी ब्लाक सेक्टर 12 के भवनों के कमरों की छतों की ऊचांई आवास विकास परिषद् द्वारा लागत कम रखने के उद्देश्य से, मध्यम आय वर्ग एवं उच्च आय वर्ग के भवनों की तुलना में कुछ कम रखी गयी है, जो स्वीकृत मानचित्र एवं विशिष्टिगों के अनुसार बनाई गई है, किन्तु भवनों की छत की ऊंचाई कम रखने से कमरों में बरसात का पानी भरने का कोई संबंध नहीं है । क्योंकि कमरों की छतें स्वीकृत मानचित्र एवं निर्धारित विशिष्टियों के अनुसार बनाई गई हैं, अतः इन्हें ऊंचा किया जाना अब सम्भव नहीं है ।

प्रदेश के बिक्रीकर कार्यालयों में फार्म-31 का गायब होना तथा बिक्रीकर अधिकारियों के विरुद्ध कृत कार्यवाही

58–श्री शारदा प्रताप–

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि बिक्री-कर विभाग में किन-किन स्थानों में फार्म-31 गायब हुए ? यदि हां,, तो कितने संबंधित बिक्रीकर अधिकारी इस लापरवाही में दण्डित किए गए ?

श्री वीर बहादुर सिंह–

गोरखपुर, इलाहाबाद, वाराणसी, गाजियाबाद, अलीगढ़, बरेली, आगरा, कानपुर, उन्नाव, मुरादाबाद, हापुड़ तथा लखनऊ के बिक्री-कर कार्यालयों में फार्म-31 गायब हुए हैं । इस संबंध में अभी तक चार बिक्रीकर अधिकारी एवं एक सहायक बिक्रीकर आयुक्त को दण्डित किया गया है ।

59–श्री शारदा प्रताप–

[5वें मंगलवार के लिए स्थगित]

60–श्री शारदा प्रताप–

[5वें मंगलवार के लिए स्थगित]

बिक्री-कर अधिकारियों के स्थानान्तरण

61–श्री शारदा प्रताप–

क्या मुख्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि आयुक्त बिक्री-कर ने जून, 1985 के बाद कितने बिकी-कर अधिकारियों के स्थानान्तरण अपनी इच्छा से किये तथा शासन से स्वीकृति पहले से नहीं ली और यदि ली तो बाद में ली ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह–

दिनांक 30 जून, 1985 के बाद एक से दूसरे जिले में आयुक्त बिक्रीकर द्वारा 12 बिक्रीकर अधिकारियों को स्थानान्तरित किया गया । यह स्थानान्तरण प्रशासनिक कारणों से जनहित में किये गये हैं जिनकी पूर्व अनुमति अपरिहार्य कारणों से नहीं ली गयी ।

62–श्री शारदा प्रताप–

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि बिक्री-कर अधिकारियों के तबादले करने के

कितने आदेश उन्होंने या शासन ने पिछले अप्रैल, 1985 से सितम्बर, 1985 के मध्य जारी किए और उनमें से कितने आदेशों का कार्यान्वयन आयुक्त, बिक्री-कर ने नहीं किया? यदि आयुक्त, बिक्री-कर ने इन आदेशों की अवहेलना की तो उनके विरुद्ध अनुशासनहीनता की क्या कार्यवाही की गयी?

श्री वीर बहादुर सिंह–

बिक्रीकर अधिकारियों को स्थानातरित किये जाने का अधिकार आयुक्त बिक्रीकर उत्तर नदेश को प्राप्त ह्रै। अनैल, 1985 से सितम्बर, 1985 के मध्य जितने भी स्थानान्तरण आदेश शासन से अथवा मुख्य मंत्री से आयुक्त बिक्रीकर को प्राप्त हुए, उन सभी आदेशों का कार्यान्वयन किया गया । अत: आदेशों की अवहेलना अथवा अनुशासनहीनता का कोई प्रश्न ही नहीं उठता ।

वर्तमान सहायक आयुक्त, बिक्री कर के विरुद्ध गबन का आरोप तथा सतर्कता विभाग द्वारा जांच

63–श्री शारदा प्रताप–

क्या यह सही ह्रै कि वर्तमान सहायक आयुक्त बिक्री-कर, जो इस समय आयुक्त बिक्री-कर कार्यालय में बिक्री-कर अधिकारियों का स्थापना सम्बन्धी काम देख रहे ह्रैं, वर्ष 1978 से 1981 तक कानपुर मण्डल के बिक्री-कर अधिकारी (ए) थे और उस समय इनके कार्यकाल में सरकारी लाखों रुपये का फ़र्जी चालानों के द्वारा गबन किया गया था ? यदि हां, तो इस अधिकारी के विरुद्ध क्या कार्यवाही शासन कर रही ह्रै तथा उसके बावजूद इन्हें क्यों प्रोन्नति दी गई ?

श्री वीर बहादुर सिंह–

वर्तमान सहायक आयुक्त जो कार्यालय आयुक्त बिक्री-कर उत्तर प्रदेश में बिक्री-कर अधिकारियों का स्थापना संबंधी काम देख रहे ह्रैं वर्ष 1978 से 28-4-1980 तक कानपुर में बिक्री-कर अधिकारी (ए) के पद पर तैनात थे । कानपुर में व्यापारियों द्वारा फर्जी चालानों का मामला प्रकाश में आया था। यह घोटाला विभिन्न खण्डों के व्यापारियों द्वारा किया गया था । जिसका बिक्री-कर अधिकारी (ए) कनपुर से कोई संबंध नहीं था । अत: उक्त प्रकरण संबंधित अधिकारी की प्रोन्नति में बाधक होने का कोई आधार नहीं था ।

64–श्री शारदा प्रताप–

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि वर्ष 1971–75 कानपुर में तैनात बिक्री कर अधिकारी (ए) के विरुद्ध सतर्कता विभाग द्वारा अथवा आर्थिक अपराध शाखा द्वारा कोई जांच वर्ष 1975-76 या बाद में की गयी थी? यदि हां, तो उसका क्या परिणाम हुआ और अब उस पर क्या कार्यवाही हो रही ह्रै ?

श्री वीर बहादुर सिंह–

जी हां ।

सतर्कता विभाग द्वारा जांच की जा रही ह्रै, अभी जांच परिणाम प्राप्त नहीं हुआ ह्रै ।

65–श्री शारदा प्रताप–

क्या यह सही ह्रै कि उपरोक्त अधिकारी के विरुद्ध इस जांच में आरोप सही पाए गये थे और इस पत्रावली को विशिष्ट प्रभाव के कारण दबवा दिया गया और सम्बन्धित बिक्री-कर अधिकारी को तुरन्त सहायक आयुक्त प्रोन्नत किया गया तथा अब पुन: प्रोन्नति देकर अब उपायुक्त, बिक्री-कर, अलीगढ़ बना दिया गया ह्रै ?

श्री वीर बहादुर सिंह–

जी नहीं ।

सारे तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुए ही शासन द्वारा पदोन्नतियां दी गयी थीं ।

66–श्री शारदा प्रताप–

क्या यह सही है कि उपरोक्त उपायुक्त बिक्रीकर अलीगढ़ के विरुद्ध कई बिक्री-कर अधिकारियों व सदस्य विधान सभा एवं संसद सदस्यों ने भ्रष्टाचार की शिकायत की जिसकी समुचित जांच आयुक्त, बिक्री कर न करके इन तथ्यों को दबाने का प्रयास कर रहे हैं ?

श्री वीर बहादुर सिंह–

चूंकि विशिष्ट शिकायत का उल्लेख नहीं है अतः यह नहीं कहा जा सकता कि बहुत शिकायतें की गयी हैं परन्तु जो भी शिकायत प्राप्त होती है उस पर विस्तृत जांच की जाती है । शिकायतों को आयुक्त, बिक्री कर द्वारा दबाने का कोई प्रश्न नहीं है ।

उन्नाव जिले के उप निरीक्षक (पुलिस) पर लगाये गये आरोपों की जांच

67–श्री हृदय नारायण दीक्षित–

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि उन्नाव जिले के मुसलमानों पर एक दरोगा द्वारा अकारण अत्याचार किए जाने सम्बन्धी प्रश्नकर्ता का पत्र सं0 169 दि0 10 सितम्बर, 85 पुलिस महानिदेशक को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही हुई है ?

श्री वीर बहादुर सिंह–

जी हां ।

प्राप्त सूचना के अनुसार संदर्भित पत्र के संबंध में क्षेत्राधिकारी नगर से जांच करायी गयी । जांच से उप निरीक्षक के विरुद्ध लगाये गये आरोप प्रमाणित नहीं हुए ।

पुरवा कस्बे के कान्सटेबिल श्री सुरेश प्रसाद तिवारी के विरुद्ध शिकायती-पत्र

68–श्री शारदा प्रताप–

क्या गृह मंत्री यह भी बताने की कृपा करेंगे कि पुरवा कस्बे के एक हरिजन रामसोनकर का पत्र प्रश्नकर्ता के कवरिंग पत्र सहित शिकायती पत्र दिनांक 27 जून, 85 पुलिस महानिदेशक को प्राप्त हुआ है? यदि हां, तो पीड़ित हरिजन की शिकायतें क्या हैं उन पर क्या कार्यवाही हुई है?

श्री वीर बहादुर सिंह–

जी हां।

प्राप्त सूचना के अनुसार शिकायती-पत्र में इस बात का उल्लेख है कि दिनांक 20-6-85 को थाना पुरवा के का0 सुरेश प्रसाद तिवारी ने प्रार्थी को अलग एकान्त में बुलाकर उससे रुपये मांगे तथा प्रार्थी द्वारा इन्कार करने पर कान्स0 द्वारा उसे गाली देकर तमाचे मारे और उसकी जेब से रु0 122·00 निकाल लिये। साथ ही का0 द्वारा इस बात की चर्चा न करने की धमकी भी प्रार्थी को दी गई थी।

इस संबंध में करायी गयी जांच से का0 सुरेश प्रसाद के विरुद्ध लगाये गये आरोप सही नहीं पाये गये । जांच से शिकायती पत्र रामू सोनकर के नाम से किसी अन्य व्यक्ति द्वारा दिया जाना पाया गया।

उन्नाव जिले के सब इन्सपेक्टर के विरुद्ध अवैध शराब के ठेकों के संचालन की जांच

69–श्री शारदा प्रताप–

क्या गृह मंत्री जानकारी देने की कृपा करेंगे कि उन्नाव जिले के एक सब इंस्पेक्टर (तत्कालीन तैनाती मौरावां पी0 एस0) के विरुद्ध अवैध शराब के ठेकों का संचालन करने सम्बन्धी प्रश्नकर्ता के गृह सचिव को प्रेषित पत्र (जिसकी प्राप्ति संयुक्त सचिव के अर्द्धशासकीय पत्र सं0 109 ख0 वि0/आठ-4 उ0 प्र0 शासन गृह/पुलिस/अनुभाग-4 दिनांक 10 जून, 85 द्वारा स्वीकार की गई है) पर क्या कार्यवाही की गई है?

श्री वीर बहादुर सिंह–

प्राप्त सूचना के अनुसार प्रश्नगत मामले की जांच क्षेत्राधिकारी पुरवा एवं क्षेत्राधिकारी हसनगंज से करायी गयी। जांच से संबंधित सब इन्सपेक्टर के विरुद्ध आरोप प्रमाणित नहीं हुए।

70–श्री हृदय नारायण दीक्षित–

[4थे सोमवार में अता0 प्र0 सं0 151 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

ललितपुर जनपद में वन विभाग के क्षेत्र में पत्थर के खदानों की खुदायी

71–श्री देवेन्द्र कुमार सिंह–

क्या मुख्य मंत्री को ज्ञात है कि ललितपुर जनपद में दस वर्ष से वन विभाग के क्षेत्र में पत्थर की खदानें बन्द पड़ी हैं, जिससे बेरोजगार मजदूर भूखों मर रहे हैं और प्रदेश के बाहर जाकर अपनी रोजी रोटी की तलाश में भटक रहे हैं? यदि हां, तो क्या शासन इन हजारों मजदूरों को रोजगार देने पर कोई विचार कर रहा है तथा पत्थर की खदानें चालू करने की क्या योजना बना रहा है?

श्री वीर बहादुर सिंह–

जी नहीं, स्थिति यह है कि भारत सरकार के वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत भारत सरकार की पूर्व अनुमति के बिना वन भूमि का उपयोग गैर-वानिकी प्रयोजन हेतु नहीं किया जा सकता। चूंकि खनन कार्य वानिकी कार्य नहीं है, अतः ललितपुर जनपद में वर्ष 1980 से खनन कार्य हेतु नई लीज की स्वीकृति नहीं दी गयी है।

पूर्व में स्वीकृत सभी पत्थर खदानों की लीज की अवधि सितम्बर, 1984 में समाप्त हो चुकी है।

उक्त अधिनियम द्वारा वन क्षेत्रों में खदानों पर प्रतिबन्ध लगाने का मुख्य उद्देश्य वनों को खदानों से होने वाली क्षति तथा पर्यावरण को प्रदूषण से बचाना है।

खदान बन्द होने से जो मजदूर बेरोजगार हुए भी हैं उनको जिले में चल रहे विभिन्न विकास योजनाओं के अंतर्गत रोजगार के पर्याप्त साधन उपलब्ध हैं।

72–श्री हृदय नारायण दीक्षित–

[पुनरावृत्ति के आधार पर निरस्त]

73–श्री हृदय नारायण दीक्षित–

[पुनरावृत्ति के आधार पर निरस्त]

मुहल्ला नगरिया (नये), लखनऊ में नागरिक सुविधा उपलब्ध कराने की मांग

74–श्री राम आसरे वर्मा–

विधान सभा के द्वितीय सत्र के दूसरे सोमवार के निर्धारित तारांकित प्रश्न संख्या 17 के उत्तर के संदर्भ में क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा

करेंगे कि प्रश्नगत मोहल्ले के कूछ भाग में नगर महापालिका, लखनऊ द्वारा गलियों में खड़ंजा लगाया गया है तथा विद्युत विभाग द्वारा लगाये गये कुछ स्तम्भों में प्रकाश बिंदु लगाये गये हैं? यदि हां, तो सरकार के इस कथन का क्या औचित्य है कि मोहल्ले में खेतों की जमीन खरीद कर बिना नक्शा पास कराये भवन बना लिये गये हैं? क्या यह सही है कि दिनांक 17-8-84 को तत्कालीन माननीय मुख्य मंत्री जी ने प्रशासक नगर महापालिका, नगर विकास मंत्री तथा क्षेत्रीय विधायक (तत्कालीन) श्री कन्हैया लाल महेन्द्रू के साथ लखनऊ के पश्चिमी क्षेत्र का अचानक निरीक्षण किया था और उस समय मोहल्ले के निवासियों ने मा0 मुख्य मंत्री का ध्यान आकृष्ट कराते हुए उन्हें श्री यमुना प्रसाद एम0एल0ए0 को एक ज्ञापन प्रस्तुत किया था, जिस पर सहानुभूतिपूर्वक विचारोपरान्त मा0 मुख्य मंत्री ने तत्काल गलियों में खड़ंजा लगवाने तथा प्रकाश के स्तम्भों में प्रकाश बिंदुओं की व्यवस्था सुनिश्चित किये जाने के आदेश नगर विकास मंत्री तथा प्रशासक नगर महापालिका लखनऊ को दिये थे? यदि हां, तो उसका क्रियान्वयन अब तक न किये जाने का क्या कारण है?

श्री वीर बहादुर सिंह—

जी नहीं। खड़ंजा व प्रकाश बिन्दु मोहल्ला नगरिया (नया) में नहीं लगाये गये हैं बल्कि पुरानी आबादी में लगाये गये हैं। दिनांक 17-8-84 को माननीय तत्कालीन मुख्य मंत्री जी ने लखनऊ पश्चिम क्षेत्र का दौरा किया था। उस समय श्री यमुना प्रसाद द्वारा दिया गया कथित ज्ञापन कार्यालय में तो उपलब्ध नहीं है परन्तु उक्त विधायक के प्रश्नगत विषय पर अन्य पत्र प्राप्त हुये थे। नये नगरिया में लगभग सभी भवन बिना नक्शा पास कराए खुली भूमि पर बनाये गये हैं। जब तक उक्त क्षेत्र का विधिवत हस्तान्तरण, नगर महापालिका, लखनऊ को नहीं हो जाता है, तब तक वहां नागरिक सुविधाएं उपलब्ध कराना संभव नहीं है।

सार्वजनिक निर्माण अनु0 6 के कर्मचारी/अधिकारी के विरुद्ध जांच

75—श्री विजय सिंह राणा, श्री यदुनाथ सिंह, श्री सुखपाल पाण्डे, श्री राज किशोर सिंह, श्री अशोक बाजपेयी तथा श्री बृहमदत्त द्विवेदी—

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि शासन सार्वजनिक निर्माण अनुभाग-6 के एक प्रवर वर्ग सहायक व अनुसचिव के विरुद्ध भ्रष्टाचार व रिश्वतखोरी के संबंध में भूतपूर्व विधायक सर्वश्री राम हर्ष राय, जसवन्त सिंह विष्ट तथा महेश प्रसाद के कोई शिकायती पत्र क्रमशः दिनांक 16-4-84 व 17-9-84, 18-4-84, 25-7-84 व 18-8-84 सरकार को प्राप्त हुए हैं? यदि हां, तो उन पर अब तक क्या कार्यवाही की गई? यदि नहीं, तो क्यों? क्या सरकार इन प्रभावशाली भ्रष्ट कर्मचारी/अधिकारी को वहां से तत्काल स्थानान्तरित करके निष्पक्ष जांच कराकर इन्हें दंडित करेगी? यदि हां, तो कब तक?

श्री वीर बहादुर सिंह—

जी हां।

इन पत्रों में उल्लिखित शिकायतों की जांच प्रगति में है। संबंधित कर्मचारी/अधिकारी के विरुद्ध आवश्यकतानुसार कार्यवाही जांचोपरान्त की जायेगी।

श्री मान्धाता सिंह, सदस्य विधान परिषद् के पत्र पर कृत कार्यवाही

76–श्री यदुनाथ सिंह–

क्या सा0 नि0 मंत्री कृपया बतायेंगे कि श्री मान्धाता सिंह सदस्य, विधान परिषद् का पत्र दिनांक 4 अप्रैल, 1985 जिसकी मुख्यमंत्री जी के अ0 शा0 पत्र सं0 एम–6/1/1 सी एम0-2/85 दिनांक 22 अप्रैल, 1985 से प्राप्ति दी गयी है एवं पत्र दिनांक 27 मई, 1985 जो विधान परिषद् के अतारांकित प्रश्न संख्या 3 का गलत उत्तर विधान परिषद् में दिये जाने के संबंध में था, शासन को प्राप्त हुआ है? यदि हां, तो उक्त पत्र पर अभी तक क्या कार्यवाही की गयी? पत्र में वर्णित तथ्य क्या थे?

श्री वीर बहादुर सिंह–

माननीय मुख्य मंत्री जी के अर्धशासकीय पत्र संख्या–एम–6/1/1/सी0एम0-2/85, दिनांक 22 अप्रैल, 1985 के द्वारा श्री मान्धाता सिंह, सदस्य विधान परिषद् के 4 अप्रैल, 1985 के स्थान पर 8 अप्रैल, 1985 के पत्र की प्राप्ति स्वीकार की गयी है। यह पत्र एवं दिनांक 27 मई, 1985 का पत्र प्राप्त हुआ है।

श्री मान्धाता सिंह, सदस्य विधान परिषद् को माननीय मुख्य मंत्री जी के अर्धशासकीय पत्र संख्या–पी/3870/सी0 एम0–1/85--सा0 नि0 अनु0-4, दिनांक 10-6-85 द्वारा वस्तुस्थिति से अवगत करा दिया गया है।

संदर्भित पत्र में सार्वजनिक निर्माण विभाग मुख्यावास पर कार्यरत एक आशुलिपिक के निलम्बन अवधि के वेतन भुगतान के संबंध में मुख्य अभियंता मध्य क्षेत्र के आदेशों का पालन न करने, इसी से संबंधित विधान परिषद् के एक "श्न के उत्तर में मंत्री जी द्वारा तथाकथित गलत बयानी करने तथा संबंधित कर्मचारी के वेतन भुगतान की व्यवस्था अविलम्ब सुनिश्चित कराने का उल्लेख किया गया था।

77–श्री यदुनाथ सिंह–

क्या सा0 नि0 मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 7 जुलाई, 1985 तथा 12-9-85 जो मुख्यमंत्री जी को संबोधित है, प्राप्त हुआ है जिसकी प्राप्ति भी अ0 शा0 पत्र सं0 एम–1-व/89-93 सी एम–2/85 दिनांक 19 अगस्त, 85 से दी गयी है? यदि हां, तो इस पर अभी तक क्या कार्यवाही की गयी? यदि नहीं, तो क्यों? यदि की जायेगी, तो कब?

श्री वीर बहादुर सिंह–

माननीय विधायक के पत्र दिनांक 7 जून, 1985, 19-8-1985 तथा 12-9-1985 क्रमशः मुख्य मंत्री कार्यालय के संख्या एम–1-व/50-96/सी एम-2/85, दिनांक 12-6-85, संख्या एम–1-व/128-93/सी एम–2/85 दिनांक 21-8-85 तथा संख्या एम-1-व/228-93/सी एम-2/85, दिनांक 23-9-85 से प्राप्त हुए। प्रश्नगत मामले में आवश्यक जांच पड़ताल की जा रही है।

रानीपुर, जनपद आजमगढ़ में सरसेना-खुरहट मार्ग के क्षतिग्रस्त होने की जांच

78–श्री राम बदन एडवोकेट–

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि खुरहट-सरसेना मार्ग, ब्लाक रानीपुर जनपद-आजमगढ़ के निर्माण कार्य पर कितना धन खर्च किया गया है? क्या यह सही है कि उक्त सड़क पूरी तरह क्षतिग्रस्त एवं खराब हो चुकी है? उक्त सड़क की जांच करा कर क्या सरकार दोषी अधिकारियों को दंडित करेगी?

श्री वीर बहादुर सिंह–

प्रश्नगत मार्ग की पूरी लम्बाई 23 कि0मी0 है जिसमें से प्रथम 12 कि0 मी0 सार्वजनिक निर्माण विभाग के अधीन है और इस 12 कि0मी0 लम्बाई में उक्त मार्ग के निर्माण कार्य पर 23.20 लाख रु0 व्यय हुआ है ।

उक्त मार्ग का वह भाग, जो सार्वजनिक निर्माण विभाग के अधीन नहीं है, खराब हो चुका है ।

प्रश्न नहीं उठता क्योंकि मार्ग का जो भाग सार्वजनिक निर्माण विभाग के अंतर्गत है, वह ठीक हालत में है ।

मुरादाबाद में अमरोहा-नौगांवा रोड से एक अनुचित सड़क निकालने के संबंध में शिकायती पत्र

79–हाजी मोहम्मद हयात–

क्या सा0 नि0 वि0 मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता ने दि0 16-7-85 को एक शिकायती पत्र तत्कालीन मुख्य मंत्री को प्रेषित किया था, जिसमें जनपद मुरादाबाद में अमरोहा-नौगांवा रोड से एक सड़क बिना गवर्निंग कमेटी की आज्ञा के ग्राम अकबरपुर को अनुचित रूप से निकालने की शिकायत की गई थीं? यदि हां, तो सरकार द्वारा इस शिकायत पत्र पर क्या कार्यवाही की गई? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री वीर बहादुर सिंह–

जी हां ।

मुख्य अभियंता (उत्तरी पश्चिमी क्षेत्र) सार्वजनिक निर्माण विभाग को मामले की जांच करने के आदेश दे दिये गये हैं।

प्रश्न नहीं उठता ।

मुरादाबाद विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष के कार्यालय में फैले भ्रष्टाचार के संबंध में शिकायती पत्र

80–हाजी मोहम्मद हयात–

क्या आवास मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि मुरादाबाद विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष के कार्यालय में फैले भ्रष्टाचार एवं रिश्वतखोरी के संबंध में श्री जाकिर मुस्तफा एडवोकेट द्वारा शिकायती पत्र दिनांक 24-9-85, को आयुक्त महोदय, मुरादाबाद मंडल तथा मा0 मुख्य मंत्री महोदय को भेजा गया था? यदि हां, तो उस पत्र में मुख्य शिकायतें क्या थीं तथा सरकार द्वारा उस पर क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों?

श्रीमती पद्मा सेठ–

जी हां ।

मुख्य शिकायत उपाध्यक्ष मुरादाबाद विकास प्राधिकरण, मुरादाबाद के व्यवहार के बारे में तथा उनके आशुलिपिक द्वारा रिश्वत लेने के बारे में थी। मंडलायुक्त द्वारा शिकायतों की जांच की कार्यवाही की गई ।

शिकायतकर्ता को दिनांक 7-10-85 व 4-12-85 को आरोपों की पुष्टि के लिए बुलाया गया लेकिन वह उपस्थित नहीं हुए और जांच में कोई सहयोग नहीं दिया ।

मुरादाबाद विकास प्राधिकरण का गठन तथा अधिकार

81–हाजी मोहम्मद हयात–

क्या आवास मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि मुरादाबाद विकास प्राधिकरण को स्वीकृत मानचित्र के विरुद्ध या बिना मानचित्र के निर्माण करने की दशा में प्रशमन शुल्क (कम्पाउन्ड फीस) और नगर को सुन्दर एवं स्वच्छ रखने के नाम पर सौन्दर्य शुल्क (ब्यूटी

फीस) लेने का अधिकार सरकार द्वारा दिया गया है ? यदि हां, तो वह कब से लागू किया गया है ?

श्री वीर बहादुर सिंह–

जी नहीं। इस प्रकार का अधिकार मुरादाबाद विकास प्राधिकरण में उत्तर प्रदेश नगर योजना और विकास अधिनियम, 1973 की धारा 57 के अधीन प्राप्त है। 29-3-81 से मुरादाबाद विकास प्राधिकरण का गठन हुआ है, इसी तिथि से प्राधिकरण के यह अधिकार लागू हैं।

गोरखपुर जनपद के पुलिस कर्मियों का स्थानान्तरण

82–श्री हर्षवर्धन–

क्या गृह मंत्री कृपया बतायेंगे कि गोरखपुर जनपद में 26 जून, 85 तक कुल कितने पुलिस कर्मियों का स्थानान्तरण बाहर के जनपदों में करने का आदेश हुआ है ? क्या यह सही है कि संबंधित पुलिस कर्मियों में से आधे व्यक्ति इस अवधि में चिकित्सीय अवकाश पर चले गये ? यदि हां, तो उनके विरुद्ध अब तक क्या कार्यवाही की गई है ?

श्री वीर बहादुर सिंह–

वर्ष 1985 में 26 जून, 1985 तक जनपद गोरखपुर के कुल 180 पुलिस कर्मियों का स्थानान्तरण बाहर के जनपदों में करने के आदेश हुए।

यह कहना सही नहीं है कि उनमें से आधे कर्मी उस अवधि में चिकित्सा अवकाश पर चले गये। केवल 21 पुलिस कर्मी चिकित्सा के आधार पर अवकाश पर गये जिनमें से 7 पुलिस कर्मियों के संबंध में चिकित्सीय अवकाश संबंधी कार्यवाही करके निस्तारित किया गया, एक पुलिस कर्मी को निलम्बित किया गया, दो पुलिस कर्मियों के संबंध में रिट याचिका संबंधी कार्यवाही प्रचलित है तथा शेष 11 कर्मियों के चिकित्सा अवकाश के संबंध में संबंधित जिले के पुलिस अधीक्षकों को निर्णय लिये जाने हेतु लिखा गया है।

जनपद बलिया के रेवती नोटीफाइड एरिया के सड़कों की स्थिति

83–श्रीमती विजय लक्ष्मी–

क्या नगर विकास मंत्री को जानकारी है कि बलिया जनपद के रेवती नोटीफाइड एरिया की सभी सड़कों की स्थिति इतनी दयनीय हो गयी है कि यातायात बिल्कुल बंद हो गया है ? जिला प्रशासन को इसकी जानकारी प्रश्नकर्ता ने स्वयं करायी है फिर भी अभी तक कोई कार्यवाही नहीं की गयी ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह–

जी नहीं।

सड़कों की स्थिति खराब अवश्य है पर उस पर यातायात सामान्य रूप से चल रहा है। प्रश्नकर्ता द्वारा जिला प्रशासन को जानकारी करायी गयी थी कि नोटीफाइड एरिया की कतिपय सड़कों की स्थिति ठीक नहीं है। आय के सीमित साधन होने के कारण समस्त सड़कों की मरम्मत एक साथ करा पाना सम्भव नहीं है। उपलब्ध धनराशि से कतिपय प्रमुख सड़कों की मरम्मत करायी जा चुकी है।

थाना इनायतनगर, जनपद फैजाबाद की पुलिस द्वारा श्री शोभनाथ चौहान की गिरफ्तारी

84–श्री मित्रसेन–

क्या गृह मंत्री कृपया बतायेंगे कि 29 सितम्बर, 84 को बाजार शाहगंज, थाना इनायतनगर, फैजाबाद में कम्युनिस्ट पार्टी की जनसभा का आयोजन वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, फैजाबाद की अनुमति से किया गया था जिसके बावजूद भी सभा के आयोजक श्री शोभ नाथ

चौहान को रिक्शा चालक के साथ लाउडस्पीकर सहित थानाध्यक्ष, इनायत-नगर श्री आर0 बी0 बघेल ने गिरफ्तार करके बुरी तरह मारा पीटा और चालान कर दिया था और जिसकी शिकायत वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, फैजाबाद को की गयी थी? यदि हां, तो दोनों पुलिस कर्मियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी?

श्री वीर बहादुर सिंह–

दिनांक 29-9-84 को थाना इनायत नगर, जनपद फैजाबाद की पुलिस द्वारा श्री शोभनाथ चौहान को धारा 188 भा0 द0 वि0 में धारा 144 सी0 आर0 पी0 सी0 के उल्लंघन करने के उपरान्त गिरफ्तार किया गया था। इस सम्बन्ध में प्रश्नकर्ता ने एक शिकायती पत्र एस0 एस0 पी0, फैजाबाद को प्रस्तुत किया था, जिसमें उन्होंने थानाध्यक्ष, इनायत-नगर श्री बघेल के विरुद्ध आरोप लगाया था। जांच से पुलिस द्वारा दुर्व्यवहार या मार-पीट करने की बात प्रमाणित नहीं हुई।

राजकीय निर्माण निगम यूनिट कुमारगंज, फैजाबाद के भ्रष्टाचार से सम्बन्धित शिकायती पत्र

85–श्री मित्रसेन–

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री कृपया बतायेंगे कि पूर्ववर्ती सरकार के माननीय सार्वजनिक निर्माण मंत्री उ0 प्र0 के पत्र संख्या 1068/दिनांक 13-5-85 के संदर्भ में राजकीय निर्माण निगम यूनिट कुमारगंज, फैजाबाद के भ्रष्टाचार संबंधी शिकायती पत्र की मुख्य-मुख्य शिकायतें क्या थीं, शिकायती पत्र कब प्राप्त हुए, जांच अधिकारी और उनकी जांच रिपोर्ट क्या है–

श्री वीर बहादुर सिंह–

प्राप्त सूचना के अनुसार पूर्ववर्ती सरकार के सार्वजनिक निर्माण मंत्री के कार्यालय से कुमारगंज यूनिट, फैजाबाद के भ्रष्टाचार के विषय पर पत्र संख्या 1068, दिनांक 13-5-1985 निर्गत नहीं हुआ है।

कार्यालय प्रमुख अभियन्ता, सा0 नि0 वि0 में वास्तुविद, मानचित्रकार वास्तुविद सहायकों की संख्या तथा स्थायीकरण

86–श्री ब्रह्मदत्त द्विवेदी–

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि कार्यालय प्रमुख अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, लखनऊ में कितने वास्तुविद मानचित्रकार, वास्तुविद सहायक एवं सहायक वास्तुविद के पदों पर 1 मई, 1983 से पूर्व से कार्यरत हैं और उनको अभी तक स्थाई नहीं किया गया है जब कि उन्हें उन पदों पर कार्य करते तीन वर्ष से अधिक हो गये हैं? क्या शासन उन सभी उक्त कर्मचारियों को जो कि मूल स्थाई रिक्त पदों पर कार्यरत हैं स्थाई करने का कष्ट करेगा? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह–

कार्यालय प्रमुख अभियन्ता, सा0 नि0 वि0, लखनऊ में 1 मई, 1983 से पूर्व से 22 वास्तुविद मानचित्रकार, 14 वास्तुविद सहायक एवं 6 सहायक वास्तुविद कार्यरत हैं।

केवल 2 वास्तुविद सहायक तथा 3 सहायक वास्तुविद स्थायी किये गये हैं। शेष को स्थायी न किये जाने का कारण निम्नवत है :–

(1) वास्तुविद सहायकों की ज्येष्ठता सूची विवादित है एवं उनके ज्येष्ठता

प्रकरण लोक सेवा अधिकरण के समक्ष विचाराधीन है।

(2) पर्याप्त स्थायी पदों की कमी।

(3) उक्त पदों पर कार्यरत कर्मचारी नियमित अधिष्ठान में नियुक्त नहीं हैं।

स्थायी पदों की उपलब्धता के आधार पर विवादित ज्येष्ठता सूची के निर्णीत होने पर नियमित अधिष्ठान में नियुक्त कर्मचारियों का स्थायीकरण किया जाना सम्भव होगा।

कार्यालय प्रमुख अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, लखनऊ में वास्तुविद मानचित्रकार का पद तथा पदोन्नति

87—श्री ब्रह्मदत्त द्विवेदी—

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि कार्यालय प्रमुख अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, लखनऊ में वास्तुविद मानचित्रकार के पद पर कार्यरत कर्मचारी हेतु पदोन्नति के कौन से कितने पद हैं? यदि नहीं, तो क्यों? क्या शासन उनको जो 10 वर्षों से अधिक समय से कार्यरत हैं, सेलेक्शन ग्रेड अथवा नया उच्च वेतनमान दिलाने पर विचार करेगा? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री वीर बहादुर सिंह—

कार्यालय प्रमुख अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, लखनऊ में वास्तुविद मानचित्रकार के पद पर कार्यरत कर्मचारी की पदोन्नति हेतु वास्तुविद मुख्य मानचित्रकार का पद है। सम्प्रति वास्तुविद मुख्य मानचित्रकार का मात्र एक पद स्वीकृत है, जो वर्तमान में रिक्त है।

प्रश्न नहीं उठता।

जी हां, वर्तमान कार्यरत वास्तुविद मानचित्रकारों को सेलेक्शन ग्रेड स्वीकृत किये गये हैं, जो उन्हीं वास्तुविद मानचित्रकारों को अनुमन्य होंगे जो वास्तुविद मानचित्रकार के पद पर 10 वर्ष की नियमित सेवा पूर्ण कर लिये हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

बरेली में स्पोर्ट स्टेडियम में तरुणताल निर्माण की योजना

88—डा0 दिनेश जौहरी—

क्या खेल मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बरेली नगर में स्पोर्ट स्टेडियम में तरुणताल बनाने की सरकार ने घोषणा की थी? यदि हां, तो क्या शीघ्र ही बना दिया जायेगा? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री वीर बहादुर सिंह—

जी हां।

प्रदेश में प्रदूषण फैलाने वाली औद्योगिक इकाइयां

89—डा0 दिनेश जौहरी—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि उत्तर प्रदेश में प्रदूषण फैलाने वाली कितनी औद्योगिक इकाइयां हैं जिनमें प्रदूषण विरोधी उपकरण नहीं लगाये गये हैं? क्या उनके विरुद्ध सरकार कोई कार्यवाही करेगी? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

बोर्ड की जानकारी के अनुसार प्रदेश की 806 औद्योगिक इकाइयों में प्रदूषण नियन्त्रण की व्यवस्था नहीं है। शुद्धिकरण संयंत्र लगाने का कार्य 82 इकाइयों द्वारा या तो आरम्भ कर दिया गया है अथवा योजना प्रस्तुत कर दी है। जिन उद्योगों द्वारा अधिनियम के प्राविधानों का पालन नहीं किया गया है उनको नोटिस भेजे गये हैं।

90–91–डा0 दिनेश जौहरी–

[विस्तीर्णता के आधार पर निरस्त।]

संजय कम्यूनिटी हाल, बरेली के निर्माण हेतु स्वीकृत धनराशि तथा व्यय

92–डा0 दिनेश जौहरी–

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बरेली महापालिका में बनाये जा रहे संजय कम्युनिटी हाल के लिये कितनी धनराशि स्वीकृत हुई थी और अब तक इसके निर्माण में कितना धन लग चुका है? क्या मंत्री जी यह भी बताने की कृपा करेंगे कि यह हाल किन कारणों से अपने निर्धारित समय में नहीं पूरा हो सका ?

श्रीमती पद्मा सेठ–

संजय कम्युनिटी हाल के लिये रु0 53.90 लाख की धनराशि स्वीकृत की गयी और अब तक विकास प्राधिकरण द्वारा रु0 42,74,209 का व्यय किया जा चुका है।

उक्त योजना का निर्माण कार्य नवम्बर, 85 तक पूर्ण किया जाना था। मुख्य भवन का निर्माण कार्य निर्धारित अवधि से पूर्व ही पूर्ण हो गया था लेकिन अन्य कार्य जैसे वातानुकूलन, ध्वनि एवं प्रकाश व्यवस्था आदि किंचित अपरिहार्य कारणों से समय से पूरे नहीं हो सके। इन पर कार्य प्रगति पर है।

बरेली में बरेली–बदायूं मार्ग पर ओवर ब्रिज बनाने की योजना

93–डा0 दिनेश जौहरी–

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि जनपद बरेली में बरेली बदायूं मार्ग पर चौपुला स्थित ओवर ब्रिज की कोई योजना है? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री वीर बहादुर सिंह–

प्रश्नगत स्थल राज्य मार्ग 33 के कि0 मी0 55 पर पड़ता है जहां 210 मी0 के अन्तर पर उत्तर रेलवे का सम्पार संख्या 358-स्पेशल तथा पूर्वोत्तर रेलवे का सम्पार संख्या 250ए/3टी हैं। अतः ओवर-ब्रिज बनाये जाने की दशा में यह आवश्यक होगा कि एक ही इतना लम्बा सड़क उपरिगामी सेतु बनाया जाय जो उक्त दोनों सम्पारों के ऊपर से गुजरे। ओवर-ब्रिज के निर्माण का कार्य रेल मंत्रालय, भारत सरकार की स्वीकृति से ही सम्भव होता है तथा मुख्य सेतु का निर्माण स्वयं रेलवे द्वारा किया जाता है एवं केवल पहुंच मार्ग ही राज्य सरकार निर्मित करती है।

प्रश्नगत मामले में यातायात की स्थिति का उल्लेख करते हुए भारत सरकार से विचार करके सैद्धान्तिक अनुमोदन प्रदान करने का अनुरोध किया गया है। रेल मंत्रालय, भारत सरकार का अनुमोदन प्राप्त होने की दशा में ही इस सम्बन्ध में अग्रेतर नियमानुसार कार्यवाही सम्भव हो सकेगी।

बरेली जनपद में विभिन्न शस्त्र लाइसेंसों हेतु लम्बित आवेदन पत्र

94–डा0 दिनेश जौहरी–

क्या मुख्य मंत्री जी को जानकारी है कि जनपद बरेली में बन्दूक पिस्तौल तथा अन्य शस्त्रों के लाइसेंस की हजारों दरख्वास्तें जिलाधिकारी, बरेली के पास अनिर्णीत पड़ी हैं जिसके कारण लोगों को काफी परेशानी हो रही है? यदि हां, तो क्या लाइसेंस शीघ्र दिलाये जायेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री वीर बहादुर सिंह–

प्राप्त सूचनानुसार बरेली जनपद में विभिन्न शस्त्र लाइसेंसों हेतु 266 आवेदन पत्र लम्बित हैं। प्रदेश में शान्ति एवं व्यवस्था सुनिश्चित करने के

उद्देश्य से नये शस्त्र लाइसेंस स्वीकृत करने पर शासन द्वारा रोक लगायी गयी है अतः अन्य प्रश्न नहीं उठता।

बरेली स्थित पर्यटन केन्द्र के निर्माण में कार्यरत कर्मचारियों के लिए आवास व्यवस्था

95–डा0 दिनेश जोहरी –

क्या पर्यटन मंत्री को जानकारी है कि बरेली स्थित केन्द्र के निर्माण के साथ इसमें काम करने वाले कर्मचारियों के लिए आवासीय योजना चलायी गई थी ? क्या उनके लिए आवास बना दिये गए ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री प्रमोद कुमार –

जी हां ।

जी नहीं ।

बरेली पर्यटन परियोजना में कर्मचारियों के आवास निर्माण हेतु वर्ष 1983 में 2.164 लाख के आगणन शासन में प्राप्त हुए थे, किन्तु उक्त वित्तीय वर्ष के लिए निर्धारित प्लान परिव्यय में कोई बचत उपलब्ध न होने के कारण आवासीय भवनों के निर्माण के आगणन को अनुमोदित न किया जा सका ।

बाजपुर शुगर फैक्ट्री के डिस्टलरी यूनिट की छत गिरने से एक श्रमिक की मृत्यु तथा उनके आश्रितों को क्षति पूर्ति का भुगतान

96–डा0 दिनेश जोहरी –

क्या सरकार को जानकारी है कि दिनांक 5-9-85 को बाजपुर शुगर फैक्ट्री के डिस्टलरी यूनिट के एक शंकर नाम के मजदूर की फैक्ट्री में काम करते समय वेयर हाउस की छत गिरने से मृत्यु हो गयी ? यदि हां, तो दुर्घटना के क्या कारण थे ? क्या उसके आश्रितों को क्षति पूर्ति अधिनियम के अन्तर्गत भुगतान कर दिया गया? यदि नहीं, तो क्यों ?क्या सरकार यह भी बताने की कृपा करेगी कि इस दुर्घटना की सूचना स्थानीय लेबर इन्सपेंटर को दी गयी थी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह–

बाजपुर शुगर फैक्ट्री की डिस्टलरी यूनिट के भवन की छतों की टारफैलटिंग कराये जाने के दौरान दिनांक 5-9-85 को एक दुर्घटना के फलस्वरूप संबंधित ठेकेदार के एक श्रमिक श्री शंकर की छत से गिर जाने से मृत्यु हो गयी थी । दुर्घटना का कारण छत की एम्बेस्ट्स शीट का कुछ भाग अचानक टूट जाना था ।

श्रमिक आश्रितों को संबंधित बीमा कम्पनी से बीमा की धनराशि का भुगतान दिलाने के संबंध में कार्यवाही की जा रही है । बीमा कम्पनी द्वारा मांगी गयी समस्त सूचनाएं उन्हें उपलब्ध करा दी गयी हैं ।

लेबर इन्सपेक्टर को सूचना प्रेषित नहीं की गयी, क्योंकि उत्तर प्रदेश कारखाना नियमावली 1950 के नियम 110 के अन्तर्गत प्राणघातक दुर्घटना होने की स्थिति में मुख्य कारखाना निरीक्षक, मण्डलीय कारखाना निरीक्षक, जिलाधिकारी तथा स्थानीय थानाध्यक्ष को दुर्घटना की सूचना देने का प्राविधान है । तदनुसार उपरोक्त सभी अधिकारियों को सूचना भेज दी गयी थी ।

बाजपुर शुगर फैक्ट्री (नैनीताल) द्वारा होज पाइप का क्रय

97–डा0 दिनेश जोहरी –

क्या गन्ना विकास मंत्री को जानकारी है कि बाजपुर शुगर फैक्ट्री (नैनीताल) के लिए एक होज पाइप सन् 1982 में खरीदा गया था और 3 वर्ष तक ट्रांसपोर्ट कम्पनी में पड़ा रहा और मार्च, 1985 में उसको फैक्ट्री से छुड़ाया गया ? यदि हां, तो इसके क्या कारण है ?

श्री वीर बहादुर सिंह –

जी हां, बाजपुर शुगर फैक्ट्री द्वारा मेसर्स विकास मिल स्टोर दिल्ली से एक होज पाइप फरवरी, 1982 में क्रय किया गया था जिसको कि उक्त फर्म के ट्रान्सपोर्टर्स से मार्च, 1985 में छुड़ाया गया।

उक्त होज पाइप को विलम्ब से छुड़ाने का कारण यह था कि मेसर्स विकास मिल स्टोर की एक संबंधित पार्टी को रु0 5818.48 की धनराशि का अधिक भुगतान कर दिया गया था। इस धनराशि को जब मेसर्स विकास मिल स्टोर ने समायोजित करने की सहमति व्यक्त कर दी, उसके पश्चात् ही उनके द्वारा सप्लाई किया गया होज पाइप छुड़ाया गया।

प्रदेश के चीनी निगम नेकपुर बरेली द्वारा कर्मचारियों को ग्रेच्यूटी ओवर टाइम आदि का भुगतान

98–डा0 दिनेश जौहरी –

क्या गन्ना विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उ0प्र0 चीनी निगम नेकपुर, बरेली द्वारा अपने कर्मचारियों की वर्ष 1983-84 की ग्रेच्युटी-ओवर टाइम एवं फण्ड आदि का भुगतान अभी तक नहीं किया गया है, जब कि गन्ना ट्रांसपोर्टर का इसी वर्ष का भुगतान वर्ष 1985 में कर दिया गया है? यदि हां, तो कर्मचारियों का भुगतान शीघ्र करा दिया जायेगा? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री वीर बहादुर सिंह –

नेकपुर, बरेली स्थित चीनी मिल द्वारा गन्ना ट्रान्सपोर्टर के भुगतान के साथ-साथ कर्मचारियों का भी आंशिक रूप से भुगतान किया गया है। मिल की आर्थिक स्थिति काफी दयनीय होने के कारण कर्मचारियों का पूरा भुगतान नहीं किया जा सका। अवशेष के भुगतान कराने का प्रयास किया जायेगा।

नगर महापालिका बरेली में जल-कल अभियन्ता का पद

99–डा0 दिनेश जौहरी–

क्या नगर विकास मंत्री को जानकारी है कि महापालिका बरेली में जल-कल अभियन्ता का पद पिछले चार माह से रिक्त है, जिसके कारण वहां का कार्य सुचारु रूप से नहीं चल रहा है? यदि हां, तो क्या मंत्री जी तुरन्त जल-कल अभियन्ता की नियुक्ति करा देंगे? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री वीर बहादुर सिंह –

जी नहीं। नगर महापालिका, बरेली में जल-कल अभियन्ता पद पर नियुक्ति की जा चुकी है तथा उक्त पद पर संबंधित अभियन्ता दिनांक 23 सितम्बर, 1985 से कार्यरत है।

प्रश्न नहीं उठता।

रैफल लाटरी के 27 वें ड्रा के प्रथम पुरस्कार का रोका गया भुगतान

100–डा0 दिनेश जौहरी–

क्या सरकार को जानकारी है कि उ0 प्र0 रैफल लाटरी के 27वें ड्रा के टिकट नं0 ए0 बी0-232085 पर प्रथम पुरस्कार घोषित किया गया था? यदि हां, तो क्या यह पुरस्कार विजेता को दिला दिया गया था? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री वीर बहादुर सिंह–

उत्तर प्रदेश रैफल का 26वां ड्रा दिनांक 5-6-1980 को सम्पन्न हुआ था जिसमें रु0 1,10,000 का प्रथम पुरस्कार टिकट नं0 ए0 बी0 232085 पर घोषित हुआ था। उक्त नम्बर का टिकट जो लाटरी निदेशालय में प्रस्तुत किया गया, जांच के उपरान्त सही नहीं पाया गया। अतः उसका भुगतान नहीं

किया गया उक्त मामला इस समय सिविल जज, बरेली तथा उच्च न्याया-लय, इलाहाबाद में विचाराधीन है।

बरेली जनपद के थाना फतेहगंज के ग्राम पडहेरा में हत्या

101—डा0 दिनेश जौहरी—

क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि दिनांक 7-10-84 को बरेली जन-पद के थाना-फतेहगंज के ग्राम पडहेरा में श्री वहीद यार खां की मां और पत्नी की हत्या कर दी गई थी जिसकी रिपोर्ट थाने में अपराध संख्या 162/84 में दर्ज करा दी गई थी? यदि हां, तो क्या मूल्जमान गिरफ्तार कर लिये गये? यदि नहीं, तो क्यों? क्या मंत्री जी यह भी बताने की कृपा करेंगे कि वहीद यार खां के जीवन की रक्षा हेतु कुछ प्रबन्ध किये गये हैं? यदि हां, तो क्या? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री वीर बहादुर सिंह—

दिनांक 7/8-10-84 की रात्रि डेढ़ बजे वादी शफीक खां पुत्र वहीद यार खां निवासी ग्राम पड़हेरा, थाना फतेहगंज पूर्वी द्वारा थाने पर इस आशय की लिखित सूचना दी गई कि दिनांक 7-10-84 की रात्रि साढ़े आठ बजे नामजद छः अभि-युक्तों ने उनकी मां शफीकन व उनकी पत्नी श्रीमती शहाना की हत्या कर दी है। इस सूचना पर थाना फतेहगंज पूर्वी पर मुकदमा अपराध संख्या 162/84, अंतर्गत धारा 147/148/149/302 भा0 दं0 वि0 पंजीकृत किया गया। छः नामजद अभियुक्तों में से नूरुद्दीन, अजीज खां, साकिर खां एवं हमीद खां को दिनांक 8-10-84 को तथा अभियुक्त कल्लू को दि0 16-1-86 को गिरफ्तार करके जेल भेजा गया, एवं अभियुक्त जियाउद्दीन ने दिनांक 14-1-86 को न्यायालय में आत्म-समर्पण किया और उसी दिन उसे जेल भेजा गया।

ग्राम पडहेरा में वादी मुकदमा आदि की सुरक्षा के लिए अभियुक्तगण के मददगारों के विरुद्ध धारा 151/107/116 जा0 फौ0 की कार्यवाही दिनांक 8-10-84 को की गई। इसके अतिरिक्त उस गांव में सुरक्षा के लिए एक उपनिरीक्षक तथा दो सशस्त्र कान्स्टेबिल लगाये गये।

बरेली में मोतीलाल नेहरू इंजीनियरिंग कालेज एवं आई0 आई0 टी0 प्रवेश परीक्षा का केन्द्र खोलने की योजना

102—डा0 दिनेश जौहरी—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि आगामी वर्ष से बरेली में मोतीलाल नेहरू इंजीनियरिंग कालेज एवं आई0 आई0 टी0 (इंडियन इंस्टीट्यूट आफ टेक्नालोजी) की प्रवेश परीक्षा का केन्द्र बरेली में खोलने की योजना है? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री वीर बहादुर सिंह—

वर्ष 1986 की संयुक्त प्रवेश परीक्षा का आयोजन मोतीलाल नेहरू रीजनल इंजी-नियरिंग कालेज द्वारा नहीं बल्कि कमला नेहरू इंस्टीट्यूट आफ टेक्नालोजी, सुल्तान-पुर द्वारा किया जा रहा है और बरेली को भी परीक्षा केन्द्र बनाया जा रहा है।

आई0 आई0 टी0 (इंडियन इंस्टी-ट्यूट आफ टेक्नालोजी) भारत सरकार का संस्थान है और इसकी प्रवेश परीक्षा का केन्द्र बरेली में खोला जा रहा है अथवा नहीं, इसकी सूचना उपलब्ध नहीं है।

बरेली क्लब के निकट तालाब के सौन्दर्यीकरण की योजना

103–डा0 दिनेश जौहरी–

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बरेली क्लब के निकट स्थित बहुत बड़े तालाब के सौन्दर्यीकरण की कोई योजना है? यदि नहीं, तो क्यों?

श्रीमती पद्मा सेठ–

जी हां।

प्रश्न नहीं उठता।

104–डा0 दिनेश जौहरी–

[दिनांक 18-2-86 को अता0 प्र0 सं0 104 द्वारा उत्तरित]

बरेली विकास प्राधिकरण द्वारा निर्मित टीवरी नाथ काम्पलेक्स में सीवर लाइन

105–डा0 दिनेश जौहरी–

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बरेली में बरेली विकास प्राधिकरण टीवरी नाथ काम्पलेक्स में सीवर लाइन ठीक से न पड़ने के कारण बराबर बन्द रहने की शिकायत यहां के नागरिकों ने की थी? यदि हां, तो क्या सरकार ने नागरिकों को राहत दिलाने हेतु कोई कार्यवाही की?

श्री वीर बहादुर सिंह–

जी हां। बरेली विकास प्राधिकरण द्वारा निर्मित टीवरी नाथ काम्पलेक्स में सीवर लाइन के बन्द होने पर तुरन्त सीवर लाइन की सफाई करा दी गयी और वर्तमान समय में सीवर लाइन ठीक कार्य कर रही है।

106–डा0 दिनेश जौहरी–

[स्पष्टीकरण के अभाव में निरस्त]

बरेली नगर के सिटी इम्प्रूवमेन्ट पार्क की मरम्मत तथा नामकरण

107–डा0 दिनेश जौहरी–

क्या नगर विकास मंत्री को जानकारी है कि बरेली नगर में स्थित सिटी इम्प्रूवमेन्ट पार्क बहुत ही खराब दशा में है? यदि हां, तो उसे ठीक करा दिया जायेगा? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों? क्या मंत्री जी इस पार्क का नाम लाल बहादुर शास्त्री पार्क रखे जाने की कृपा करेंगे? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री वीर बहादुर सिंह–

जी हां, प्रश्नगत पार्क की स्थिति खराब है। पार्क की सड़कों का निर्माण, बाउन्ड्रीवाल की मरम्मत, रंगाई एवं पुताई हेतु व्यय अनुमान बना दिया गया है। पार्क को 4 माह के अन्दर ठीक करा दिया जायगा।

इस पार्क का नाम लाल बहादुर शास्त्री पार्क नहीं रखा जा सकता क्योंकि पूर्व में ही इस पार्क का नाम गोविन्द बल्लभ पंत रखा जा चुका है।

नेकपुर बरेली चीनी मिल से वायुमण्डल में प्रदूषण

108–डा0 दिनेश जौहरी–

क्या मुख्य मंत्री को जानकारी है कि उत्तर प्रदेश राज0 कारपोरेशन के नेकपुर बरेली चीनी मिल से वायुमण्डल में भारी प्रदूषण हो रहा है और चिमनी में से निकला हुआ कोयला सारे नगर के वातावरण को दूषित कर रहा है? यदि हां, तो इसे रोकने की तुरन्त व्यवस्था करेंगे?

श्री वीर बहादुर सिंह–

उद्योग के वायु उत्सर्जन से उद्योग के परिसर के आस-पास वायु प्रदूषण की समस्या है। उद्योग द्वारा वायु (प्रदू-

षण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1981 के अन्तर्गत अपने गैसीय उत्सर्जन हेतु बोर्ड की सहमति प्राप्त न करने के कारण उद्योग को वायु अधिनियम के अन्तर्गत नोटिस भेजा गया है जिसमें निर्देशित है कि उद्योग वायु प्रदूषण नियंत्रण की व्यवस्था करें ।

बरेली विकास प्राधिकरण द्वारा आवासीय योजना

109—डा0 दिनेश जौहरी—

क्या नगर विकास मंत्री को जानकारी है कि 1982 में बरेली विकास प्राधिकरण ने आवासीय योजना के अन्तर्गत नई बरेली बसाने की योजना बनाई थी जिसके लिये अभी तक भूमि भी नहीं अधिग्रहीत की जा सकी है ? यदि हां, तो मंत्री जी क्या इस आवास योजना के लिए निर्माण का तुरन्त आदेश देंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

जी हां ।

नई बरेली योजना के लिये पीलीभीत रोड तथा पीलीभीत बाई पास के बीच की भूमि के अर्जन की घोषणा विकास प्राधिकरण द्वारा 1982 में की गई थी जिसके अन्तर्गत 13 ग्रामों की कुल 1367 एकड़ भूमि की योजना बनाई गई थी तथा अर्जन प्रस्ताव योजना के अंतर्गत जिला भूमि अध्याप्त अधिकारी को भेजे गये ।

इसी दौरान आवास विकास परिषद् ने नई बरेली योजना के अंतर्गत अपनी योजना संख्या—6 तथा योजना संख्या—7, क्रमशः 100 एकड़ तथा 697 एकड़ भूमि का धारा 28(1) के अंतर्गत विज्ञप्ति दिनांक 18-11-82 को प्रकाशित कराई । जिसके फलस्वरूप बरेली विकास प्राधिकरण तथा आवास एवं विकास परिषद् के मध्य काफी समय तक यह निश्चित नहीं हो सका कि इनमें से कौन अपनी योजना आरम्भ करें । अन्ततः शासन द्वारा लिये गये निर्णय के अनुसार 100 एकड़ में से 45 तथा 697 में से 200 एकड़ क्षेत्रफल बरेली विकास प्राधिकरण के कार्य क्षेत्र के लिए निर्धारित हुआ इस कारण नवीन रूप से इस भूमि के अर्जन की कार्यवाही अब पुनः आरम्भ की जा रही है ।

बरेली नगर महापालिका के पार्क में स्व0 श्री लाल बहादुर शास्त्री की कथित खण्डित प्रतिमा

110—डा0 दिनेश जौहरी—

क्या सरकार को जानकारी है कि बरेली नगर में महापालिका के एक पार्क में भू0 पू0 प्रधान मंत्री स्वर्गीय लाल बहादुर शास्त्री की प्रतिमा खंडित हो गई है ? यदि हां, तो क्या सरकार नई प्रतिमा लगायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

नगर महापालिका बरेली के किसी भी पार्क में भूतपूर्व प्रधान मंत्री स्वर्गीय लाल बहादुर शास्त्री की प्रतिमा नहीं लगी है अतः प्रतिमा खण्डित होने का प्रश्न नहीं उठता ।

बरेली में वायुदूत सेवा प्रारम्भ करने हेतु योजना

111—डा0 दिनेश जौहरी—

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि बरेली में वायुदूत सेवा प्रारम्भ करने की केन्द्रीय सरकार ने कोई योजना स्वीकृत की है ? यदि हां, तो क्या उत्तर प्रदेश सरकार ही बरेली में हवाई अड्डे के लिये भूमि उपलब्ध करा देगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह–

जी नहीं ।

नगरपालिका के कुतुबखाना स्थित टाउन एरिया भवन में प्राचीन पुस्तकालय के स्थानान्तरित होने से पुस्तकों की चोरी

112–डा0 दिनेश जौहरी–

क्या नगर विकास मंत्री को जानकारी है कि बरेली में नगरपालिका द्वारा संचालित बहुत ही प्राचीन पुस्तकालय जो कुतुबखाना नाम से जाना जाता था, में लाखों पौराणिक ग्रन्थ एवं पुस्तकें थीं, जो कुछ वर्ष पूर्व उस भवन से नये भवन में स्थानान्तरित कर दी गयी थी? किन्तु स्थानान्तरण में अनेकों पुस्तकें गायब हो गयीं। यदि हां, तो पुस्तकों की चोरी में जिन लोगों का हाथ था, उनके विरुद्ध कोई कार्यवाही की गयी? यदि नहीं, तो क्यों? इस समय कितनी पुस्तकें उपलब्ध हैं?

श्री वीर बहादुर सिंह–

तत्कालीन नगर पालिका के कुतुबखाना स्थित टाउन हाल भवन में एक प्राचीन पुस्तकालय था। जब कुतुबखाना भवन जीर्ण शीर्ण हो गया तो उसे गिरवा दिया गया तथा काफी समय पश्चात् वर्ष 1972 में पुस्तकालय की पुस्तकों को सिंघल वाचनालय तथा पुस्तकालय में रखवा दिया गया। स्थानान्तरण के समय पुस्तकों का स्टाक रजिस्टर सिंघल पुस्तकालय को हस्तान्तरित नहीं किया गया। अतः यह निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता कि पुस्तकें वास्तव में गायब हुई या नहीं। तत्कालीन कुतुबखाने की पुस्तकों की स्थिति ज्ञात करने की कार्यवाही की जा रही है।

प्रदेश में गन्ना ग्राम सेवकों तथा सुपरवाइजरों के पदों का सृजन

113–श्री दीप चन्द्र सोनकर–

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि उ0 प्र0 गन्ना ग्राम सेवकों एवं सुपरवाइजरों के लगभग 3000 पदों का सृजन शासन के विचाराधीन है? यदि हां, तो अब तक सृजित न करने का कारण क्या है? क्या उक्त पदों पर स्थानापन्न नियुक्तियां करने की कृपा करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री वीर बहादुर सिंह–

जी नहीं।

प्रश्न ही नहीं उठता है।

प्रा0 ट्राफिक निरीक्षक (आर0 एन0 सिंह) के विरुद्ध शिकायत

114–श्री दीप चन्द्र सोनकर–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रा0 ट्राफिक निरीक्षक (आर0 एन0 सिंह) के भ्रष्टाचार के विरुद्ध शिकायत कुछ विधायकों, पूर्व सांसदों एवं वाराणसी के सैकड़ों सम्भ्रान्त व्यक्तियों ने पुलिस महानिदेशक के दौरे के समय पुलिस महानिदेशक से की थी और पुलिस महानिदेशक ने इस पर शीघ्र कार्यवाही करने का आदेश दिया था? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी?

श्री वीर बहादुर सिंह–

वाराणसी के श्री राजनाथ सोनकर भूतपूर्व सांसद तथा श्री अनिल कुमार सिंह, प्रवक्ता, काशी विद्यापीठ ने पुलिस महानिदेशक से श्री आर0 एन0 सिंह, टी0 आई0 के विरुद्ध भ्रष्टाचार की शिकायत की थी, जब वे 5-7-85 से 8-7-85 तक वाराणसी के दौरे पर थे।

श्री अनिल कुमार सिंह ने एक शिकायती पत्र डाक से भी भेजा था जिसकी जांच भ्रष्टाचार निवारण संगठन को सौंपी गयी थी। जांच आख्या प्राप्त हो गयी है। भ्रष्टाचार निवारण संगठन को अब खुली जांच करने के आदेश दे दिये गये हैं। जांच आख्या अपेक्षित है।

उ0 प्र0 जल निगम में आशुलिपिकों के स्थायीकरण का प्रस्ताव

115–श्री काजी कलीमुररहमान–

क्या नगर विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि उ0 प्र0 जल निगम मुख्यालय में आशुलिपिकों के स्थायीकरण के पश्चात् उनकी इण्टर सी ज्येष्ठता निर्धारित कर दी गयी है? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री वीर बहादुर सिंह–

उत्तर प्रदेश जल निगम मुख्यालय में आशुलिपिकों की पारस्परिक ज्येष्ठता अभी निर्धारित नहीं हो पायी है, क्योंकि जल निगम मिनिस्ट्रियल अधिष्ठान सेवा नियमावली, 1981 जिसके अन्तर्गत ज्येष्ठता निर्धारित की जानी है, को अन्तिम रूप नहीं दिया जा सका है।

स्व0 श्री एस0 पी0 झा, भूतपूर्व अधिशासी अधिकारी, नगरपालिका, गाजियाबाद की पत्नी को अवशेष देयों का भुगतान

116–श्री सरदार सिंह–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री एस0 पी0 झा, भूतपूर्व अधिशासी अधिकारी, नगरपालिका गाजियाबाद का निधन सेवारत रहते हुए दिनांक 24-6-70 को हो गया था ? यदि हां, तो क्या यह सही है कि अभी तक उनकी पत्नी को श्री झा के अवशेष देयों तथा ग्रेच्युटी का भुगतान नहीं किया गया है? यदि हां, तो क्यों और भुगतान कब तक कर दिया जायेगा?

श्रीमती पद्मा सेठ–

जी हां ।

यह सही नहीं है। जिलाधिकारी, गाजियाबाद से प्राप्त सूचना के अनुसार उनकी पत्नी को स्व0 श्री झा के सभी अवशेष देयों का भुगतान पहले ही किया जा चुका है। जहां तक ग्रेच्युटी के भुगतान का प्रश्न है, नगर पालिका में उस समय ग्रेच्युटी के कोई नियम न होने के कारण भुगतान करने का प्रश्न ही नहीं उठता।

राम सागर मिश्र कालोनी में जनता भवनों के सामने कथित भूमि में पार्क बनवाने की मांग तथा अनधिकृत [illegible] दारों के विरुद्ध कार्यवाही

117–श्री दीप चन्द्र सोनकर–

प्रथम सत्र 1981 के सातवें गुरुवार के लिए निर्धारित अतारांकित प्रश्न संख्या 19 के उत्तर के सन्दर्भ में क्या सरकार को जानकारी है कि वहां के आवंटियों को परिषद् द्वारा जारी की गयी आवंटन पुस्तिका में दिये गये मानचित्र में कथित भूमि को पार्क के रूप में दर्शाया गया है जबकि उक्त प्रश्न के उत्तर में इस तथ्य को शासन ने नकारा है? यदि हां, तो सदन को गलत उत्तर देकर गुमराह करने का उत्तरदायित्व किस पर है? क्या उक्त स्थान पर सरकार पार्क बनवाने की कृपा करेगी? यदि हां, तो कब तक?

श्री वीर बहादुर सिंह–

यह सही है कि उ0 प्र0 आवास एवं विकास परिषद् की कालोनी राम सागर मिश्र में जनता भवनों के सामने पार्क के नाम पर कुछ खुली जगह का प्राविधान ले-आउट प्लान में किया गया था तदनुसार खुली जगह छोड़ दी गयी है। चूंकि प्राविधान केवल खुली जगह का ही था। इसलिये परिषद् द्वारा पार्क बनाने का प्रश्न नहीं उठता।

118–श्री दीप चन्द्र सोनकर–

प्रथम सत्र 1981 के सातवें गुरुवार के लिये निर्धारित अतारांकित प्रश्न संख्या 20 के उत्तर के संदर्भ में क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि उक्त अनधिकृत कब्जा करने वाले दो व्यक्ति कौन-कौन हैं? उन्हें अभी तक हटाया गया अथवा नहीं ? क्या सरकार यह भी बताने की कृपा करेगी कि 2 अप्रैल, 1981 में अनधिकृत कब्जेदारों ने कितना निर्माण कराया था और इस समय क्या उनके निर्माण कार्य में और वृद्धि हुई है? यदि हां, तो क्या अनधिकृत कब्जा हटाने की कृपा करेगी? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री वीर बहादुर सिंह–

राम सागर मिश्र नगर में जनता भवनों के सामने जो पार्क की जगह खुली थी उसमें श्री फूल सिंह तथा एक अन्य व्यक्ति ने अनधिकृत रूप से मकान बनवा लिये। इनके हटाने की कानूनी कार्यवाही की जा रही है। मामला न्यायालय में विचाराधीन है। न्यायालय के अन्तिम निर्णय के पश्चात् ही अनधिकृत कब्जा हटाने के सम्बन्ध में अपेक्षित कार्यवाही किया जाना सम्भव हो सकेगा।

आजमगढ़ के अन्तर्गत सुरहन ड्रेन पर पुल का निर्माण

119–श्री भीखा राम–

क्या सा0 नि0 मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि अस्थाई खण्ड नं0 3 सा0 नि0वि0 आजमगढ़ के अन्तर्गत माटींनगंज औरंगाबाद मार्ग के कि0 मी0 3 एवं माटींनगंज-लसड़ा खुर्द मार्ग के कि0मी0 3 में क्या सुरहन ड्रेन पर पुल का निर्माण कराया जायेगा? यदि हां, तो कब तक?

श्री वीर बहादुर सिंह–

प्रश्नगत दोनों कार्य, विकेन्द्रित नियोजन प्रणाली के अन्तर्गत जिला सेक्टर में आते हैं। ऐसे कार्यों की स्वीकृति जिला नियोजन एवं अनुश्रवण समिति के अनुमोदन तथा कार्य हेतु जिला योजना में धन की उपलब्धता पर निर्भर करता है।

प्रश्न नहीं उठता।

120–श्री ब्रह्म दत्त द्विवेदी–

[दि0 24-2-86 को अता0 प्र0 सं0 162 द्वारा उत्तरित।]

फर्रुखाबाद में दस्यु प्रभावित अध्यादेश के अन्तर्गत कायम मुकदमों की संख्या

121–श्री ब्रह्मदत्त द्विवेदी–

क्या गृह मंत्री कृपया बतायेंगे कि अक्टूबर, 1982 से अप्रैल, 1985 तक जनपद फर्रुखाबाद में दस्यु प्रभावित अध्यादेश के अन्तर्गत कितने मामले पंजीकृत हुए, उनमें कितने मामलों में फाइनल रिपोर्ट लग गई? उक्त अध्यादेश लागू होने से पूर्व वर्ष 80-81 व 82 में उससे सम्बन्धित अपराध जो इस अध्यादेश के अन्तर्गत आते हैं, की संख्या प्रतिशत जनपद फर्रुखाबाद में क्या थी?

श्री वीर बहादुर सिंह–

प्राप्त सूचनानुसार अक्टूबर, 1982 से अप्रैल, 1985 तक जनपद फर्रुखाबाद में दस्यु प्रभावित अध्यादेश के अन्तर्गत 340 मामले पंजीकृत हुए जिनमें से 19 मामलों में फाइनल रिपोर्ट लगाई गई।

उक्त अध्यादेश लागू होने के पूर्व वर्ष 80, 81 व 82 में उससे संबंधित अपराध जो इस अध्यादेश के अन्तर्गत आते हैं, का प्रतिशत क्रमशः 2 प्रतिशत, 2.3 प्रतिशत तथा 4 प्रतिशत था।

पी0 सी0 एस0 अधिकारी, श्री दान बहादुर सिंह का स्थानान्तरण तथा गृह मण्डल में तैनात किये जाने का औचित्य

122–श्री ब्रह्मदत्त द्विववेदी–

क्या मुख्य मंत्री को जानकारी है कि दान बहादुर सिंह पी0 सी0 एस0 दिनांक 1-8-78 से वर्ष 1983 तक जनपद हरदोई में तहसीलदार पद पर रहे एवं पदोन्नति के उपरान्त दिनांक 19-9-84 तक हरदोई में परगनाधिकारी भी रहे तथा क्या यह सत्य है कि उनके लम्बे समय को देखते हुए शासन ने इनका स्थानान्तरण वर्ष 84 में जनपद हरदोई से लखीमपुर कर दिया था ? यदि हां, तो जुलाई, 85 में दुबारा जनपद हरदोई में इनका स्थानान्तरण फिर किन विशेष परिस्थितियों में किया गया?

श्री वीर बहादुर सिंह –

श्री दान बहादुर सिंह को 1983 में पी0 सी0 एस0 में तदर्थ रूप से स्थानापन्न प्रोन्नति दी गई थी । उस समय शासन की जानकारी में यह बात नहीं थी कि तहसीलदार के रूप में श्री दानबहादुर सिंह हरदोई में किस अवधि में तैनात थे। इसी लिए उनकी प्रथम तैनाती हरदोई में करने में कोई आपत्ति नहीं थी । श्री दानबहादुर सिंह को 5-7-85 को खीरी लखीमपुर से हरदोई पुनः स्थानान्तरित करने का कारण उनकी पारिवारिक परिस्थितियां थीं, जिनको दृष्टिगत रखते हुए उनका स्थानान्तरण पुनः हरदोई किया गया ।

123–श्री ब्रह्मदत्त द्विववेदी–

क्या मुख्य मंत्री को जानकारी है कि शासन की नीति है कि पी0 सी0 एस0 अधिकारी अपने गृह मण्डल में नहीं नियुक्त किया जायेगा ? यदि हां, तो दान बहादुर सिंह जो जनपद रायबरेली के रहने वाले हैं, को उन्हीं के मण्डल के जनपद हरदोई में किन विशेष परिस्थितियों में तैनात किया गया ?

श्री वीर बहादुर सिंह –

पी0 सी0 एस0 अधिकारियों के स्थानान्तरण के संबंध में शासन के कार्मिक विभाग की यह नीति है कि किसी अधिकारी को उसके गृह जनपद में तैनात न किया जाय परन्तु गृह जनपद मण्डल में तैनाती के विरुद्ध शासनादेश नहीं है। सामान्यतः गृह मण्डल में तैनात न किया जाय यह प्रयत्न किया जाता है । परन्तु विशेष कठिनाइयों को देखते हुए गृह मण्डल में तैनाती करने में कोई आपत्ति नहीं है ।

गंगापार क्षेत्र (फर्रुखाबाद) में गंगा एवं सोता नाला के बीच स्थित गांवों तक पहुंचाने हेतु कच्ची व पक्की सड़क और पुलिया के निर्माण की मांग

124–श्री ब्रह्मदत्त द्विववेदी–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद फर्रुखाबाद के ब्लाक राजेपुर के गंगापार क्षेत्र में गंगा एवं सोता नाला बीच स्थित फकरपुर, बनासीपुर, करनपुर आदि लगभग दो दर्जन गांवों तक पहुंचने के लिए कोई कच्ची या पक्की सड़क नहीं है? क्या उक्त गांवों को जोड़ने के लिए ग्राम अमृतपुर होकर लिंक रोड विचाराधीन है? यदि हां, तो सन् 78-79 में इस मार्ग पर जो मिट्टी का काम चल रहा था उसमें क्या प्रगति हुई और उसके पूरा होने में कितना समय और लगेगा?

श्री वीर बहादुर सिंह–

केवल अमृतपुर से फकरपुर तक एक कच्ची सड़क निर्मित है। अन्य गांवों तक पहुंचने के लिये कोई कच्ची या पक्की सड़क नहीं है।

जी नहीं।

वर्ष 1978-79 में अमृतपुर फकरपुर मार्ग केवल मिट्टी स्तर तक स्वीकृत हुआ था जो वर्ष 1980 में पूरा हो गया है।

125–श्री ब्रह्मदत्त द्विवेदी–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उक्त गांवों तक पहुंचने के लिये सोता नाला पर कोई पुलिया निर्माण सरकार के विचाराधीन है? यदि हां, तो इसकी प्रगति क्या है और उसका स्थान कौन सा है?

श्री वीर बहादुर सिंह–

जी नहीं। इस प्रकार का कार्य विकेन्द्रित नियोजन प्रणाली के अन्तर्गत जिला योजना में आता है।

प्रश्न नहीं उठता।

सहकारी चीनी मिल कायमगंज, फर्रुखाबाद में कर्मचारियों का निलम्बन, सेवा समाप्त तथा नयी नियुक्तियां

126–श्री ब्रह्मदत्त द्विवेदी–

क्या गन्ना विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मार्च, 83 से मार्च, 85 तक सहकारी चीनी मिल, कायमगंज, फर्रुखाबाद में कितने कर्मचारी निलम्बित तथा सेवा मुक्त किये गये? क्या मंत्री जी यह भी बताने की कृपा करेंगे कि उपर्युक्त अवधि में उक्त चीनी मिल में कितने नये कर्मचारी नियुक्त किये गये और उनमें जनपद बरेली, अलीगढ़ व रामपुर के निवासी, कितने कर्मचारी हैं?

श्री वीर बहादुर सिंह–

मार्च, 1983 से मार्च, 1985 के बीच सहकारी चीनी मिल, कायमगंज, (फर्रुखाबाद) में विभिन्न आरोपों में मिल समिति के 35 कर्मचारी निलम्बित किये गये तथा विभागीय जांच के आधार पर 13 कर्मचारियों की सेवायें समाप्त की गयीं।

उक्त अवधि में चीनी मिल में केवल 9 कर्मचारियों की नियुक्तियां की गयीं, जिनमें से कोई भी जनपद बरेली, अलीगढ़ व रामपुर का निवासी नहीं है।

विधायक निवासों के रख रखाव पर खर्च तथा कूलर व्यवस्था

127–श्री ब्रह्मदत्त द्विवेदी–

क्या सार्व0 नि0 मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि विधायक निवासों के रख रखाव पर वर्ष 83-84 में कितना धन व्यय किया गया है तथा वर्ष 84-85 में ग्रीष्मकाल में किन-किन विधायकों के कमरों में कूलर लगा है? उनकी लागत एवं औचित्य क्या है?

श्री वीर बहादुर सिंह–

वर्ष 1983-84 में विधायक निवासों के रखरखाव पर 47.79 लाख रुपये व्यय किया गया, जिसमें से 13.81 लाख विद्युत देयकों का भुगतान लेप्स को किया गया।

वर्ष 1984-85 के ग्रीष्मकाल में किसी भी माननीय विधायक के कमरे में कूलर नहीं लगाया गया।

उच्च न्यायालय में लम्बित वादों की कुल संख्या

128–श्री कृष्ण कुमार शर्मा–

क्या न्याय मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उत्तर प्रदेश उच्च न्यायालयों में आज तक कितने मुकदमें विचार हेतु पेंडिंग में पड़े हैं, इन मुकदमों को जल्द निपटाने के लिए सरकार क्या कदम उठा रही है? क्या सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि भविष्य में उच्च न्यायालय में वाद प्रस्तुति की तिथि के दो वर्षों के भीतर ही निर्णय दिला दिये जायेंगे?

श्री वीर बहादुर सिंह–

दिनांक 31 दिसम्बर, 1985 को माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद में लखनऊ खण्डपीठ, लखनऊ को सम्मिलित करते हुये लम्बित वादों की कुल संख्या–2,66,804 (मूलवाद 2,03,706 प्रकीर्णवाद 63,098) थी। लम्बित वादों के शीघ्र निस्तारण हेतु मा0 उच्च न्यायालय ने यह व्यवस्था प्रारम्भ कर दी है :—

(1) एक प्रकार के वादों को वर्गीकृत करके एक समूह में पीठ के समक्ष सूचीबद्ध करना।

(2) पुराने लम्बित वादों को तिथि क्रम में सूचीबद्ध करना।

(3) विशिष्ट पीठों का गठन तथा विशिष्ट विधि ज्ञान रखने वाले न्यायाधीशों को उस पीठ में निर्दिष्ट करना।

उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों के 15 रिक्त पदों पर शीघ्र नियुक्ति हेतु राज्य सरकार भारत सरकार से अनुरोध कर रही है। इसके अलावा शासन अपने स्तर पर और अपनी सीमाओं के भीतर पूरा प्रयास करता रहेगा कि उच्च न्यायालय में लम्बित वादों का शीघ्र निस्तारण हो।

129–श्री राम पाल सिंह एडवोकेट—

[5वें मंगलवार में अता0 प्र0 सं0 174 के अन्तर्गत पुनः निर्धारित]

गोण्डा जनपद में धानेपुर दतौली सड़क का निर्माण

130–श्री राम पाल सिंह एडवोकेट–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गोण्डा जनपद में धानेपुर-दतौली सड़क का निर्माण कब प्रारम्भ किया गया है और उस पर आज तक कितना रुपया व्यय हो चुका है तथा कार्य हुआ है?

श्री वीर बहादुर सिंह–

प्रश्नगत मार्ग की कुल लम्बाई 16.2 कि0 मी0 है। यह मार्ग विभिन्न चरणों में सितम्बर 1979, मई 1981 व दिसम्बर 1984 में स्वीकृत हुआ और उस पर नवम्बर 1979, नवम्बर 1981 तथा दिसम्बर, 1984 में स्वीकृति के अनुसार कार्य प्रारम्भ कर दिया गया।

जनवरी, 1986 तक उक्त मार्ग पर 32.17 लाख रुपये व्यय हो चुके हैं।

उक्त मार्ग का प्रथम 2.7 कि0 मी0 लेपन स्तर तक पूर्ण है। 0.3 कि0 मी0 में टापकोट की कुटाई हो चुकी है। 12.7 कि0 मी0 में मिट्टी का कार्य पूर्ण है, जिसमें से 3.20 कि0 मी0 में सोलिंग का कार्य पूर्ण है और शेष भाग में सोलिंग का कार्य प्रगति पर है। शेष 0.5 कि0 मी0 लम्बाई में मिट्टी का कार्य प्रगति पर है।

मदन मोहन मालवीय इंजीनियरिंग कालेज में फर्जी मस्टर रोल, रसीद बुकों, आदि से धन का दुरुपयोग तथा प्राचार्य द्वारा यात्राओं पर कुल व्यय

131–श्री रामपाल सिंह एडवोकेट–

क्या सरकार को जानकारी है कि मदन मोहन मालवीय इंजीनियरिंग कालेज, गोरखपुर की स्थानीय निधि लेखा उ0 प्र0 द्वारा की गई समिति विशेष सम्परीक्षा (1 अप्रैल, 1973 से 31 अगस्त, 1976 तक) के फलस्वरूप यह तथ्य प्रकाश में आए थे कि विद्यालय के कृषि फार्म की फसलों की चोरी, फर्जी मस्टर रोल, फर्जी रसीद बुकों आदि से धन का बड़ी मात्रा में दुरुपयोग हुआ है? यदि हां, तो सरकार ने दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की है?

श्री वीर बहादुर सिंह--

विशेष सम्परीक्षा टोली ने सम्परीक्षा के उपरान्त फसलों की चोरी, फर्जी मस्टर रोल, फर्जी रसीद बकों आदि से दुर्विनियोग का संदेह प्रकट करते हुए आपत्तियां की थीं। किन्तु आपत्तियों से सम्बन्धित अभिलेख, विवरण तथा स्पष्टीकरण प्रस्तुत किये जाने के पश्चात सम्परीक्षकों ने संतुष्ट होकर आपत्तियों का निराकरण कर दिया। अतः किसी के विरुद्ध कोई कार्यवाही करने का प्रश्न नहीं उठता।

132--श्री रामपाल सिंह एडवोकेट--

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि मदन मोहन मालवीय इंजीनियरिंग कालेज, गोरखपुर के प्राचार्य, जुलाई, सन् 1983 से विद्यालय के खर्चे पर कितनी बार व किस कारण दहेली गए, वहां कितने दिनों तक रुके तथा उनकी यात्राओं पर कितना व्यय हुआ ? उत्तर प्रदेश से बाहर जाने के लिए क्या उन्होंने सक्षम अधिकारी से अनुमति प्राप्त की थी ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

कालेज के प्रधानाचार्य जुलाई, 1983 से 19 फरवरी, 1986 तक 12 बार कालेज कार्य से दिल्ली गए और 27 दिन वहां रुके। उनकी इन यात्राओं पर कुल रु0 9585.20 का व्यय हुआ।

अपनी यात्राओं के लिये प्रधानाचार्य स्वयं नियंत्रक अधिकारी हैं और इस हेतु उन्हें किसी की अनुमति प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं है।

मदन मोहन इंजीनियरिंग कालेज, गोरखपुर के प्रभारी निर्माण के विरुद्ध शिकायत

133--श्री रामपाल सिंह एडवोकेट--

क्या मुख्य मंत्री को जानकारी है कि मदन मोहन मालवीय, इंजीनियरिंग कालेज, गोरखपुर, में किसी ऐसे अध्यापक को प्रभारी निर्माण बनाया गया है जिसकी सत्य निष्ठा उ0 प्र0 सिंचाई विभाग में सहायक अभियन्ता के पद पर कार्यरत रहते समय सन्देहात्मक आंकी गई थी? यदि हां, तो दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध कोई कार्यवाही की जा रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

उक्त कालेज में श्री नवल किशोर गुप्त, सहायक प्राध्यापक, जनपदीय अभियंत्रण विभाग, प्रभारी निर्माण का कार्य देख रहे हैं परन्तु ऐसी कोई सूचना उपलब्ध नहीं है कि सिंचाई विभाग में सहायक अभियंता के पद पर कार्यरत रहते समय उनकी सत्यनिष्ठा संदेहात्मक आंकी गई थी। प्रश्न के शेष भाग के उत्तर का प्रश्न नहीं उठता।

134--श्री काजी कलीमुररहमान--

[आश्वासन समिति के विचाराधीन होने के कारण निरस्त]

निर्माण खण्ड, सा0 नि0 वि0 गोरखपुर के भूतपूर्व अभियन्ताओं द्वारा फर्जी मस्टर रोल बनाकर अवैध रूप से धन कमाने के संबंध में शिकायती पत्र

135--श्री काजी कलीमुररहमान--

क्या सा0 नि0 मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि निर्माण खण्ड, सा0 नि0 वि0, गोरखपुर के भूतपूर्व अधिशासी अभियन्ता (श्री अलख प्रकाश मिश्रा) तथा उनके अधीनस्थ सहायक अभियन्ताओं/अवर अभियन्ताओं द्वारा फर्जी मस्टर रोल बनाकर अवैध रूप से धन कमाने के सम्बन्ध में कोई शिकायत श्री त्रियुगी नारायण मिश्र वर्तमान गोरखपुर के विधायक द्वारा की गई थी? यदि हां, तो इस शिकायत के सम्बन्ध में श्री एस0 एन0 पी0 सिन्हा, भू0 पू0 अधीक्षण अभियन्ता, षष्ठम् वृत्त सा0 नि0 वि0 गोरखपुर द्वारा जांच की गई थी और जांच के पश्चात् जांच आख्या मुख्य अभियन्ता, प्रमुख अभियन्ता,

शासन को भेजी गयी थी।

यदि हां, तो जांच के आधार पर शासन द्वारा दोषी अधिकारियों व कर्मचारियों के विरुद्ध प्रशासनिक कार्यवाही के आदेश दिये गये थे **और आदेश की प्रतिलिपि प्रमुख अभियन्ता परिवार वर्ग सा0 नि0 वि0 लखनऊ द्वारा अधीक्षण अभियन्ता,** षष्ठम वृत्त सा0 नि0 वि0 गोरखपुर को **वर्ष 1985 में भेजी गयी थी? यदि हां,** तो **क्या** यह सही है कि इस सम्बन्ध में **श्री राजेन्द्र प्रसाद जायसवाल, महामंत्री,** प्रदेश कांग्रेस कमेटी (जे) एवं **श्री गोरख प्रसाद, विधायक द्वारा 22 जून, 85 को कोई** शिकायती पत्र **मुख्यमंत्री को प्राप्त हुआ है? यदि हां,** तो शासन के **निर्णय** के अनुसार सम्बन्धित अधिकारियों व कर्मचारियों के विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही के आदेश पारित कर दिये गये और आवश्यक कार्यवाही कर ली गई? यदि नहीं, तो **क्यों ?**

श्री वीर बहादुर सिंह–

जी हां।

श्री राजेन्द्र प्रसाद जायसवाल द्वारा दिया गया एक शिकायती पत्र श्री गोरख नाथ यादव, विधायक के माध्यम से प्राप्त हुआ था जिस पर जांच की जा रही है।

प्रदेश के वनों में मृगों के मारने तथा पकड़ने पर लगाये गये प्रतिबन्ध

136–डा0 दिनेश जौहरी–

क्या वन मंत्री को जानकारी है कि सरकार द्वारा मृगों के मारने या पकड़ने पर प्रतिबन्ध लगाये जाने के बाद भी कस्तूरी मृग बड़ी संख्या में मारे जा रहे हैं और उनकी संख्या दिन पर दिन घटती जा रही है? यदि हां, तो क्या मंत्री जी ने कस्तूरी मृगों के संरक्षण की कोई और व्यवस्था की है? यदि हां, तो क्या? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री वीर बहादुर सिंह–

यह सत्य नहीं है कि सरकार द्वारा मृगों के मारने या पकड़ने पर प्रतिबन्ध लगाये जाने के बाद भी कस्तूरी मृग बड़ी संख्या में मारे जा रहे हैं और उनकी संख्या दिन पर दिन घटती जा रही है। यह अवश्य सत्य है कि कस्तूरी मृगों का कभी-कभी चोरी छिपे शिकार हो जाता है कस्तूरी मृगों तथा अन्य वन्य जन्तुओं के संरक्षण हेतु पर्वतीय अंचल में नन्दादेवी राष्ट्रीय पार्क (जनपद चमोली में) केदारनाथ पशुबिहार (जनपद चमोली में) तथा गोविन्द पशुबिहार (जनपद उत्तरकाशी में) की स्थापना की गयी है। इन क्षेत्रों में नियुक्त कर्मचारी कस्तूरी मृगों की सुरक्षा हेतु कार्य कर रहे हैं। चमोली जिले में कांचुला खरक नामक स्थान पर कस्तूरी मृग प्रजनन केन्द्र की स्थापना की गई है ताकि वन कर्मचारियों की देखरेख में इस प्रजाति का प्रजनन करके इसकी संख्या बढ़ाई जाय. 1982 में इस केन्द्र पर 1 नर तथा 2 मादा कस्तूरी पकड़ कर रखे गये थे और केन्द्र में प्रजनन के बाद अब यह संख्या 3 से बढ़कर 6 हो गई है।

बरेली नगर में नालों की मरम्मत तथा सफाई

137–डा0 दिनेश जौहरी–

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बरेली नगर में नालों की मरम्मत, सफाई के लिए इस वर्ष कितना रुपया स्वीकृत हुआ था ? क्या सरकार यह भी बतायेगी कि इतना धन खर्च होने के बाद भी नालों की सन्तोषजनक सफाई न होने के क्या कारण थे ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

वर्ष 1985-86 में बाढ़ राहत कार्य के अंतर्गत नगर महापालिका बरेली की सीवेरेज/ड्रेनेज की सफाई व मरम्मत के लिए रु0 5.00 लाख स्वीकृत किया गया था।

नालों की सफाई पर नगर महापालिका बरेली द्वारा रु0 1,52,310 व्यय किया गया है। महापालिका ने सूचित किया है कि 28 कि0मी0 नालों की सफाई के लिए यह धनराशि पर्याप्त नहीं है इसलिये सभी नालों की संतोषजनक सफाई नहीं हो सकी।

138--श्रीमती विजय लक्ष्मी--

[दि0 11-2-86 को अता0 प्र0 सं0 1 द्वारा उत्तरित]

बलिया के विधान सभा क्षेत्र बांसडीह के सहायक दरोगा के विरुद्ध आरोप पत्र तथा जांच

139--श्रीमती विजय लक्ष्मी--

क्या गृह मंत्री को जानकारी है कि विगत विधान सभा चुनाव के दौरान दिनांक 23-3-1935 को प्रश्नकर्ता के चुनाव एजेन्ट श्री दिवाकर नाथ शर्मा ने बांसडीह के सहायक दरोगा के विरुद्ध एक आरोप पत्र पुलिस अधीक्षक बलिया को तथा जिला निर्वाचन अधिकारी बलिया को दिया था ? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

श्री दिवाकर नाथ शर्मा का प्रार्थना-पत्र दिनांक 23-2-85 प्राप्त हुआ था जिसकी जांच कराई गयी। जांच से आरोप प्रमाणित नहीं हुए।

140--श्रीमती विजय लक्ष्मी--

क्या गृह मंत्री को जानकारी है कि जनपद बलिया के विधान सभा क्षेत्र बांसडीह के अंतर्गत ग्राम केवरा थाना बांसडीह के बलिराम वगैरह ने पुलिस अधीक्षक बलिया को एक शिकायती पत्र दिनांक 1-6-85 को दिया था तथा इसके बाद पुनः दिनांक 18-6-85 को चन्द्रमा वर्मा ग्राम केवरा थाना बांसडीह ने एक शिकायती पत्र पुलिस अधीक्षक बलिया को दिया था ? यदि हां, तो इस संबंध में अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

प्राप्त सूचनानुसार प्रश्न में उल्लिखित ग्राम केवरा, थाना बांसडीह, जिला बलिया के श्री बलिराम आदि का दिनांक रहित प्रार्थना पत्र तथा श्री चन्द्रमा वर्मा का प्रार्थना पत्र दिनांक 18-6-85 पुलिस अधीक्षक बलिया को प्राप्त हुए थे, जिनकी जांच करायी गई। जांच से प्रार्थना पत्रों में लगाए गए आरोप प्रमाणित नहीं हुए।

बीस सूत्रीय कार्यक्रम के अंतर्गत कर्मचारियों को नियमित तथा स्थायी करने का प्राविधान

141--श्री मित्रसेन--

क्या मुख्य मंत्री को जानकारी है कि 20 सूत्रीय कार्यक्रम के अंतर्गत यह स्पष्ट प्राविधान है कि 240 दिन तक कार्य करने वाले किसी भी संस्था के कर्मचारी नियमित कर्मचारी माने जायेंगे और तीन वर्ष तक लगातार कार्य करने वाले कर्मचारी स्थायी कर्मचारी माने जायेंगे ? यदि हां, तो क्या परियोजना प्रबन्धक रा0 नि0 निगम लि0 उत्तर प्रदेश कुमार गंज, फैजाबाद उक्त सूत्र का पालन कर रहे हैं ? यदि नहीं, तो कितने दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी कितने दिनों तक किन-किन पदों पर कार्य

कर रहे हैं जो उपरोक्त सूत्र के आधार पर नियमित एवं स्थायी किए जाने के पात्र हैं और उसका पालन न किये जाने का क्या कारण है ?

श्री वीर बहादुर सिंह–

20 सूत्रीय कार्यक्रम के अंतर्गत ऐसा कोई प्राविधान नहीं है कि 240 दिन तक कार्य करने वाले कर्मचारी को नियमित तथा 3 वर्ष तक का लगातार कार्य करने वाले कर्मचारी को स्थायी माना जायेगा । शेष का प्रश्न नहीं उठता है ।

142–श्री मित्रसेन–

[विभिन्न विभागों से संबंधित होने के कारण निरस्त]

जनपद देवरिया ग्राम हरिहरपुर में श्याम चित्र मंदिर को टूरिंग टाकीज चलाने की अनुमति

143–श्री सूर्य प्रताप शाही–

क्या संस्थागत वित्त मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि देवरिया जनपद के ग्राम हरिहर पो0 तमकुही राज में श्याम चित्र मंदिर को टूरिंग टाकीज चलाने की अनुमति पिछले कितने वर्षों से है ? क्या संबंधित चित्र मंदिर को नवम्बर, 1985 में पुनः टूरिंग टाकीज चलाने की अनुमति देने के पूर्व श्री गोविन्द प्रसाद राय ने मंनोरंजन कर अधीक्षक को लिखित आपत्ति दी थी ? यदि हां, तो उनकी आपत्ति का विवरण क्या है और उस संदर्भ में क्या कार्यवाही हुई और नहीं हुई तो क्यों ?

श्री ओम प्रकाश रिछरिया–

देवरिया जनपद के ग्राम हरिहरपुर पोस्ट तमकुही राज में श्याम चित्र मंदिर को टूरिंग टाकीज चलाने की अनुमति 13-5-84 से 12-11-84 तक और 14-11-84 से 13-5-85 तक दी गई थी ।

स्थाई सिनेमा निर्माण कराये जाने के प्रयास को दृष्टिगत रखते हुए उक्त सिनेमा को पुनः 13-11-85 से एक माह का लाईसेंस जिला मजिस्ट्रेट द्वारा दिया गया था । तब तक श्री गोविन्द प्रसाद राय की कोई लिखित आपत्ति प्राप्त नहीं हुई थी ।

जनपद उन्नाव, विकास खण्ड गंज मुरादाबाद में सड़क निर्माण की योजना

144–डा0 शिवानन्द नौटियाल–

क्या सार्व0 निर्माण मंत्री कृपया बतायेंगे कि जिला उन्नाव में विकास खण्ड गंज-मुरादाबाद के अन्तर्गत अमीरपुर, गम्भीरपुर से होते हुए जहांगीरबाद से निकल कर ग्राम महोलिया के दक्षिण पश्चिम चकरोड से होते हुए सड़क बनाये जाने का प्रस्ताव एवं पैमाइश की गयी है जो कि गंजमुरादाबाद हरईपुर व्योली स्लामाबाद रोड में हरईपुर माइनर को पुलिया के पास मिलेगी और क्या उक्त प्रस्ताव के आधार पर कार्य न करके ग्राम महोलिया के पूर्व दिशा से इस सड़क का निर्माण कार्य प्रारम्भ कर दिया गया है ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह–

जी हां, विकास खण्ड गंज मुरादाबाद में समौली अकबरपुर-दशगवां महोलिया होती हुई गंज मुरादाबाद व्योली हरईपुर स्लामाबाद मार्ग, 8.0 कि0 मी0 लम्बाई में, मिट्टी, पुलिया स्तर तक स्वीकृत है । मार्ग का निर्माण महोलिया के पश्चिम दिशा में प्रस्तावित है । मार्ग पर प्रथम 2.50 कि0 मी0 में मिट्टी का कार्य आरम्भ किया गया है । ग्राम महोलिया उक्त मार्ग के कि0 मी0 6-7 में पड़ता है उक्त स्थान पर अभी कोई कार्य नहीं हुआ है । ग्राम अमीरपुर, गम्भीरपुर तथा जहांगीराबाद उपरोक्त मार्ग से थोड़ा हटकर पड़ते है।

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रदेश में आतंकवादियों के बढ़ते हुए प्रभाव को रोकने हेतु योजना

145—श्री विक्रमादित्य पाण्डेय—

क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में आतंकवादियों के बढ़ते हुए प्रभाव को रोकने के लिए पुलिस व गुप्तचर विभाग को सक्षम बनाने की कोई योजना सरकार के विचाराधीन है? यदि हां, तो उसकी रूपरेखा क्या होगी?

श्री वीर बहादुर सिंह—

जी नहीं। यह कहना सही नहीं है कि प्रदेश में आतंकवादियों का प्रभाव बढ़ रहा है। राज्य की पुलिस व गुप्तचर विभाग पहले से ही इस संबंध में सक्षम है।

बस्ती जनपद में जल निगम द्वारा लगाये गये हैण्ड पम्प

146—कर्नल केशरी सिंह—

क्या शासन को जानकारी है कि बस्ती जनपद में जल निगम द्वारा लगाये गये पेयजल के हैण्ड पम्पों में 25 प्रतिशत से अधिक पम्प कार्य नहीं कर रहे हैं? यदि हां, तो उनकी संख्या क्या है उन्हें खराब दशा में लगाने वाले अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की जा रही है एवं उन्हें ठीक करने की कोई कार्यवाही की जा रही है? यदि हां, तो क्या? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री वीर बहादुर सिंह—

जनपद बस्ती में लगाये गये 6333 हैण्ड पम्पों में से केवल 551 हैण्ड पम्पों के खराब होने की सूचना प्राप्त हुई थी। ये हैण्ड पम्प ठीक कराकर चालू करा दिये गये थे। जो हैण्ड पम्प खराब हुए हैं उनमें वही खराबियां पाई गई हैं जो सामान्य रख-रखाव के अंतर्गत हो सकती है। अतः किसी अधिकारी के विरुद्ध कोई कार्यवाही करने का प्रश्न ही नहीं उठता।

आवास एवं विकास परिषद् द्वारा निर्मित दुकानों के आवंटन में भू0 पू0 सैनिकों का कोटा

147—कर्नल केशरी सिंह—

क्या शासन की जानकारी में है कि गत वर्ष 8-6-84 को तत्कालीन मुख्य मंत्री जी की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई राज्य सैनिक परिषद् की बैठक में प्रस्ताव मद संख्या-27 में संस्तुति की गयी थी कि प्रदेश में आवास एवं विकास परिषद् द्वारा निर्मित दुकानों में भू0 पू0 सैनिकों के लिए कम से कम 15 प्रतिशत का आरक्षण होना चाहिए जिस पर तत्कालीन मुख्य मंत्री जी ने सहमति प्रकट की थी तथा इस पर शीघ्र कार्यवाही करने के आदेश दिए थे? यदि हां, तो अब तक इस विषय में क्या कार्यवाही की गयी है तथा यह आरक्षण कब लागू होगा एवं इस विषय में शासनादेश कब जारी होगा? यदि नहीं तो क्यों?

श्री वीर बहादुर सिंह—

निदेशक सैनिक कल्याण द्वारा 4 दिसम्बर, 1983 में आयोजित लखनऊ जनपद में रैली के अवसर पर की गई बैठक में यह संस्तुति की गई थी कि उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद् द्वारा निर्मित दुकानों का कुछ प्रतिशत केवल भूतपूर्व सैनिकों के मध्य ही नीलाम किया जायेगा।

इस विषय पर समुचित विचारोपरान्त शासन द्वारा शासनादेश संख्या—53/सी0 एम0/11-5-200/20/85 दिनांक 26 मार्च, 1985 के अन्तर्गत यह निर्णय लिया गया है कि शासनादेश संख्या—2880/37-2-18 मिस/78 दिनांक 16-5-1983 में उल्लिखित विभिन्न वर्गों के लिये निर्धारित आरक्षण की श्रेणी में भी यदि कोई भूतपूर्व सैनिक सम्मिलित हो तो उसे आवंटन में प्राथमिकता दी जाय। इस शासनादेश के अनुपालन में

परिषद् द्वारा आरक्षित श्रेणी के आवेदकों में यदि कोई भूतपूर्व सैनिक सम्मिलित है तो उन्हें उस श्रेणी में उनके दौर में वरीयता दी जा रही है ।

आवास विकास परिषद् द्वारा नीलाम विनियम अलग से स्वीकृत है जिसमें केवल अनुसूचित जाति को 18 प्रतिशत अनुसूचित जनजाति को 2 प्रतिशत एवं पिछड़े वर्ग को 15 प्रतिशत का आरक्षण का प्राविधान किया गया है । अन्य किसी वर्ग को आरक्षण नहीं दिया जा रहा है।

सरकारी नौकरी एवं निगमों में अनुसूचित जाति का कोटा

148–श्री भीखाराम–

क्या मुख्य मंत्री बताने कि कृपा करेंगे कि दिनांक 1-10-85 को उनके द्वारा की गयी घोषणा ''अनुसूचित जाति का कोटा सरकारी नौकरी एवं निगमों में पूरा करने के लिए भविष्य में सभी प्रकार की चयन समितियों में अनिवार्य रूप से अनुसूचित जाति का एक अधिकारी रखा जायेगा'' के अनुपालन में क्या आवश्यक शासनादेश निर्गत कर दिया गया है ? यदि हां, तो क्या सरकार उसे सदन के पटल पर रखेगी? यदि नहीं, तो कब तक निर्गत कर दिया जायेगा ?

श्री वीर बहादुर सिंह–

प्रश्नगत मामले की स्थिति निम्नवत है:–

(1) श्रेणी–''ग'' (लिपिकीय वर्ग) व ''घ'' के पदों पर चयन के लिए जिला चयन समितियों में अनुसूचित जाति का एक सदस्य रखे जाने की व्यवस्था पूर्व से ही है ।

(2) श्रेणी–''ग'' व ''घ'' के ऐसे पदों, जो जिला चयन समितियों की परिधि में नहीं आते, की चयन समितियों में अनुसूचित जाति का सदस्य रखने के लिए नियमावली बनायी जा रही है।

(3) स्वतंत्ररूप से कार्य करने वाली संस्थाएं जैसे–विधान सभा सचिवालय/विधान परिषद् सचिवालय/उच्च न्यायालय/अधीनस्थ न्यायालयों तथा लोक सेवा आयोग कार्यालय आदि से यह अनुरोध किया जा रहा है कि वे अपने यहां चयन समितियों में अनुसूचित जाति का सदस्य रखने पर विचार कर लें ।

(4) स्थानीय निकायों तथा निगमों में भी तद्नुसार व्यवस्था करने के लिए सम्बन्धित अधिकारियों को लिखा जा रहा है ।

(5) श्रेणी–''क'' व ''ख'' के पदों के लिए गठित चयन समितियों में अनुसूचित जाति का सदस्य अनिवार्य रूप से रखे जाने की आवश्यकता नहीं समझी गयी है ।

मेरठ जनपद में प्रशासनिक आधार पर कर्मचारियों के हुये स्थानान्तरण

149–श्री भोपाल सिंह–

क्या सार्व0 निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 84-85 में मेरठ जनपद के प्रशासनिक आधार पर कितने कर्मचारियों के स्थानान्तरण आदेश हुए ? उन आदेशों का पालन कितने कर्मचारियों ने निर्धारित समय के अन्दर कर लिया और जिन कर्मचारियों ने समय अन्दर उक्त आदेशों का पालन नहीं किया उनके विरुद्ध अब तक क्या कार्यवाही की गयी? क्या मंत्री जी यह भी बताने की कृपा करेंगे कि किस नियम व नीति के आधार पर स्थानान्तरण हो जाने के बाद स्थानान्तरण आदेश निरस्त कर दिये जाते है ?

श्री वीर बहादुर सिंह–

जनपद मेरठ से वर्ष 84-85 में (दिनांक 1-4-84 से 31-3-85 तक) प्रशासनिक आधार पर कोई स्थानान्तरण नहीं किया गया ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

फैजाबाद पुलिस द्वारा हरिजनों पर अत्याचार के विरुद्ध शिकायत

150–श्री राम आसरे वर्मा–

क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि कोतवाली पुलिस फैजाबाद में हरिजनों पर हुये अत्याचार से संबंधित शिकायत श्रीमती माया देवी गुप्ता पत्नी गुलाब चन्द्र गुप्ता अवर अभियंता हैदरगंज थाना कोतवाली फैजाबाद द्वारा मई, 1985 में की गयी? यदि हां, तो क्या कार्यवाही की गयी? यदि कार्यवाही नहीं की गयी तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह–

जी हां । जांच से मजदूरों तथा नौकर से गाली गलौज करने के संबंध में पुलिस के विरुद्ध आरोप सही पाया गया। अतः उपनिरीक्षकगण को कड़ी चेतावनी दी गयी है।

श्री फिरोज अहमद पुत्र छोटे खां निवासी औरंगाबाद जनपद बुलन्दशहर की शिकायत पर जांच

151–श्री किरन पाल सिंह–

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि श्री फिरोज अहमद पुत्र छोटे खां निवासी औरंगाबाद जनपद बुलन्दशहर के 1-6-85 के प्रार्थना पत्र के आधार पर जिलाधिकारी बुलन्दशहर ने मजिस्ट्रेट को जांच करने के आदेश दिये थे ? यदि हां, तो उस संबंध में क्या कार्यवाही की गयी? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह–

जी हां ।

प्राप्त जानकारी के अनुसार, शिकायती पत्र में उल्लिखित सभी मामले न्यायालय के विचाराधीन हैं ।

झांसी जनपद में फिल्म 'आकाश गंगा' की शूटिंग में काम करने हेतु दिये गये कथित पुलिस कर्मी

152–कुंवर मानवेन्द्र सिंह–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि अक्टूबर, 85 में झांसी जनपद में हुई फिल्म 'आकाश गंगा' की शूटिंग में पुलिस उप महानिरीक्षक झांसी ने फिल्म में काम करने हेतु कितने पुलिस कर्मी दिये ? क्या मुख्य मंत्री जी यह भी बतायेंगे कि प्रति पुलिस कर्मी कितने रुपये की धनराशि प्राप्त की गयी? क्या सरकार इसकी उच्च स्तरीय जांच कराकर जांच रिपोर्ट से सदन को अवगत करायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह–

झांसी जनपद में कोई भी पुलिस कर्मी कथित फिल्म में काम करने के लिये नहीं दिया गया ।

प्रश्न के शेष भाग का प्रश्न नहीं उठता ।

राज्य योजना आयोग एवं प्रोजेक्ट मानीटरिंग सेल में पिछड़ी जाति का आरक्षण

153–श्री किरनपाल सिंह–

क्या नियोजन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि राज्य योजना आयोग एवं प्रोजेक्ट मानीटरिंग सेल में पिछड़ी जाति का विभिन्न पदों पर नियुक्ति एवं प्रोन्नति का प्रतिनिधित्व आरक्षण नीति के तहत पूरा है ? यदि नहीं तो क्यों तथा कब तक प्रतिनिधित्व पूरा हो जायेगा ?

श्री ओम प्रकाश रिछारिया–

राज्य योजना आयोग एवं प्रोजेक्ट मानीटरिंग सेल में विभिन्न श्रेणी के भरे हुए कुल पदों के समक्ष पिछड़ी जाति का प्रतिनिधित्व निर्धारित कोटे से भी अधिक है, किन्तु प्रवर वर्ग सहायक, सांख्यकीय सहायक, वैयक्तिक सहायक व आशुलिपिक के जिन एक-एक पदों पर प्रतिनिधित्व पूरा करने के लिए पिछड़ी जाति के अभ्यर्थियों की नियुक्ति की जानी है, उसके लिए पद रिक्त रखे गये हैं, जिनकी पूर्ति नियमित नियुक्ति के समय ही संभव है । पदोन्नति में आरक्षण का कोई प्राविधान नहीं है।

154–श्री किरन पाल सिंह–

[दिनांक 11-2-86 को ता0 प्र0 सं0 2 द्वारा उत्तरित]

नगर महापालिका, बरेली के सड़कों के निर्माण हेतु स्वीकृत अनुदान

155–डा0 दिनेश जौहरी–

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि महापालिका बरेली को सड़कों के निर्माण हेतु बरेली को वर्ष 1984-85 में कितना धन स्वीकृत किया गया था ? क्या यह सही है कि सड़कों का निर्माण लागत के अनुसार नहीं कराया गया है? यदि हां, तो घटिया निर्माण कार्य के लिए उत्तरदायी कौन है और उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री वीर बहादुर सिंह–

बरेली नगर महापालिका को वित्तीय वर्ष 1984-85 में कुल 54,45,000/- का अनुदान स्वीकृत किया गया ।

सड़कों का निर्माण कार्य स्वीकृत एपेसीफीकेशन के अनुसार ही कराया गया है। निर्माण कार्य घटिया कराये जाने के सम्बन्ध में कोई विशिष्ट शिकायत प्राप्त नहीं हुई है।

देवरिया जनपद में भूमि की फर्जी रजिस्ट्री

156–श्री बालेश्वर यादव–

क्या वित्त मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद देवरिया के चारों तहसीलों में गरीब किसानों के भूमि की फर्जी रजिस्ट्री तहसील के कर्मचारियों से मिल कर कुछ असरदार लोग करा ले रहे हैं? और इस तरह की घटना पूरे प्रदेश में हो रही है ? क्या इस तरह की रजिस्ट्री को रोकने के लिए रजिस्टर करने वाले किसान का फोटो लगवा कर रजिस्ट्री करवायी जाने की सरकार व्यवस्था करेगी ताकि फर्जी रजिस्ट्री पर रोक लग सके ?

श्री ओम प्रकाश रिछारिया–

जनपद देवरिया में कुल 6 फर्जी लेख पत्रों के मामले प्रकाश में आये जिनमें संबंधित पक्षकारों के विरुद्ध न्यायालय में अपराधिक वाद विचाराधीन है। तहसील के कर्मचारियों की मिली भगत होने की शिकायत निराधार है। प्रदेश के अन्य स्थानों में इस प्रकार की घटनाओं पर आवश्यक व त्वरित कार्यवाही की जाती है। बैनामें के साथ फोटो लगाने का कोई प्रस्ताव शासन के विचाराधीन नहीं है ।

श्री शिव वृत लाल परगनाधिकारी, **मुहम्मदाबाद, गोहना आजमगढ़ के विरुद्ध आरोपों की जांच**

157–श्री राम बदन एडवोकेट–

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि उन्हें श्री राज कुमार राय तत्कालीन सदस्य विधान सभा का पत्र गई 84 में श्री शिव वृत लाल परगनाधिकारी मुहम्मदाबाद, गोहना आजमगढ़ के विरुद्ध मिला था ? यदि हां, तो उसमें क्या कार्यवाही हुयी ? क्या मंत्री जी यह भी बतायेंगे कि कितने अमल दरामद

बिना डिग्री के पाए गये और उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही हुई ?

श्री वीर बहादुर सिंह–

जी हां। उक्त पत्र में उल्लिखित आरोपों की जांच अतिरिक्त जिलाधिकारी, आजमगढ़ से कराई गई। जांच के दौरान पांच मुकदमें बिना अमल दरामद डिग्री के पाये गये । इसकी रिपोर्ट दिनांक 7-6-84 को सम्बन्धित परगनाधिकारी ने थाना कोतवाली में दर्ज करा दी। शेष आरोप अप्रमाणित पाये गये ।

गोमती होटल में व्याप्त अव्यवस्था के संबंध में विदेशी पर्यटकों द्वारा की गयी शिकायतें

158–श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

क्या पर्यटन मंत्री कृपया बतायेंगे कि दिसम्बर, 84 तथा जनवरी, 85 में पर्यटन विभाग के गोमती होटल में व्याप्त अव्यवस्था के संबंध मे विदेशी पर्यटकों द्वारा जो शिकायतें होटल के प्रमुखों को लिखाई गईं, वे शिकायतें क्या हैं तथा इस पर सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री प्रमोद कुमार–

दिसम्बर, 1984 तथा जनवरी, 85 के मध्य होटल गोमती की शिकायत पंजिका के अनुसार पृष्ठ सं0 52 पर श्री एम0 ह्यूएल तथा श्री डब्लू हाफ द्वारा केवल एक शिकायत अंकित की गई है, जिसका हिन्दी अनुवाद निम्नवत् है:–

हमने कक्ष संख्या-124 छोड़े जाने की सूचना पूर्वान्ह साढ़े ग्यारह बजे दी। हमने 150 रुपये का भुगतान किया ।स्वागती को हमने 200 रुपये दिये। उसने हमें 50 रुपये वापस किये। हमने इसकी रसीद नहीं मांगी क्योंकि हमें यह जानकारी नहीं थी कि इससे कोई समस्या उत्पन्न हो जायेगी। हमने उससे केवल यही पूछा कि क्या वह सायंकाल 7 बजे तक हमारा सामान वहां रख सकेगा ।

एम0 ह्यूएल
रैफसेन्स्ट्रर-19, 8712 वोक्च
हरमन लोन्स-स्टेसे-15
872, स्विचनफर्ट

ह0
ह0

9-1-1985
अपरान्ह 3.20 बजे

उपरोक्त शिकायत पर सरकार की ओर से कार्यवाही की जा रही है।

पुलिस विभाग में ए0एस0आई0 तथा एस0 आई0 की पदोन्नति

159–श्री अकबर हुसैन बाबर तथा श्री अम्बिका सिंह–

पुलिस आफिस के प्रस्तर (191) के अंतर्गत अप्रैल, 1979 से जून, 1982 के बीच कितने लोगों को ए0एस0 आई0 की पदोन्नतियां तथा कितने लोगों को एस0 आई0 (उप निरीक्षक) के पदों की पदोन्नतियां दी गईं ?

श्री वीर बहादुर सिंह–

सूचना अभी एकत्र की जा रही है।

श्री आनन्द शुगर मिल को चलाने के प्रयोजन हेतु स्वीकृत की गई धनराशि तथा कृषकों का बकाया गन्ना मूल्य

160–श्री राम चन्द्र बख्श सिंह–

क्या गन्ना विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या बस्ती जनपद स्थित श्री आनन्द शुगर मिल के कर्मचारियों ने मार्च के अंतिम सप्ताह में सरकार को इस बात की सूचना दे दी है कि मिल मालिक आगामी सीजन में मिल को नहीं चलाना चाहते? यदि हां तो मिल चलाने हेतु शासन ने अब तक क्या प्रभावी कार्यवाही की है?

श्री वीर बहादुर सिंह–

जी हां। मिल की वित्तीय स्थिति को देखते हुए शासन द्वारा उक्त मिल को 35 लाख रुपया का ऋण गन्ना मूल्य भुगतान एवं मिल को चलाने के प्रयोजन हेतु स्वीकृत किया गया और मिल ने वर्तमान पेराई सत्र में दिनांक 16-2-86 से गन्ना पेराई का कार्य प्रारम्भ कर दिया है।

161–**श्री राम चन्द्र बख्श सिंह–**

क्या गन्ना विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि श्री आनन्द शुगर मिल खलीलाबाद, बस्ती के सेवायोजकों ने दिनांक 29 अप्रैल, 85 को सेक्रेट्री केन डेवलपमेन्ट एण्ड शुगर इण्डस्ट्रीज, लखनऊ को पत्र द्वारा यह सूचना दी है कि यदि उन्हें एक करोड़ रुपया कर्ज नहीं दिया जाता तो वह मिल नहीं चलायेंगे? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है?

श्री वीर बहादुर सिंह–

जी हां।

विचारोपरान्त मिल द्वारा मांगी गयी धनराशि देने का औचित्य नहीं पाया गया था।

162–**श्री राम चन्द्र बख्श सिंह–**

क्या गन्ना विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री आनन्द शुगर मिल खलीलाबाद बस्ती पर श्रमिकों व गन्ना किसानों का कितना बकाया तथा सरकार का कितना कर्जा 31 मार्च, 85 तक बाकी था? क्या मंत्री जी यह भी बतायेंगे कि इसकी अदायगी के लिए सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई? क्या गन्ना विकास मंत्री कृपया यह भी बतायेंगे कि क्या सरकार श्री आनन्द शुगर मिल खलीलाबाद बस्ती के अधिग्रहण पर विचार कर रही है? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री वीर बहादुर सिंह–

दिनांक 31-3-85 की स्थिति के अनुसार श्री आनन्द शुगर मिल खलीलाबाद बस्ती पर किसानों का 29.81 लाख रु0 गन्ना मूल्य का 20.25 लाख रु0 ब्याज का बकाया था। इसके अतिरिक्त शासन तथा शक्कर विशेष निधि का 97.62 लाख रु0 ऋण तथा उस पर लगभग 12.55 लाख रु0 ब्याज का बकाया था। शासन तथा निधि के ऋण एवं उन पर देय ब्याज का भुगतान सुनिश्चित करने के लिए सम्बन्धित चीनी मिल की चल अचल सम्पत्ति को बन्धक कराया जा रहा है। श्रमिकों के बकाये की सूचना मिल से प्राप्त नहीं हुई है।

गन्ना मूल्य एवं उस पर ब्याज के बकाये की वसूली के लिए गन्ना आयुक्त द्वारा दिनांक 14-11-85 को वसूली प्रमाणपत्र जारी कर दिया गया है। इस चीनी मिल को अधिग्रहण करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

बुन्देलखण्ड में पेयजल की समस्या के निराकरण हेतु जिलेवार आवंटित धनराशि

163–**कुंवर भानवेन्द्र सिंह–**

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि बुन्देलखण्ड की पेयजल समस्या को हल करने के लिए शासन ने जिलेवार सन् 84-85 में कितना धन आवंटित किया तथा उसमें से कितना धन किन-किन मदों में व्यय किया गया और कितना धन व्यय नहीं किया जा सका और क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह–

बुन्देलखण्ड की पेयजल समस्या को हल करने के लिए वर्ष 1984-85 में

जल निगम द्वारा विभिन्न जनपदों में निम्न धनराशि का आवंटन किया गया:-

जनपद	धनराशि (रु0 लाख में)
1-ललितपुर	51.00
2-झांसी	125.244
3-जालौन	87.10
4-हमीरपुर	188.064
5-बांदा	246.674
योग	698.082

व्यय का विवरण निम्न प्रकार है :-

योजना	व्यय की गयी धनराशि (रु0 लाख में)
1-नागर पेयजल योजना	56.00
2-न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम	308.76
3-त्वरित कार्यक्रम	340.59
4-हरिजन बस्ती (ग्रामीण) पेयजल योजना	13.81
योग :-	719.16

प्रश्न नहीं उठता।

आजमगढ़ में हरिजन समाज कल्याण कार्यालय के मुख्य लिपिक के विरुद्ध शिकायत

164-श्री बलराम यादव-

क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि आजमगढ़ जिले में हरिजन समाज कल्याण कार्यालय में सेवारत मुख्य लिपिक श्री शमीम अहमद के विरुद्ध कितने अपराधिक मामले किन-किन थानों में दर्ज हैं? दर्ज मुकदमों के कारण इनके विरुद्ध अब तक क्या कार्यवाही की गयी? यदि नहीं की गयी, तो क्यों?

श्री वीर बहादुर सिंह-

श्री शमीम अहमद, मुख्य लिपिक हरिजन एवं समाज कल्याण आजमगढ़ के विरुद्ध जनपद आजमगढ़ में कोतवाली थाना जीयनपुर में एक मुकदमा अ0 सं0 9/84 अंतर्गत धारा 147/148/307 भा0 दं0 वि0 पंजीकृत हुआ था। विवेचना में मामला झूठा पाये जाने पर दिनांक 22-1-84 को अंतिम रिपोर्ट लगाई गई।

उ0 प्र0 इलेक्ट्रानिक कारपोरेशन लि0 सरोजनी नगर, लखनऊ में स्थानीय श्रमिकों की संख्या

165-श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त-

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि उ0 प्र0 इलेक्ट्रानिक्स कारपोरेशन लि0, सरोजनीनगर, लखनऊ स्थित समस्त इकाइयों में कार्यरत मजदूरों में लखनऊ जनपद के कितने हैं तथा लखनऊ से बाहर के कितने कर्मचारी हैं (सभी श्रेणियों के कर्मचारियों जिनमें दैनिक मजदूरी वाले कर्मचारी भी शामिल हैं जानकारी अपेक्षित है)? क्या यह सही है कि शासन की नीति स्थानीय व्यक्तियों को नौकरी में प्राथमिकता देने की है? यदि हां, तो इस नीति के अनुसार स्थानीय कर्मचारी की संख्या बढ़ाने हेतु श्रम विभाग क्या प्रयास कर रहा है?

श्री वीर बहादुर सिंह-

सरोजनी नगर, लखनऊ स्थित उ0 प्र0 इलेक्ट्रानिक्स कारपोरेशन लि0, की समस्त इकाइयों में उन पदों पर जिनके वेतनमान का अधिकतम रु0 860 से अधिक नहीं है, लखनऊ जनपद के 163 तथा लखनऊ जनपद से बाहर के 160 कर्मचारी कार्यरत हैं। जी हां। जिन पदों के वेतनमान का अधिकतम रुपया

860/- अथवा उससे कम है, उनमें अवसर की समानता के आधार पर, अन्य बातों के समान रहने की दशा में स्थानीय क्षेत्रों के उपयुक्त अभ्यर्थियों को नियुक्त किये जाने हेतु वरीयता दिये जाने की शासकीय नीति के अनुसार स्थानीय कर्मचारियों को पचास प्रतिशत पद उपलब्ध कराकर उनकी संख्या बढ़ाने का शासन द्वारा यथासम्भव प्रयास किया जाता है।

(12 बज कर 20 मिनट)

प्रश्नों के सम्बन्ध में व्यवस्था का प्रश्न उठाने का प्रयास

श्री अशोक बाजपेयी–

मान्यवर, मेरा प्रश्नों के बारे में एक व्यवस्था का प्रश्न है। आप नियम 38 के अन्तर्गत सुन लें।

श्री अध्यक्ष–

बाजपेयी जी प्रश्नों के सिलसिले में कह रहे हैं, राज किशोर सिंह जी भी कह रहे हैं, आप सब लिख कर भेज दें तो मैं देख लूंगा।

बलिया के द्वाबा क्षेत्र स्थित जय प्रकाश नगर (कोड़रहा नौबरार) के राजकीय चिकित्सालय की मरम्मत की मांग के सम्बंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री अध्यक्ष–

नियम 301 के अन्तर्गत मुझे 20 सूचनायें प्राप्त हुई हैं जिनमें से मैंने 7 को स्वीकार किया है, जिनके नाम इस प्रकार हैं। (1) श्री मैनेजर सिंह, (2) श्री हृदय नारायण दीक्षित, (3) श्री हरेन्द्र सिंह, (4) श्री कौशिक रमाशंकर, (5) श्री सत्यपाल सिंह, (6) श्री राज किशोर सिंह तथा (7) श्री विष्णुदेव।

श्री मैनेजर सिंह–

माननीय अध्यक्ष जी की आज्ञा से अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय को सदन के संज्ञान में लाना चाहता हूं। द्वाबा निर्वाचन क्षेत्र के पूर्व भाग में लोकनायक जयप्रकाश जी की जन्मभूमि जयप्रकाश नगर (कोड़रहा/नौबरार) में स्थित राजकीय चिकित्सालय की दुर्दशा के सुधार हेतु शासन के विवेक को जगाना चाहता हूं। उक्त चिकित्सालय भवन का निर्माण लोकनायक की प्रेरणा से ही जनता के सहयोग से हुआ था। भवन जर्जर हो गया है, लोकनायक की इच्छा थी कि वहां पुरुष और महिला चिकित्सालय भवन निर्माण किया जाय। उक्त चिकित्सालय भवन न बनने से जनता में घोर क्षोभ एवं असंतोष व्याप्त है। अतः ऐसे अविलम्बनीय लोक महत्व के प्रश्न को सदन के संज्ञान में लाना चाहता हूं और शासन से मांग करता हूं कि पुरुष और महिला चिकित्सालय भवन निर्मित कराया जाय।

तहसील पुरवा, उन्नाव की मुंसिफ अदालत से सी0 आर0 पी0 सी0 व आई0 पी0 सी0 के मुकदमों का जिला अदालतों में स्थानान्तरण होने से असुविधा के सम्बंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री हृदय नरायन दीक्षित–

मान्यवर, उन्नाव जिले की पुरवा तहसील सैकड़ों वर्ग हेक्टेयर के क्षेत्रफल व लाखों की जनसंख्या वाली तहसील है। इस केन्द्र पर मा0 मुंसिफ की अदालत काफी समय से चल रही है। लाखों रुपये की लागत से यहां मुंसिफ महोदय की

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

अदालत भी बन चुकी हैं। अगर इस माह इस माननीय अदालत की परिधि में आने वाले सी0 आर0 पी0 सी0 की धारा 125 व आई0 पी0 सी0 के हरिजन अत्याचार वाले मुकदमें जिले की मा0 अदालतों को स्थानान्तरित कर दिये गये हैं, इससे निकट सस्ता न्याय दने की संविधान की व सरकार की मंशा को नुकसान हुआ है। महिलाएं गुजारे के लिये उन्नाव जाने को मजबूर होंगी। अविलम्बनीय लोक महत्व की इस समस्या को आदरणीय सदन के संज्ञान में लाते हुए पूर्ववत् स्थिति बहाल करने की मांग करता हूं।

नगरपालिका, मुजफ्फरनगर में व्याप्त भ्रष्टाचार एवं उसके करों की वसूली के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

* श्री हरेन्द्र सिंह–

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से सदन एवं सरकार का ध्यान इस अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। जनपद मुजफ्फरनगर के अन्तर्गत शहरी नागरिकों जिसमें जिले के सभी राजनैतिक व सामाजिक प्रमुख कार्यकर्ताओं ने सम्मिलित होकर यह निर्णय लिया है कि नगर की सभी सड़कें ध्वस्त पड़ी हैं। नगरपालिका भ्रष्टाचार में लिप्त है। उसकी सारी आमदनी को स्थानीय अधिकारी बैठकर खा रहे हैं। फलतः शहर का सम्पूर्ण कार्य ठप्प पड़ा हुआ है। यही नहीं जनता से वसूली किये जाने वाले हाउज टैक्स व वाटर टैक्स की तरह पिछले से दोगुनी बढ़ा दी है और लम्बी रिश्वतें लेकर उन्हें कम किया जा रहा है जिससे सम्पूर्ण क्षेत्रीय जनता पीड़ित है। यह नगरपालिका में व्याप्त भ्रष्टाचार, जनता से अवैध करों की वसूली तथा निर्माण कार्यों को तुरन्त ध्यान नहीं दिया गया तो तुरन्त नगर-व्यापी हड़ताल प्रारम्भ हो जाएगी और शहर की शांति व्यवस्था को एक गम्भीर खतरा पैदा हो जायेगा। अतः आपके माध्यम से शासन से मांग करता हूं कि इस लोक महत्व की अविलम्बनीय घटना की ओर ध्यान देकर उसके तुरन्त निराकरण की व्यवस्था करें।

गजरौला, मुरादाबाद की 'श्री एसिड्स' खाद के कारखानों की गैस से फसलों की बर्बादी एवं बीमारियां होने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री कौशिक रमाशंकर–

माननीय अध्यक्ष जी, जनपद मुरादाबाद के अन्तर्गत गजरौला में श्री एसिड्स कारखाने की गैस से सैकड़ों एकड़ भूमि की फसल चौपट हो गई है। पशुओं को अनेकानेक बीमारियां हो रही हैं और पशु बीमारी से मर भी रहे हैं। आस-पास के किसानों को अपार क्षति उठानी पड़ रही है। आम के बाग उक्त गैस के कारण सूख रहे हैं। इलाके की जनता में दुख और आक्रोश व्याप्त है। उक्त फैक्ट्री के मालिक ने पर्यावरण को दूषित होने से बचाव की तकनीक और प्रणाली को नहीं अपनाया है। गैस की अशुद्धता को समाप्त करने के लिए आवश्यक संयंत्र नहीं लगाया गया है। काश्तकारों, निवासियों तथा आम के बगीचे वालों की ओर से बार-बार शिकायतें की गईं, किन्तु अभी तक कोई भी उच्च स्तरीय जांच नहीं कराई गई। जिला स्तर के अधिकारी जांच करने जाते हैं तो फैक्ट्री में चन्द

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

घंटे बिताकर वापस चले जाते हैं। नष्ट हुई फसल का निरीक्षण बागों का निरीक्षण अथवा काश्तकारों की दुखभरी दास्तान को कोई नहीं सुनता। मैं आपके माध्यम से शासन से मांग करता हूं कि राज्य स्तर के किसी अधिकारी को मौके पर भेज कर तुरन्त आवश्यक जांच कराएं।

नगरपालिका, शाहजहांपुर में व्याप्त भ्रष्टाचार से जनाक्रोश के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री सत्यपाल सिंह–

मान्यवर, इस समय नगरपालिका शाहजहांपुर में भवन-कर व जलकर के निर्धारण में अधिकारी वर्ग व कर्मचारी खुले तौर से मनमानी कर रहा है। रिश्वत का बाजार गर्म हो रहा है जो भी भवन मालिक कर्मचारियों की जेब गरम करता है उस पर नाम मात्र का निर्धारण होता है, बाकी आवास पर जरूरत से अधिक कर असंगत रूप से कर निर्धारण हो रहा है। वह भी उन कर्मचारियों द्वारा इस निर्धारण के लिए सक्षम नहीं है। जनप्रतिनिधियों के हाथ में नगरपालिका के न होने के कारण इन कर्मचारियों पर कोई अंकुश नहीं है। पूरा मनमानापन छाया हुआ है। जिन मुहल्लों में वाटरपाइप नहीं है, उनमें भी जलकर लगाया जा रहा है।

इस दुर्व्यवस्था से सारे नगरपालिका क्षेत्र की जनता में भीषण आक्रोश व असंतोष व्याप्त है। अतएव सदन के माध्यम से मांग करता हूं कि इन कर निर्धारण को नगरपालिका के चुनाव होने तक के लिए स्थगित कराने की सरकार से मांग करता हूं।

ग्राम सत्तनपुर विकास क्षेत्र सेवापुरी वाराणसी के पास वरुणा नदी पर पुल निर्माण की मांग के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री राजकिशोर सिंह–

मान्यवर, वाराणसी जनपद के विकास क्षेत्र सेवापुरी के अन्तर्गत ग्राम सत्तनपुर के पास वरुणा नदी पर पुल निर्माण के लिये, ग्रामीण जनता लम्बे अर्से से शासन से मांग करती आ रही है। सन्दर्भित नदी के दोनों तरफ सम्पर्क मार्गों का निर्माण हो चुका है। नदी पर पुल निर्माण हो जाने से यह सम्पर्क मार्ग बाईपास मार्ग के रूप में मिर्जापुर वाराणसी जौनपुर जिले तथा इलाहाबाद जनपद को जी0 टी0 रोड से जोड़ते हुये, इस पर पड़ने वाले सैकड़ों गांवों के लिये विकास का मार्ग प्रशस्त करेगा। इस नदी में गर्मी, जाड़े, वर्षा के मौसम में हमेशा पानी भरा रहता है। जिससे घाट पार करना कठिन होता है।

पुल निर्माण न होने से बाइपास मार्ग का उपयोग नहीं हो पा रहा है। जिससे यह क्षेत्र पिछड़ेपन का शिकार है।

पुल निर्माण के प्रति शासन की उदासीनता व उपेक्षापूर्ण रुख से जनता में व्यापक असन्तोष व्याप्त है।

अतएव इस अविलम्बनीय लोक महत्व की सूचना सदन के संज्ञान में लाते हुए, शासन से उल्लिखित नदी पर शीघ्रातिशीघ्र पुल निर्माण की मांग करता हूं।

नत्थूपुर क्षेत्र, आजमगढ़ में खौफनाक नाला अंवरा के जल भराव से क्षति होने तथा नाले की खुदाई की मांग के संबंध में नियम 301 के अंतर्गत सूचना

श्री विष्णुदेव–

मान्यवर, आपके माध्यम से सदन का ध्यान इस अविलम्बनीय लोकमहत्व के प्रश्न माह अक्टूबर, 1985 की बाढ़ एवं भीषण वर्षा के पानी से उत्पन्न भयावह स्थिति की ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि जनपद आजमगढ़ के नत्थूपुर विधान सभा क्षेत्र में एक खौफनाक नाला अंवरा से करीब पचासों गांवों की कई हजार एकड़ भूमि जल भराव से बर्बाद हो गयी और आज भी किसान अपने खेत को नहीं बो पा रहे हैं जिससे भुखमरी की स्थिति के शिकार हो रहे हैं। सैकड़ों लोग जल भराव के कारण अपनी खेती खो बैठे हैं।

किसानों की इस जल भराव की स्थिति की ओर आपका ध्यान आकर्षित करते हुये, मांग करता हूं कि तत्काल इस नाले की खुदाई कराकर किसानों को भुखमरी से बचाने का कष्ट करें।

औचित्य के प्रश्नों की सूचनाएं

श्री अध्यक्ष–

नियम 300 के अन्तर्गत मुझे 7 सूचनाएं प्राप्त हुई हैं। पहली सूचना श्री शतरुद्र प्रकाश जी की है। दूसरी श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त और श्री हरिश चन्द्र हरिश जी की है, तीसरी सूचना सर्वश्री सरदार सिंह रामसरन, बदन सिंह, पारस नाथ यादव और श्री हरेन्द्र सिंह की है। चौथी सूचना श्री किरण पाल सिंह की है। पांचवीं सूचना सर्वश्री राम चन्द्र बख्श सिंह तथा श्री मित्रसेन की है। छठीं सूचना सर्वश्री जगवीर सिंह, सुरेश प्रताप सिंह गांधी, हरेन्द्र सिंह भोपाल सिंह और श्री रिछपाल सिंह बंसल की है और सातवीं सूचना श्री राज किशोर सिंह जी की है।

(श्री राजकिशोर सिंह के खड़े होने पर)।

मैंने आपकी सूचनाओं के बारे में आपसे कहा था कि आप लिखकर दे दीजिये, मैं उसका परीक्षण करा लूंगा। अब आप बैठें, मैं इस समय इसकी अनुमति नहीं देता हूं।

उत्तर प्रदेश के सूचना विभाग द्वारा वितरित डायरी में, संविधान में वर्णित अंशों को संशोधित रूप में प्रकाशित करने तथा उसमें राष्ट्रपति का उल्लेख न किये जाने के सम्बन्ध में, औचित्य का प्रश्न

*श्री शतरुद्र प्रकाश–

मान्यवर, मैं एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न को आपके समक्ष प्रस्तुत करना चाहता हूं। यह सूचना विभाग की तरफ से जो हमको वर्ष 1986 की डायरी दी गयी है, उसमें लिखा है– ''भारतीय गणतंत्र का संकल्प'', इस शीर्षक के अन्तर्गत जो वाक्य लिखे हुए हैं, उसमें है–''हम भारत के लोग, भारत को एक सम्पूर्ण प्रभुत्वसम्पन्न समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष लोकतन्त्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को, सामाजिक, आर्थिक,

*वक्ता ने भाषण का पुनरीक्षण नहीं किया।

और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए, तथा उन सबमें व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखण्डता सुनिश्चित कराने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान-सभा में एतद्द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं।''

इस सम्बन्ध में निवेदन यह है कि जो भारतीय संविधान है, इसमें जो 42 वां संविधान संशोधन हो चुका है, उसके बाद जो भारत सरकार की तरफ से भारत का संविधान, राजभाषा, विधायी विभाग, भारत सरकार द्वारा जनवरी, 1985 में जो प्रकाशित किया गया है उसमें लिखा हुआ है कि ''भारत का संविधान'', शीर्षक है — ''उद्देश्यिका'' इसमें समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने सम्बन्धी बात कही गयी है, ऐसा वाक्य लिखा हुआ है।

मेरा निवेदन है कि भारत के संविधान के लिये संशोधन की एक प्रक्रिया दी हुई है, वह संवैधानिक प्रक्रिया है, कोई भी व्यक्ति या सरकारी विभाग उसमें संशोधन नहीं कर सकता है, लेकिन उत्तर प्रदेश के सूचना विभाग ने भारत के संविधान में संशोधन कर दिया है और ''उद्देश्यिका'' और ''संकल्प'' शब्द का जो अन्तर है, सूचना विभाग ने ''संकल्प'' शब्द रखा है, जब कि जो हिन्दी के जानकार है, उनसे जानकारी कर लें, तो ''उद्देश्यिका'' और ''संकल्प'' में जमीन-असमान का अन्तर है। भारतीय संविधान में ''पंथ निरपेक्ष'' लिखा है, सूचना विभाग ने ''धर्म निरपेक्ष'' कर दिया है।

मैं यह कहना चाहूंगा कि भारत के संविधान में संशोधन करने का अधिकार सूचना विभाग को नहीं है। यह दुर्भाग्य की बात है कि सूचना विभाग ने जो डायरी दी, उसे सदन की कार्यवाही के बीच वितरित करा दिया गया। इसमें राजनीतिक दुर्भावना भी अन्तर्निहित है, केन्द्र की सरकार राष्ट्रपति की उपेक्षा कर रही है, उसे दूरदर्शन में भी नहीं बुलाया जा रहा है। इसी तरह, इस डायरी में राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह का उल्लेख नहीं है। जब कि संविधान के अनुसार प्रदेश के विधायक राष्ट्रपति के चुनाव में मतदाता होते हैं। इस डायरी में केन्द्रीय मन्त्रिपरिषद् और केन्द्रीय प्रधानमन्त्री का जिक्र है लेकिन भारत के राष्ट्रपति का कहीं भी जिक्र नहीं किया गया है।

मैं समझता हूं कि साफ-तौर पर केन्द्र की सरकार की तरह उत्तर प्रदेश की सरकार भी राष्ट्रपति की उपेक्षा कर रही है और जो डायरी प्रकाशित की गयी है, उसमें राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह का उल्लेख नहीं किया गया है। मैं समझता हूं कि सूचना मन्त्री को इस पर इस्तीफा देना चाहिये। जिसने संविधान का उल्लंघन किया है, उसको सजा देने के लिये, आप सदन में बुलायें और मेरी प्रार्थना है कि उसे यहीं पर सजा दी जाय।

संसदीय कार्य राज्य मंत्री (श्री हुकुम सिंह)— माननीय अध्यक्ष जी, जिस कमी का उल्लेख माननीय सदस्य ने किया है भारतीय गणतंत्र के संकल्प का, यह भारतीय संविधान का उद्धरण नहीं है। भारतीय

संविधान में ऐसा नहीं लिखा गया है । यह केवल सूचना विभाग के द्वारा प्रकाशित डायरी है। गणतंत्र का हमारा जो संकल्प है उससे इसकी शब्दावली को बल मिलता है। इससे पूर्व जो भारत का संविधान था 1980 का उसमें नीचे लिखा था प्रस्तावना। हमेशा उद्देशिका ही नहीं लिखा गया है। सूचना विभाग ने हमारे गणतंत्र के विश्वास का बहुत ऐसा अंश लेकर इसमें उसका उल्लेख किया है। जहां तक हमारे सम्मानित सदस्य ने दूसरी पंक्ति का उल्लेख किया है कि दूसरी पंक्ति में लिखा है धर्म-निरपेक्ष । तो आप इसका 1980 का एडीशन देखें, उसमें पहले धर्मनिरपेक्ष था। अब पंथ और धर्म में अंतर हो सकता है इसमें कोई दो राय नहीं है लेकिन इसके अंदर जो भावना है वह पंथ के बराबर ही पड़ती है। इसका आदर्श में, आचरण में संविधान की भावना के प्रतिकूल कोई बात नहीं है।

आपने कहा कि इसमें राष्ट्रपति का उल्लेख नहीं है, तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि क्या इसमें राज्यपाल का उल्लेख है? इसमें तो केवल केन्द्र के और राज्य के मंत्रिमंडल का उल्लेख किया गया है । डायरी में केवल राजनैतिक व्यक्तियों का उल्लेख किया गया है क्योंकि मंत्रिमंडल में बीच-बीच में परिवर्तन होता रहता है। लेकिन राष्ट्रपति तो एक ही है और उसे कौन नहीं जानता है? सबको ही उनके बारे में ज्ञान है क्योंकि उनका एक स्पेसिफिक टर्म होता है। शतरुद्र प्रकाश जी बात को तोड़ने में, बात को तोड़-मरोड़ देने में माहिर हैं, मैं उनका लोहा मानता हूं। लेकिन इस बात के पीछे कोई तर्क नहीं है इसलिये मेरी प्रार्थना है कि इसे समाप्त किया जाय।

श्री शतरुद्र प्रकाश–

मान्यवर, यदि यह भारत के संविधान का उद्धरण नहीं है तो फिर इसमें राष्ट्रीय चिन्ह को अंकित किये जाने का क्या औचित्य है? कभी-कभी कमजोर मुकदमें की वकालत करना उचित नहीं होता है। यह संविधान की गरिमा की बात है। इसमें साफ तौर पर राष्ट्रीय चिन्ह अंकित है। उत्तर प्रदेश का सूचना विभाग राष्ट्र चिन्ह का क्या इस्तेमाल डायरी में कर सकता है? इससे साफ जाहिर है कि इसमें संविधान का उद्धरण उद्धरित किया गया है । संविधान में जिन शब्दों का उल्लेख किया गया है, उन शब्दों का हूबहू उल्लेख किया जाना चाहिये। प्रस्तावना और उद्देश्यिका संविधान में है, उसमें कहीं पर संकल्प नहीं लिखा गया है। मान्यवर, तारीख के बारे में साफतौर से संविधान की लाइनों को खा लिया गया है। उत्तर प्रदेश सरकार ने अपने अफसरों के साथ मिलकर संविधान के साथ अतिक्रमण करने का नहीं लिखा गया है। मान्यवर, तारीख की उपेक्षा की गयी है माननीय मंत्री जी ने बता दिया कि राष्ट्रपति की ही नहीं बल्कि राज्यपाल की भी उपेक्षा की गयी है। तो इस प्रकार से इसमें राष्ट्रपति और राज्यपाल की उपेक्षा की गयी है।

श्री हुकुम सिंह–

मान्यवर, आप देखें कि जहां पर उत्तर प्रदेश शासन लिखा है, उसके आगे गणतंत्र लिखा है क्योंकि यह गणतंत्र से सम्बन्धित है । इसीलिये इसका उल्लेख किया गया है।

श्री मैनेजर सिंह–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि आप इस पर अपनी व्यवस्था सुरक्षित कर लें जो प्रश्न उठाया गया है, उसका आप फारसी में

अनुवाद करा लें, तब इसका आप अध्ययन करें। माननीय मंत्री जी ने जिस ढंग से उत्तर दिया है, वह उनको शोभा नहीं देता है, अगर भूल हो गयी है तो भूल सुधार कर लेना चाहिये। इसमें राष्ट्रीय प्रतीक छपा है और संविधान का जो उदाहरण दिया गया है, उसमें किसी भी शब्द को दूसरे रूप में रखने का अधिकार किसी को नहीं है, यह अवमानना है। मामला बहुत गंभीर है, अगर भूल हो गयी है तो उसको सुधारना चाहिये। आप अध्ययन कर लें तब अपनी इस पर व्यवस्था दें ।

श्री अध्यक्ष–

मैं इस पर अपनी व्यवस्था सुरक्षित करता हूं । सभी मामलों को देखकर अपना निर्णय दूंगा । औचित्य के प्रश्न की बहुत सी सूचनायें माननीय सदस्यों की गिरफ्तारी के बारे में है और इसी विषय पर, इनकी नियम 56 के अंतर्गत सूचनाएं प्राप्त हुई हैं उनको एक ही में शामिल कर लिया जायेगा और सुन लिया जायगा । औचित्य के प्रश्न की सभी सूचनाएं अस्वीकार है ।

कतिपय विधायकों को सत्र के दौरान विधायक निवास, लखनऊ से रात्रि में गिरफ्तार किये जाने के सम्बन्ध में औचित्य के प्रश्न की ग्राह्यता के सम्बन्ध में व्यवस्था का प्रश्न

*श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

माननीय, आप औचित्य के प्रश्न की ग्राह्यता पर सुन लें और जब नियम 56 का समय आयेगा तो हम उस पर भी अपनी बात रखेंगे। आप इसकी ग्राह्यता पर सुन लें।

श्री अध्यक्ष–

मैं नियम 56 के अन्तर्गत उनको ले रहा हूं और उस समय आप सभी को अवसर मिलेगा।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

माननीय, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है, माननीय, हमारी नियमावली में अलग-अलग विषयों को अलग-अलग उठाने की व्यवस्था है। महत्वपूर्ण विषयों को विभिन्न नियमों के अन्तर्गत उठाने का प्राविधान है। नियम 56 अलग है और औचित्य का प्रश्न अलग है, इनका महत्व अलग-अलग है। जब हम औचित्य के प्रश्न के माध्यम से उठाना चाहते हैं तो हमारा तर्क अलग होगा और जब नियम 56 के अन्तर्गत उठाऊंगा तो हमारा तर्क अलग होगा। हम यह बतायेंगे कि औचित्य के प्रश्न को किस बिन्दु पर उठाना चाहता कर दें । अपना निर्णय दे दें । आप मुझे औचित्य के प्रश्न पर सुन लें। और अपने विवेक से ग्राह्य कर दें या अग्राह्य कर दें। अपना निर्णय दें दें। आप नियम 56 के अन्तर्गत फिर सुन लें। हमारा राजनैतिक विरोध हो सकता है, गतिविधियों से विरोध हो सकता है। माननीय, सदन चल रहा है। सदस्य विधान सभा में भाग लेने के लिये तैयारी कर रहे थे और अचानक रात्रि में उनको गिरफ्तार कर लिया गया, विधायक निवास से गिरफ्तार किया गया। माननीय, यह संसदीय औचित्य का प्रश्न है। । माननीय, मेरा निवेदन है कि आप अनुमति दें।

श्री अध्यक्ष–

मैं इस विषय को नियम 56 के अन्तर्गत ले रहा हूं और इसमें मैं स्वीकार नहीं करता हूं।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

(मद संख्या-3 पुकारे जाने पर श्री सरदार सिंह, श्री किरन पाल सिंह, श्री शारदा प्रताप एवं अन्य कई सदस्य सदन के फ्लोर पर आकर शोर करने लगे जिससे सदन में घोर व्यवधान उत्पन्न हो गया)

एक सदस्य–

मैंने इसको लिखकर दिया है आप इसको कैसे नहीं लेंगे?

श्री अध्यक्ष–

मैं इसको नियम 56 के अन्तर्गत ले रहा हूं।

(कई सदस्यों द्वारा जोर-जोर से एक साथ बोलने से व्यवधान)

(श्री राम जनम ने कार्यवृत्त लेखक की मेज पर रखे पत्रादि उठा कर डायस की ओर फेंके)

एक सदस्य–

बगैर आपकी अनुमति के कैसे गिरफ्तार किये गये ?

श्री अध्यक्ष–

मैं इसको नियम 56 के अन्तर्गत लेने को तैयार हूं।

(घोर व्यवधान के मध्य)

मैंने कह दिया कि नियम 56 के अन्तर्गत लूंगा।

श्री हरदेव–

मान्यवर, इन सबको एक हफ्ते के लिए निकालिए।

श्री मित्रसेन–

मान्यवर, आपने स्वयं व्यवस्था दी है कि सदन के चलते कोई भी माननीय सदस्य आपकी आज्ञा के बिना गिरफ्तार नहीं किया जायेगा लेकिन रातोरात माननीय सदस्य गिरफ्तार कर लिये गये । वह भी गिरफ्तारी एकतरफा हुई है ।

श्री अध्यक्ष–

माननीय नेता विरोधी दल, आप कुछ कहना चाहेंगे ।

(नेता विरोधी दल के पुकारे जाने पर सभी सदस्य अपने-अपने स्थान पर वापस चले गये)

श्री मुलायम सिंह यादव–

मान्यवर, इस माननीय सदन के सदस्य एक नहीं, अभी हम लोगों को तो पता नहीं है कि कितने गिरफ्तार हैं और कहां हैं और कब गिरफ्तार किये गये, तो इससे ज्यादा और महत्वपूर्ण कुछ हो नहीं सकता। मेरी प्रार्थना आपसे है कि सबसे पहले आपको सूचना देनी चाहिए थी कि फलां-फलां विधायकों की गिरफ्तारी, किस धारा में और कहां से गिरफ्तारी हुई, तो सबसे पहले आपको, सदन को यह अवगत कराना चाहिए था और जब मान्यवर, यह सवाल उठा तो सबसे पहले आपको सुन लेना चाहिए था। अब मान्यवर, आप देखेंगे कि माननीय सदस्य गिरफ्तार किये गये।

मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि इस सरकार के कोई मंत्री और माननीय नेता सदन को हमसे भी बात कर लेनी चाहिए थी। जब बराबर सदन की भावना थी कि सौहार्द्रपूर्ण वातावरण इस प्रदेश का बना रहे। मान्यवर, 18 फरवरी को माननीय मुख्य मंत्री के यहां बैठक हुई और 21 फरवरी को सारे माननीय सदस्यों को बुलाया सब बातें सौहार्द्रपूर्ण वातावरण में हो गयीं । हमारा सब का सहयोग था कि प्रदेश में सौहार्द्रपूर्ण वातावरण बना रहे। हमारे दल के गिरफ्तार हुए विधायकों से क्या यह आशंका थी कि यह उत्तेजना फैलायेंगे। अगर हमारे दल के लोगों से आशंका थी सरकार को

माननीय नेता सदन को मुझसे बात कर लेनी चाहिए थी, मुझे बताना चाहिए था कि आपके सदस्य उत्तेजना फैला रहे हैं। मान्यवर, आज सबसे ज्यादा लोकदल के लोग गिरफ्तार किये गये हैं, एम0 एल0 सी0 हैं उनको भी गिरफ्तार किया गया है। मुझे यहां नाम नहीं बताया जा रहा है। मुझे पता चला है कि मुहम्मद आजम खां गिरफ्तार हुए हैं, सोते हुए।

श्री अध्यक्ष–

मद 12 में मैं सूचना दे रहा हूं। . . (व्यवधान) सूचना दे रहा हूं। कृपया शांत रहें।

श्री मुलायम सिंह यादव–

मुझे पूरी बात को कह लेने दीजिये।

श्री अध्यक्ष–

आप सूचना चाहते हैं। वह मैं दे रहा हूं।

श्री मुलायम सिंह यादव–

सूचना आप दीजिये। लेकिन मुझे पता है कि हमारे विधायक माननीय मुहम्मद आजम खां साहब सो रहे थे, बुनियाद हुसैन अंसारी सो रहे थे, मोहम्मद गसूद खां सो रहे थे, रात डेढ़-दो बजे की बात है। इसी तरह से वर्का साहब, अब्दुल वहीद कुरेशी, अमीर आलम खां और एक एम0 एल0 सी0 अब्दुल वहीद भी हैं, सब लोग सो रहे थे और 12 बजे के बाद गिरफ्तार किये गये। वे कौन सा हमला करने जा रहे थे? यह मेरा आरोप है कि सारे विधायकों को इस सरकार ने इस प्रदेश में उत्तेजना फैलाने का काम किया है जिससे शांति व्यवस्था भंग हुई है और उसको भंग करने की पूरी कोशिश की गई है। मैं समझता हूं कि इस सरकार द्वारा पूरे उत्तर प्रदेश में हिन्दुओं और मुसलमानों को बांटो और राज करो की साजिश हो रही है। वरना क्या जरूरत है? सारे विपक्ष के लोग इस नापाक साजिश को कामयाब नहीं होने देंगे। सारे विपक्ष के लोग घोषित करेंगे और मेरी प्रार्थना है कि जहां मुसलमान अल्प-संख्यक में हैं और हिन्दू बहुमत में हैं वहां हिन्दू अपनी जान देकर मुसलमानों की जान की रक्षा करेंगे और जहां मुसलमान बहुमत में हैं और हिन्दू अल्प-संख्यक में हैं वहां मुसलमान अपनी जान देकर हिन्दुओं की जान की रक्षा करेंगे। हम इसकी कोशिश करेंगे, लेकिन इस सरकार की नापाक साजिशों को किसी तरह से भी इस प्रदेश में कामयाब नहीं होने देंगे। इसलिये मान्यवर, आप नाम सुनाइये और सरकार को हमारे इन विधायकों को बिना शर्त रिहा कर देना चाहिए। . . . (व्यवधान)

(कुंवर रेवती रमण सिंह का नाम पुकारे जाने पर)

श्री राम सरन–

मान्यवर, एक व्यवस्था का प्रश्न है . . (व्यवधान) (विरोध पक्ष के कई सदस्य एक साथ बोलते रहे)।

यह रोज क्या तमाशा हो रहा है? यह आपने कौन सा तरीका बना लिया है? एक नेता, दूसरे नेता, तीसरे नेता को बुलवा देते हैं। हम काहे के लिये यहां पर आगे हैं? इस हाउस में हम क्यों आये हैं? यह कोई तरीका नहीं है। आज हजरतगंज थाने में हमारी जो बेइज्जती की गई है, उसकी दूसरी मिसाल नहीं है। हम अपने विधायकों की जानकारी करने के लिये थाने में गये थे। वहां पर घंटों खड़े रहे। पुलिस ने हमसे बात नहीं की। हमारे साथ माननीय सरदार सिंह तथा कुछ अन्य माननीय सदस्य थे। हमें बैठने के लिये भी नहीं कहा गया, कोई जानकारी नहीं दी गई कि हमारे कौन-कौन से विधायक गिरफ्तार हुए हैं। आपका

बजट पास हो या न हो। यह जिम्मेदारी हमारी नहीं है । यह आपकी जिम्मेदारी है । लेकिन यह कोई तरीका नहीं है। इसे आप गम्भीरता से नहीं ले रहे हैं ।

श्री अध्यक्ष–

पूरी गम्भीरता से लिया जा रहा है । जो माननीय सदस्य गिरफ्तार हुये हैं वे इस प्रकार हैं--माननीय फजलुल बारी, माननीय फसीउर्रहमान, माननीय मोहम्मद आकिल, माननीय मोहम्मद मसूद खां, माननीय शफीकुर्रहमान बर्क, माननीय बुनियाद हुसैन अन्सारी, माननीय मुहम्मद आजम खां, माननीय अब्दुल वहीद कुरैशी, माननीय अमीर आलम खां तथा माननीय मोहम्मद रिजवानुल हक साहब . . . .

(घोर व्यवधान)

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

मेरा व्यवस्था का प्रश्न है । आप नियम 80 देखने का कष्ट करें।

(कई सदस्य एक साथ बोलने लगे)

श्री शारदा प्रताप--

क्या यह लोग आपकी अनुमति से गिरफ्तार हुये हैं?

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

मान्यवर, नियम 80 देखने का कष्ट करें । उसमें व्यवस्था की गई कि हमारा यह विशेषाधिकार है कि अगर जब कोई माननीय सदस्य गिरफ्तार होंगे तो उनकी सूचना आयेगी।

किस प्रोफार्मा में सूचना आनी चाहिये, वह दिया हुआ है । आपने कुछ नाम पढ़ कर सुना दिये यह पढ़ना ही पर्याप्त नहीं है उसमें दिया है कि किस दंडाधिकारी ने किस धारा के अन्तर्गत गिरफ्तार किया है, उसकी जानकारी होनी चाहिये । यह सरकार हिन्दू और मुसलमानों को जानबूझकर लड़ा-लड़ा कर उत्तेजना पैदा कर हमारे प्रदेश की शांति व्यवस्था भंग करना चाहती है । मैं यह भी कहूंगा कि यह सरकार संसदीय परम्परा का उल्लंघन कर हमारे विशेषाधिकारों का हनन कर रही है । मैं जानना चाहता हूं कि किस दंडाधिकारी ने किस आधार पर क्यों गिरफ्तार किया ? मैं माननीय मुख्य मंत्री जी, गृहमंत्री भी हैं जो शांति व्यवस्था के प्रभारी हैं, उनके खिलाफ विशेषाधिकार अवहेलना की सूचना देता हूं और आरोप लगाता हूं कि हम हिन्दू और मुसलमानों की भावनाओं के साथ जो सौहार्द्रपूर्ण वातावरण में रहना चाहते हैं उभाड़ कर इस तरह से अनियमित और कानून विरोधी गिरफ्तारियां करके सरकार उत्तेजना पैदा करना चाहती है ।

तीसरा इसके साथ ही आपका भी अपमान किया जा रहा है, बेइज्जती की जा रही है । आपने इस पीठ से ही एक व्यवस्था दी थी कि कोई भी सदस्य बिना आपकी अनुमति के गिरफ्तार नहीं किया जायेगा और उसके विरुद्ध एफ0 आई0 आर0 नहीं लिखी जायेगी । मैं पूछना चाहता हूं माननीय वीर बहादुर सिंह जी की सरकार से, संसदीय कार्य राज्य मंत्री से कि क्या आपके निर्देशों का पालन हुआ है और आपसे अनुज्ञा प्राप्त की गयी ? अगर प्राप्त की जाती तो आप हमें बतलाते और बात करते, मैं आपके चरित्र को जानता हूं । आप हमसे कहते यह होने जा रहा है । मैं कहना चाहता हूं कि कोई भी माननीय सदस्य शांति व्यवस्था को भंग करने वाला नहीं है । जानबूझ कर आपकी बेइज्जती की जा रही है । यह तीन बिन्दु जो मैंने रखे हैं उनका उत्तर दिलाने की कृपा करेंगे कि किस दंडाधिकारी ने, किस नियम के अंतर्गत क्यों गिरफ्तार किया है ?

श्री अध्यक्ष–

मैं पूरी सूचना आपको दे रहा हूं।

(व्यवधान)

माननीय राजेन्द्र कुमार गुप्त जी ने सूचना चाही है ।

श्री शतरुद्र प्रकाश–

पहले आप हमको सुन लें ।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

मैंने अर्ज किया जो सूचना आप चाहते हैं वह मैं दे रहा हूं ।

श्री किरन पाल सिंह–

वह हमें मालूम है, हमें दूसरी बात कहनी है ।

(व्यवधान)

कतिपय सदस्यों की गिरफ्तारी की सूचना

श्री अध्यक्ष–

तो क्या सदन आप ही चलायेंगे ?

(व्यवधान)

जब मैंने अनुरोध किया कि जब नियम 56 आयेगा उसके अंतर्गत मैं ले रहा हूं और जो आपकी भावनायें हैं उसमें कह सकते हैं । तो आपको जरा सुनना चाहिये मैं भी आपसे आग्रह कर रहा हूं । माननीय राजेन्द्र गुप्त जी ने जो सूचना मांगी है वह मैं पढ़ देता हूं–दिनांक 24/25-2-86 को रात्रि में द0 प्र0 सं0 की धारा 151, 107, 116, 116/3 के अंतर्गत विधान सभा के सदस्यगण श्री फजलुल बारी, श्री फसीउर्रहमान, श्री मोहम्मद अकिल, मोहम्मद मसूद खां, श्री शफीकुर्रहमान वर्क, बुनियाद हुसैन अन्सारी, मुहम्मद आजम खां, श्री अब्दुल वहीद कुरैशी, श्री अमीर आलम खां, एवं श्री मो0 रिजवानुल हक को लखनऊ में हिरासत में लेकर जिला कारागार उन्नाव में बंदी किया गया है ।

श्री मुलायम सिंह यादव–

यह कहां है ?

श्री अध्यक्ष–

मैंने बताया कि उन्नाव में बंद किया है ।

(व्यवधान)

इसमें मैंने कहा कि नियम 56 के अंतर्गत ले रहा हूं और जो आपकी भावना होगी उसके आधार पर करूंगा ।

(व्यवधान)

श्री मित्रसेन–

मान्यवर, इस गिरफ्तारी के विरोध में मैं सदन त्याग करता हूं ।

(श्री मित्रसेन तथा श्री राम चन्द्र बरन सिंह सदन त्याग कर चले गये ।)

वित्त (बिक्री-कर) अनुभाग–2 की विज्ञप्तियां†

संसदीय कार्य राज्य मंत्री (श्री हुकुम सिंह–

मैं आपकी आज्ञा से वित्त (बिक्री-कर) अनुभाग–2 की दिनांक 1 अक्टूबर, 1985 के असाधारण गजट में प्रकाशित :—

(1) विज्ञप्ति संख्या एस0 टी0-2-6750/दस-6 (1)-85-उत्तर प्रदेश अधि0 15–48 आदेश-85 दिनांक 1 अक्तूबर 1985, एवं

(2) विज्ञप्ति संख्या एस0 टी0-2-6751/दस-6 (1)-85- उ0 प्र0 अधि0-15–48-आदेश-85, दिनांक 1 अक्तू-

†छापी नहीं गयी ।

बर, 1985 को उत्तर प्रदेश बिक्री-कर एक्ट, 1948 की धारा 3-क की उपधारा (2) की अपेक्षानुसार सदन के पटल पर रखता हूं ।

मान्यवर, आपकी आज्ञा से वित्त (बिक्री-कर) अनुभाग-2 की दिनांक 31 अक्तूबर, 1985 के असाधारण गजट में प्रकाशित:--

(3) विज्ञप्ति संख्या-एस0 टी0-7551/दस-7 (23)-83-उ0 प्र0 अधि0-15/48 आदेश-85, दिनांक 31 अक्तूबर, 1985 एवं

(4) विज्ञप्ति संख्या एस0 टी0-2-7552/दस-7 (23)-83 उ0 प्र0 अधि0-15/48-आदेश-85 दिनांक 31 अक्तूबर, 1985 को उत्तर प्रदेश बिक्री-कर एक्ट, 1948 की धारा 3-क की उपधारा (2) की अपेक्षानुसार सदन के पटल पर रखता हूं ।

उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम के षष्ठम वार्षिक लेखे एवं सम्परीक्षा प्रतिवेदन वर्ष 1977-78 †

संसदीय कार्य राज्य मंत्री (श्री हुकुम सिंह)--

मान्यवर, आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम के षष्ठम वार्षिक लेखे एवं सम्परीक्षा प्रतिवेदन वर्ष 1977-78 (1 अप्रैल, 1977 से 31 मार्च, 1978 तक) को सड़क परिवहन निगम अधिनियम, 1950 की धारा 33 की उपधारा (4) की अपेक्षानुसार सदन के पटल पर रखता हूं ।

उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम के सप्तम वार्षिक लेखे एवं सम्परीक्षा प्रतिवेदन, वर्ष 1978-79 †

संसदीय कार्य राज्य मंत्री (श्री हुकुम सिंह)--

मान्यवर, आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम के सप्तम वार्षिक लेखे एवं सम्परीक्षा प्रतिवेदन वर्ष 1978-79 (1 अप्रैल, 1978 से 31 मार्च, 1979 तक) को सड़क परिवहन निगम अधिनियम, 1950 की धारा 33 की उपधारा (4) की अपेक्षानुसार सदन के पटल पर रखता हूं ।

उत्तर प्रदेश अल्प संख्यक आयोग की रिपोर्ट, 1983-84 ††

संसदीय कार्य राज्य मंत्री (श्री हुकुम सिंह)--

मान्यवर, आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश अल्प संख्यक आयोग की रिपोर्ट 1983-84 को सदन के पटल पर रखता हूं ।

उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल (सदस्यों की उपलब्धियां और पेंशन) (पांचवां संशोधन) नियमावली, 1985 †

संसदीय कार्य राज्य मंत्री (श्री हुकुम सिंह)--

मान्यवर, आपकी आज्ञा से संसदीय कार्य अनुभाग-1 की अधिसूचना संख्या-3231 सं/17-1-85-87 (सं)-85, दिनांक 19 नवम्बर, 1985 द्वारा प्रकाशित उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल (सदस्यों की उपलब्धियां और पेंशन) (पांचवां संशोधन

†छापे नहीं गये।

††छापी नहीं गयी।

नियमावली, 1985 को उत्तर प्रदेश साधारण खण्ड अधिनियम, 1904 की धारा 23-क की उपधारा (1) की अपेक्षानुसार सदन के पटल पर रखता हूं ।

(इस समय 1 बजकर 3 मिनट पर उपाध्यक्ष, श्री त्रिलोक चन्द्र पीठासीन हुए)

उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम की 29 वीं वार्षिक रिपोर्ट एवं लेखा विवरण, 1984†

संसदीय कार्य राज्य मंत्री (श्री हुकुम सिंह)–

मान्यवर, आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम की 29 वीं वार्षिक रिपोर्ट एवं लेखा विवरण वर्ष समाप्ति 31 मार्च, 1984 को राज्य वित्तीय निगम अधिनियम, 1951 की धारा 38 की उपधारा (3) की अपेक्षानुसार सदन के पटल पर रखता हूं ।

उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम के वर्ष 1983-84 के लेखा पर महालेखाकार उत्तर प्रदेश द्वारा परीक्षा प्रतिवेदन ††

संसदीय कार्य राज्य मंत्री (श्री हुकुम सिंह)–

मान्यवर, आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम के वर्ष 1983-84 के लेखा पर महालेखाकार, उत्तर प्रदेश द्वारा परीक्षा प्रतिवेदन को राज्य वित्तीय निगम अधिनियम, 1951 की धारा 37 की उपधारा (7) की अपेक्षानुसार सदन के पटल पर रखता हूं ।

उत्तर प्रदेश सहकारी समिति (सत्रहवां संशोधन) नियमावली, 1984 †

संसदीय कार्य राज्य मंत्री (श्री हुकुम सिंह)–

मान्यवर, आपकी आज्ञा से सहकारिता (1) अनुभाग की अधिसूचना संख्या-4410/12 सी-1-85-7 (5)-1985, दिनांक 5 दिसम्बर, 1985 द्वारा प्रकाशित उत्तर प्रदेश सहकारी समिति (सत्रहवां संशोधन) नियमावली, 1985 को उत्तर प्रदेश साधारण खण्ड अधिनियम, 1904 की धारा 23-क की उपधारा (1) की अपेक्षानुसार सदन के पठल पर रखता हूं ।

कतिपय सदस्यों की गिरफ्तारी की सूचना (क्रमागत)

श्री उपाध्यक्ष–

सदस्यों की गिरफ्तारी की सूचना जो थी, वह अध्यक्ष महोदय पढ़ चुके हैं ।

जनपद गाजियाबाद के कस्बा लोनी को नगरपालिका बनाये जाने के संबंध में याचिका

श्री रिछपाल सिंह बंसल–

मान्यवर, आपकी आज्ञा से जनपद गाजियाबाद के कस्बा लोनी को नगरपालिका बनाये जाने विषयक श्री चन्दर सिंह, निवासी जनपद मेरठ तथा श्री सत्य वीर सिंह निवासी गाजियाबाद, द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करता हूं ।

कार्य-मंत्रणा समिति द्वारा समय निर्धारण का प्रस्ताव

श्री उपाध्यक्ष–

मैं नियम 225 के अंतर्गत विधान सभा के दिनांक 25 फरवरी, 1968 से 30 मार्च, 1986 तक के कार्यक्रम के सम्बन्ध में कार्य-मंत्रणा समिति की सिफारिश की सूचना देता हूं ।

उत्तर प्रदेश विधान सभा की कार्यमंत्रणा समिति ने अपनी दिनांक 24 फरवरी, 1986 की बैठक में सदन के दिनांक 25 फरवरी, 1986 से 30 मार्च, 1986 तक के उपवेशनों के पूर्व निर्धारित कार्यक्रम को निम्नलिखित संशोधित रूप में लिये जाने की सिफारिश की है :–

†छापी नहीं गयी ।

††छापा नहीं गया ।

फरवरी, 1986

25	मंगलवार	..	वित्तीय वर्ष 1986–87 के आय-व्ययक पर सामान्य चर्चा (अन्तिम दिन)।
26	बुधवार	..	वित्तीय वर्ष 1986–87 के आय-व्ययक की मांगों पर मतदान।
27	गुरुवार	..	(1) वित्तीय वर्ष 1986–87 के आय-व्ययक की मांगों पर मतदान। (2) उत्तर प्रदेश मोटर स्प्रिट, डीजल आयल तथा अल्कोहल बिक्री कराधान (संशोधन) विधेयक, 1986 पर विचार एवं उसका पारण––आधा घण्टा।
28	शुक्रवार	..	(1) वित्तीय वर्ष 1986–87 के आय-व्ययक की मांगों पर मतदान। (2) गन्ना किसानों में व्याप्त असन्तोष के सम्बन्ध में मा0 श्री राम सरन तथा अन्य सदस्यगण द्वारा दी गयी सूचना पर चर्चा––एक घण्टा।

मार्च, 1986

1	शनिवार	..	पूर्वाह्न 11.00 बजे से (क) निम्नलिखित विधेयकों पर विचार एवं उनका पारण––डेढ़ घण्टा। (1) उत्तर प्रदेश सहकारी समिति (संशोधन) विधेयक, 1986। (2) उत्तर प्रदेश अधिकतम जोत सीमा आरोपण (संशोधन) विधेयक, 1986। (ख) वित्तीय वर्ष 1986–87 के आय-व्ययक की मांगों पर मतदान।
2	रविवार	..	बैठक नहीं होगी।
3	सोमवार	..	(1) वित्तीय वर्ष 1986–87 के आय-व्ययक की मांगों पर मतदान। (2) उत्तर प्रदेश विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण विधेयक, 1986 पर विचार एवं उसका पारण––आधा घण्टा।
4	मंगलवार	..	(1) वित्तीय वर्ष 1986–87 के आय-व्ययक की मांगों पर मतदान। (2) उत्तर प्रदेश शोरा नियन्त्रण (संशोधन) विधेयक, 1986 पर विचार एवं उसका पारण––आधा घण्टा।
5 6 7	बुधवार गुरुवार शुक्रवार	..	वित्तीय वर्ष 1986–87 के आय-व्ययक की मांगों पर मतदान।
8 9	शनिवार रविवार	..	बैठक नहीं होगी।

10	सोमवार		
11	मंगलवार	)	
12	बुधवार		.. वित्तीय वर्ष 1986–87 के आय-व्ययक की मांगों पर मतदान ।
13	गुरुवार	)	
14	शुक्रवार		
15	शनिवार	)	
16	रविवार		.. बैठक नहीं होगी ।
17	सोमवार	)	.. वित्तीय वर्ष 1986–87 के आय-व्ययक की मांगों पर मतदान ।
18	मंगलवार	)	
19	बुधवार		.. (1) वित्तीय वर्ष 1986–87 के आय-व्ययक की मांगों पर मतदान । (2) 5 बजे अपराह्न : वित्तीय वर्ष 1985–86 के द्वितीय अनुपूरक अनुदानों का प्रस्तुतीकरण ।
20	गुरुवार		.. वित्तीय वर्ष 1985–86 के द्वितीय अनुपूरक अनुदानों पर सामान्य चर्चा, मांगों पर मतदान तथा तत्सम्बन्धी विनियोग विधेयक का सदन की अनुज्ञा से पुर:स्थापन, उस पर विचार एवं उसका पारण ।
21	शुक्रवार	)	.. वित्तीय वर्ष 1986–87 के आय-व्ययक की मांगों पर मतदान ।
22	शनिवार	)	
23	रविवार		.. बैठक नहीं होगी ।
24	सोमवार		.. (1) वित्तीय वर्ष 1986–87 के आय-व्ययक की मांगों पर मतदान । (2) 4 बजे अपराहन से उत्तर प्रदेश विनियोग विधेयक, 1986 का सदन की अनुज्ञा से पुर:स्थापन, उस पर विचार एवं उसका पारण ।
25	मंगलवार	)	
26	बुधवार		
27	गुरुवार		.. बैठक नहीं होगी ।
28	शुक्रवार		
29	शनिवार		
30	रविवार	)	

संसदीय कार्य राज्य मंत्री (श्री हुकम सिंह)–

माननीय, आपकी आज्ञा से मैं प्रस्ताव करता हूं कि यह सदन कार्य मंत्रणा समिति की सिफारिश से, जिसकी सूचना आज अभी श्री उपाध्यक्ष महोदय द्वारा सदन में दी गई है, सहमत है ।

श्री उपाध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि यह सदन कार्य मंत्रणा समिति की सिफारिश से जिसकी सूचना श्री उपाध्यक्ष द्वारा सदन में दी गई है, से सहमत है ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

प्रदेश में आलू की फसल में झुलसा रोग लगने से क्षति होने के संबंध में वक्तव्य

कृषि मंत्री (चौधरी नरेन्द्र सिंह)–

आलू में झुलसा की बीमारी...

श्री उपाध्यक्ष--

कहें तो इसे पढ़ा हुआ मान लिया जाए।

(सदन की सहमति से वक्तव्य पढ़ा हुआ मान लिया गया)

चौधरी नरेन्द्र सिंह–

[एक फफूंदी है जिसका वैज्ञानिक नाम फाइटाथोरा इन्फैस्टांस है, के बीजाणुओं द्वारा फैलता है उत्तर प्रदेश में आलू की खेती लगभग पूरे वर्ष होती है। पर्वतीय क्षेत्रों में आलू की बुआई जनवरी से मार्च तक होती है मैदानी अंचलों में अक्टूबर नवम्बर में बोया जाता है। इसकी फसल फरवरी से मार्च तक तैयार होती है। इस प्रकार फफूंदी के बीजाणु बराबर वायुमण्डल में बने रहते हैं जो अनुकूल तापक्रम आद्रता, बदली भरा मौसम मिलने पर बीमारी को तेजी से फैलाते हैं। पौधों में बीमारी का प्रकोप हो जाने पर जो क्षति पत्तियों, तनों आदि में हो चुकी होती है उसको किसी भी उपचार से पुनः जीवित अथवा पूरा नहीं किया जा सकता है। बचावात्मक (प्रोफाइलैक्टिव) रासायनिक उपचार करने से बीमारी को मात्र बढ़ने से रोका जा सकता है। साथ ही फफूंदी नाशक रसायन छिड़कने के बाद, यदि वर्षा अथवा फुहार पड़ती है तो रसायन का प्रभाव कम अथवा समाप्त हो जाता है और बीमारी को बढ़ने का अवसर मिल जाता है। आलू का झुलसा, एक ऐसी बीमारी है जो बड़ी तेजी से महामारी का रूप धारण कर लेती है और तीव्रता से 72 घन्टे में ही पूरी फसल झुलस जाती है। इस घातक फफूंदी की कई उप प्रजातियां (रेसेज) होती है और इस बार एक ऐसी रेस का प्रकोप बढ़ा जिसने पहले तने को प्रभावित किया। सामान्यतः झुलसा बीमारी में पहले पत्तियां प्रभावित होती है और पत्तियों के बाद तना तथा कन्दों पर प्रभाव होता है।

इस वर्ष दिसम्बर के दूसरे सप्ताह में बीमारी फैलाव के अनुकूल स्थिति बदली एवं हल्की वर्षा, वातावरण में आद्रता, बीच-बीच में धूप निकलना पैदा हुई जिसके कारण बीमारी का प्रकोप प्रदेश के पश्चिमी जनपदों मुरादाबाद, रामपुर, बरेली, मेरठ आदि में पहले प्रारम्भ हुआ।

इस बीमारी में आलू के केन्द्र भी प्रभावित होते हैं। झुलसे से प्रभावित आलू के कन्दों को शीतगृह में भण्डारण करना उपयुक्त नहीं है क्योंकि प्रभावित कन्द शीतगृह के ठण्डे तापक्रम से तो खराब नहीं होते हैं किन्तु जब शीतगृह से निकाले जाते हैं तो वे खराब होने आरम्भ हो जाते हैं।

बीमारी का प्रभाव आरम्भ होते ही शासन ने समस्त जिलाधिकारियों, कृषि एवं उद्यान विभाग के अधिकारियों को इस बीमारी को आगे बढ़ने से रोकने के लिये युद्ध स्तर पर कार्यवाही करने के आदेश दिये। झुलसा की बीमारी की रोकथाम के लिए उपयुक्त रसायन डायथेन एम-45 तथा जिरम का छिड़काव कराया गया बाढ़ एवं अतिवृष्टि से प्रभावित जनपदों में लघु एवं सीमांत कृषकों को शत प्रतिशत अनुदान पर रुपया 2,04,844.33 के कृषि रक्षा रसायन उपलब्ध कराये गये। तीनों कृषि विश्वविद्यालयों के

[नोटः–] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

वैज्ञानिकों ने अपने क्षेत्र में फसल का सर्वेक्षण किया और कृषकों को उपचार करने हेतु सलाह दी। समाचार पत्रों, आकाशवाणी तथा दूरदर्शन से भी व्यापक प्रचार करवाया गया कि 'कृषक अपनी फसल को बचाव हेतु बचावात्मक छिड़काव करा सकें।

पूरे प्रदेश में 41,910 हैक्टर में झुलसे का प्रकोप हुआ है और 45,194 हैक्टर में बचवात्मक उपचार कराया गया है।

शासन ने कृषकों के हितों को ध्यान में रखते हुए और बाजार भावों को स्थिर रखने के लिये मार्केट इन्टरवेंशन योजना के अंतर्गत इस वर्ष 60,000 टन आलू का क्रय प्रदेश के 36 जनपदों में 133 क्रय केन्द्र खोलकर क्रय करने की व्यवस्था की है। इस वर्ष आलू का क्रय नैफेड, पी0 सी0 एफ0, एग्रो तथा हार्टिकों संस्थाओं को सौंपा गया है जबकि गत वर्ष दो संस्थाओं नैफेड और पी0 सी0 एफ0 द्वारा प्रदेश के 19 जनपदों में 67 आलू क्रय केन्द्र खोलकर लगभग 18,500 टन आलू का क्रय किया गया था।

जनपदवार आलू के क्रय की जाने वाली मात्रा का विवरण निम्नवत् है:—

क्रम-सं0	जनपद का नाम	क्रय केन्द्र की संख्या	आलू के क्रय की जाने वाली मात्रा टन में
1	2	3	4
अ—पी0सी0एफ0			
1—फर्रुखाबाद	..	9	4500
2—उन्नाव	..	2	500
3—हरदोई	..	2	500
4—सीतापुर	..	2	500
5—रायबरेली	..	3	1000
6—मथुरा	..	4	1000
7—आगरा	..	5	2000
8—इटावा	..	6	2000
9—मैनपुरी	..	4	2000
10—एटा	..	3	1000
11—मुजफ्फरनगर	..	2	1000
12—कानपुर	..	3	1000
13—बाराबंकी	..	4	1500
14—इलाहाबाद	..	2	500
15—जौनपुर	..	3	1000
	योग ..	54	20,000

1	2	3	4
ब—नैफेड			
	1—अलीगढ़	4	2500
	2—रामपुर	4	1500
	3—बरेली	5	2500
	4—बदायूं	5	3500
	5—बुलन्दशहर	5	3500
	6—मुरादाबाद	3	1500
	7—फर्रुखाबाद	5	5000
	योग	31	20,000
स—हार्टिको			
	1—गाजियाबाद	5	3000
	2—मेरठ	4	3000
	3—लखनऊ	3	1500
	4—फर्रुखाबाद	3	2500
	योग	15	10,000
द—एग्रो			
	1—फर्रुखाबाद	3	1500
	2—गोण्डा	2	500
	3—वाराणसी	3	1000
	4—देवरिया	3	500
	5—बस्ती	3	1000
	6—आजमगढ़	2	500
	7—मिर्जापुर	2	500
	8—प्रतापगढ़	2	500
	9—बलिया	2	500
	10—फैजाबाद	3	1000
	11—सहारनपुर	2	500
	12—गोरखपुर	3	1000
	13—सुल्तानपुर	3	1000
	योग	33	10,000
	महायोग	133	60,000

अभी आलू के बाजार भाव अच्छे चल रहे हैं। विभिन्न प्रमुख मन्डियों के बाजार भाव संलग्न हैं और व्यापारी लोग आलू की खरीदारी कर रहे हैं और कृषकों को मण्डी में उनके उत्पाद का उचित मूल्य मिल रहा है।

समस्त जिलाधिकारियों को आदेशित कर दिया है कि वे शीतगृहों में कृषकों के आलू का भण्डारण करायें।

इस प्रकार से शासन पूरी तरह से सजग रहा है और किसानों के हितों की रक्षा की जाती रही है।

(देखिए नत्थी 'ग' आगे पृष्ठ 165 पर)

मुरादाबाद स्थित ग्राम गनीमतनगर के खेड़े के समीप नदी में एक महिला की लाश पाये जाने के संबंध में होने वाले वक्तव्य का स्थगन

श्री उपाध्यक्ष–

मद संख्या 16(2) मंत्री जी की प्रार्थना पर स्थगित कर दिया गया है, इसको बाद में ले लेंगे । क्योंकि मंत्री जी को विधान परिषद् में जाना है।

उत्तर प्रदेश शीरा नियंत्रण (संशोधन) विधेयक, 1986†

प्राविधिक शिक्षा राज्य मंत्री (श्री चेतराम गंगवार)–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश शीरा नियंत्रण (संशोधन) विधेयक, 1986 को पुर:स्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मांगता हूं।

श्री उपाध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश शीरा नियंत्रण (संशोधन) विधेयक, 1986 को पुर: स्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा प्रदान की जाए।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री चेतराम गंगवार–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश शीरा नियंत्रण (संशोधन) विधेयक, 1986 को पुर:स्थापित करता हूं।

उत्तर प्रदेश विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण विधेयक, 1986†

नगर विकास राज्य मंत्री (श्रीमती पद्मा सेठ) –

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण विधेयक, 1986 को पुर:स्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा प्रदान की जाए।

श्री उपाध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण विधेयक, 1986 को पुर:स्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा प्रदान की जाए।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्रीमती पद्मा सेठ–

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से उत्तर प्रदेश क्षेत्र प्राधिकरण विधेयक, 1986 को पुर:स्थापित करती हूं।

उत्तर प्रदेश मोटर स्प्रिट, डीजल आयल तथा अल्कोहल बिक्री-कराधान (संशोधन) विधेयक, 1986††

प्राविधिक शिक्षा राज्य मंत्री (श्री चेतराम गंगवार)–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश मोटर स्प्रिट, डीजल आयल तथा अल्कोहल बिक्री कराधान (संशोधन) विधेयक, 1986 को पुर:स्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मांगता हूं।

श्री उपाध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश मोटर स्प्रिट, डीजल आयल तथा अल्कोहल बिक्री कराधान (संशोधन) विधेयक, 1986 को पुर:स्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा प्रदान की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

---

†दिनांक 28 फरवरी, 1986 के असाधारण गजट के विधायी परिशिष्ट में छपा है।

††दिनांक 27 फरवरी, 1986 के असाधारण गजट के विधायी परिशिष्ट में छपा है।

श्री चेतराम मंगवार–

माननीय, मैं आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश मोटर स्प्रिट डीजल आयल तथा अल्कोहल बिक्री कराधान (संशोधन) विधेयक, 1986 को पुर:स्थापित करता हूं।

औचित्य के प्रश्नों की सूचना देने वाले सदस्यों का नाम कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचनाओं में सम्मिलित किये जाने की मांग

श्री उपाध्यक्ष--

मद सं0 23, अब मैं आपके सामने उसमें के नाम पढ़े देता हूं . .

श्री राम सरन--

मैं आपकी व्यवस्था चाहता हूं । अभी हम लोगों ने स्पीकर के सामने इस मामले को नियम 300 में उठाया था तो उन्होंने कहा था कि आप इसे काम रोको में दे दीजिए, तो आप इन नामों के साथ एक बार फिर नियम 56 ले लें।

श्री उपाध्यक्ष--

नियम 300 वाले नामों को इसमें शामिल कर लिया जाए? इनके नामों को नियम 56 वाले नामों में जोड़ लिया जाए?

श्री राम सरन--

जी हां।

श्री उपाध्यक्ष--

ठीक है, जोड़ लिया जायगा। अब जो सूचनाएं माननीय सदस्यों की गिरफ्तारी के बारे में जिन सदस्यों ने दी हैं, उनके नाम हैं सर्वश्री कौशिक रमाशंकर, राम सरन, सरदार सिंह, हरेन्द्र सिंह, गोपाल दास यादव और रिछपाल सिंह ।

श्री शतरुद्र प्रकाश–

इस संबंध में हमने भी एक सूचना दी है।

श्री उपाध्यक्ष–

मैं नियम 300 के भी नाम, बाद में पढ़ दूंगा, अभी वे नाम हमारे पास नहीं हैं।

श्री राम सरन –

माननीय, मुझे सुन लें ।

श्री उपाध्यक्ष –

मैंने कह दिया कि मैं नाम जोड़ दूंगा। इस समय नाम मेरे पास नहीं है । जिनके नाम 300 में है उनके नाम 56 में जोड़ दूंगा ।

श्री फरीद महफूज किदवई –

उपाध्यक्ष महोदय, मेरी बात भी सुन लें ।

श्री उपाध्यक्ष –

जिनके नाम 300 में हैं उनके नाम जोड़ने की बात है । सबके नाम जोड़ने की बात नहीं है ।

श्री राम सरन –

माननीय, एक-एक मिनट सबको दे दी जिये ।

[समय 1.08 मिनट]

कार्य स्थगन प्रस्तावों की सूचनाएं

श्री उपाध्यक्ष –

नियम 56 में जो सूचनाएं आयी हैं उन सबको पढ़ दूं उसके बाद आपको सुनूंगा। मैं पहले बता दूं कि किसकी कौन सी सूचना है उसके बाद आप कहना शुरू करें।

माननीय कौशिक रमाशंकर की कार्य स्थगन की सूचना मा0 विधायकों की गिरफ्तारी के बारे में है । श्री राम सरन, श्री सरदार सिंह, श्री हरेन्द्र सिंह, श्री गोपाल दास यादव, श्री रिछपाल सिंह की भी सूचना इसी विषय पर है । श्री सत्य प्रकाश विक्कल की सूचना जल संस्थान आगरा को विद्युत आपूर्ति के अभाव में जल संकट के

संबंध में है । श्री गौरी शंकर भइया की सूचना बांदा में दस्यु गिरोह द्वारा 6 व्यक्तियों का अपहरण किये जाने से संबंधित है। श्री सूर्य प्रताप शाही की सूचना भी इसी विषय पर है। श्री कमलेश कुमार पाठक, श्री शतरुद्र प्रकाश, श्री बाबूराम यादव, श्री महाराज सिंह, श्री गया प्रसाद वर्मा की सूचना इटावा की लोकदल की कार्यकर्त्री श्रीमती कमला देवी के लापता होने के संबंध में है। श्री औसान सिंह की सूचना ओला वर्षा से फसल चौपट होने के संबंध में है । श्री राम गोविन्द चौधरी और श्री राकेश धर त्रिपाठी की सूचना फतेहपुर जिले में चार व्यक्तियों की हत्या किये जाने के संबंध में है । श्री राम नरेश, श्री शारदा प्रताप, श्री देव कुमार यादव, श्री किरनपाल सिंह की सूचना भी इसी विषय पर है। श्री हरिश्चन्द्र-हरीश जी की सूचना बस्ती में पुलिस की गोली वर्षा से एक यूवक की मृत्यु के बारे में है । श्री सत्यपाल सिंह की सूचना भी इसी विषय पर है । कुंवर रेवती रमण सिंह, श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी, श्री कमल किशन पाण्डेय की सूचना इलाहाबाद में दो व्यक्तियों की हत्या के संबंध में है । श्री सुखपाल पाण्डेय, श्री दिवाकर विक्रम सिंह, श्री मलिक मोहम्मद कमाल यूसुफ, श्री माता प्रसाद पाण्डेय की सूचना गोविन्दराम सकसरिया शुगर मिल, गोंडा पर किसानों का बकाया होने के संबंध में है। श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त की सूचना सीतापुर बाजार में यूवक की हत्या होने के संबंध में है । श्री अशोक बाजपेयी की सूचना सेतु निगम में व्याप्त भ्रष्टाचार के बारे में है। श्री बदन सिंह और श्री विजय सिंह की सूचना आगरा में पुलिस द्वारा एक नागरिक की हत्या के बारे में है । श्री शारदानंद अंचल एवं श्री बलराम यादव की सूचना 6-12-85 को बलिया जनपद में हरिजनों की हत्या के संबंध में है । श्री भगवती सिंह, श्री शतरुद्र प्रकाश, श्री मनोहर लाल की सूचना लखनऊ महोत्सव के दौरान विश्व विद्यालय के छात्रों की गिरफ्तारी के बारे में है । श्री राजकिशोर सिंह की सूचना बनारस में पुलिस द्वारा घरों में घुसकर मारपीट करने के बारे में है । आखिरी सूचना श्री अवधेश प्रसाद जी की फैजाबाद में कुत्ता काटने की दवा के अभाव के बारे में है । तो यह जो 22 सूचनाएं प्राप्त हुई हैं उसमें पहली सूचना मा0 विधायकों की गिरफ्तारी से संबंधित है ।

श्री राम सरन –

मान्यवर, गत रात्रि में....

श्री कौशिक रमा शंकर–

मान्यवर, कार्यस्थगन की या पहले 300 की बात सुनेंगे ।

श्री उपाध्यक्ष –

मैं आपको बुलवा लूंगा । विधायकों की गिरफ्तारी का मामला है । सब बोल लेंगे ।

श्री राम सरन –

मान्यवर, गत रात्रि में, माननीय विधायक अपने-अपने निवास पर सो रहे थे तो उन सभी को रात्रि में उनके निवास से गिरफ्तार कर लिया गया । अभी पता नहीं है कि उनको कहां रखा गया है ? जब शुबह पता लगा कि 2-3 आदमी गिरफ्तार हुए हैं तो मैं और माननीय सरदार सिंह, माननीय हरेन्द्र, हम तीनों हजरतगंज थाने गये । वहां पर पूछा तो मालूम हुआ कि माननीय मुहम्मद आजम खां, मा0 अमीर आलम और माननीय वर्क साहब को पकड़ा गया है । यह जानकारी विधायकों के दो शैडो ने दी जो वहां मौजूद थे । जो आदमी वहां था उसने जवाब नहीं दिया । हम लोग खड़े रहे हमने कहा कि इंसपेक्टर से मिलवा दीजिये । तो उसने कहा कि इन्सपेक्टर साहब तमाम रात जागते रहे हैं इस समय सो रहे हैं । तो हमने कहा जगा दीजिये। उसने जवाब दिया, हम तो नहीं जगा

सकते । हम आधे घंटे परेशान रहे । किसी आदमी ने नहीं कहा कि आप विधायक हैं, आप कुर्सी पर बैठें । चूंकि मान्यवर, वहां पर पुलिस बहुत मौजूद थी, सब इन्सपेक्टर के अलावा कोई सी0 ओ0 भी होगा लेकिन किसी ने कोई जवाब नहीं दिया । तो हम लोगों ने कहा कि सदन तो चल ही रहा है, हाउस में देखेंगे । लेकिन यहां पर पता लगा कि हमारे 9 मा0 सदस्य, जो कल हमारे साथ यहां 6 बजे तक बैठे हुए थे, गिरफ्तार कर लिए गये, जिनमें सर्वश्री अमीर आलम खां, बुनियाद हुसैन अन्सारी, अब्दुल वहीद कुरैशी, मुहम्मद आजम खां, मोहम्मद मसूद खां, फरीउर्रहमान (उर्फ मुन्नन खां), फजलुल बारी, अब्दुल वदूद खां तथा श्री शफीकुर्रहमान वर्क आदि को बिना किसी जुर्म के, बिना किसी बात के रात के सोते में ही गिरफ्तार कर लिया गया । इनके शैडो भी हम लोगों से मिले, उनको भी उनके साथ नहीं जाने दिया गया और उनसे यह कहा गया कि कुछ बातें करने के लिए ले जा रहे हैं । तो मान्यवर, जो आपका सदन चल रहा है, सदन के चलते समय किसी भी विधायक को गिरफ्तार नहीं किया जा सकता है, बगैर आपकी सूचना के जो मान्यवर, किसी भी तरह से वैधानिक नहीं हो सकता है ।

मान्यवर, इस सिलसिले में मा0 नेता विरोधी दल से भी बातचीत हुयी रात भर, दूसरे अन्य सदस्यगण भी परेशान रहे लेकिन कोई जानकारी नहीं मिली और मान्यवर, मुझे मालूम हुआ कि आप भी जानकारी करते रहे, लेकिन कोई सूचना आपको भी नहीं मिली कि यह लोग कहां हैं और कैसे हैं ? मान्यवर, मा0 संसदीय कार्य राज्य मंत्री जी यहां बैठते हैं, जो हर ऐसे प्रश्न पर यही बात कहते हैं कि हम सभी विधायकों का सम्मान करेंगे, तो यह सम्मान मान्यवर, इनका कहां गया और ऐसा सम्मान इनका कब तक हम लोगों के साथ चलेगा । जो चीज हम लोग नहीं चाहते थे, वह यह लोग करना चाहते हैं, इसकी जिम्मेदारी इन्हीं लोगों पर है, हम लोगों की नहीं है क्योंकि ऐसे मामले हम लोग काम रोको प्रस्ताव में भी नहीं आने देते थे लेकिन मान्यवर, अब यह मजबूर कर रहे हैं । हम लोग इस सिलसिले में बड़े धैर्य से काम लेते रहे और लोगों को समझा-समझा कर रखते रहे, सिर्फ प्रदेश के हित में, प्रदेश की 12 करोड़ जनता के हित में, इनके हित में नहीं ।

मान्यवर, मसूद खां जैसे आदमी, जो किसी से, किसी भी मामले में बिल्कुल बोलते नहीं और श्री अमीर आलम खां इन लोगों को मान्यवर, आप शक्ल देख लें जिनके चेहरे से मुसलमान या हिन्दू के फर्क का भी पता नहीं चलता कुछ कहा नहीं जा सकता है पहचाने नहीं जा सकते हैं और यह लोग तो शायद नमाज भी कभी-कभी ही पढ़ते हैं तो ऐसे-ऐसे लोगों को इन लोगों ने न मालूम किस जुर्म में बंद कर दिया है, मान्यवर, इस तरह से तो यह हुआ कि यह जब चाहें किसी को भी फांसी पर चढ़ा दें इसलिए मान्यवर, आज सदन का कार्य रोक कर इस पर चर्चा कराई जाए क्योंकि इससे और महत्वपूर्ण मामला कोई नहीं हो सकता है ।

श्री कौशिक रमा शंकर–

मान्यवर, अनेक विधायक रात के सोते समय गिरफ्तार कर लिए गये, जिसकी सूचना अध्यक्ष पीठ से यह दी गयी कि वह शान्ति भंग कर रहे थे, इस पर उन्हें गिरफ्तार किया गया है। तो मान्यवर, जरा आप भी विचार कर लें कि रात में सोते समय इनकी शांति कहां पर भंग हो रही थी (हंसी)

मान्यवर, एक ऐसा वातावरण इस सरकार ने बना दिया है जो बहुत ही चिन्ता का विषय है। मान्यवर, यह मेरी निश्चित सूचना है जो सही भी है कि यह सारे के सारे विधायक जो रात में गिरफ्तार किये गये हैं, विधान सभा की बैठक में कल भाग लेने के लिए उपस्थित थे और रात में उन्हें बंद कर दिया गया । मान्यवर, आपको या अध्यक्ष जी को इस बात की कोई सूचना नहीं दी गयी । मान्यवर, यह निश्चित बात है कि जब विधान सभा का सत्र चल रहा हो, तो माननीय विधायकों का आवास आप ही के संरक्षण में रहता है । मान्यवर, असेम्बली चल रही है, और माननीय विधायकों को असेम्बली में हिस्सा न लेने देना भी अपराध है । मान्यवर, रात के अंधेरे में 1-2 बजे बिना आपकी अनुमति के गिरफ्तार करना बिल्कुल अनियमित है । मान्यवर, इतना ही नहीं, सभी जो हमारे मुसलमान विधायक हैं, उनके घरों पर रात भर पुलिस दौड़ लगाती रही । मान्यवर, 3-4 बजे रात तक इनके घरों पर बराबर पुलिस ने धावा बोला । मान्यवर, जो हमारा कार्यालय वहां पर है, वहां पर इनको धमकाया भी गया । तो मान्यवर, हमारा आपसे अनुरोध है कि इस निश्चित विषय पर, जो लोक महत्व का विषय है, जो हमारे मान और मर्यादा का विषय है, इस पर सदन का कार्य रोक कर चर्चा करवायें ।

श्री हरेन्द्र सिंह–

माननीय उपाध्यक्ष जी, आपकी आज्ञा से मैं एक अत्यन्त लोक महत्व एवं गम्भीर प्रकरण की ओर आप का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं । मान्यवर, उधर के बैठे लोगों के इशारे पर इस सम्मानित सदन के माननीय सदस्यों को रात्रि के समय, जिस समय माननीय सदस्य अपने सरकारी आवास में सोये हुए थे, पुलिस वहां पर पहुंची, पचासों की संख्या में वहां पर पुलिस पहुंची थी । मान्यवर, मुझे माननीय अमीर आलम खां की गिरफ्तारी के संबंध में जानकारी है कि रात्रि में उनके घर पर पुलिस पहुंची, माननीय सदस्य बुखार से बीमार थे । दो सिपाही उनके घर में घुसे, और वहां पर माननीय सदस्य के घर पर उनके रसोइया ने दोनों सिपाहियों से कहा कि वह बीमार हैं, पुलिस उनके घर में अन्दर घुस गयी और कहा कि आपको एस0एस0पी0 साहब ने बुलाया है, उनके रसोइये ने पुलिस से पुन: कहा कि वह बीमार हैं, परन्तु पुलिस के लोग उनको बलात उठा ले गये ।

मान्यवर, इस तरह से, इससे ज्यादा और क्या अन्याय हो सकता है ? जब सदन चलता हो और माननीय सदस्य को सदन में भाग लेने से वंचित रखा जायेगा, तो और क्या रह जायेगा ? मान्यवर, ऐसा करने के लिए जिस किसी ने झूंठे मुकदमें दायर किये हैं, न कि मुकदमें वापस लिये जायं, बल्कि उन्हें तुरन्त रिहा किया जाय और उस व्यक्ति और अधिकारी के विरुद्ध राजद्रोह और देश द्रोह के मुकदमें दायर किये जायं । मान्यवर, इससे ज्यादा और शर्म की बात और कुछ हो नहीं सकती ? मान्यवर, मैं इस अत्यन्त लोक महत्व के विषय पर आपसे मांग करता हूं कि आज की सम्पूर्ण कार्यवाही रोक कर चर्चा कराई जाय ।

श्री हरिशचन्द्र, हरीश जी–

मान्यवर, यह बड़ी चिन्ता की बात है, मान्यवर, माननीय अध्यक्ष पीठ से कहा गया कि बिना हमारी अनुमति के किसी भी विधायक को नहीं गिरफ्तार किया जायेगा और वह भी विधान सभा या विधायक

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

निवास से नहीं गिरफ्तार किया जायेगा। मान्यवर, विधायक निवास से इन माननीय सदस्यों की गिरफ्तारी की गयी । मान्यवर, हो सकता है कि किसी ने रिपोर्ट कर दी हो कि इनके नाम के खर्राटे इतने तेज हैं कि सोना दुश्वार हो गया है । मान्यवर, यह सरकार की निरंकुशता का द्योतक है । मान्यवर, पिछले दो महीनों से यह शासन हिन्दू-मुस्लिम को लड़ा देना चाहती है । डुमरियागंज में यही स्थिति पैदा करके रखा गया है ।

श्री उपाध्यक्ष –

डुमरियागंज इसमें नहीं आयेगा ।

श्री हरिश्चन्द्र, हरीश जी –

ठीक है मान्यवर, डुमरियागंज इसमें नहीं लाऊंगा । मान्यवर, विगत रात में 10 माननीय मुसलमान विधायकों को गिरफ्तार किया गया है और कल भारत बन्द के सिलसिले में 10 हिन्दुओं को गिरफ्तार किया जायेगा । इस तरह से दोनों को बांट कर राज्य करने की नीति की निन्दा करना चाहिए । मान्यवर, आप इन माननीय विधायकों को मुक्त कराने की व्यवस्था करें, जिससे शांति-व्यवस्था बनाई रखी जा सके ।

श्री किरनपाल सिंह–

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह अविलम्बनीय महत्व का विषय है । यह एक अभूतपूर्व घटना है। मान्यवर, जब रात को मैं सोया हुआ था, तो 1.25 पर टेलीफोन मेरे कमरे में आया जब मैंने टेलीफोन उठाया, तो शफीकुर्रहमान वर्क जी की आवाज मुझको आयी और टेलीफोन कट गया । आवाज से महसूस हो रहा था जैसे उनके साथ जोर-जबरदस्ती की जा रही थी, उसके बाद तलाश करने के बाद भी उनका पता नहीं चला। मान्यवर, मैं बातों को दोहराऊंगा नहीं, मान्यवर, ऐसे लोग, ऐसे माननीय विधायक जिनका चरित्र, आचरण धर्मनिरपेक्ष है, जिनकी विचारधारा साफ है, इस सरकार ने उन पर साम्प्रदायिकता की छाप लगाने की कोशिश की है जिनका कि निश्छल चरित्र था। उन पर साम्प्रदायिकता मढ़ने की कोशिश की है। इन्हीं शब्दों के साथ जो तमाम माननीय सदस्यों ने बातें रखी हैं, उन पर मैं चाहूंगा कि चर्चा करायी जाए।

*श्री शतरुद्र प्रकाश–

मान्यवर, मैं समझता हूं कि सरकार की आंख का पानी सूख गया है, जिन चीजों का लिहाज करना चाहिए उन सारी बातों का लिहाज खत्म हो चुका है, सारी बातें नियम और कानून की परिधि में नहीं देखनी चाहिए । संसदीय लोकतंत्र का भी आचरण होता है। मान्यवर, नियमावली में लिखा है, जब माननीय सदस्य को गिरफ्तार किया जाए तो उसकी सूचना शीघ्रातिशीघ्र माननीय अध्यक्ष को दी जाए। उपाध्याय जी कह रहे थे, कि सूचना दे दी गई है अगर मैं पूछूं कब दी गई है? तो यह नहीं बता पायेंगे। वैसे मुझे भी जानकारी मिली है कि 11.00 12.00 बजे के बीच सूचना प्रेषित की गई है।

मान्यवर, जब सदन चल रहा है और माननीय सदस्य ऐसे परिसर से गिरफ्तार किये गये हैं जहां माननीय अध्यक्ष का नियंत्रण है। माननीय सदस्यों

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

की सुरक्षा को ध्यान में रखकर सदन के निर्देश के मुताबिक एक पुलिस चौकी लगाई गई है। मान्यवर, मैं किसी संहिता के बारे में नहीं कहना चाहता हूं। जब माननीय सदस्य की गिरफ्तारी का प्रश्न हो तो सोचना चाहिए। जब माननीय नेता सदन यहां मौजूद हैं और माननीय गृह मंत्री भी हैं, तो इसकी जानकारी उन्हें देनी चाहिए थी।

मान्यवर, मैंने ढाई बजे आपको फोन किया था, आपको भी इसकी कोई जानकारी नहीं थी। सबेरे माननीय अध्यक्ष से बात की उनको भी इसकी जानकारी नहीं थी। लखनऊ प्रदेश की राजधानी है, सदन चल रहा है माननीय अध्यक्ष यहां पर हैं, माननीय नेता सदन और माननीय गृह मंत्री को चाहिए था कि माननीय अध्यक्ष को विश्वास में लेते, इन्होंने सूचना प्रेषित कर दी कि गिरफ्तार कर लिया गया है। मैं नहीं कहता कि कानून और व्यवस्था हमारी सलाह से माने लेकिन किसी स्तर को बनाये रखने का काम उत्तर प्रदेश सरकार को करना चाहिए। माननीय अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को जानकारी नहीं बल्कि मुझे कहना पड़ेगा उपाध्यक्ष और अध्यक्ष के कहने के बाद यह बताया गया कि माननीय सदस्यों के खिलाफ कौन सी धारायें लगाई जा रही हैं, यही काम सुबह हो गया होता तो ठीक था। आज अंग्रेजी हुकूमत नहीं है, आजाद भारत में अपनी ही पुलिस इस तरह का काम करे, 6-5 बजे माननीय सदस्यों को गिरफ्तार किया जा सकता था लेकिन उन्हें रात में इस प्रकार से पकड़ा गया जैसे किसी नामी गिरामी डकैत को गिरफ्तार किया जा रहा है। सरकार को कोई न कोई आचरण बनाना पड़ेगा, राजनीतिक शिकायत रखने वाले विधायकों और अपराधियों में फर्क रखने के लिये।

उत्तर प्रदेश सरकार राजनीतिक व्यक्तियों और अपराधियों के साथ एक ही तरह का बरताव कर रही है। मैं चाहूंगा और मेरी गुजारिश है उत्तर प्रदेश सरकार से इसमें फर्क करना चाहिये। कल जिन माननीय सदस्यों को गिरफ्तार किया गया, उनको सूचना नहीं थी, मुझे आशंका है आज रात को पता नहीं कितने विधायकों को गिरफ्तार किया जायेगा। मैं चाहूंगा कि आज रात को किसी विधायक को गिरफ्तार करने से पहले आप सरकार को निर्देश दें कि कम से कम आपको जानकारी मिल जानी चाहिये कि कितने माननीय सदस्यों से शान्तिभंग की आशंका है। चाहे दारुलशफा हो, चाहे ए अथवा बी ब्लाक हो, चाहे पुराना विधायक निवास हो, चाहे फीसर हास्टल मीराबाई मार्ग हो, मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि वहां अगर पुलिस प्रशासन का कोई अधिकारी कोई कार्यवाही करने के लिये जाय तो उसके साथ सदन का मार्शल भी जाय। मैं नहीं कहता हूं कि सरकार के काम में आप हस्तक्षेप करें। लेकिन मैं यह चाहता हूं कि वहां पर आपका मार्शल जाकर कार्यवाही करे। प्रदेश की स्थिति को सामान्य बनाने के लिये हम लोग चिन्ता में लगे हैं कि प्रदेश की स्थिति कैसे सुधरे और सरकार पूरे के पूरे विपक्ष के प्रति शंका करे, विधान सभा की मर्यादा की रक्षा न की जाय, कानून व्यवस्था के नाम पर सरकार भ्रष्ट अधिकारियों की कठपुतली बनकर खेलती रहे, यह निन्दनीय है और लोकतंत्र के लिये अच्छा नहीं है।

श्री गोपाल दास यादव–

माननीय, [* * *] रात में सोते हुए जिन विधायकों को पकड़ा गया है, यह अन्याय हुआ है। मैं कहना चाहता हूं कि प्रजातंत्र में हर व्यक्ति को अधिकार है, अगर सरकार अन्याय कर रही है तो प्रजातांत्रिक ढंग से काली पट्टी बांधकर प्रदर्शन कर सकता है। कल विपक्ष का राष्ट्रीय आन्दोलन होने वाला है, बाबरी मस्जिद को लेकर पूरे प्रदेश के अन्दर दंगा कराने की एक साजिश की जा रही है। [* * *] माननीय सदस्यों ने काली पट्टी या काले झण्डे का प्रदर्शन किया यह हमारा अधिकार है। हमारे माननीय सदस्य क्षेत्र में जाते हैं तो कहते हैं मुसलमानों के साथ अन्याय हुआ है।

श्री उपाध्यक्ष–

हिन्दू मुसलमान की बात न करें।

श्री गोपाल दास यादव–

हमारे माननीय मंत्री जी इलाहाबाद के बैठे हैं। इलाहाबाद में मन्दिर और मस्जिद के अन्दर साजिश की गई वहां के लोग शांति चाहते हैं। मंत्री जी को वहां का दौरा करना चाहिए और मैं मांग करता हूं सदन की कार्यवाही रोक कर चर्चा कराई जाय।

श्री उपाध्यक्ष–

जिनके नाम नहीं हैं, उनको नहीं बुलाऊंगा।

यह चर्चा नहीं है। मैं ग्राह्यता पर बुला रहा हूं। जिन लोगों ने नाम दिया है, उन्हीं को बुलाऊंगा।

श्री सूर्य प्रताप शाही–

मान्यवर, अभी एक मा0 सदस्य ने कार्य स्थगन का प्रस्ताव लाते हुए बाबरी मस्जिद की चर्चा की। यह मामला माननीय, न्यायालय में विचाराधीन है। अतः मैं अनुरोध करना चाहूंगा कि कृपया बाबरी मस्जिद से सम्बन्धित विषय को कार्यवाही से निकलवा दें।

श्री उपाध्यक्ष–

ठीक है, इसको मैं देख लूंगा।

*श्री सरदार सिंह–

माननीय उपाध्यक्ष जी, सरकार ने जितना गलत कार्य किया है माननीय विधायकों ने उतना ही समझदारी का कार्य किया है। मान्यवर, जिस समय डकैतों की तरह से वीर बहादुर सिंह की पुलिस उन विधायकों को पकड़ रही थी, उस समय उनके शैडो भी उनके साथ थे। उन्होंने अपने विधायकों को बचाने के लिये गोली भी तान ली थी। शैडो की ड्यूटी है कि उसके विधायक कोई हाथ नहीं लगा सकता। लेकिन उन विधायकों ने अपने शैडो से शांत रहने को कहा। शैडो भी उनके साथ जाना चाहते थे, लेकिन विधायकों ने मना कर दिया। शैडो पुलिस पर गोली चला सकते थे। विधायकों ने विवेक से काम लिया। बार-बार डी0 एम0 और एस0 एस0 पी0 से फोन पर बात करने पर कहा गया कि नहीं है। यह बहुत गम्भीर मामला है। आज आप यह व्यवस्था तय करें और कोई अन्तिम आचार संहिता अवश्य बना दें।

श्री उपाध्यक्ष–

जिनके नाम नहीं हैं, उनको नहीं बुलाऊंगा।

श्री मुलायम सिंह यादव–

मान्यवर, आपसे एक निवेदन है।

नोट :–[***] यह अंश मा0 उपाध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

जैसा अभी मा0 सदस्यों ने कहा कि आशंका है आज रात और गिरफ्तारियां की जा सकती हैं। सारे मुसलमान विधायकों द्वारा यह आशंका व्यक्त की जा रही है और सरकार में अविश्वास हो गया है। यहां पर 2-3 मुसलमान मा0 विधायक हैं, इनकी बात सुन लीजिये।

श्री उपाध्यक्ष–

जिनका नाम है, मैं उन्हीं को सुनूंगा।

श्री रिछपाल सिंह बंसल–

मान्यवर, मा0 विधायक अब्दुल वहीद कुरैशी ने जिलाधिकारी, मेरठ से शांति व्यवस्था बनाए रखने की बात कही थी। अब पता नहीं उन्होंने कौन सी शांति भंग कर दी ? यह बड़ा ही गम्भीर मामला है। कल रात अब्दुल कुरैशी जी को और आलम साहब को गिरफ्तार किया गया है, पता नहीं ये कौन सी शांति भंग कर रहे थे। शांति तो पुलिस वालों ने भंग की है। आप सदन की कार्यवाही रोक कर इस विषय पर चर्चा करावें। नहीं तो हम सदन की कार्यवाही नहीं चलने देंगे।

श्री उपाध्यक्ष–

आप उदारता का परिचय दे रहे हैं। लेकिन सदन तो नियमों से ही चलेगा। इन्होंने सूचना नहीं दी है तो कैसे बुलवा लूं। उनको बुलवा लिया जायेगा तो और भी मा0 सदस्य बोलेंगे। हम नियम से ही तो चलेंगे।

*श्री काजी मोहिउद्दीन–

मान्यवर, एक व्यवस्था का प्रश्न है। मान्यवर, माननीय अध्यक्ष जी की लिस्ट में मेरा नाम है। आपसे पूर्व उस पीठ पर माननीय अध्यक्ष जी पीठासीन थे, जब यह प्रसंग आया था और हम लोग इस पर बोलने के लिये खड़े हुए थे, तो उन्होंने यह आश्वासन दिया था कि जब इस विषय पर नियम 56 के अन्तर्गत बात होगी, तो उसमें मौका दिया जायेगा कहने का।

श्री उपाध्यक्ष–

अभी तो सम्बन्धित माननीय सदस्य प्रश्नगत विषय पर ग्राह्यता के सम्बन्ध में बोल रहे हैं। उन्होंने आपसे चर्चा पर बोलने के लिये कहा होगा, यदि इस विषय पर चर्चा होगी, तब आप बोल लेंगे।

(व्यवधान)

श्री सखावत हुसैन–

मान्यवर, आप हम लोगों को एक-एक मिनट का मौका दें।

श्री उपाध्यक्ष–

आप लोग अपना आसन ग्रहण करें।

(श्री सखावत हुसैन, हाजी मोहम्मद हयात, श्री फरीद महफूज किदवई सदन के फ्लोर पर आकर बोलने लगे।)

यह कोइ तरीका नहीं है, आप लोग अपने-अपने स्थान पर वापस जायें।

(नेता विरोधी दल श्री मुलायम सिंह यादव के प्रयास से उक्त सदस्य अपने-अपने स्थान पर वापस चले गये)

(संसदीय कार्य राज्य मंत्री को पुकारे जाने पर व्यवधान)

श्री सखावत हुसैन–

मान्यवर, पहले हम लोगों को एक-एक मिनट का मौका दे दें।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री फरीद महफूज किदवई–

मान्यवर, हम लोग आपके कहने पर ही अपने-अपने स्थान पर आ गये हैं। हम लोगों को पहले मौका दे दें।

श्री उपाध्यक्ष–

मैंने माननीय संसदीय कार्य राज्य मंत्री को बुला लिया है, पहले उनको सुन लें, उनका जबाब आ जाये। आप लोग आसन ग्रहण करें।

हाजी मोहम्मद हयात–

मान्यवर, पहले हमें सुन लें।

श्री उपाध्यक्ष–

आप लोग आसन ग्रहण करें। मैं किसी को इजाजत नहीं दे रहा हूं। आप लोग आसन ग्रहण करें।

हाजी मोहम्मद हयात–

मान्यवर, आपने मुझे मौका नहीं दिया, इसलिए मैं सदन का त्याग कर रहा हूं।

(श्री हाजी मोहम्मद हयात सदन का त्याग कर चले गये)

श्री सखावत हुसैन–

मान्यवर, हम लोगों को अपनी जिन्दगी का खतरा है, हम लोगों को अपनी बात कह लेने दें।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष–

आप लोग पहले आसन ग्रहण करें। संसदीय कार्य राज्य मंत्री खड़े हैं, उनको सुन लें।

(श्री फरीद महफूज किदवई व श्री सखावत हुसैन पुनः सदन के फ्लोर पर आकर बोलने लगे।)

आप लोग अपने-अपने स्थान पर वापस जायें। संसदीय कार्य राज्य मंत्री को सुन लें, उनका जवाब आ जाने दें। उसके बाद यदि उचित समझा गया तो आपको भी अपनी बात कहने का अवसर मिलेगा।

(तत्पश्चात श्री फरीद महफूज किदवई व श्री सखावत हुसैन अपने-अपने स्थान पर वापस चले गये)

श्री भगवान दीन कुशवाहा–

मान्यवर, अगर आप इन तीन मुस्लिम विधायकों को नहीं सुनेंगे, तो हम सभी सदन से वाक आउट कर जायेंगे।

श्री उपाध्यक्ष–

माननीय कुशवाहा जी, आप बैठें। यह कोई तरीका नहीं है।

***श्री बेनी प्रसाद वर्मा–**

मान्यवर, एक व्यवस्था का प्रश्न है।

मान्यवर, आप नियमों का कड़ाई से पालन करते हैं, यह खुशी की बात है। लेकिन, मान्यवर यह जो नियमावली है, यह सामान्य अवस्था के लिये है। चूंकि हमारे दल के ही लोग गिरफ्तार हुए हैं, मुस्लिम सदस्य गिरफ्तार हुए हैं और यह आशंका व्यक्त की जा रही है कि बाकी जो मुस्लिम सदस्य हैं, वह भी आज कल में गिरफ्तार कर दिये जायेंगे। मान्यवर, जो नियम आदि बने हैं, आपका अधिकार है कि किसी विशेष परिस्थिति आ जाने पर आप उन नियमों का निलम्बन कर सकते हैं। जो मुस्लिम सदस्य हैं, उनको आप बोलने का मौका दें।

श्री उपाध्यक्ष–

मेरा आपसे यह अनुरोध है कि माननीय संसदीय कार्य राज्य मंत्री को पहले आप लोग सुन लें ताकि वस्तुस्थिति सामने आ सके।

***संसदीय कार्य राज्य मंत्री (श्री हुकुम सिंह)–**

मान्यवर, 10 सम्मानित सदस्य, जिनमें एक विधान परिषद् के भी सदस्य सम्मिलित हैं, जिनको गिरफ्तार किया गया है, हमको स्वयं भी तकलीफ इस बात की है कि सदन के चलते सदस्यों को गिरफ्तार किया जाय और जो सम्मानित

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

सदस्य यहां सदन की कार्यवाही में भाग लेने के लिए आयें, प्रदेश और अपने क्षेत्र की समस्याओं को उजागर करने के लिये यहां आयें उनको इस व्याप्त मौके से वंचित होना पड़े, इसमें तकलीफ होना स्वाभाविक है।

मान्यवर, यह सही है कि सम्मानित नेताओं के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी की बैठक हुई थी और उस बैठक में यह निर्णय लिया गया था कि यह दोनों प्रकरण राम जन्म भूमि और बाबरी मस्जिद इस प्रकरण को नियंत्रित किया जाय और वहां पर साम्प्रदयिक दंगे न भड़कें और एक सामूहिक अपील भी मान्यवर, सभी नेताओं की तरफ से जारी की गयी थी। माननीय नेता विरोधी दल और माननीय राजेन्द्र गुप्त ने भी इस बात का उल्लेख किया था।

श्री भगवान दीन कुशवाहा–

मान्यवर, शासन इस प्रकरण को गंभीरता से नहीं ले रहा है।

श्री उपाध्यक्ष–

माननीय सदस्य शांत रहें।

श्री हुकुम सिंह–

मान्यवर, जो परिस्थिति बनकर आयी, जो आश्वासन उस बैठक में तय हुए थे, सभी का उसमें यह मत था कि हम उन आश्वासनों का पालन करेंगे। उसके बाद अपील जारी होने के बाद हम और आश्वस्त हो गये थे कि स्थिति सामान्य होगी। मान्यवर, अगर उस बात पर कायम थे तो मैं यह कहना चाहता हूं कि बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी बनाने की आवश्यकता नहीं पड़नी चाहिये थी। मान्यवर, मुझे दुख इस बात का है कि एक ओर तो साम्प्रदायिक सौहार्द बढ़ाने की बात कही जाती है, वहीं दूसरी ओर बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी बनाकर तमाम प्रदेश में एक इस प्रकार का आन्दोलन चलाना चाहते हैं जिससे कि साम्प्रदायिक तनाव बढ़े।

मान्यवर, 26 तारीख के लिये इस कमेटी के द्वारा एक अपील जारी की गयी कि हम रैली निकालेंगे। मान्यवर, आप स्वयं सोचें कि एक वर्ग की ओर से रैली निकालने की बात कही जाती है तो क्या उसका प्रभाव इस प्रदेश की आम जनता तथा कानून-व्यवस्था के उपर नहीं होगा? क्या आप उसे नियंत्रित कर पायेंगे? हमने समझाने का प्रयास किया। हम उम्मीद करते थे कि वे तर्क बुद्धि से काम करेंगे। मान्यवर, हमारी भावना से बढ़कर इस प्रदेश की भावना महत्वपूर्ण है। लेकिन वे नहीं समझ पाये। उन्होंने बाबरी मस्जिद के लिए एक एक्शन कमेटी बना दी और यह कहा कि हम 26 तारीख को रैली निकालकर बाबरी मस्जिद के प्रकरण को उजागर करेंगे। यदि वह रैली निकाली जाती तो तनाव बढ़ सकता था और कुछ भी दुर्भाग्यपूर्ण घटना हो सकती थी। यह गिरफ्तारी उसे नियंत्रित करने के लिए की गई। 113 सी0 आर0 पी0 सी0 के तहत यह कार्यवाही की गई। इसमें किसी आदमी के ऊपर दोषारोपण की बात नहीं है। इसकी गम्भीरता को देखते हुए, जो सौहार्द का वातावरण बनाने का आश्वासन आपने दिया था, मुझे विश्वास है कि आप उस पर अमल करेंगे और जो माननीय सदस्य आपके इससे विचलित हो गये हैं, उनको सही रास्ते पर लाने का आप प्रयास करेंगे। यहां पर हमारे और भी तो मुसलमान सदस्य भाई बैठे हैं, काजी मोहिउद्दीन जी बैठे हुए हैं। यह कोई हिन्दू, मुसलमान

का सवाल नहीं है । केवल उन्हीं लोगों को गिरफ्तार किया गया है जो एक्शन कमेटी के सदस्य बने थे । जिनसे यह आशंका थी कि विधायक बनकर, वह बाहर आकर रैली निकाल सकते हैं। मान्यवर, मेरा आपसे अनुरोध है कि इस प्रकरण को यहीं पर समाप्त किया जाय और इस पर चर्चा करने की कोई आवश्यकता नहीं है ।

श्री काजी मोहिउद्दीन–

मान्यवर, मुझे खेद है कि इतना गम्भीर ईश्यू है लेकिन माननीय मुख्य मंत्री जी यहां पर उपस्थित नहीं है । अगर माननीय मुख्य मंत्री जी यहां पर उपस्थित होते तो मैं उन्हें याद दिलाना चाहता कि अपोजिशन के विधायकों का एक डेपुटेशन लेकर मैं उनसे मिला था और उनसे कहा था कि फैजाबाद के संबंध में जो भी जुलूस निकले, उस पर जल्द से जल्द प्रतिबन्ध लगाया जाय और दूसरी दरख्वास्त यह की थी कि जो यह हिस्टोरिकल प्लेस है, इसकी सेप को न बदला जाय । बाकी जो कार्यवाही कोर्ट में चल रही है वह कोर्ट जाने । माननीय मुख्य मंत्री जी ने दोनों आश्वासन उस समय दिये थे कि जुलूसों पर प्रतिबन्ध लगाया जायेगा और शेष को नहीं बदला जायेगा । अजायम अखबार में मैंने इस आश्वासन के बारे में पढ़ा भी था । मैं इसी मामले पर पहले भी सदन में खड़ा हुआ था, यही कहने के लिए कि इस फैजाबाद वाले मामले को हाई-लाइट न किया जाय, लेकिन मुझे उस समय इजाजत नहीं मिली । बाद में, मैंने वाक-आउट किया और अखबारों को बताया कि मैं यह कहना चाहता था कि इस मामले को हाई-लाइट न किया जाय ।

माननीय हुकुम सिंह मेरे साथी हैं । मैं चाहता था कि भगवान करे कि यह और तरक्की करें। लेकिन आज कहना चाहता हूं कि "हसरत उन गुंचों पर है, जो बिन खिले मुरझा गये ।" मैं तो इनको मुख्य मंत्री देखना चाहता था । इन्होंने कहा कि केवल एक्शन कमेटी के लोगों को गिरफ्तार किया गया है औरों को नहीं । मान्यवर, अगर यह वाक्या सही है तो मैं राजनीति से सन्यास ले लूंगा अन्यथा मंत्री जी सन्यास ले लें । जहां तक एक्शन कमेटी का ताल्लुक है वह कोई फौज तो है नहीं, मुकदमा लड़ने का अधिकार तो सबको है । क्या आप अपील करने से भी रोक सकते हैं ? एक्शन कमेटी का मतलब यह भी हो सकता है कि वह कमेटी कोई लीगल एडवाइज लेने के लिए बनी हो या फिर पैसा इकट्ठा करने के लिए बनी हो । कोर्ट में जाने के लिये बनी हो । क्या आपने ऐसा कोई अध्यादेश जारी कर दिया है कि अपील नहीं कर सकते हैं ? अपील तो हिन्दू भी कर सकते हैं, मुसलमान भी कर सकते हैं । मेरे दो आरोप हैं कि एक्शन कमेटी को ही क्यों इल्जामी करार दिया गया है, दूसरा आरोप यह है कि सदन को गुमराह करने की कोशिश की है । मेरी यह जानकारी है कि ज्यादा से ज्यादा 3 सदस्य हैं एक्शन कमेटी के, इससे ज्यादा विधायक इसमें नहीं हैं, लेकिन 9-10 सदस्य विधान सभा के एक्शन कमेटी के सदस्य नहीं हैं । या तो राज्य मंत्री जी अपने अल्फाज वापस लें वरना त्याग-पत्र दें । अगर साबित कर दें कि दस के दस एक्शन कमेटी के मेम्बर थे तो मैं त्याग-पत्र देने को तैयार हूं ।

श्री हुकुम सिंह–

मैं आपसे त्याग-पत्र तो नहीं मांगता हूं, लेकिन मैंने सूची भिजवा दी है, दस के दस एक्शन कमेटी के सदस्य हैं, लेकिन आपसे आग्रह करता हूं कि त्याग-पत्र न दें ।

(कई सदस्यों के खड़े होने से घोर व्यवधान)

श्री मुलायम सिंह यादव–

मैंने शुरू में ही कहा था कि जब माननीय मुख्य मंत्री जी की अध्यक्षता में सारी वार्ता दलों के नेताओं की बैठक में हो गयी थी और तय भी हो गया था कि इसके आधार पर शांति व्यवस्था रखी जा सकती है उत्तर प्रदेश के अन्दर, लेकिन ज्य हमारे दल के ही माननीय सदस्यों को गिरफ्तार किया गया तो हमें विश्वास में नहीं लिया गया । हम कोशिश में थे कि शांति बनी रहे। क्या गिरफ्तार करके जेलें भरकर आप शांति कर लेंगे ? आप हजारों को गिरफ्तार कर लीजिये, तमाम इस प्रदेश के मुसलमानों को और हिन्दुओं को गिरफ्तार कर लीजिये, इससे शांति व्यवस्था स्थापित होने वाली नहीं है । आपको स्वयं वातावरण बनाना पड़ेगा । मा0 संसदीय कार्य राज्य मंत्री ने आरोप लगाया है कि मा0 सदस्य उत्तेजना फैलाना चाहते थे । इसके विरोध में मैं अपने दल सहित सदन त्याग करता हूं ।

(नेता विरोधी दल श्री मुलायम सिंह यादव अपने दल के सदस्यों सहित सदन त्याग कर चले गये)

श्री सत्य प्रकाश विकल–

मान्यवर, मैंने जिस कार्य स्थगन प्रस्ताव की सूचना दी है, वह एक ऐसे मामले से सम्बन्धित है, जिसने आगरा महानगर की 12 लाख जनता के जीवन में भारी बेचैनी और घबराहट पैदा कर दी है । आगरा के विद्युत प्रदेय उपक्रम के अधीक्षण अभियन्ता ने सार्वजनिक रूप से घोषित किया है, प्रचारित किया है, प्रकाशित किया है, तथा विज्ञापित किया है कि 25 फरवरी को यानी आज सायंकाल 3 बजे वहां के जल संस्थान तथा उसके सारे पम्पिंग स्टेशनों की विद्युत आपूर्ति विच्छेदित कर दी जायगी क्योंकि जल संस्थान पर विद्युत परिषद् का करोड़ों रु0 बाकी है । ऐसा उनका आरोप है नियमित भुगतान जल संस्थान नहीं कर रहा है । इस कारण को लेकर उन्होंने नोटिस दी है सार्वजनिक रूप से घोषणा की है, परचे बंटे हैं, परचा मेरे पास भी है, जिसमें आगरा के नागरिकों से कहा गया है कि वे अपने घरों में पानी की व्यवस्था कर लें 25 तारीख को सायंकाल 3 बजे जल संस्थान और उसके सारे पम्पिंग स्टेशनों की विद्युत आपूर्ति को विच्छेदित कर दिया जायगा यानी अब से ठीक एक घंटे के बाद आगरा जनपद के लोग पानी के लिये परेशान हो जायेंगे ।

श्री उपाध्यक्ष–

आप समाप्त करें ।

श्री सत्य प्रकाश विकल–

वहां के लोग पीने के पानी के संकट से परेशान होंगे । मान्यवर, मैं नहीं जानता कि मेरी सूचना को देने के बाद शासन ने इस बारे में कोई कार्यवाही की है या नहीं, लेकिन आगरा में यह संकट पैदा हो गया तो लाखों लोग वहां इससे प्रभावित होंगे क्योंकि वहां की यमुना में जल नहीं है, जो है वह जल वहां दूषित हो गया है और यह जल आपूर्ति भी वहां बन्द हो गयी तो वहां की जनता इससे प्रभावित हो जायेगी । इसलिये मेरी प्रार्थना है कि आप मेरी

कार्यस्थगन सूचना को चर्चा के लिये स्वीकार कर लें।

श्री हुकुम सिंह–

माननीय विकल जी ने जो आशंका व्यक्त की है, मैं उसके संबंध में माननीय सदस्य से कहना चाहता हूं कि अखबार में निकाला जरूर गया था कि वहां का विद्युत का कनेक्शन काट दिया जायेगा, वह केवल इस कारण से था और इसलिये निकलवाया गया था कि विद्युत परिषद् के तीन करोड़ रुपए वहां बकाया थे । अब वहां कोई विद्युत का कनेक्शन नहीं काटा गया है और न काटा जायेगा। जल की आपूर्ति बराबर रहेगी इससे आप आश्वस्त रहें ।

श्री सत्य प्रकाश विकल–

अभी संसदीय कार्य राज्य मंत्री ने जो कहा है यह कल या परसों की बात है।

श्री हुकुम सिंह–

नहीं, मैंने पता कर लिया है, वहां जल की आपूर्ति बराबर हो रही है।

श्री सत्य प्रकाश विकल –

इस तरह से सार्वजनिक विज्ञप्ति प्रकाशित करके लोगों के मन में आशंका पैदा करना उचित नहीं है।

श्री बदन सिंह–

दिनांक 13 फरवरी को बसन्तपंचमी के दिन जनपद आगरा के कस्बा भिदाकर में दो नागरिक राष्ट्रीय मार्ग नं0 11 पर उलझ रहे थे जब यह सूचना पुलिस को मिली तो दो कांस्टेबिल और कुछ सिपाही वहां चले आये । होना यह चाहिये था कि वे अपने कर्त्तव्यों का निर्वहन करते परन्तु उन्होंने अपने कर्त्तव्यों का निर्वहन नहीं किया।

श्री उपाध्यक्ष–

आप ग्राह्यता पर ही बोलें, पुलिस के कर्त्तव्य पर न बोलें।

श्री बदन सिंह–

मैं कह रहा था कि पुलिस कर्मियों ने उन्हें बन्दूक के बटों से मारा। इसमें एक पी0 ए0 सी0 के सूबेदार बच्चू सिंह नाम का मर गया, उसकी इससे मृत्यु हो गयी और उसकी लाश को पुलिस कर्मियों ने छिपा दिया और रात्रि के 11.00 बजे उसकी जंजीर, घड़ी और साढ़े ग्यारह हजार रुपये ले लिए । जनता में इस घटना से बड़ा आक्रोश व्याप्त है, और राष्ट्रीय मार्ग नं0 11 जाम है यह बड़ी महत्वपूर्ण घटना है, इस पर आप चर्चा करा दीजिये।

*श्री विजय सिंह राणा–

यह मेरे क्षेत्र का मामला है, मैं केवल इसकी ग्राह्यता पर ही बोलूंगा। मान्यवर, जो मामला अभी बदन सिंह ने उठाया यह कस्बा मेडाखुल की पुलिस चौकी का है । उसमें हुआ यह कि दो शराबी लोग आये और उनका आपस में झगड़ा हुआ रामलीला के आदमियों से उन्होंने कुछ रुपए दिखा दिए थे । रामलीला वालों ने उन्हें 5,500 रु0 दिखा दिये थे।

श्री उपाध्यक्ष–

आप केवल ग्राह्यता की ही बात को कहें, घटना के बारे में नहीं।

श्री विजय सिंह राणा–

मैं ग्राह्यता पर ही बोल रहा हूं।

श्री उपाध्यक्ष–

आप तो घटना बतला रहे हैं, घटना का उल्लेख न करें।

श्री विजय सिंह राणा–

जितना मैं नहीं बोल रहा हूं उससे ज्यादा तो आप बोल रहे हैं। जब तक कुछ घटना का वर्णन नहीं होगा तो ग्राह्यता कैसे बतला पाऊंगा? तो मैं कह रहा था कि वहां पर झगड़ा हुआ । मेरी बात को आप सुनें। मैं कहना चाहता

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

हूं कि वहां पर सिर्फ इसलिये कि रामलीला में उन्होंने भूल से रुपया दिखा गये। तो मान्यवर, साढ़े पांच हजार के कारण पुलिस के सिपाहियों ने एक आदमी को पकड़ लिया और दूसरे आदमी को मार दिया। रुपया और उसकी जंजीर तथा अंगूठी छीन ली और चार दिन तक लाश को गायब रखा, घटना को रिपोर्ट नहीं होने दी। मान्यवर, जहां तक ग्राह्यता का प्रश्न है, जो आदमी मरा है, वह पी0 ए0 सी0 का हवलदार है, तो यह स्थिति है। दूसरी ओर मान्यवर, यह स्थिति पैदा हो गयी है कि पी0 ए0 सी0 के हवलदार को कैसे मार दिया गया। इसमें 395 बनता है, रुपए के कारण उस आदमी का मर्डर कर दिया गया है। इसलिये मेरी प्रार्थना है कि इस मामले को आप सी0 आई0 डी0 को सौंप दें जिससे सारे मामले की जानकारी हो जाये, तो मान्यवर, आप इन तथ्यों पर विचार कर लें।

श्री हुकुम सिंह–

मैं माननीय राणा जी को सूचित करना चाहता हूं कि दो लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। सीताराम और सुजान सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया है और राम रिछपाल सिंह छुट्टी पर चला गया था, इसलिए उसके विरुद्ध वारन्ट जारी कर दिया गया है और उसकी भी गिरफ्तारी होने वाली है। आप सी0 आई0 डी0 को चाहते हैं कि जांच करे तो मैं दे दूंगा। मुझे कोई आपत्ति नहीं है।

*श्री औसान सिंह –

मान्यवर, यह अविलम्बनीय लोक महत्व का प्रश्न है, हमारे क्षेत्र में भयंकर ओला दृष्टि से पूरे प्रदेश की कई नदियों में बाढ़ आ गयी है और कई गांव जल मग्न हो गये हैं। लाखों एकड़ फसल जल मग्न हो गयी है, डूब गयी है। खाद्यान्न और जानवरों के चारे का संकट पैदा हो गया है और लोग रोजी-रोटी की तलाश में दिल्ली और पंजाब भाग रहे हैं। गेहूं जौ, चना और मटर की सारी फसलें नष्ट हो गयी हैं और चारों ओर पानी भरा पड़ा है, तो इस तरह की स्थिति है। लोग मल मूत्र युक्त पानी पी रहे हैं। इसलिये मैं आपके माध्यम से इस अविलम्बनीय लोक महत्व के प्रश्न को उठाता हूं और मेरी आपसे प्रार्थना है कि आप सदन की कार्यवाही को रोक कर इस पर चर्चा करा दें और माननीय मुख्य मंत्री जी को निर्देश दें कि खाद्यान्न और चारे की व्यवस्था का उचित प्रबन्ध करें और वहां पर राहत कार्य प्रारम्भ करें और ऐसा प्रबन्ध करें जिससे जनता को रोजी-रोटी मिल सके, उनको वहां पर मजदूरी मिल सके इसलिए आप इस पर चर्चा करा दें। पांच लाख किसानों के जीवन-मरण का सवाल है, इससे ज्यादा और क्या लोक महत्व का सवाल हो सकता है। आप गरीबों के दर्द को जानते हैं, इसलिए आप इस पर चर्चा करायें।

श्री उपाध्यक्ष–

माननीय संसदीय कार्य राज्य मंत्री जी आपको क्या कुछ कहना है?

श्री हुकुम सिंह–

मुझे कुछ नहीं कहना है।

श्री उपाध्यक्ष–

माननीय मंत्री जी सुन रहे हैं और उनका ध्यान आकृष्ट कर दिया है।

श्री किरन पाल सिंह–

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से अविलम्बनीय लोक महत्व के

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

प्रश्न को उठाना चाहता हूं। फतेहपुर के ग्राम बरौउहा के मथुरा प्रसाद यादव और उनके परिवार की निर्मम हत्या कर दी गयी है। जब हत्यारे गांव में आये तो वह लोग हत्या के भय से इधर-उधर भागते रहे और तीन घन्टे के बाद उनका कत्ल किया गया। घटना पर एस0 पी0 और उस रेन्ज के डी0 आई0 जी0 पहले पहुंच गये और उस क्षेत्र की पुलिस नहीं पहुंची।

श्री नेक चन्द्र पाण्डेय–

मान्यवर, माननीय सदस्य किरन पाल सिंह बोल चुके हैं दुबारा किस व्यवस्था के अन्तर्गत बोल रहे हैं?

श्री उपाध्यक्ष–

जिनका 300 पर नाम था उनको एलाउ कर दिया था अध्यक्ष जी ने, इसलिए बोल रहे हैं।

(व्यवधान)

श्री किरन पाल सिंह–

मान्यवर, प्रदेश की शान्ति व्यवस्था का सवाल उपस्थित कर रहा हूं। जिस थाने के अन्तर्गत घटना हुई है

श्री उपाध्यक्ष–

घटना पर आप न जांय, मुझे इसके महत्व को बतायें और ग्राह्यता पर बोलें।

श्री किरन पाल सिंह–

मान्यवर, वहां पुलिस थाने के लोग नहीं पहुंचे और डी0 आई0 जी0 पहुंच गये, एस0 पी0 पहुंच गये इसका मतलब है कि थाने की पुलिस कातिलों के साथ किये हुए थी। मान्यवर, जब इतनी बड़ी घटना हुई है और उसमें पहचान भी लिया गया है लेकिन आज तक उसमें कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है। इसलिए यह लोक महत्व का प्रश्न है और अविलम्बनीय प्रश्न है। इसलिए इस पर चर्चा जरूर करा दें।

श्री राम नरेश–

मान्यवर, यह फतेहपुर जनपद के बरउआ गांव की बहुत ही गम्भीर घटना है। एक परिवार के एक रात को सोते समय दरवाजा कुल्हाड़े से चीर-फार जबरदस्ती घुसकर, इतना ही नहीं किया, इसके बाद कुल्हाड़े से एक-एक करके एक परिवार के चार लोगों को हमेशा के लिए समाप्त कर दिया। इतना ही नहीं इतनी नृशंस और शर्मनाक, निर्मम हत्या यह होती है कि बंदूक से गोलियां चलाकर, जिसमें 18 साल का बालक, 20 साल की बालिका और उसकी मां और फुआ इन सब लोगों के सीने पर गोलियां दाग-दाग कर छलनी कर दिया गया। इस घटना के पहले यह भी कहा जाता है कि परिवार के लोगों ने स्थानीय पुलिस को सूचना भी दी थी लेकिन स्थानीय पुलिस ने कोई कार्यवाही उनकी रक्षा के लिए नहीं किया। इसलिए यह बहुत ही अविलम्बनीय लोक महत्व का प्रश्न है इस पर सदन की कार्यवाही को स्थगित कराकर चर्चा करायी जाय।

* श्री देव कुमार यादव–

मान्यवर, यह घटना जहां हुई है वह हमारे जनपद से लगा हुआ है। इस हत्याकाण्ड से बेहमई जैसे काण्ड की एक दर्दनाक स्थिति फिर से उभर कर आई है। मान्यवर, यह कहा जाता है कि यह उन लोगों को अंदेशा था कि यह होने वाला है और स्थानीय पुलिस को सूचना भी दी गयी थी लेकिन इसके बावजूद कोई कार्यवाही नहीं हुई। जो लोग मरे हैं उसके अतिरिक्त कुछ लोग घायल भी हुए हैं। इसलिए मैं आपसे आग्रह करूंगा कि इस विषय पर अवश्य चर्चा कराने की कृपा करें।

(कई सदस्यों के एक साथ बोलने से व्यवधान)

*वक्ता ने भाषण का पुनरीक्षण नहीं किया।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

मान्यवर, मैं एक मिनट लूंगा।

श्री उपाध्यक्ष–

एक-एक मिनट करके सबको सुन लूंगा।

श्री हरेन्द्र सिंह–

मान्यवर, मेरा 300 के अन्तर्गत था और माननीय अध्यक्ष जी ने व्यवस्था दी थी कि उसके बाद में सुन लेंगे।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष–

वह व्यवस्था हो रही है। नियम 300 में अध्यक्ष जी उसको ले रहे थे। . . (व्यवधान) उसे कल ले लेंगे। आप मेरी बात सुन लें। कल ले लेंगे।

(कई सदस्य खड़े होकर एक साथ बोलने लगे)

एक सदस्य–

सामूहिक हत्या हुई है। उन्होंने हमारे ऊपर आरोप लगाया है।

श्री उपाध्यक्ष–

सब लोग एक साथ बोलेंगे तो कैसे काम चलेगा।

श्री शारदानन्द अंचल–

आप एक आदमी को सुने ।

श्री उपाध्यक्ष–

कृपया शांति रखें। भगवती सिंह जी, आपका जो यह लखनऊ वाला है जो कमलेश कुमार पाठक वगैरह ने दिया था उसमें शतरुद्र प्रकाश जी के भी दस्तखत हैं। वह रिजेक्ट हो गया । चूंकि उसमें दोनों के दस्तखस्त हैं, इसलिये वह रिजेक्ट हो गया अब आप कृपा करके बैठें. . . .

(व्यवधान)

श्री शारदानन्द अंचल–

मान्यवर, बलिया जनपद के बारे में दिया था. . .

श्री उपाध्यक्ष–

ठीक है, बोलिये। पहले बलिया जनपद ही लिये लेते हैं।

*श्री शारदानन्द अंचल–

मान्यवर, बलिया जनपद में 6 दिसम्बर को 4 हरिजनों की हत्या गड़वार थानान्तर्गत कर दी गई है। उसके पहले वहां पर ठाकुर और हरिजनों के बीच झगड़ा हुआ था तो पुराने जिलाधिकारी कालिका प्रसाद जी ने समझौता करा लिया था । उसी के परिपेक्ष में वहां के पुलिस अधीक्षक ने हरिजनों को सताने के लिये ठाकुर थानेदार और एक हरिजन थानेदार को बिठाकर आपस में लड़ाई करवाई जिसके फलस्वरूप 6 दिसम्बर को 4 हरिजनों की हत्या कर दी गई। काफी लोगों को चोटें आईं और आज भी वे इलाज कर रहे हैं। इसी के सिलसिले में मुख्य मंत्री जी वहां गये थे, नेता विरोधी दल गये थे, उत्तर प्रदेश लोकदल के अध्यक्ष कुशवाहा जी गये थे, केन्द्र के भूतपूर्व मंत्री जे0 एन0 मिश्रा गये थे और इसी सिलसिले में इस विधान सभा की हरिजन वर्ग से सम्बन्धित समिति भी गई थी। इसलिये मान्यवर, यह अत्यन्त गम्भीर मामला है ।

श्री उपाध्यक्ष–

अंचल जी, अब आपने बता दिया । बात हो गई।

श्री शारदानन्द अंचल–

वहां पर अभी भी भय का वातावरण बना हुआ है।

*वक्ता ने भाषण का पुनरीक्षण नहीं किया।

श्री उपाध्यक्ष–

इस मसले को अनुसूचित जाति से सम्बन्धित समिति देखेगी ।

श्री शारदानन्द अंचल–

मान्यवर, इस पर चर्चा करा दें । यह गम्भीर मामला है।

श्री उपाध्यक्ष–

चूंकि यह 6 दिसम्बर, 1985 की घटना है, इसलिये यह नियम 56 के अन्तर्गत नहीं आती है। काम रोको में नहीं आती है। बहुत पुरानी घटना है। आप आसन ग्रहण करें। मैंने कहा कि अनुसूचित जनजाति कमेटी इस मामले को देखेगी ।

श्री शारदानन्द अंचल–

यह कमेटी वहां से होकर आयी है ।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष–

रिपोर्ट सदन में आने दीजिये।

(व्यवधान)

श्री बलराम यादव–

उस कमेटी की रिपोर्ट आ गयी है।

(व्यवधान)

श्री शारदानन्द अंचल–

इस पर वक्तव्य दिलवा दीजिये ।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष–

जब निर्णय लेंगे तभी तो कहेंगे । (व्यवधान) आप बैठें। आपने काफी कह लिया है। (व्यवधान) मैंने अभी निर्णय नहीं दिया है।

[समय 2.20]

श्री हरिश्चन्द्र, हरीश जी–

मान्यवर, बस्ती जिला के डुमरियागंज में गत 23 ता0 को पुलिस की गोली वर्षा से एक 24 वर्षीय युवक की मृत्यु हो गयी, दूसरा मरणासन्न हालत में जिला अस्पताल बस्ती में है जो मौत की घड़ियां गिन रहा है और तीसरा व्यक्ति घायल हुआ है उसकी चिकित्सा हो रही है। 65 लोगों को गिरफ्तार किया गया है और वे जेल में बन्द कर दिये गये हैं। स्थिति यह थी कि 23 ता0 को डुमरियागंज में एक सम्मेलन होने वाला था उसके पहले दिन बस्ती प्रशासन ने धारा 144 लगा दी और सम्मेलन करने पर रोक लगा दी..

श्री एहतिशाम वली खां–

मेरा व्यवस्था का प्रश्न है जिस पर आप कार्य-स्थगन ले रहे हैं उसी पर कल माता प्रसाद जी ने कार्य-स्थगन रखा था और उसे आपने रद्द कर दिया था।

श्री उपाध्यक्ष–

मुझे जहां तक याद है इसलिए निरस्त किया था कि दो दस्तखत थे।

श्री खान गुफरान जाहिदी–

एक विषय आ गया उसी पर फिर कैसे लेंगे ?

श्री उपाध्यक्ष–

क्या विषय वही है ?

श्री हरिश्चन्द्र, हरीश जी–

यह दूसरा विषय है वह विषय कदापि नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष–

दो दस्तखतों के आधार पर खारिज किया था, विष्य मैंने सुना नहीं (व्यवधान) विषय हो वही सकता है लेकिन जो मैंने निर्णय लिया था वह दो दस्तखतों के आधार पर रिजेक्ट किया था।

श्री हरिश्चन्द्र, हरीश जी –

तो मान्यवर, मैं सदन के संज्ञान में लाना चाहता हूं कि प्रशासन ने दफा 144 लगा दी थी और कोई सम्मेलन नहीं हो सकता था। लेकिन मान्यवर, वहां एक गलती हो गयी, मैं वहां

के बगल का विधायक हूं। जब धारा 144 लगती है तो अखबारों में निकलता है और लाउडस्पीकर या रेडियो से एनाउंस किया जाता है लेकिन वह नहीं किया गया। मैं आपके संज्ञान में लाना चाहता हूं और शासन की एक बात के लिये सराहना करना चाहता हूं जब माननीय अटल बिहारी जी का कार्यक्रम स्थगित हुआ था तो उसकी सूचना अखबारों में और रेडियो में आ गयी थी जिसके कारण जनता को समय से सूचना मिल गई। लेकिन यहां पर 23 ता0 को जो सम्मेलन किया जा रहा था इसके सम्बन्ध में जो रोक लगी थी उसकी सूचना पुलिस ने नहीं दी और न अखबारों में निकाला गया और न रेडियो में आया जिसका परिणाम हुआ कि गांव-गांव से लोग चल पड़े और डुमरियागंज को आने वाली सड़कों पर कोई रोक नहीं लगाई गयी। अच्छा होता कि लाउडस्पीकरों से लोगों को सूचना दे देते वह सूचना नहीं दी गई। जब यह मालुम हुआ कि 144 लगा है तो लोग डुमरियागंज से राप्ती नदी के किनारे चले गये और वहां कीर्तन करने लगे। जब वहां पर लोगों से कहा गया कि अब आप अपने-अपने घरों को चले जायं तो लोग वहां से डुमरियागंज होकर अपने घरों को जा रहे थे। पुलिस ने भीड़ को रोक लिया। हिन्दू जागरण मंच के नेता एक ऊंची जगह पर चढ़ गये और लोगों से कहना चाहते थे कि आप लोग चले जाओ परन्तु पुलिस ने यह कहते हुए कि तुम लोग यहां कैसे चले आये, लाठीचार्ज शुरू कर दिया और गोली वर्षा करने तक चली गई। इस पर एक व्यक्ति की घटनास्थल पर मृत्यु हो गयी जिसकी 20 साल की विधवा अपने एक साल के बच्चे को लेकर रो रही है। वहां कोई तनाव नहीं था, यह झूठ है कि मुसलमानों की भीड़ आ गयी थी।

श्री उपाध्यक्ष–

आप झूठ्यता पर बोलें उसके लिये मैंने आपको अवसर दिया है, हिन्दू मुसलमान की बात नहीं है।

श्री हरिश्चन्द्र, हरीश जी–

यह मैं इसलिए कह रहा हूं कि अगर हिन्दू मुसलमान वाली बात होती और उसके कारण तनाव होता तो बात सही थी। मैंने सैकड़ों मुसलमान भाइयों से बात की तो उन्होंने कहा कि हम लोग नहीं गये थे। कोई उत्तेजक भाषण नहीं हुआ लेकिन आवेश में आकर गोली वर्षा करके लोगों की जान ली गयी है। इसलिये मेरी मांग है कि डुमरियागंज के थानाध्यक्ष को सस्पेंड करके न्यायिक जांच कराई जाय। इसके साथ ही मृतक की विधवा को एक लाख रुपये क्षतिपूर्ति के रूप में और उसको गुजारा भी मिलना चाहिए। मान्यवर, धारा 188 में 32 लोगों को पकड़ा गया है और 35 लोगों को संगीन अपराधिक धाराओं में इसलिए पकड़ा गया है कि गोली वर्षा के औचित्य को सिद्ध किया जा सके। इसलिए मान्यवर, सदन का कार्य रोक कर इस पर चर्चा कराये जाने की मांग करता हूं।

*श्री सत्यपाल सिंह–

मान्यवर, डुमरियागंज की घटना शांति व्यवस्था की बिगड़ती हुई एक कड़ी है। आपने, सरकार ने सारे समारोहों पर रोक लगा दिया है लेकिन डुमरियागंज में इस प्रकार का समारोह होने जा रहा था जिसको रोकने की व्यवस्था सरकार ने नहीं किया था। वहां 1500 लोग इकट्ठे हुए और बाद में सरकार ने उनको रोका यदि पहले

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

यह रोक सरकार लगा देती तो अच्छा होता।

मान्यवर, डुमरियागंज की घटना तो एक कड़ी है और यही स्थिति सारे प्रदेश में है, आज प्रदेश में विस्फोटक स्थिति है जिससे सरकार को आज घोषणा करना पड़ रहा है कि 24 घंटे पिछले शांतिपूर्वक प्रदेश में बीते। आज स्थिति बड़ी असामान्य है और विस्फोटक है यदि सरकार ने तुरन्त कार्यवाही नहीं किया तो इसके अच्छे परिणाम नहीं होंगे और यह केवल प्रदेश में ही नहीं बल्कि पूरे देश में विस्फोटक स्थिति पैदा हो जायेगी।

श्री हुकुम सिंह–

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, कुछ बातें श्री हरिश्चन्द्र जी ने कही जिनकी ओर मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं और श्री सत्यपाल सिंह ने सरकार पर आरोप ही लगाया है।

मान्यवर, यह कभी-कभी विभिन्न नामों से मंच बनाकर लोग आ जाते हैं। लेकिन एक मंच हिन्दू जागरण मंच बना, उसने आवाहन किया एक सभा का राम जन्म भूमि का और प्रचार किया तमाम ग्रामीण अंचलों में कि इस सभा में बाबा परमहंस पधार रहे हैं। उनके लोग दर्शन के लिये आते रहे। मान्यवर, जब सभा करने की अनुमति मांगी गयी तो जिला प्रशासन ने कहा कि सभा पर प्रतिबंध लगा है, इसलिये सभा नहीं होने देंगे। लेकिन प्रचार हुआ कि बाबा आ रहे हैं तो उन्होंने सोचा कि बाबा के दर्शन करने आयें किन्तु सभा में बहुत ही भड़काने वाला भाषण उत्तेजना वाला भाषण दिये जाने का परिणाम हुआ कि जिला प्रशासन को बल प्रयोग करने के लिये विवश होना पड़ा। यदि उत्तेजित भाषण न होता तो शायद वहां यह स्थिति न आती। उत्तेजित भाषण के अलावा उन्होंने दूसरे वर्ग पर आरोप लगाये, इसलिये भीड़ को तितर-बितर करने के लिये पुलिस को मजबूर होना पड़ा लेकिन भीड़ ने पुलिस पर पत्थर फेंके जिससे 11 पुलिस के सिपाही, एस0 डी0 एम0, ए0 एस0 डी0 एम0, ए0 डी0 एम0 आदि पथराव से घायल हुए। मजबूरन पुलिस ने लाठी चार्ज किया और आंसू गैस के गोले फेंके जिससे चार लोग घायल भी हुए। मान्यवर, उसमें एक गम्भीर रूप से घायल हुआ और एक की मृत्य हो गयी, दो को साधारण चोटें आयीं थी जिनको अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया गया है।

मान्यवर, मेरा पुनः आग्रह है कि इन बातों को बार-बार उजागर न किया जाये और उत्तेजना न पैदा करें। मान्यवर, हम तो जिम्मेदार हैं ही लेकिन आप भी कुछ कम जिम्मेदार नहीं हैं। मेरा आग्रह है कि इस बात को यहीं समाप्त किया जाय।

श्री हरिश्चन्द्र, हरीश जी –

यह डी0 एम0 का इस सम्बन्ध में वक्तव्य हमारे पास है, मंत्री जी को देना चाहूंगा, वह देख लें, कहीं इसमें मुनादी का एक शब्द भी नहीं लिखा है।

श्री उपाध्यक्ष–

वह टाइप की कमी से रह गया होगा। (व्यवधान)

***श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–**

घटना यह है हमारे क्षेत्र की 22 तारीख को सायंकाल दिनदहाड़े भीड़भाड़-पूर्ण इलाके में एक शान्तिप्रिय नवयुवक

*वक्ता ने भाषण का नुनरीक्षण नहीं किया।

की कुछ बदमाशों ने हत्या कर दी। उसका गुनाह केवल इतना था कि सीतापुर जिले के कुछ कुख्यात बदमाश वहां बाजार के दुकानदारों से नाजायज वसूली बराबर किया करते हैं, वहीं लोग उसकी दुकान पर भी पैसा मांगने आये थे किन्तु उसने इस बार उन्हें पैसा देने से इन्कार कर दिया था । इसमें सबसे दुखद बात यह है जो इसकी ग्राह्यता से भी सम्बन्धित है सायंकाल इसकी सूचना पुलिस को दे दी गयी थी। क्योंकि पैसा न मिलने पर बदमाश यह कह कर उससे चले गये थे कि सात बजे आकर तुमको देख लूंगा। इसकी सूचना समय से सरकार के पास, पुलिस के पास थी और ठीक सात बजे बदमाश लोग बन्दूक लेकर, बाजार से घूमते हुए आये और उन्होंने बिल्कुल नजदीक से आकर उसके चार गोलियां मार दीं और गोलियां मारकर उसको खत्म कर दिया।

जहां पर यह घटना हुई, आपके विधायक परागीलाल जी भी उस स्थान के बारे में जानते हैं, वहां के पास 4 पुलिस गाड़ियां मस्कट-जवान युक्त खड़ी थीं । हजारों पुलिस और पी0 ए0 सी0 सीतापुर में घूम रही थी। चार गोलियां चलीं और चार गोलियों में पहली और चौथी में एक मिनट का फर्क रहा होगा। पुलिस वाले अपने स्थान से टस से मस नहीं हुए, वह मार दिया गया। इस संबंध में, वहां की जनता और मेरी मांग है कि सम्बन्धित शहर कोतवाल को तुरन्त हटाया जाए। जो पुलिस-कर्मी वहां खड़े थे और उन्होंने कार्यवाही नहीं की, उनको भी हटाया जाए। इस घटना के सम्बन्ध में कांग्रेस (आई0) के लोग भी मिलने गये थे। यह तत्काल घटित घटना है, इसको लेकर नगर में उत्तेजना है। उत्तेजना न होती तो शान्तिप्रिय लोग अपने कामधन्धे में लग गये होते, किन्तु आज वहां का बाजार पूरा बन्द है। आधे घन्टे पहले तक की हमारे पास सूचना है कि वह अपराधी अभी पकड़ा नहीं गया।

श्री उपाध्यक्ष–

ठीक है, जानकारी होगी तो वह देंगे।

श्री हुकुम सिंह–

श्री गुप्त जी ने कहा, मैंने सूचना को देखा है। मैं आश्वस्त कर रहा हूं अधिकारियों से सम्पर्क भी करूंगा और अपराधी को गिरफ्तार करने के लिए पूरी कार्यवाही की जाएगी।

कुंवर रेवती रमण सिंह–

मैंने जो सूचना दी है, चार दिन पहले हमारे निर्वाचन क्षेत्र में मिर्जापुर सड़क पर दिनदहाड़े साढ़े 9 बजे 2 आदमियों की हत्या कर दी गई और उनकी सुरक्षा में जो सुरक्षा गार्ड्स थे, उनको भी गोली लगी। एक आदमी और घायल है। यह घटना दिन में घटी। वहां से तीन किलोमीटर पर थाना है। यह हत्यारे मारकर पैदल भागे थे और गंगा नदी को पारकर के गये, लेकिन पुलिस उन्हें गिरफ्तार नहीं कर सकी। यह भी सूचना है कि यह जो हत्यारे थे, उनके शस्त्र निलम्बित हो चुके थे, लेकिन पुलिस प्रशासन ने एक साल होने पर भी उन्हें जमा नहीं कराया था। वह जमा नहीं करा सकी थी। चार रोज पहले यानी इस घटना के दो दिन पहले बगल के थाने में बन्दूक पकड़ी गई थी, लेकिन राजनैतिक हस्तक्षेप के कारणवश शाम को छोड़ दी गई ।

मेरे निर्वाचन क्षेत्र में एक करछना थाना है, उसके अन्तर्गत एक साल में 8 राजनैतिक हत्याएं हो चुकी हैं और यह सिलसिला जारी है, परन्तु पुलिस और प्रशासन इसके खिलाफ कोई कार्यवाही इसलिए नहीं कर पाता है कि वहां के इनकी पार्टी के नेता श्री के0 पी0 तिवारी जो पूर्व मंत्री भी रह चुके हैं का उन अपराधियों को संरक्षण मिला हुआ है। वहां पर स्थिति बहुत ही विस्फोटक हो गई है। घटना के तीसरे दिन उसका पोस्टमार्टम कराया गया।

मान्यवर, यह इनकी कार्यकुशलता देखें कि जब हत्या हो गयी तो तीसरे दिन पोस्टमार्टम हुआ। इससे मुकदमा कमजोर हो जायगा। मान्यवर, स्थिति इतनी भयानक होती जा रही है कि क्या राजनीतिक और सामाजिक जीवन में काम करने वाले लोग काम कर पायेंगे या नहीं। दिन दहाड़े हत्याएं होंगी और हत्यारे घूमते रहेंगे और उनके खिलाफ कार्यवाही नहीं होगी। तो मैं चाहूंगा कि इस पूरे मामले पर सरकार से वक्तव्य दिलाने की कृपा करें।

श्री उपाध्यक्ष–

संसदीय कार्य राज्य मंत्री जी, कुछ कहना चाहेंगे।

श्री हुकुम सिंह–

मान्यवर, सम्मानित सदस्य ने नेता सदन को जैसे ही इस बात की जानकारी दी थी तुरन्त उन्होंने निर्देश दिया था। प्रभावी कार्यवाही इस पर की जा रही है। माननीय सदस्य इस बात से सन्तुष्ट होंगे कि अब इस पर वक्तव्य की आवश्यकता नहीं है। मैं आश्वस्त करता हूं कि जो भी कार्यवाही और अपेक्षित होगी वह की जायगी।

श्री अशोक बाजपेयी–

मान्यवर, मेरी बात सुन लें। भ्रष्टाचार का मामला है।

श्री उपाध्यक्ष–

बाजपेयी जी, आप बैठें। पी0 यू0 सी0 इसको देख लेगी।

श्री अशोक बाजपेयी–

मान्यवर, मुझे सुन लें।

श्री उपाध्यक्ष–

आपका हुक्म तो बिना सुने ही माना जा रहा है।

*श्री सूर्य प्रताप शाही–

मान्यवर, मैंने जो कार्य स्थगन का प्रस्ताव दिया है वह अविलम्बनीय लोक महत्व का है। सारे प्रदेश में कानून और व्यवस्था की स्थिति में गिरावट आयी है। उत्तर प्रदेश में सामूहिक हत्याकांडों के साथ-साथ फिर से सारे प्रदेश में डकैतों का आतंक खड़ा हो गया है। बांदा जनपद में एक सप्ताह में 6 व्यक्तियों का अपहरण किया गया है और फिरौती की मांग हो रही है और अब तक बांदा की पुलिस ने कोई कार्यवाही नहीं की है। 23-2-86 को मानिकपुर के मारकुंडी गांव के लाला भैया के पौत्र का अपहरण हुआ और 18 फरवरी को शिव प्रसाद का अपहरण हुआ। मैं कहना चाहता हूं कि 6 व्यक्तियों का अपहरण हुआ है डेढ़-डेढ़ लाख और दो-दो लाख की मांग हो रही है। एक आदमी 80 हजार देकर छूट कर आया है। बांदा जनपद में पुलिस का शासन नहीं रह गया है। वहां पर डकैत ददुआ का आतंक खड़ा हो गया है और उसका शासन बांदा में चल रहा है।

(श्री राजकिशोर सिंह के खड़े होने पर)

* वक्ता ने भाषण का पुनरीक्षण नहीं किया।

श्री उपाध्यक्ष–

आपकी सूचना बनारस की घटना से सम्बन्धित है। इस पर चर्चा हो चुकी है। इसकी मैं इजाजत नहीं दे रहा हूं।

श्री सूर्य प्रताप शाही–

मान्यवर, मैं मांग करता हूं कि बांदा जनपद में डकैतों के मामले में सरकार का वक्तव्य आये।

श्री राज किशोर सिंह–

मान्यवर, वहां पुलिस ने घरों में घुसकर लूटपाट की है। बच्चों को मारा है, लोगों को गिरफ्तार किया है।

श्री उपाध्यक्ष–

मैं आपसे निवेदन करूंगा कि बनारस के मामले पर कुछ न कहें। मैं इसकी इजाजत नहीं दे रहा हूं।

श्री मैनेजर सिंह–

मान्यवर, व्यवस्था का प्रश्न है।

मैंने एक सवाल उठाया था। यह तय हुआ था कि 2 बजे के बाद इस पर चर्चा समाप्त हो जाय और बजट पर चर्चा हो तो मान्यवर, बजट के समय का अपहरण हो रहा है।

श्री उपाध्यक्ष–

मैं समाप्त कर रहा हूं। मैं किसी को इजाजत नहीं दे रहा हूं। विधायकों की गिरफ्तारी का मामला था उसकी वजह से विलम्ब हो गया।

यह जो फतेहपुर से सम्बन्धित घटना है इसको मैं वक्तव्य के लिये स्वीकार करता हूं। मा0 औसान सिंह की जो सूचना है उस पर मैं सरकार का ध्यान आकर्षित करता हूं। बलिया वाला जो मामला है उस पर स्टेटमेंट गवर्नमेंट दे। बाकी सब अस्वीकार है।

श्री राम सरन–

यह विधायकों का जो मामला है।

श्री उपाध्यक्ष–

अस्वीकार है।

1986-87 के आय-व्ययक पर सामान्य चर्चा (क्रमागत)†

*श्री किशन सिंह तड़ागी–

मान्यवर, मैं आपका बहुत आभारी हूं कि आपने माननीय मुख्य मंत्री जी द्वारा वर्ष 1986-87 के प्रस्तुत बजट पर बोलने का अवसर दिया। यद्यपि यह घाटे का बजट है परन्तु फिर भी उसमें करों का कोई प्रस्ताव नहीं है, इसलिए कि कुछ ही दिनों पहले पेट्रोलियम के दाम बढ़ा दिए गए थे, जिसके कारण आम जनता काफी परेशान हुई। और मिट्टी का तेल जिसे कर्मचारी व अन्य आम जनता इसे इस्तेमाल करती है और साथ ही साथ चूल्हे व गैस आदि के दाम, जिसे मिडिल क्लास के लोग इस्तेमाल करते हैं। और साथ ही साथ डीजल व पेट्रोल के भी दाम बढ़े, जिससे जनता स्वाभाविक है कि कुछ परेशान हुई परन्तु जब यह बजट प्रस्तुत किया गया तो उसमें कोई कर का प्रस्ताव नहीं था, जिससे आम जनता को काफी राहत मिली और चैन की नींद हासिल हुई।

(इस समय 2 बजकर 41 मिनट पर अधिष्ठाता, श्री खान गुफरान जाहिदी पीठासीन हुए)

मान्यवर, यह एक ऐसा बजट है जो हमारी प्रयोजनाओं को, कार्यक्रमों को आगे तेजी से गति देने वाला है और इसमें यह भी दिया गया है कि हमारे प्रदेश के जो कमिश्नर हैं, वही अपने-अपने क्षेत्रों के कामों को देखेंगे, उन्हीं की इस ओर जिम्मेदारी है कि कौन सा कार्य हुआ और कौन सा कार्य नहीं हुआ, वहीं देखेंगे।

†दिनांक 24 फरवरी, 1986 की कार्यवाही से।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

मान्यवर, विपक्ष की ओर से बराबर यह कहा जाता है कि हमारे प्रदेश ने तरक्की नहीं की और इसमें किसी भी क्षेत्र में तरक्की नहीं हुई तो मैं आपके माध्यम से उन्हें बताना चाहूंगा कि आप खाद्यान्न योजना को देखें जिसमें आज हम आत्म-निर्भर हो गए हैं, इसका श्रेय जहां एक ओर किसानों को जाता है, वहीं पर दूसरी ओर हमारी सरकार को भी जाता है क्योंकि समय पर बीज को उपलब्ध कराया, खाद को उपलब्ध कराया, सिंचाई व्यवस्था का सही इन्तजाम किया और यदि खेतों में किसी प्रकार के कीड़े लगने की आशंका हुई तो उसमें समय से कीटनाशक दवाओं का छिड़काव कराया आदि । इस कारण हमारी जो आज की फसलें हुई हैं, उनमें एक नया कीर्तिमान स्थापित हुआ है । मान्यवर, 83-84 में खाद्यान्न का उत्पादन 292 लाख मीट्रिक टन हुआ । वर्ष 1984-85 में बढ़कर 318 लाख मीट्रिक टन उत्पादन हुआ और इसके बाद इस साल की फसल का जो अनुमान लगाया गया है वह 334 लाख मीट्रिक टन का है। इसलिए मान्यवर, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि हमारी सरकार ने जिस तरह से दिन पर दिन उत्पादन बढ़ाने का प्रयास किया है इसी प्रकार से किसान को उनकी मेहनत का सही भाव मिले इसके लिए भी उन्होंने क्रय केन्द्र स्थापित किए ताकि इनके गल्ले को व्यापारीगण व दलाल आदि न प्राप्त कर सकें । मान्यवर, सन् 84-85 और 85-86 में जो क्रय केन्द्र बने थे वह बाद में बने जबकि काश्तकारों ने अपने गल्ले को मण्डी पहुंचाना शुरू कर दिए थे । इसलिए सरकार से इस ओर हमारा एक सुझाव है मान्यवर, आपके माध्यम से कि यह सेन्टर मार्च के अंत तक स्थापित हो जाने चाहिए और वहां पर सेन्टर से संबंधित सरकारी कर्मचारी पहुंच जाने चाहिए, देर में पहुंचने से उनका माल दूसरी जगह पहुंच जाता है, समय से खुल जाने पर किसानों को भी आसानी होगी और मान्यवर, उनका माल भी दूसरी जगह नहीं जा पायेगा । दूसरे आप कहते हैं कि विद्युतीकरण में हमारे प्रदेश में कोई तरक्की नहीं हुई। इस संबंध में मैं बताना चाहूंगा कि आज इस सरकार द्वारा गांव-गांव और शहरों-शहरों में बिजली पहुंचा दी गई है । मान्यवर, हमारे यहां एक लाख, 12 हजार, 568 लगभग गांव हैं, जिसमें करीब 64,157 गांवों में विद्युतीकरण हो चुका है । यद्यपि यह 50-52 प्रतिशत हुआ है, किन्तु आने वाले समय में किस प्रकार यह सरकार विद्युतीकरण करने जा रही है कि 1990 तक उत्तर प्रदेश के अन्दर 1 लाख, 12 हजार, 568 गांवों में विद्युतीकरण हो जायगा । आज-कल के युग में विद्युतीकरण का होना मान्यवर, बहुत आवश्यक है । यही नहीं, सड़कों का जाल दिन प्रति दिन बिछ रहा है, आने-जाने की सुविधा हो गई है । हमारे प्रान्त में पक्की सड़कें केवल 79,000 किलोमीटर ही है, किन्तु भविष्य में और बढ़ने की सम्भावना है ।

मान्यवर, पर्वतीय क्षेत्र में यद्यपि बार-बार इस सदन में यह चर्चा आती है कि पर्वतीय क्षेत्र में काफी रुपया खर्च हो रहा है, मैं आपके माध्यम से यह बताना चाहता हूं कि वन अधिनियम के कारण इस समय विकास का कार्य करीब-करीब ठप हो गया है । मैं आपके माध्यम से सरकार से कहना चाहता हूं कि जो भारत सरकार ने वन अधिनियम, 1980 लागू किया है, उसे हटाया जाय, जिसकी वजह से न स्कूल बन पा रहे हैं, न सड़कें बन पा रही हैं, न अस्पताल बन पा रहे हैं । जहां पर एक भी पेड़ आ जाता है, फारेस्ट डिपार्टमेन्ट उसको काटने की इजाजत नहीं देता है । तो इस तरह से विकास के कार्य में बहुत कमी आ रही है और वह करीब-करीब ठप पड़ा है।

तो मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि इस प्रतिबन्ध को हटाया जाय ।

मान्यवर, परिवहन का कार्य भी संतोषजनक चल रहा है और 1986-87 में 1233 नई बसें क्रय करने का सरकार का लक्ष्य है, जिससे आम जनता को सुविधा मिलेगी। मान्यवर, शिक्षा के क्षेत्र में भी हमारा प्रदेश काफी तरक्की कर रहा है । मान्यवर, अगर पर्वतीय क्षेत्र का विकास करना चाहते हैं, तो वहां पर पर्यटन को बढ़ावा देना चाहिए, जिसके लिए बरेली से काठगोदाम तक बड़ी लाइन का होना अत्यन्त आवश्यक है, ताकि पर्यटक लोग बम्बई, मद्रास, कलकत्ता से सीधे नैनीताल या अन्य पर्वतीय क्षेत्र में जा सकें । इन शब्दों के साथ, मैं पुनः मान्यवर, आपको धन्यवाद देता हूं और आपका आभार प्रकट करता हूं और इस बजट का समर्थन करता हूं ।

कुंवर रेवती रमण सिंह–

माननीय अधिष्ठाता महोदय, माननीय मुख्य मंत्री ने वर्ष 1986-87 का बजट पेश किया है, जो कि घाटे का बजट है । मान्यवर, यह कांग्रेस संस्कृति की देन है कि चाहे केन्द्र हो, चाहे प्रदेश हो, ये बजट घाटे का ही पेश करते हैं और उसमें कर का प्राविधान नहीं करते हैं । लेकिन जो संसदीय प्रणाली है, वित्तीय नियम हैं, उसको ताख पर रख देते हैं,

मान्यवर, आप देखें कि यह बजट आया नहीं, पेट्रोलियम का दाम बढ़ा दिया और ये उसका समुचित उत्तर दे नहीं पाये और नाटकीय ढंग से कांग्रेस अध्यक्ष ने प्रधान मंत्री से कहा, दोनों व्यक्ति एक ही हैं, लेकिन कांग्रेस अध्यक्ष ने प्रधान मंत्री से कहा, तो दाम 10 प्रतिशत घट गए । यह सब केवल नाटक था ।

(व्यवधान)

श्री वीरेन्द्र नाथ दीक्षित–

मान्यवर, यह केन्द्रीय बजट के संबंध में चर्चा हो रही है या प्रदेश के बजट पर चर्चा हो रही है ?

श्री अधिष्ठाता–

आप बैठें । वह केन्द्र का सन्दर्भ दे रहे हैं, उसे कहा जा सकता है ।

कुंवर रेवती रमण सिंह–

मान्यवर, अपने साल भर का लेखा-जोखा हम दे नहीं सकते हैं । हम यह नहीं कर सकते हैं कि हम क्या वित्तीय व्यवस्था चलायेंगे, तो हम इस देश को कैसे चलायेंगे ? आज देश में इतनी अशान्ति है, उसी का कारण था कि दिल्ली में इतना बड़ा प्रदर्शन हुआ था । मान्यवर, मुझे अफसोस है कि इक्कीसवीं सदी में जाने वाले लोग इस देश में आज जनता की बात करते हैं और मिट्टी के तेल की कीमत को बढ़ा देते हैं । मान्यवर, आप भी जानते हैं कि आज गांव में मिट्टी का तेल उपलब्ध नहीं है और अगर उपलब्ध है, तो ब्लैक में 4 रु0 लीटर मिल रहा है । आज गेहूं मिल रहा है साढ़े तीन रुपये किलो । अरहर की दाल आठ रुपए किलो मिल रही है । मिट्टी का तेल चार रुपए लीटर मिल रहा है । एक गरीब आदमी मान्यवर, कैसे गुजारा करेगा । आप हिसाब लगा लें एक परिवार के लिए, अगर पांच आदमियों का परिवार है तो पचास रुपया मिट्टी के तेल में लगता है । आज गांव में पुआल जलाकर लोग खाना खा लेते हैं लोग अंधेरे में बैठे रहते हैं । इन्होंने गरीब की हांडी छीन ली है, उसे अंधेरे में रहने को मजबूर कर दिया है ।

(श्री हरदेव जी के कुछ कहने पर ।)

हरदेव जी काबिल आदमी हैं, इनकी काबिलियत की जितनी तारीफ की जाए कम है । मान्यवर, आज प्रदेश में जनता में असंतोष पैदा हो गया है। यह कृषि

की बात करते हैं कि कृषि में इतनी तरक्की कर ली, आज प्रदेश बहुत आगे है । मान्यवर, जहां उत्तर प्रदेश का रकबा देख लें, उत्तर प्रदेश की कृषि योग्य भूमि का रकबा देख लें और पंजाब और हरियाणा की जमीन का रकबा देख लें और पैदावार देख लें, वह हमसे चार-पांच गुना ज्यादा पैदावार कर रहे हैं । हमारी पैदावार कम होती है, क्योंकि हम सही मायने पर खाद और बीज किसानों को उपलब्ध नहीं करा पाते हैं । सही मायने में उनको सिंचाई के लिए पानी उपलब्ध नहीं करा पाते हैं, जितने टाइम बिजली किसानों को पंजाब और हरियाणा देते हैं उतनी बिजली हम नहीं दे पाते हैं, तो जाहिर है कि उत्पादन कम होगा । यह बहुत तरक्की की बात करते हैं । कहा गया कि प्रधानमंत्री जब आपकी तरफ के थे तो गन्ना खेतों में जल गया । लेकिन अब जब इनकी सरकार है तो गन्ने का उत्पादन दिन-प्रति-दिन घटता जा रहा है । आज गन्ने का उत्पादन 13.9 परसेंट कम हुआ है । मानयवर, यह स्थिति रही है ।

आप देश में चीनी आयात करेंगे नहीं, किसानों को समर्थन मूल्य दिलायेंगे नहीं, मान्यवर, यह किसानों को क्या मूल्य देते हैं इस पर जरा गौर कर लें । इन्होंने गेहूं का मूल्य 162 रु0 रखा है । वर्मा जी ने प्रश्न किया था, लेकिन कृषि मंत्री ने उत्तर नहीं दिया । मान्यवर, चन्द्रशेखर आजाद विश्वविद्यालय ने आंकड़े निकाले हैं, उसमें 233 रुपये लागत मूल्य आता है और यह देते हैं 162 रुपये । यह किसानों का समर्थन करने वाली सरकार है । जो लागत मूल्य भी नहीं देती है । मान्यवर, यही नहीं जो यह लागत मूल्य घोषित करती है वह किसानों को नहीं मिल पाता है । मान्यवर, इन्होंने तय किया कि किसानों को लागत मूल्य देंगे और क्रय केन्द्र खोलें नहीं । इन्होंने हेराफेरी की इन्होंने बिचौलियों को चेक दे दिया, किसानों को चेक भी नहीं दिया । किसानों को अपना गेहूं 140 रु0 145 रु0 बेचना पड़ा । 100 रु0 और 90 रुपये धान बेचना पड़ा। यह सरकार बिचौलियों की सरकार है आम जनता की सरकार नहीं है । यह दोहरी नीति अपनाती है । सीमेन्ट का दोहरा मूल्य है तमाम चीजों का दोहरा मूल्य है। यह सरकार किसान का मूल्य तय करेगी दिल्ली के एयर-कण्डीशन कमरों में बैठकर, जो मिल में माल बनेगा उसको मिल-मालिक तय करेगा, मान्यवर, आंकड़े देख लें पिछले पांच सालों में दाम बढ़े हैं। 40 प्रतिशत दाम बढ़े हैं। इसको देख लीजिए । 5 प्रतिशत का बढ़ाया और व्यापार पर जो मिल में सामान बनता है उस पर 40 प्रतिशत बढ़ा दिया। यह सरकार किसानों की है, आम जनता की है, या बड़े-बड़े पूंजीपतियों की है, कुछ समझ में नहीं आता है। यह सरकार बिल्कुल पूंजीपतियों की सरकार है। उन्हीं के फायदे के लिये यह सरकार काम कर रही है ।

मान्यवर, पिछले साल गन्ने का उत्पादन 20.8 लाख मीट्रिक टन हुआ और 85-86 में 17.36 लाख मीट्रिक टन हो गया। क्यों गन्ने का उत्पादन घट रहा है । किसान गन्ना क्यों नहीं बो रहा है । आपने 26 रुपये गन्ने का मूल्य तय किया। स्वर्गीय रफी अहमद किदवई ने एक फार्मूला तय किया था, उस फार्मूले को सरकार क्यों नहीं लागू करती है। उस फार्मूले को सरकार लागू कर दे तो किसान को 35 रुपये मिलेगा। लेकिन उसको यह अक्षम सरकार लागू नहीं कर सकती है। दो रुपया बढ़ाकर भीख दे दिया। यही कारण है कि आज गन्ने का उत्पादन घट रहा है ।

मान्यवर, आलू के बारे में जो माननीय सदस्य इधर या उधर बैठे हैं सब जानते हैं कि इतना आलू का उत्पादन हुआ, आलू सड़ गया किसानों ने उसको खोदा नहीं। इसलिये नहीं खोदा की आलू की कीमत 20 रुपये कुन्तल आपकी सरकार ने तय किया, किसानों को समर्थन मूल्य आप दिला नहीं पाये। इस साल हमारे प्रदेश में जितने कोल्ड स्टोरेज हैं, उनकी क्षमता इतनी नहीं है कि उसमें पूरी आलू रखी जा सके। इतने साल हो गये इस सरकार ने आलू के उद्योग के लिए कुछ नहीं किया, आलू से आटा बनाने का विचार चल रहा है, आलू से बोदका शराब बनाने का विचार चल रहा है, यह सरकार विचारों पर चल रही है। तारीफ तो यह है कि एक तरफ इनकी योजनायें चल रही हैं और उद्योग लग रहे हैं, दूसरी तरफ गरीब और गरीब हो रहा है।

इसी तरह मान्यवर, आप सीमेन्ट को ले लें। आप देखें यह कितना जरूरी उद्योग है। 83-84 में 9.99 लाख मीट्रिक टन सीमेन्ट का उत्पादन हुआ था 84-85 में यह 9.40 लाख मीट्रिक टन हो गया। यह भी घट रहा है। यह प्रदेश को तरक्की के रास्ते पर ले जाना चाहते हैं। हम किस क्षेत्र में आगे बढ़ रहे हैं। आज जो हमारी स्थिति है वह दिन प्रति दिन दयनीय होती जा रही है। आप देखें हमारे 59 निगम हैं इनमें से 35 निगम घाटे पर चल रहे हैं। 3 अरब का घाटा है। थोड़ा बहुत घाटा नहीं है। अगर हमारी सरकार यह घाटा रोक ले तो प्रदेश में नये कर लगाने की आवश्यकता न रहे। 45 सौ करोड़ की पूंजी लगी है लेकिन व्यवस्था ठीक नहीं हो पाती है। यह व्यवस्था इसलिए नहीं ठीक हो पाती है कि आई0 ए0 एस0 की पोस्टिंग करते हैं एक दो साल बाद वह चले गये, दूसरा आ गया। मान्यवर, आज तक यह कोई कैडर नहीं बना पाये जो निगमों को देखते, लेकिन कोई कैडर नहीं बनाया। मान्यवर, आप कानपुर गये होंगे। आप वहां से संबंधित हैं। लखनऊ में ही इन निगमों के कार्यालय आप देख लें। एक-एक एम0 डी0 के पास 3-3 गाड़ियां हैं, 4-4 एअर कंडीशनर हैं, अच्छे फर्नीचर हैं तो यह क्या हो रहा है। हमारा प्रदेश गरीब प्रदेश है। इसमें यह स्थिति कैसे हो रही है? निगम घाटे में चल रहे हैं, लेकिन करोड़ों की फिजूल-खर्ची हो रही है। इसके लिए कोई उत्तर-दायी भी नहीं है न कोई व्यवस्था है। यही स्थिति लगातार चलती जा रही है। अभी तक इसमें सुधार का कोई लक्षण दिखाई नहीं पड़ा है।

मान्यवर, अभी तक इन्होंने यह कहा कि बिजली के बारे में, मैं यह कहना चाहूंगा कि अभी एक सदस्य ने नैनीताल के तड़ागी साहब ने, कहा कि गांव में बिजली नहीं थी, शहरों में नहीं थी, लेकिन अब दिखाई पड़ रही है। आज तक केवल 65 हजार गांवों में विद्युतीकरण हो पाया है। अगर यही गति रही तो आने वाली सदी के अन्त तक सभी गांवों में बिजली नहीं पहुंच पायेगी। फिर भी अभी सब गांवों में बिजली नहीं लगी है। एक गांव में एक खम्भा लग गया तो मान लिया गया कि विद्युतीकरण हो गया। 48 हजार गांव आज भी बिना बिजली के हैं। सारे गांवों को ले लें तो संख्या लाखों में होगी। ये तो एक रेवेन्यू विलेज को लेकर मान लेते हैं कि सब में हो गया जबकि एक गांव में कई पुरवे होते हैं।

ये हरिजनों की बहुत बातें करते हैं। सरकार को मालूम नहीं है कि उसके प्रदेश में कितनी हरिजन बस्तियां हैं। आंकड़े देते हैं कि उन्होंने 36 हजार बस्तियों में बिजली लगवा दी, लेकिन बस्तियां कुल

कितनी है, यह इन्हें मालूम ही नहीं है। हरिजनों को सहायता के नाम पर देते हैं पांच हजार, खम्भे लगवाते हैं केवल तीन। एक गांव में कई पुरवे होते हैं। ये पूरे गांव में केवल एक पोल देकर छुटकारा पा लेते हैं तो इनकी दृष्टि में फर्क है। शिक्षा के बारे में मा0 मुख्य मंत्री जी ने कहा कि आज हम शिक्षा को तेज कर रहे हैं और आगे बढ़ा रहे हैं। जो ग्रामीण अंचल में स्कूल हैं, उनमें 900 टेली-विजन लगवा रहे हैं तो यह सरकार केवल टेलीविजन दे रही है, और कुछ नहीं दे पा रही है। इसी का नतीजा सब लोग जानते हैं कि 80 प्रतिशत गांवों में स्कूलों में भवन नहीं हैं। वहां भवन विहीन विद्यालय हैं। बच्चे पेड़ों के नीचे बैठकर पढ़ते हैं। पानी बरसे, धूप हो या कोई भी बात हो तो छुट्टी हो जाती है। उन स्कूलों में ये टेलीविजन लगवा रहे हैं। भवन नहीं बनवा रहे हैं। टाट नहीं है, पट्टी नहीं है। उसकी व्यवस्था नहीं करेंगे, लेकिन टेलीविजन लगाकर शिक्षा की व्यवस्था करेंगे।

मान्यवर, मुझे यह भी कहना है कि एक बार फ्रांस में रेवेल्यूशन हुआ था तो उनकी महारानी ने बाहर निकल कर पूछा कि यह भीड़ क्यों इकट्ठा है? उन्हें बताया गया कि इनके पास रोटी नहीं है। तो उन महारानी ने कहा कि रोटी नहीं है तो केक खिलवा दीजिए। तो भवन नहीं है, कुर्सी नहीं है, टेबिल का इंतजाम नहीं है, ये टी0वी0 लगवा कर व्यवस्था करेंगे। ये पौष्टिक आहार नहीं देंगे, दो समय का खाना उन बच्चों को नहीं मिल पा रहा है, उस बात की कोई व्यवस्था नहीं कर रहे हैं। टी0 वी0 लगवाकर शिक्षा देंगे। शिक्षकों को ये ठीक नहीं कर पा रहे हैं कि विद्यालयों में जाकर पढ़ायें। (लाल बत्ती जलने पर) मान्यवर, मैं पांच मिनट और बोलूंगा।

श्री अधिष्ठाता –

आप दो मिनट में समाप्त कर दें।

कुंवर रेवती रमण सिंह–

शिक्षा में इन्होंने कहा कि हम नये स्कूल खोल रहे हैं। जो नये स्कूल खोलने का प्रस्ताव है, एक जिले में 6.32 यानि एक जिले में 6 स्कूल खुलेंगे। जबकि एक जिले में लगभग 8-9 तहसील होती हैं। एक तहसील के हिसाब से एक भी प्राइमरी स्कूल नहीं आ रहा है। इसके अतिरिक्त यह कहना चाहता हूं कि जितने मान्यता प्राप्त विद्यालय हैं, उनमें से अधिकांश को अनुदान नहीं मिल पा रहा है।

मान्यवर, इस प्रदेश में 27 प्रतिशत साक्षरता है, बाकी लोग निरक्षर हैं। देश का साक्षरता प्रतिशत 37 प्रतिशत है। मान्यवर, इनके पास पैसा नहीं है कि जो लोग निरक्षर हैं, उनको शिक्षित कर सकें। मान्यवर, यह सरकार, गांव विरोधी, किसान विरोधी और हरिजन विरोधी है। मान्यवर, हरिजनों के जितने कत्ल और सामूहिक हत्याएं इनकी सरकार में हुए हैं, वह आज तक नहीं हुए हैं।

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से इस शासन से कहना चाहता हूं कि दृष्टि में परिवर्तन लाइये। जिनको दो जून का खाना नहीं मिल पा रहा है, उनके बारे में सोचें। भू-सम्पत्ति वाले लोग इन गरीबों को गांवों में रहने नहीं दे रहे हैं। मान्यवर, एक व्यवस्था की गयी है कि कानूनगो अब जायेगा आबादी बटवाने में। मान्यवर, तहसीलदार आबादी बटवा नहीं पाते हैं, कानूनगो क्या कर पायेंगे? कितनी हास्यास्पद स्थिति है।

मान्यवर, यह सरकार बड़े-बड़े शहरों में चौड़ी-चौड़ी सड़कें, पुल,

फुव्वारे बनवाकर यह सोचती है कि देश और प्रदेश तरक्की कर रहा है माननीय मुख्य मंत्री जी डि-सेन्ट्रेलाइज करके कमिश्नर्स को अधिक शक्ति और अधिकार दे रहे हैं । लोकसभा राज्य नहीं कर रहे हैं, माननीय सदस्यों को कोई अधिकार नहीं दे रहे हैं, कमिश्नर को और शक्तिशाली बना रहे हैं अधिकार देकर चुनाव करा कर किसी निर्वाचित जिला परिषद् के अध्यक्ष को अधिकार नहीं देना चाहते हैं, कमिश्नर को अधिकार दे रहे हैं । इन्हीं शब्दों के साथ मैं अन्त में यह कहना चाहता हूं कि यह सरकार अब ज्यादा दिन चलने वाली नहीं है । मैं उधर के बैठने वाले माननीय सदस्यों से कहना चाहता हूं कि अपने दिल पर हाथ रखकर सोचें कि यह सरकार कितना विकास का काम कर रही है ?

श्री गजराज सिंह–

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे माननीय मुख्य मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत बजट पर बोलने का अवसर प्रदान किया । मैं इसका समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं ।

मान्यवर, आज मुझे इस सम्मानित सदन में पांचवीं बार बोलने का मौका मिला है । मान्यवर, बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि जिस दिन महामहिम राज्यपाल का अभिभाषण हुआ, उसके दो दिन बाद जब मैं अपने घर गया, तो मेरे बच्चे ने जिसकी उम्र लगभग 8 साल है, मुझसे पूछा कि पापा जी वे कौन से अंकल हैं जो वहां (सदन में) गुब्बारे से खेलते हैं और रावण का मुखौटा पहनकर आते हैं । मैंने अपने बच्चे से कहा कि आगरा के एक विजय सिंह राणा जी हैं, कभी मौका मिला तो मैं तुम्हें उन्हें दिखाऊंगा । मान्यवर, आप सोचें कि जहां इस तरह का अनुशासन सम्मानित सदन के अंदर होता है । और जब बच्चे उनके बारे में सुनते हैं, तो उन पर क्या छाप पड़ती है । जो अपने ही मदर से फादर से या संभावक से उसके बारे में कहते हैं और सवाल करते हैं । मान्यवर, मुझे इसी परिपेक्ष्य में सभी सदस्यों से यह बात निवेदन करनी है कि वे विरोध करें लेकिन संसदीय भाषा के रूप में कभी उनके ही बच्चे उनसे इस तरह का सवाल कर बैठे तो वे क्या जवाब देंगे ।

अभी माननीय सदस्य अपनी बात कह रहे थे, किसानों के बारे में अपनी बात कही । मान्यवर, 6-7 साल पहले की बात मैं बताना चाहता हूं । गन्ने के बारे में मेरे ही हापुड़ शहर के कुछ लोग इनके नेता के पास दिल्ली गये और उन्होंने अपनी समस्या रखी । उन्होंने बिना सोचे समझे कह दिया कि मेरे ही खेत पर (सिर पर) गन्ना और बो दो । इस तरह से वे बेचारे अपमानित होकर बाहर आ गये। मान्यवर, यह बात उस समय की है जब गन्ना 4-5 रुपये क्विंटल तक बिका गन्ना खेतों में सूख गया था मान्यवर, हापुड़ क्षेत्र में आलू की अच्छी पैदावार होती है । उसी समय मेरे क्षेत्र में तमाम आलू सड़ गया, कोल्ड स्टोरेज में जगह नहीं मिल पायी । आलू 6 तथा 7 रु0 में बिकी अब मान्यवर, आप देखें लें हमारे यहां आलू की कीमत 50 रु0 प्रति मन मिल रही है । गन्ना 28 रु0 क्विंटल के हिसाब से दिया जा रहा है । मान्यवर, आप इस तरह से देखें कि माननीय मुख्य मंत्री जी के नेतृत्व में यह सरकार कम साधन

होने के बावजूद भी कितना अच्छा कार्य कर रही है, किसानों को उसकी उपज का मूल्य मिल रहा है ।

मान्यवर, आप गांवों की तरफ जायें, आप पायेंगे कि वहां पहले से काफी सुधार हुआ है ? विकास की दिशा में यह सरकार अग्रसर है । मान्यवर, आप देखें यदि कोई अल्प आय का व्यक्ति एक बिस्वा में मकान बनाता है, तो वह उसके लिये सीमेंट लोहा ईंट लाता है, नींव डलवाता है, उस पर तमाम काम करवाता है तब कहीं जाकर मकान खड़ा होता है । आज सरकार ने 30-32 वर्षों में अच्छा खासा कार्य करके प्रदेश का विकास किया । मान्यवर, मैं कहना चाहता हूं कि यह जो कच्ची सड़कें छोड़ गये थे, उस पर खडंजा हुआ है, लेपन हुआ है । यह कहते हैं कि सरकार कुछ नहीं कर रही है । मान्यवर, मैं पुनः इनसे यह कहना चाहता हूं कि विरोध करें लेकिन उसे संसदीय भाषा के रूप में करें । दो और दो चार होते हैं कम से कम पांच तो न कहें ।

मान्यवर, मैं अब शिक्षा के क्षेत्र में कुछ कहना चाहता हूं । मान्यवर, मैं 13-14 वर्षों तक एक अध्यापक रहा हूं, उसकी जानकारी कुछ मुझे है । मान्यवर, जहां सरकार ने शिक्षा के क्षेत्र में काफी प्रगति की है, वहीं कुछ खांमियां भी हैं । माननीय मुख्य मंत्री जी से यह अपेक्षा है कि उन खांमियों की तरफ विशेष ध्यान दें । मान्यवर, प्राइमरी शिक्षा की तरफ विशेषकर ध्यान देने की आवश्यकता है । हम सभी जो इस सदन में यहां बैठे हुए हैं, सभी प्राइमरी स्कूलों से पढ़कर आये हैं । मेरा यह मत है कि यदि उस तरफ विशेष ध्यान दिया जाय तो हम शिक्षा के क्षेत्र में काफी आगे बढ़ सकते हैं ।

श्री अधिष्ठाता–

आप अपनी बात समाप्त करें ।

श्री गजराज सिंह–

मान्यवर, हमारे प्रदेश ने उद्योग के क्षेत्र में भी काफी प्रगति की है। नित्य नये-नये उद्योग खुलते जा रहे हैं। मान्यवर, इसके अलावा वर्ष 86-87 में 500 नये प्राथमिक चिकित्सालय खोलने का प्रस्ताव है। परिवार नियोजन के सम्बन्ध में जनपद गाजियाबाद प्रथम आता रहा है, इस वर्ष भी प्रथम आयेगा। मैं यह कहना चाहता हूं कि परिवार नियोजन में जो खामियां हैं, उन पर विशेष रूप से ध्यान देने की आवश्यकता है। मान्यवर, एक विशेष वर्ग में परिवार नियोजन पर ध्यान नहीं दिया जाता है, मैं मा0 मुख्य मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि वे उस ओर भी ध्यान दें ताकि परिवार नियोजन अच्छी तरह से लागू हो जाय। इन्हीं शब्दों के साथ माननीय मुख्य मंत्री ने जो बजट पेश किया है उसका मैं समर्थन करता हूं। धन्यवाद।

श्री अधिष्ठाता–

माननीय हरीश जी, आप अपनी बात 5 मिनट में समाप्त करेंगे।

श्री हरिश्चन्द्र हरीश जी–

मान्यवर, 1986-87 का जो बजट जो सरकार ने पेश किया है, उसमें इस बात का उल्लेख किया गया है कि किसी प्रकार के कर नहीं लगाये गये हैं यह कोई नई बात नहीं है। यह तो बहुत पहले से चला आ रहा है। यह हमेशा कहते आये हैं कि बजट कर

मुक्त है लेकिन कर या तो बजट से पहले लगा दिया जाता है और या फिर ये बाद में कर लगाते हैं। बिजली के दरों में बढ़ोत्तरी, जल कर में बढ़ोत्तरी, स्टाम्प शुल्क में वृद्धि तथा बसों के भाड़े में बढ़ोत्तरी, हर चीज में तो इन्होंने बढ़ोत्तरी की है। इस बार भी इन्होंने बजट के पहले दरों में बढ़ोत्तरी की है और जो रह गया है, उसे ये बजट के पास होने के बाद बढ़ायेंगे। यह इन्होंने जो बजट प्रस्तुत किया है, और जो उसके आंकड़े हैं, उससे यह बात स्पष्ट होती है। 344.20 करोड़ रुपये की कमी इस बजट में दिखायी गयी है। मैं माननीय मुख्य मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि वह इस कमी को कहां से पूरा करेंगे? उन्होंने कहा है कि 255 करोड़ रुपये की पूर्ति प्राप्तियों से की जायेगी। इसके बावजूद भी 88 करोड़ रुपये का घाटा शेष रह जाता है। बजट में तीन बातों का उल्लेख किया गया है, जिससे यह घाटे को पूरा करेंगे।

श्री राम सागर–

मान्यवर, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। दल के सदस्यों की जो संख्या है, उसी अनुपात में माननीय सदस्यों को बुलवाया जाय।

श्री अधिष्ठाता–

यदि किसी माननीय सदस्य के बोलने में कोई अवरोध उत्पन्न करता है तो मैं उस माननीय सदस्य का बोलने का समय बढ़ाऊंगा।

श्री हरिश्चन्द्र हरीश जी–

वे तीन बातें हैं, पहला सरकारी बकायों की वसूली की जायेगी, दूसरा फिजूल खर्ची को रोका जायेगा और तीसरा है अल्प बचत के द्वारा घाटे को पूरा किया जायेगा।

मान्यवर, जहां तक वसूलियों का प्रश्न है, इस शासन तंत्र से वसूली होने की कोई उम्मीद नहीं है। शासन तंत्र में आज जो नीचे बैठे लोग हैं और जो वसूली करने जाते हैं, वे घूस लेकर लौट आते हैं। पिछले वर्ष भी यही हुआ था। जहां तक फिजूल खर्ची को रोकने की बात है, इस पूरे शासन में भ्रष्टाचार व्याप्त है, इसलिए फिजूल खर्ची को रोकने की कोई आशा इस सरकार से नहीं की जा सकती है और जहां तक अल्प बचत का सवाल है, आज खरीदने की ताकत गिरती जा रही है। केन्द्रीय सरकार ने आवश्यक वस्तुओं के मूल्य में, दरों की बढ़ोत्तरी कर दी है, प्रदेश ने टैक्सों में तथा दरों में बढ़ोत्तरी कर दी है, जिससे आदमी की परचेजिंग कैपेसिटी गिरती जा रही है। इससे अल्प बचत की कोई आशा नहीं है। इनका यह कहना कि हम घाटा पूरा कर लेंगे, बिल्कुल गलत है। इसके बाद इनके पास केवल एक ही उपाय रह जायेगा–दरों में बढ़ोत्तरी होगी और जनता के ऊपर इसका बोझ डाला जायेगा।

मान्यवर, आज इनके निगम और परिषद् घाटे में चल रहे हैं। सब जगह घाटा ही घाटा है। घाटे बढ़ते जा रहे हैं, फिजूल खर्ची बढ़ती जा रही है और अनुत्पादक व्यय बढ़ते जा रहे हैं तो फिर इनको कहां से पैसा मिलेगा जो विकास के काम में लगाया जायेगा। पिछले वर्ष भी मैंने कहा था कि जो धन सरकार आवंटित करती है, उसका 40 परसेन्ट बिचौलिये खा जा रहे हैं। उस समय तत्कालीन मुख्य मंत्री श्री नारायन दत्त तिवारी जी ने आश्वासन दिया था कि मैं प्रत्येक कमिश्नरी से एक-एक ब्लाक लेकर इसको

जांच कराऊंगा और बिचौलियों को हटाया जायेगा। लेकिन आज तक इसकी जांच नहीं की गई और जो बिचौलिये थे, वे वहीं काम कर रहे हैं।

मान्यवर, कहा गया कि बाढ़ और सूखे का स्थायी हल निकाला जायेगा। राहत कार्यों के लिए पैसा दिया गया, बाढ़ के लिए पैसा दिया गया है, लेकिन आज तक ये बाढ़ और सूखे का स्थायी हल नहीं निकाल पाये हैं। राप्ती, सरयू, बूढ़ी राप्ती और गोमती नदियों की बाढ़ से प्रदेश के 11 जिले प्रभावित होते हैं। तत्कालीन मुख्य मंत्री जी ने कहा था कि नेपाल की सीमा से होकर जितनी भी नदियां उत्तर प्रदेश में आती हैं, उन पर पर्वत में बांध बनाने का प्रस्ताव विचाराधीन है लेकिन आज तक कोई भी योजना नहीं बनायी गयी।

मान्यवर, शिक्षा के बारे में कहना चाहता हूं। शिक्षा के लिए जरूर पैसा दिया गया है। मैंने अपने निर्वाचन क्षेत्र बांसी की पद यात्रा में 55 स्कूलों का निरीक्षण किया। उनमें से 45 स्कूल ऐसे थे, जिनमें न टाट-पट्टियां थीं, न मेज थे और न कुर्सियां थीं, न पीने का पानी था और न भवन थे। दूसरी तरफ मि0 14 विकास खण्डों के जीवा के स्कूल में टी0 वी0, परसिया के स्कूल में टी0 वी0 लगाया गया जहां भवन और टाट पट्टी तक नहीं है। आज शिक्षा की दो तरह की व्यवस्था है। एक ओर तो गांवों की शिक्षा और एक ओर नैनीताल, देहरादून और लखनऊ में मिलने वाली शिक्षा। आज शिक्षा के क्षेत्र में विषमता बढ़ती जा रही है। इसके रहते प्रदेश की गरीबी और विषमता घटेगी नहीं बढ़ती जायेगी।

मान्यवर, 21वीं शदी की बात कही जाती है। मैं निष्कर्ष के रूप में कहना चाहता हूं कि 21वीं शदी के अन्त तक 40 परसेन्ट लोग भूखे रहेंगे और 60 परसेन्ट लोगों के पास पहनने के लिए आवश्यक कपड़ा नहीं होगा। 50 प्रतिशत ऐसे होंगे, जिनको रहने लायक मकान नहीं होंगे। 55 करोड़ निरक्षर होंगे। अगर शासन की यही नीति चलती रही तो यही स्थिति होगी।

श्री अधिष्ठाता–

आपका समय समाप्त हुआ, अब आप बैठें।

श्री हरिश्चन्द्र हरीश जी–

मान्यवर, मुझे कहना तो कई चीजों पर है, सरकार की इस नीति से गरीबी बढ़ेगी, मूल्य बढ़ेंगे और विषमता बढ़ेगी। गांव, गरीब और किसान तबाह होगा।

(श्री पूरन सिंह माहरा को पुकारे जाने पर मेजों की थपथपाहट)

[समय 3.20 मिनट]

*श्री पूरन सिंह माहरा–

मान्यवर, मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि आपने माननीय मुख्य मंत्री जी द्वारा वर्ष 1986-87 के लिए प्रस्तुत बजट पर सामान्य चर्चा में मुझे बोलने का अवसर दिया।

मैं एक जटिलतम और दुर्गम पर्वतीय प्रदेश से आया हुआ प्रतिनिधि हूं। मैं आपको और इस माननीय सदन को तथा इस माननीय सदन के माध्यम से माननीय मुख्य मंत्री जी और उनके माध्यम से केन्द्र सरकार को और प्रधान मंत्री जी को इस बात के लिए धन्यवाद और बधाई देना चाहता हूं पर्वतीय क्षेत्र की जनता की ओर से कि उन्होंने आगामी वर्ष में पर्वतीय क्षेत्र के विकास के लिए 2 अरब 5 करोड़ रु0 तक का बजट बढ़ाकर पर्वतीय क्षेत्र के

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

बिकास में रुचि ली है । ऊर्जा के संबंध में कहना चाहता हूं कि पर्वतीय क्षेत्र में विशेष रूप से ऊर्जा के लिए काफी साधन उपलब्ध कराए जा रहे हैं । इसी सिलसिले में सुझाव देना चाहता हूं कि जनपद को इकाई मानकर सारी चीज व्यवस्थित करके पहुंचाई जाय।

उद्योग के सम्बन्ध में माननीय मुख्य मंत्री जी ने कहा था कि एक लाख से अधिक लघु उद्योग लगायेंगे । मेरी मान्यता है कि जब ये उद्योग लगेंगे तो हजारों-हजारों बेरोजगार नवयुवकों को रोजगार मिलेगा। इसके लिए भी इस सरकार को और माननीय मुख्य मंत्री जी को बधाई देता हूं।

यातायात के क्षेत्र में शासन ने पर्वतीय क्षेत्र में कई नई-नई गाड़ियां भेजी हैं । एक सुझाव देना चाहता हूं कि उसमें ड्राइवर मैदानी क्षेत्र के भेजे जा रहे हैं, जिनको कि वहां की भौगोलिक परिस्थिति के कारण दिक्कत हो रही है और उनके द्वारा गाड़ी चलाए जाने से एक्सीडेन्ट का भी डर है । मेरा सुझाव है कि जो वहां की भौगोलिक परिस्थिति को भली प्रकार जानते हैं, उनको ही नियुक्त किया जाय ।

माननीय मुख्य मंत्री जी को और इस सदन को और उत्तर प्रदेश सरकार को इसलिए भी बधाई और धन्यवाद देना चाहता हूं कि पर्वतीय क्षेत्र में दो इन्जीनियरिंग कालेज खोले जा रहे हैं, गढ़वाल मण्डल में और कुमायूं मण्डल में । इस क्षेत्र में बहुत रुचि ली है, इस शासन ने । विपक्ष के लोग तो अपने ताने-बाने बुनते रहते हैं, उन्हें गड़बड़ी करने से, महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण को रोकने से और अपने चेहरे पर नकली चेहरा लगाने से फुरसत ही नहीं है, उन्हें किसानों की उन्नति से क्या मतलब है ? उनका मतलब तो यही है कि विघ्न बाधाएं उपस्थित की जायं । हमारे कर्तव्यनिष्ठ मुख्य मंत्री जी के नेतृत्व में जो शासन द्वारा विकास कार्य चला रहा है उसमें व्यवधान उत्पन्न करें। मैं उनके इस तरह के कार्य की निन्दा करता हूं और उत्तर प्रदेश शासन द्वारा सारे उत्तर प्रदेश में जो विकास कार्य चलाये जा रहे हैं, उसके लिये धन्यवाद देता हूं। इसके साथ ही मैं माननीय मुख्य मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत बजट का समर्थन करता हूं।

प्रधान प्रभुदयाल—

मान्यवर, मैं आपका आभारी हूं कि आपने बजट भाषण पर बोलने का अवसर दिया । मेरे दिमाग में बार-बार एक बात आ रही है, चूंकि मैं हस्तिनापुर क्षेत्र से आता हूं, वहां की बात याद आ गयी । दुर्योधन के टाइम पर एक सभा हो रही थी तो उस समय के बड़े-बड़े महारथी व दिग्गज सभा में मौजूद थे, जिस वक्त द्रोपदी का चीर उतारा गया तो किसी ने नहीं कहा कि अन्याय व अत्याचार हो रहा है, जुर्म हो रहा है, अनर्थ है आज यहां कांग्रेसी कौरवों की सभा में कोई यह कहने को तैयार नहीं है, हिम्मत नहीं है कि क्या-क्या जुल्म और अत्याचार हो रहे हैं। वहां महाभारत में एक द्रोपदी का चीर हरण हुआ था तो भारत का बेड़ा गर्क हो गया लेकिन यहां तो न जाने कितनी द्रोपदियां अपने चीर हरण को लेकर रो रही हैं। किसी को हिम्मत नहीं सत्य बात कहने की। ये लोग तो तबलेबाजी सीख कर आते हैं और यहां बैठ कर तबला बजाया करते हैं।

अब मैं आपका ध्यान कानून और व्यवस्था की ओर ले जाना चाहता हूं कि हस्तिनापुर क्षेत्र में तहसील मवाना में करीब 55 गांव लूट लिये गये। वहां पर

उसमें बीस आदमियों से कम नहीं घायल हुए और हर गांव में एक-एक आदमी का मर्डर न हुआ हो। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि 12/13 जनवरी की रात में 15 बदमाश मेरे गांव में घुस आये और किवाड़े तोड़ कर एक घर से एक आदमी को उठा ले गये, एक घर लूटे। जब जाग हुई तो लोग बन्दूक लेकर मुकाबले को निकल आये। आधे घण्टे तक मैंने भी बन्दूक दागी। कम से कम 90 आदमी उसमें घायल हो गये और 1 आदमी की मौत हो गयी लेकिन उस घर से बदमाश उस आदमी को लेकर भाग गये और 6 किलो मीटर तक घसीटते हुए ले गये और कत्ल कर दिया। यह लोग पुलिस के भ्रष्टाचार को प्रोत्साहन देते हैं और पुलिस बदमाशों का मनोबल बढ़ाती है।

मैं बता रहा हूं कि हस्तिनापुर थाने का एक एस0 आई0 चीमा और कुछ सिपाही को बदमाशों ने पकड़ लिया और उनके कपड़े फाड़ दिये और बांध कर बैठा दिया गया और रिवाल्वर मस्कट छीन ले गये।

मवाना के अन्दर 16/17 तारीख को वकीलों और जनता पर पुलिस ने लाठी चार्ज किया। जिसके कारण 19 आदमियों की हड्डियां टूट गयी है और करीब 90 लोग घायल हुए हैं। वहां थाने में कह दिया कि इन लोगों की रिपोर्ट न लिखी जाय। डाक्टरी न की जाय।

सिंचाई की व्यवस्था के बारे में आप आज भी वही मापदण्ड अपनाये हुए हैं जो कि आज से 20-50 पहले का था। तब गेंहूं 10 प्रतिशत में बोते थे, अब 80 प्रतिशत। पुराने किस्म के गेहूं में केवल दो पानी की जरूरत होती थी जबकि आज जो गेहूं निकाला गया है बोने के लिये उसमें कम से कम 6 पानी देने की जरूरत होती है। पहले बिजली 20 घण्टे आती थी जबकि आज आप 6 घण्टे भी बिजली नहीं दे पा रहे हैं औसत से। तो बेचारा काश्तकार क्या करेगा? बिजली की खपत कहां-कहां है यह भी आप नहीं जानते हैं। किसान के कनेक्शन काट दिये जाते हैं और फर्जी बिल आते रहते हैं। पिछले दिनों प्रदेश में बाढ़ आयी, उसमें लोगों का कितना-कितना नुकसान हुआ ? कोई राहत नहीं मिली।

गन्ने की फसल में गत वर्ष पायरिला लगा, इसके लिये सदन में भी शोर मचा। फर्जी दवा भेज दी गयी और जो दवा छिड़की जानी चाहिए थी, वह नहीं छिड़की गयी जिससे पायरिला नहीं मरा। आज काश्तकारों से दवा के 18 प्रतिशत ब्याज सहित वसूली की जा रही है, यह अन्याय है उसकी दुर्गति हो रही है। इसके साथ ही मैं बजट का घोर विरोध करते हुए कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

श्री एहतिशाम वली खां—

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपका विशेष रूप से आभारी हूं कि आपने माननीय मुख्य मंत्री जी, श्री वीर बहादुर सिंह के द्वारा जो बजट प्रस्तुत किया गया है, उसकी चर्चा में भाग लेने का मुझको मौका दिया। माननीय मुख्य मंत्री जी के द्वारा जो बजट प्रस्तुत किया गया है वह हर प्रकार से गरीबों के लिये, मजदूरों के लिये, किसानों के लिये, हितकर साबित होगा एसी उम्मीद की जाती है। यह बजट देश और प्रदेश के सर्वांगीण विकास के लिये सहायक होगा। मान्यवर, मैं आपके माध्यम से अपने विरोधी पक्ष में बैठे हुये माननीय सदस्यों से कहना चाहता हूं कि आलोचनाओं से समस्याओं का समाधान नहीं हो सकता है, केवल बुराईयां ही देखना

उचित नहीं है । हमें इस तरह का वातावरण स्थापित करना होगा जिससे हम आर्थिक विकास की ओर बढ़ सकें। हमारे प्रधान मंत्री श्री राजीव गांधी जी का नारा है कि हम देश में अच्छा प्रशासन देंगे और इसी चीज को ध्यान में रखकर बजट में योजनायें बनायी गयी हैं और उनके द्वारा इन योजनाओं का लाभ जनता तक पहुंचाया जायेगा।

मान्यवर, तस्वीर बनाने में समय लगता है और उसको तोड़ने में समय नहीं लगता है। आज मान्यवर, विपक्ष के लोग हड़-ताल का आवाहन कर रहे हैं और बात करते हैं कि प्रशासन ठीक नहीं है। उनकी इस तरह की निराधार बातों से घटनायें बढ़ती हैं और जिसके कारण कठिनाइयां सामने आती हैं।

अब मान्यवर, मैं आपका ध्यान अपने जनपद बहराइच जिले की ओर ले जाना चाहता हूं। उत्तर प्रदेश में मान्यवर, बहराइच जिला बहुत ही पिछड़ा हुआ है, वहां पर आज तक कोई उद्योग नहीं है। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि जिला बहराइच में दो बड़े उद्योग लगाये जायें। यह क्षेत्र बहुत ही पीछे है, यहां पर महिलाओं का कोई इन्टर कालेज नहीं है, इसकी व्यवस्था की जाये। इसी के साथ ही साथ मान्यवर, मैं माननीय मुख्य मंत्री जी से मांग करता हूं कि बह-राइच से बाराबंकी तक जो सड़क है वह बहुत ही खराब है और आये दिन उस पर दुर्घटनायें होती रहती हैं। घाघरा घाट का पुल बन जाने के कारण बड़े वाहनों का आवागमन बढ़ गया है। जिस प्रकार से बाराबंकी से लखनऊ की सड़क को भी चौड़ा किया गया है, उसी प्रकार से बह-राइच से बाराबंकी की सड़क को चौड़ा किया जाये।

मान्यवर, मैं विधान सभा क्षेत्र केशर गंज की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं, यह इलाका बाढ़ ग्रस्त इलाका है । मैं मांग करता हूं कि इस क्षेत्र का सर्वे कराया जाये और बाढ़ का कोई स्थायी हल निकाला जाये। मैं मांग करता हूं कि इटौवा का पुल बनवाया जाये। इससे 50 प्रतिशत जनता प्रभावित है। उस पुल को तुरन्त बनवाने की व्यवस्था कराई जाये। इन शब्दों के साथ मैं आपका आभार प्रकट करता हूं कि आपने मुझे बजट पर बोलने का अवसर प्रदान किया।

श्री राम सागर–

मान्यवर, मैं आपका बड़ा आभारी हूं कि आपने मुझे वर्ष 1986-87 के बजट पर बोलने का अवसर दिया । मान्यवर, मैं किसानों की बात कहता हूं। मान्यवर, एक तरफ किसानों के सामने पानी और बिजली की समस्या है और दूसरी तरफ शासन की तरफ से किसानों को समय-समय पर जो सुविधाएं दी जाती हैं, उनमें कुछ इतनी विसंगतियां हो जाती है कि किसानों तक नहीं पहुंच पाती है ।

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से कृषि मंत्री जी को ध्यान दिलाना चाहता हूं कि जो किसानों को आपने बीज देने की बात कही थी और 50 प्रतिशत छूट पर खाद देने की बात कही थी तो बीज तो रवी की बुआई के बाद हमारे जनपद बाराबंकी में पहुंच पाया है और जो खाद देने की बात कही गयी थी. . .

कृषि मंत्री (चौधरी नरेन्द्र सिंह)–

मान्यवर, कोई केन्द्र ऐसा बता दें ।

श्री राम सागर–

मान्यवर, मैं अपने निर्वाचन क्षेत्र सिद्धौर की बात कह रहा हूं, आप जांच करा लें । मान्यवर, जो छूट पर खाद देने

की बात कही गयी थी. उसमें देने का जो तरीका बताया था कि लघु सीमान्त किसानों की सूची तैयार करके उनको आवंटित कराया जायेगा । मैं आपसे कहता हूं कि तहसील और ब्लाक के लोगों को समय से सूची उपलब्ध नहीं करा पाये जिस सूची पर खाद देने की बात कही गयी थी । किसानों को छूट पर देने वाले 75 प्राइवेट व्यापारी हैं उनको यह खाद ट्रान्सफर हो गयी है ।इस तरीके से यह सरकार किसानों के कल्याण की बात करेगी ।

दूसरी तरफ मान्यवर, वे सुविधा शिक्षित बेरोजगार योजना के तहत जो शिक्षित बेरोजगार हैं, उनको रोजगार देने की बात करते हैं । अभी हर मंडल का सर्वे कराया गया है, जिसमें यह पाया गया कि 30 फीसदी से लेकर 40 फीसदी तक ऐसे लोग हैं जो रोजगार नहीं कर पाये। मैं आपके माध्यम से मान्यवर, चाहता हूं कि जो चयन की प्रक्रिया है उसमें ऐसे कुछ तरीके बनाये जांय कि जिसको रोजगार दिया जाय वह मौके पर लाभान्वित हो ।

मान्यवर, मैं स्पेशल कम्पोनेन्ट प्लान की बात कहूंगा। मान्यवर, जो हरिजनों की दुकानें बनायी गयी और उनको रोजगार देने की बात करते हैं वह बाजार से मार्केट से काफी दूर बन रही है। नतीजा क्या है कि जिस बेरोजगार आदमी को रोजगार देने की बात कर रहे हैं उसका रोजगार ठीक से नहीं चल पा रहा है और यही स्थिति जो स्पेशल कम्पोनेन्ट प्लान में जमीन खरीद कर देने की बात कही गयी है उसमें है। वह भी इतनी घटिया किस्म की जमीन दी जा रही है कि वह गरीबों के लिए बिल्कुल लाभकर नहीं है। ये 6000 रुपयों में जो भवन बनाने की बात कहते हैं, मैं आपसे निश्चित जानकारी के आधार पर कहना चाहता हूं कि इस 5-6 हजार रुपयों से कोई आवास नहीं बन पा रहा है । यह सरकार उसे 25 हजार रुपये कर दे तो उनका आवास बन पायेगा । इन शब्दों के साथ यह जो बजट है, वह प्रदेश की जनता के हित में नहीं है। निराशाजनक है।

श्री हरदेव–

माननीय अधिष्ठाता जी, आपने माननीय मुख्यमंत्री जी के बजट भाषण पर बोलने का अवसर दिया इसके लिए मैं आपका आभारी हूं । मान्यवर, माननीय मुख्यमंत्री जी, एक किसान परिवार से मुख्यमंत्री तक, प्रदेश की सेवा में अपने को सादर समर्पित किये हैं। उन्होंने मुख्यमंत्री होने पर जो घोषणा किया कानून व्यवस्था पर, उस पर उनका दृढ़ संकल्प है कि हम प्रदेश में कानून व्यवस्था ठीक करेंगे । इसमें मैं चाहूंगा माननीय सदस्यों से, विशेष रूप से हमारे सामने बैठे हुए सम्मानित नेता विरोधी दल और उनके सहयोगी साथियों से, कि इसमें सरकार का सहयोग करें ।

माननीय अधिष्ठाता जी, हमारे सामने यह उपहास जैसी बात उत्पन्न होती है जब वे अपनी जनता सरकार की बात करते हैं तथा चर्चा करते हैं । जनता पार्टी के ये लोग अपने बहुरुपिये दल और उनकी नैतिकता की बात करते हैं जिनका कोई चरित्र ही नहीं रहा । 100 वर्ष के कांग्रेस के इतिहास में और कांग्रेस के साथ रहने वाले जो कुकर्मी लोग थे उनको पार्टी से निकाल दिया गया था, वे अब अपना बहुरूपिया दल बनाये हैं। मान्यवर, इनकी सरकार में दो प्रधान मंत्री हुये थे । एक तो वे जो दूसरे मुल्क से सड़ा-गला गेहूं मंगाकर अपने प्रदेश और देश

के लोगों को दिलाते थे जिसके स्थान पर हमारी जनप्रिय भारत सरकार ने, उत्तर प्रदेश सरकार ने अच्छे गेहूं की रोटी और विभिन्न प्रकार के धान पैदा करके अच्छे चावल की व्यवस्था से भोजन की व्यवस्था करायी है । दूसरी बात यह इनके जो प्रधान मंत्री हुये थे इनकी सरकार में, उन्होंने हमारे देश के 29 टन सोने की रोटी बनाकर उसे निगल गये । मैं उनसे और आप लोगों से हिसाब लेना चाहता हूं । उन्होंने हमारे देश के सोना धन को बेचकर अपने पद का दुरुपयोग किया है । एक दूसरे इनके प्रधान मंत्री थे श्री चौधरी चरण सिंह जिनको यह सौभाग्य ही प्राप्त नहीं हुआ कि वे सदन में बैठ सकें । लेकिन धन्य है वह स्वर्गीय प्रधान मंत्री इंदिरा गांधी, मैं उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं कि उनके चरणों की दुआ लेकर श्री चरण सिंह नकली प्रधान मंत्री हो गये और उनको यह सौभाग्य नहीं मिल पाया कि वे एक दिन भी दिल्ली सदन में बैठ पायें । ये हमारे 20 सूत्री कार्यक्रम का लाभ लेते हैं, शराब का लाभ लेते हैं और प्रदेश और देश के विकास के कामों में रोड़ा अटकाते हैं और उसके बाद विकास की बात करते हैं। मैं कहना चाहूंगा कि आप लोग यह धन्धा खत्म कीजिये। यदि शराब तथा ठीकेदारी का धन्धा रोक दिया जाय तो इनके पास कोई धन्धा नहीं रहेगा।

(व्यवधान)

क्योंकि इनके सामने लिखा है "ना" । ये कहते हैं विकास नहीं हुआ । इनकी हुकूमत में गन्ने का दाम नहीं बढ़ाया और जलाए गया जिससे किसानों का उत्पादन करने का मनोबल भविष्य में गिरा था। यह भी बोला है हमने किसानों के गन्ने का दाम बढ़ाया..

(व्यवधान)

और नई-नई मिलें स्थापित की जा रही हैं।

श्री अधिष्ठाता–

कृपया समाप्त करें । एक मिनट आपको ज्यादा दे दिया ।

श्री हरदेव–

मैं पुलिस व्यवस्था के बारे में कहना चाहता हूं । सदन में पुलिस व्यवस्था और शांति व्यवस्था बनाये रखने के लिए सहयोग देने की बात कही जाती है । इस में आप लोग सहयोग नहीं देते हैं और साम्प्रदायिक दंगे फैलाते हैं। इससे कोई लाभ होने वाला नहीं है . . .

[x x x]

(व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता–

अब आप बैठ जायं।

(एक महिला सदस्या द्वारा बोलने के लिये समय की मांग की गयी)

श्री हरदेव–

[x x x]

श्री अधिष्ठाता–

अब आपका बोला हुआ नहीं लिखा जायेगा । कृपया बैठें ।

श्री हरदेव–

[x x x]

श्री कौशिक रमाशंकर–

अधिष्ठाता महोदय, 1986-87 के बजट पर मैंने माननीय मुख्य मंत्री जी का जो वित्त मंत्री भी हैं बजट भाषण बड़े ध्यान से सुना । और बजट को समझने की भी कोशिश मैंने की लेकिन मुझे अफसोस है कि 'बजट' शब्द के पीछे जो अनिवार्यतायें हैं

नोट:–[x x x] यह अंश मा0 अधिष्ठाता के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

वह इस बजट में कहीं दिखाई नहीं पड़ती है । एक बैलेंशशीट जैसा दिखाई देता है जो जोड़ घटा कर रख दिया गया है । बजट वह होता है जो दिशा दे सके । हम क्या चाहते हैं, हमारा क्या लक्ष्य है वह उसमें दिखाई दे । जो हमारे प्रदेश के एक करोड़ परिवार गरीबी की रेखा से नीचे रहते हैं उनको उठाने का लक्ष्य क्या है और पिछले वर्षों में 45 सौ करोड़ रुपये छठी पंचवर्षीय योजना के माध्यम से खर्च किये हैं उनका लेखा जोखा क्या है? उन सारी बातों का जिक्र होना बजट के माने होते हैं।

माननीय मुख्य मंत्री जी ने कई बार इस बात की घोषणा की कि हम मितव्ययिता के जरिये से घाटे को पूरा करेंगे। बड़ी अच्छी बात है, लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि इस समय जो हमारी बजट बनाने की व्यवस्था है इंक्रीमेंटल बजट या एडिटिव बजटिंग, इस नीति के जरिये से हम मितव्ययिता नहीं कर सकते हैं। जब तक हम यह नहीं कहते हैं कि योजनाओं की मानीटरिंग के लिए जीरो बजटिंग को आधार बनायेंगे तब तक मितव्ययिता के मामले में हमेशा असफल रहेंगे । मेरा निवेदन है कि इस पर आप विचार करें ऐसा पहले भी हुआ है ।

1979 में तत्कालीन वित्त मंत्री ने जो अपना बजट भाषण दिया था उसकी चन्द लाइन मैं पढ़ कर सुनाना चाहता हूं ।— सुपरवाइजरी स्टाफ में कमी, सरकारी कार्य में स्टेशनरी, बिजली पर व्यय, राजकीय मनोरंजन तथा सत्कार व डाक व्यय में कमी करने के आदेश दिये गये । यह भी आदेश जारी किये गये कि नई योजनायें स्टाफ ओरियेंटेड "न हो कर" प्रोग्राम ओरियेंटेड बनाई जायं । जीरो बजटिंग के सिद्धान्त पर समस्त चालू योजनाओं का मूल्यांकन किया जाय और अनावश्यक योजनाओं को बन्द करने के लिए कार्यवाही की जाय । तो यह तभी संभव हो सकता है अन्यथा आपकी कोशिशें चाहे कितनी क्यों न हों आप मितव्ययिता नहीं ला सकते हैं । तो यह सब आप बिना जीरो बजटिंग के नहीं कर सकते हैं । माननीय मुख्य मंत्री जी ने आंकड़े देकर कहा कि हमने आम आदमी की आमदनी को बढ़ा दिया है । मैं इससे इनकार नहीं करता हूं यह बात सही है कि उत्तर प्रदेश में प्रतिवर्ष आमदनी बढ़ रही है । लेकिन हम इससे सही नतीजे पर नहीं पहुंच सकते हैं जब तक हम इसकी तुलना पूरे हिन्दुस्तान की आम आदमी की हैसियत से न करें । मेरा निवेदन है कि अगर आप इस बात को देखेंगे तो हम पीछे हैं ।

1980-81 में हमारी आमदनी 515 रु0 थी जबकि हिन्दुस्तान के आम आदमी की आमदनी 700 रु0 थी तो यह फर्क 185 रु0 आता है । वर्ष 1981-82 में उत्तर प्रदेश में प्रति व्यक्ति आय 522 रु0 थी और भारत में यह 720 रु0 थी तो इस प्रकार 198 रु0 का फर्क था और आज इसको 570 बताया गया है तो अगर हम इसको उस हिसाब से देखेंगे तो पूरे भारतवर्ष में प्रति व्यक्ति आय 802 रु0 आती है यानी 225 रु0 का फर्क है । मैं यह कहता हूं कि आमदनी बढ़ी है लेकिन भारतवर्ष की तुलना में हर मामले में उत्तर प्रदेश पीछे जा रहा है । यह ठीक है कि विकास हो रहा है लेकिन हम औरों के मुकाबले में पीछे जा रहे हैं । मैं इस बात को मानता हूं कि जैसा मुख्य मंत्री जी ने कहा कि अगर विकास होगा तो कीमतें बढ़ेंगी। मान्यवर, यह मैं स्वीकार

करता हूं । लेकिन विकास कहां हो रहा है ? जैसा हमने पहले कहा था कि हमारे प्रदेश में एक करोड़ परिवार गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले हैं तो उनकी क्रय शक्ति क्या होगी ? विकास के नाम पर यह चीजों के दाम बढ़ाते हैं । यद्यपि मेरा कहना है कि विकास के नाम पर नहीं बल्कि 59 निगम जो हैं उनसे विकास नहीं बल्कि विनाश हो रहा है जिससे यह मंहगाई बढ़ती जा रही है । मान्यवर, 59 निगमों में आप देखें कि कितने घाटे में हैं । मान्यवर, 11.28 अरब रुपया का संचित घाटा इन निगमों से है और 8.56 अरब रुपया सिर्फ विद्युत परिषद् में संचित घाटा है, इसलिये इन निगमों की क्या सार्थकता है ? और इस आवश्यकता को तभी महसूस कर सकते हैं जब जीरो बजटिंग की प्रणाली अपनाई जायेगी ताकि निगमों का मूल्यांकन और बजटिंग ठीक से हो सके ।

मान्यवर, ठीक है, हर निगम में आई0 ए0 एस0 अधिकारियों को नियुक्त कर दिया गया है, मैं उनके खिलाफ नहीं हूं, वह योग्य हैं अच्छी शिक्षा है लेकिन उनको इन निगमों को चलाने का कहां अनुभव है ? केन्द्र सरकार में देखें कि लोक सेवा आयोग से चयनित लोगों को निगमों में प्रबन्धक बनाया जाता है । हमारे यहां बिजनेस मैनेजमेंट के संबंध में जानकारी उनको हो या न हो लेकिन उनको निगमों में बिठा दिया जाता है । यदि आपकी यही व्यवस्था बनी रहेगी तो आपके निगमों की हालत अच्छी नहीं होगी । इसलिये मेरा सुझाव है कि जिस प्रकार केन्द्र सरकार में अपने निगमों में लोक सेवा आयोग के जरिये लोगों को चयनित किया जाता है उसी प्रकार यहां भी बिजनेस मैनेजमेंट को ध्यान में रखकर प्रबंधकों को लोक सेवा आयोग के माध्यम से निगमों में लें ।

मान्यवर, बड़े जोरदार तरीके से कहा गया कि हमने कमिश्नर को अधिकार देकर विकेन्द्रीकरण कर दिया है । लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि कमिश्नर के जरिए विकेन्द्रीकरण होने की कोई गुंजाइश नहीं है । जब तक आप चौखंभा राज्य की कल्पना नहीं करेंगे तब तक आप विकेन्द्रीकरण की बात करते हैं तो वह बेइमानी है और गलत है। मान्यवर, दो खंभे की बात कहते हैं लेकिन वह भी इस समय नहीं है और अब केवल एक खंभा रह गया है । डा0 सम्पूर्णानन्द, श्री सी0 बी0 गुप्ता, चौधरी चरण सिंह जैसे लोग यहां रहे हैं, और भी लोग रहे जैसे पं0 कमलापति त्रिपाठी रहे लेकिन वह दिल्ली कितनी बार जाते थे, आज तो सारी व्यवस्था दिल्ली को सौंप दी गयी है । मुख्य मंत्री जी को हर हफ्ते दिल्ली जाना पड़ता है और इस तरह सारी शक्ति एक जगह इकट्ठी हो रही है । आप वस्तुस्थिति को आज देखें ।

इतने हमारे मुख्य मंत्री उत्तर प्रदेश में हुए, उनकी दिल्ली की यात्राओं का हिसाब-किताब यहां मौजूद होगा, उसको आप देखें। यह क्या हो रहा है? इसको आप उसके सन्दर्भ में देखें । इसके पीछे जो नीयत है, जो निहित शक्ति है वह यह है कि किसी न किसी प्रकार सारी शक्तियों को एक जगह इकट्ठा कर लिया जाए...

जनस्वास्थ्य एवं चिकित्सा मंत्री (श्री लोकपति त्रिपाठी)–

यह तो अच्छी बात है ।

श्री कौशिक रमा शंकर–

यह अच्छी बात नहीं है। एक लोकतंत्रीय शासन प्रणाली वाले देश में विकेन्द्रीकरण आपको अपनाना पड़ेगा और दो खम्भा ही नहीं चार खम्भे स्थापित कर विकास कार्यों में जनता की साझेदारी करनी पड़ेगी और जनता को शासन की साझेदारी में भी रखना पड़ेगा, तभी विकेन्द्रीकरण सही मायने में हो सकता है। मान्यवर, एक बात खास यह है कि हमारे बजट में प्रतिवर्ष आयोजनेतर खर्चे बढ़ते चले जा रहे हैं। यदि प्रदेश में विकास कार्य करने हैं, यदि हमें अपने प्रदेश में गरीब लोगों को ऊपर उठाना है तो निश्चित रूप से हमारे बजट में आयोजनागत खर्च ज्यादा रहने चाहिए और आयोजनेतर खर्च कम होने चाहिए अभी जो हरदेव जी ने कहा था उसके बारे में भी बताना चाहता हूं, जनता पार्टी के राज्य में प्रति वर्ष आयोजनागत और आयोजनेतर खर्च में तीन सालों के बजट में जो औसत अन्तर आया है वह 265 करोड़ रुपया था।

श्री यदुनाथ सिंह–

मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है वह यह है कि इसके दो दिन सदन के यों ही चले गये, इसलिए कृपा करके यदि आज आप एक घंटा इसके लिए और बढ़ा दें तो बहुत अच्छा होगा।

श्री अधिष्ठाता–

समय का निश्चय हो चुका है, अब इसमें कुछ नहीं होगा। मूलचन्द जी कृपया आप भी विराजिए।

श्री कौशिक रमाशंकर–

तो मैं कह रहा था, 77-78, 78-79 और 79-80 के वर्षों के बजट में आयोजनागत और आयोजनेतर व्यय में जो फर्क था वह औसत प्रतिवर्ष 265.18 करोड़ रहा है और आपके आंकड़े कांग्रेस पार्टी के शासनकाल में, वर्ष 84-85 में यह अन्तर 1565.38 करोड़ रुपये का है। वर्ष 80-81 में यह अन्तर 493.78 करोड़ था, 81-82 में 682.80, 82-83 में 1053.33, 84-85 में 1565.38 व 85-86 में 1784.04 करोड़ रुपयों का यह अन्तर था जबकि इनके इस 86-87 के बजट में यह अन्तर बढ़कर 2359 करोड़ रुपयों का हो गया है। इस तरह से अगर आप इसका औसत लगा लें तो यह इस समय बढ़कर पांच गुना हो गया है 80-81 के मुकाबले में . . . (व्यवधान) अगर हमको तरक्की करनी है, अगर हमको विकास कार्य करने हैं, यदि गरीबों के लिए काम करना है तो बजट में ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए, जिसमें आयोजनागत व्यय अधिक हों और आयोजनेतर व्यय कम किये जायं। किन्तु कांग्रेस शासनकाल में आयोजनेतर व्यय आयोजनागत से औसतन 1323 करोड़ रुपया अधिक रहा है यानी जनता शासन से यह पांच गुना अधिक है। . . . . .

श्री अधिष्ठाता–

आप दो मिनट में अपनी बात समाप्त कर लें।

श्री कौशिक रमाशंकर–

जो आपकी विकास योजनाएं चल रही हैं, करोड़ों रुपया इस पर खर्च किया जा रहा है, इसमें कोई संदेह नहीं, हम यह भी मान लेते हैं कि कांग्रेस पार्टी की इच्छा भी है, लेकिन जिस प्रकार से काम हो रहा है, उससे कहीं भी गरीबी की रेखा से ऊपर उठने वाले लोग दिखाई नहीं पड़ रहे हैं। आप जरा देखें, छठी पंचवर्षीय योजना में 4500 करोड़ रुपये खर्च किये गये, किन्तु उसमें से 4000 करोड़ रुपयों का निश्चित रूप से कहीं प्रयोग नहीं हुआ। आपने लघु इकाइयों को औद्योगीकरण के मामले में आगे बढ़ाने

की व्यवस्था की है, इसका मैं स्वागत करता हूं । वह एक अच्छी चीज है, वह बहुत पहले होनी चाहिए थी, लेकिन मान्यवर, उद्योग की दूसरी बात यदि आप देखें तो निवेदन करना चाहता हूं कि जिस तरह से और जिस संस्कृति से आप प्रदेश में बेरोजगारी खत्म करने की कल्पना करते हैं उस तरीके से वह खत्म नहीं हो सकती है। मान्यवर, कम्प्यूटर संस्कृति अगर आप लायेंगे तो न तो प्रदेश का भला होगा और न देश का भला होगा। प्रदेश और देश का भला छोटी-छोटी इकाइयां लगाने से हो सकता है। आपने थोड़ा सा प्रयास किया है उसी का मैंने स्वागत किया है। लेकिन सम्पूर्ण औद्योगिक नीति के मामले में जहां आप कम्प्यूटर की बात करेंगे तो प्राइवेट इंडस्ट्रीज पूरे का पूरा आटोमाइजेशन करने की बात सोचेंगी कम से कम लोगों से सारा कारोबार चले।

हमारे प्रदेश में 30-30 करोड़ रुपये की फैक्टरियां लगायी गयी हैं । एक गन्ना फैक्टरी 10 करोड़ रुपये में तैयार हो जाती है जिसमें 10 हजार लोगों को तरह-तरह से काम मिल सकता है । यह जो 30-30 करोड़ की फैक्टरियां लगा रहे हैं इसमें 150 लोग ही नौकर हैं। अगर आप कम्प्यूटर की बात करेंगे और कम्प्यूटर संस्कृति की बात करते रहेंगे तो जितने भी उद्योगपति उद्योग लगाना चाहते हैं वह सारे झंझट से बचकर कम से कम मजदूरों को काम देने की बात सोचेंगे। इस दृष्टि से सोचेंगे तो हमारे प्रदेश में इंडस्ट्रीज से उतना लाभ नहीं होगा जितना होना चाहिये। इंडस्ट्रीज को सोच समझकर चलाना होगा । वह तभी चल सकती है जब आपके इरादे नेक हों और कोशिश नेक हो । इन शब्दों के साथ, जो मैंने सुझाव दिये हैं मुझे आशा है कि माननीय मुख्य मंत्री जी उन सुझावों पर विचार करेंगे । इतना कहकर मैं अपनी बात खत्म करता हूं ।

(मुख्य मंत्री जी को पुकारे जाने पर)

श्री राम सरन–

मान्यवर, कोई जनरल बजट पास होगा राम सरन के बगैर बोले, क्या यह संभव है ?

श्री अधिष्ठाता–

मैंने नेता सदन को बुला लिया है अब आप बैठिये

श्री मूल चन्द–

मान्यवर, मुझको भी एक मिनट का समय दे दें ।

श्री अधिष्ठाता–

मूल चन्द जी, अब आप बैठिये ।

श्री राम सरन–

मान्यवर, रमाशंकर कौशिक जी बोल रहे थे तो उन्होंने कहा कि सब पावर केन्द्र में चला गया है, उन्होंने पुराने मुख्य मंत्रियों के नाम लिये और कहा कि माननीय मुख्य मंत्री जी रोजाना दिल्ली की हाजिरी देने जाते हैं । तो मैं आपसे निवेदन करूंगा . . .

श्री नेह चन्द्र पाण्डेय–

मान्यवर, यह बजट पर बोल रहे हैं या किस विषय पर बोल रहे हैं ?

श्री अधिष्ठाता–

आप बैठिये ।

श्री राम सरन–

मान्यवर, आप बहुत बहादुर हैं । अगर आप कंट्रोल करना चाहते हैं प्रदेश को तो मैं आपसे कहूंगा कि आपके पास जो 56 विभाग हैं आप उनका बंटवारा कीजिये । आप 56 छुरी बन कर मत बैठिये । इलाहाबाद में एक छप्पन छुरी थी। तो

(इस समय 4 बजकर 1 मिनट पर श्री उपाध्यक्ष पुनः पीठासीन हुए।)

छप्पन छुरी बनकर मत बैठें अपने विभागों को बांट दीजिये ताकि अच्छा काम चले ।

(मेजों की थपथपाहट)

[समय 4.02 मिनट]

*मुख्य मंत्री (श्री वीर बहादुर सिंह)–

मान्यवर, मैंने 14 फरवरी को सदन में 1986-87 का बजट प्रस्तुत किया था। माननीय नेता विरोधी दल और अन्य दलों के नेताओं और दोनों पक्षों के माननीय सदस्यों ने अपने अपने विचार प्रस्तुत किये। मान्यवर, यह बात सही है, इसमें बहुत से विचार, बहुत से सुझाव वास्तव में बहुत अच्छे हैं लेकिन बहुत सी जो बातें कही गयीं तो पूरी जानकारी से नहीं कही गयीं या भ्रमवश कही गयीं । बजट जब प्रस्तुत किया जाता है तो विरोध पक्ष को कुछ न कुछ बोलना होता है, तो जो यह कहते हैं, उसमें कुछ बातें कभी-कभी सही भी नहीं होती हैं (मेजों की थपथपाहट) मान्यवर, मैं कहना चाहता हूं कि इस बजट की सबसे बड़ी विशेषता यही है कि इसमें हमने जो प्रयोजनायें और कार्यक्रम रखे हैं, उसमें हमने यही प्रयास किया है कि ज्यादा से ज्यादा उत्पादन बढ़ाने वाले जो कार्यक्रम हैं, उन्हें ही ज्यादा रखा है, अनुत्पादन कार्यक्रमों को हमने कम रखा है क्योंकि यह प्रदेश पिछड़ा हुआ प्रदेश है । इसी-लिए सबसे पहला हमारा प्रयास जो है वह यही है कि ऐसे कार्यों को प्राथमिकता दी जाय जिससे देश का पिछड़ापन दूर हो सके इसके लिए हमने कुछ चीजों की तरफ खासतौर से ध्यान दिया है जैसे बिजली है, इसके बगैर कोई काम नहीं हो सकता है क्योंकि हमारे प्रदेश का मुख्य कार्य खेती करना है, इसमें बिजली की बहुत आवश्यकता होती है, इसलिए इस ओर विशेष ध्यान दिया गया है ताकि किसानों को इससे संबंधित कोई परे-शानी न हो । इसके अतिरिक्त अपनी पैदा-वार बढ़ाने के सिलसिले में हमें जो करना होगा उस ओर पूरा ध्यान दिया जायेगा।

मान्यवर, तीसरे यह कि हमें लोगों को रोजगार देना है । जहां पर बड़े पैमाने पर जिन लोगों के पास कार्य नहीं है और जिन पढ़े-लिखे व बगैर पढ़े-लिखे लोगों के पास काम नहीं है, ऐसे लोगों को रोजगार देना बहुत आवश्यक है । इस-लिए हमारी ओर से यही प्रयास किया गया है कि हम इस प्रदेश में ऐसे कुछ उद्योग लगाएं, जिसमें हमारे ज्यादा से ज्यादा लोग रोजगार पा सकें, वह हैं छोटे-छोटे उद्योग, कुटीर उद्योग। इसमें ज्यादा से ज्यादा लोग लग सकते हैं और थोड़ी सी पूंजी में ज्यादा रोजगार भी मिल जाता है । लेकिन साथ ही कुछ बड़े उद्योग भी लगाने पड़ते हैं, जिनके लगाये बगैर हमारा काम नहीं चल पाता है । जैसे फर्टीलाईजर के कारखाने हैं । इन उद्योगों को छोटे पैमाने पर नहीं लगाया जा सकता है, बड़े पैमाने पर ही इन्हें लगाना पड़ेगा । इसके कारखाने (फर्टीला-जर के) साढ़े सात सौ करोड़ रुपयों के एक-एक कारखाने होते हैं । इसके अति-रिक्त स्टील प्लांट, बिजली प्लांट जो बड़े-बड़े प्रोजेक्ट हैं, उन्हें भी लगाना समय को देखते हुए बहुत आवश्यक हो गया है, क्योंकि इसके बगैर हम आगे चला नहीं सकते हैं ।

एक बात और बहुत जरूरी है कि इससे लोगों को रोजगार भी बहुत मिलता है, यही कारण है कि हम इस दिशा में तेजी से आगे बढ़ना चाहते हैं । और चौथी बात मान्यवर, हमारे प्रदेश में बहुत से क्षेत्र ऐसे हैं जहां पीने के पानी की बहुत बड़ी समस्या है। खासतौर से पहाड़ है,

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

बुन्देलखण्ड है और भी कुछ क्षेत्र सूखे क्षेत्र हैं। एसे क्षेत्रों के लिए पीने के लिए पानी की समस्या को भी हमें देखना होगा, तभी उनका जीवन सुचारु रूप से आगे बढ़ सकेगा और उनकी इससे संबंधित परेशानियां दूर हो सकेंगी ।

इसलिए हमने इस ओर भी ध्यान दिया है और दूसरे मान्यवर, हमारे हरिजन भाई हैं, आदिवासी है और कुछ वर्ग एसे हैं जो बहुत ही गरीब हैं, जो गरीबी की रेखा से नीचे अपना जीवन बिता रहे हैं। एसे लोग करीब हमारे यहां 41 परसेंट हैं, इन्हें भी हमें ऊपर उठाना है, इसलिए इस ओर भी हमें काफी प्रयास करना होगा। वैसे और भी हम बहुत से कार्य करने जा रहे हैं परन्तु उन कार्यों में से यह कार्य बहुत आवश्यक है। इस पर हमें अधिक ध्यान देना होगा। इसी तरह सिंचाई की भी बात आती है, यह भी अपनी जगह बहुत आवश्यक है, इसलिए इस पर भी बहुत हमें ध्यान देना है। तो मान्यवर, जो यह कहा गया कि यह बजट निराशाजनक है, इसमें कोई चीज नहीं है, अन्धकार ही अन्धकार दिखलाई देता है । मान्यवर, इस तरह से बात करने से यह जाहिर होता है कि जो उन्हें बजट साहित्य दिया गया है उसे उन्होंने देखा नहीं है। अगर उन्होंने बजट साहित्य देख लिया होता तो वह इस तरह से बात न करते। बजट साहित्य में यह दिया गया है कि किन-किन मदों पर क्या-क्या कार्य हो रहा है, वह सब मान्यवर, उसमें दिया गया है ।

मान्यवर, हमारी यह जो सातवीं पंचवर्षीय योजना है, जिन चीजों की तरफ मैंने इशारा किया, वह 2150 करोड़ रुपया की है। माननीय नेता विरोधी दल जब बोल रहे थे , तो उन्होंने कहा कि जो पैसा बजट में मिलता है, वह बड़ा कम पैसा मिलता है और मुख्य मंत्री जी कहते हैं कि हम ज्यादा पैसा लाये हैं, एसी बात नहीं है। उत्तर प्रदेश का बजट महाराष्ट्र से कम ही रहता था क्योंकि महाराष्ट्र के जो संसाधन हैं, इतने ज्यादा हैं कि उतना हम जुटा नहीं पाते और, जो योजनाएं बनती हैं, जो हमारी पंचवर्षीय योजना बनती है, उसमें संसाधन देखा जाता है कि कहां का कितना संसाधन है, उसके अनुसार तय होता है।

मान्यवर, आप देखेंगे कि जो महाराष्ट्र का कर का भार वहां पर पड़ता है, जो टैक्स लगता है, पर व्यक्ति वह 218 रु0 है और उत्तर प्रदेश में पर व्यक्ति 73 रु0 है । तो मान्यवर, जहां टैक्स ज्यादा इकट्ठा होगा, वहां पर ज्यादा कार्य होंगे। जहां पर हम नहीं कर पायेंगे, तो जाहिर है कि हम कहें कि महाराष्ट्र, पंजाब जितना टैक्स इकट्ठा कर लेता है, अपनी जितनी आबादी है, हम उतनी आबादी के रेशियों से टैक्स इकट्ठा नहीं कर पाते हैं । यह तो जो संसाधन जुटाये जाते हैं, उससे आय बनती है । भारत सरकार भी मदद करती है, लेकिन अपने भी संसाधन जुटाने पड़ते हैं । माननीय नेता विरोधी दल सरकार में रहे हैं, वह जानते हैं कि संसाधन जुटाने में कितनी मेहनत पड़ती है । प्रयास हमने किया है कि महाराष्ट्र से ज्यादा प्लान आउट-ले बनायें । गत वर्ष का 1750 करोड़ का था, इस साल 2150 करोड़ का है। इस साल 400 करोड़ बढ़ा दिया गया । 23% बढ़ोत्तरी हुई है । यह कम बढ़ोत्तरी मान्यवर, नहीं है । यह बहुत ज्यादा बढ़ोत्तरी है । जो हमने परिव्यय मांगा था, भारत सरकार से और यह बात सही है कि मांग तो हमने बहुत की थी, लेकिन केवल मांग करने से नहीं होता, हमें भी अपने संसाधन दिखाने पड़ते हैं, जितना हम दिखायेंगे, उतना हमारा प्लान परिव्यय बनेगा।

मान्यवर, हमने कहा कि सबसे आवश्यक चीज बिजली है और आप देखें, इसमें से 2150 करोड़ में 205 करोड़ पहाड़ के लिए हिल के लिए हमने कहा है कि हिमांचल प्रदेश के बराबर हमारा हिल का बजट होगा। इसका भी बजट 205 करोड़ रखा है, और अगर इसको निकाल दें, तो हमने जो बिजली का 706 करोड़ रखा है, यह 1/3 से ज्यादा है। केवल बिजली पर जो हमने परिव्यय रखा है।

इस साल हम 425 मेगावाट बिजली 1986-87 में बढ़ाने की कोशिश करेंगे नया जेनरेशन हो और साथ ही साथ यह भी चाहता हूं कि जो हमारी बिजली है, उसकी क्षमता कैसे बढ़े, उसकी इफिसियंसी कैसे ठीक हो। उसमें हमने प्रयास किया है कि जहां पर लाइन लास ज्यादा होता है, उसको कैसे कम करें। उसके लिए प्रयास कर रहे हैं। साथ ही साथ हमने आर्डिनेन्स भी लाया है, ताकि जहां पर जो लोग इसकी ओर लगे हैं, गलती करते हैं और जो नुकसान करते हैं, वह नुकसान न कर सकें।

यह जो प्रयास हो रहा है इससे जाहिर है कि आगे आने वाले समय में क्षमता अच्छी होगी और हमारी दिक्कत बहुत हद तक दूर हो जाएगी, जो प्रयास हम कर रहे हैं उसमें काफी हद तक सफलता मिलने की संभावना है। इसी तरह से मान्यवर, हमारे जो किसान हैं, उनके लिए सिंचाई की व्यवस्था करना जरूरी है। हमारे बुन्देलखंड हमारे मध्य यू0पी0 पश्चिम के जिले मथुरा, आगरा, मैनपुरी, सहारनपुर, मुरादाबाद, रामपुर आदि तमाम जिले हैं जहां कुछ में सिंचाई की व्यवस्था ज्यादा है तथा बहुत से जिलों में सिंचाई की व्यवस्था करनी है। पूर्वांचल में बहुत से जिले ऐसे हैं जहां पानी है लेकिन सिंचाई नहीं हो पाती है।

हमारा प्रयास है कि ज्यादा से ज्यादा सिंचाई की व्यवस्था की जाए। इसीलिए हमने सिंचाई के लिए परिव्यय रखा है। हमने कहा है कि सिंचाई ज्यादा से ज्यादा करेंगे। ज्यादा से ज्यादा योजनायें सिंचाई की चलायेंगे। हमारे जो राजकीय नलकूप आदि हैं इनको चलाया जाएगा ताकि कार्य में तेजी आ सके तथा खेतों की पैदावार बढ़ सके। हम इस तरह से प्रयास कर रहे हैं कि 1986-87 में 78 हैक्टेयर भूमि की सिंचाई क्षमता बढ़ेगी। अभी तक हमारे यहां 23 हजार 226 नलकूप हैं।

1985-86 में 1200 नलकूप लगाने का प्रयास किया गया, 1986-87 में हमारा प्रयास होगा इससे ज्यादा नलकूप लगाए जाएं। सबसे ज्यादा परेशानी बाढ़ और सूखे की है। बाढ़ और सूखे से हमारे प्रदेश में ज्यादा नुकसान होता है। कभी-कभी ज्यादा वर्षा से जल-भराव हो जाता है। बहुत से खेतों में ज्यादा पानी भर जाने से कम पैदावार होती है। गन्ने की पैदावार पानी भर जाने के कारण कम होती है। यह कैसे दूर हो, इसके लिए हम डैम्स बनाने का प्रयास कर रहे हैं। ताकि किसानों को जो दिक्कतें होती हैं वह न हों।

मान्यवर, आप जानते हैं बाढ़ से कितना नुकसान होता है। गत वर्ष और हर साल करीब 500 करोड़ रुपये का नुकसान होता है। हम जितना परिव्यय रखना चाहते थे, धन न मिलने की वजह से उतना काम नहीं कर पाए। सातवीं पंचवर्षीय योजना में हमारा प्रयास होगा कि ज्यादा से ज्यादा परिव्यय रखकर हम काम करें। खेती की पैदावार बढ़ाने के लिए बहुत से काम किये गये हैं बहुत से गरीब लोग ऐसे हैं जो सब्जी नहीं बोते हैं। बहुत से ऐसे लोग हैं जो

सब्जी न तो बोते हैं और न खाते हैं। सब्जी की पैदावार बढ़ाने के लिए हमने प्रयास किए हैं। इस साल 25 लाख रुपये के सब्जी के बीज बांटे गये हैं। 35 लाख रुपया इसके लिए रखा गया है। ताकि छोटे किसान सब्जी के बीज लगायें और सब्जी की पैदावार बढ़ सके। इसी तरह से कीड़े की दवाओं में हमने फायदा दिया है। कहीं-कहीं से शिकायत आई है, उसकी जांच की जा रही है। जहां कुछ कमी रही है उसको ठीक करने की कोशिश की जाएगी । मान्यवर, हमने कहा था कि पीने के पानी की बहुत बड़ी समस्या हमारे प्रदेश में है। उत्तर प्रदेश में अभी 1985 में 40,070 ग्रामों में पेयजल की व्यवस्था की जा चुकी है। सातवीं पंच-वर्षीय योजना में 29,547 गांवों में शुद्ध पेयजल सुलभ कराने का प्रस्ताव है। वर्ष 1986-87 में 6035 गांवों में पेयजल की सुविधा उपलब्ध हो जायेगी। सातवीं पंचवर्षीय योजना में 232 करोड़ रुपया पेयजल के लिये रखा गया है । हमारा प्रयास होगा कि इस संबंध में भारत सरकार से और भी धन की व्यवस्था करें ताकि इस स्कीम को ज्यादा से ज्यादा चलाकर यह जो बहुत बड़ी समस्या है, इसको दूर करें । इसकी बहुत बड़ी कठिनाई है हमारे सामने ।

आगरा और मथुरा में गर्मी के दिनों में, वैसे और भी जिले हैं, शहर हैं जैसे इलाहाबाद, फैजाबाद, बनारस आदि तमाम जिले हैं जहां गर्मी के दिनों में पानी की बहुत बड़ी समस्या पैदा हो जाती है। सबसे बड़ी समस्या आगरा और मथुरा की है जहां यात्री बाहर से आते हैं। इनके पानी की व्यवस्था नहीं हो पाती है। इस समय वहां जो योजनाए हैं, उनसे काम नहीं चल पा रहा है। इसके लिये कोई नयी बड़ी योजना बनानी होगी। कोई स्थायी व्यवस्था करनी होगी, उस पर विचार चल रहा है। सातवीं पंचवर्षीय योजना में मान्यवर, नगर जल सम्पूर्ति के लिये 80 करोड़ रुपये का प्राविधान किया गया है, और भी प्रयास किये जाएंगे ।

मान्यवर, अभी सुबह बात हो रही थी। प्रश्नोत्तर काल में यह पूछा गया कि यमुना के प्रदूषण को कैसे कम किया जाय? मान्यवर, यह बहुत बड़ी समस्या है। इसके प्रदूषण से यमुना का पानी पीने लायक नहीं रह जाता है। मैंने सुबह भी कहा था कि इसके बारे में भारत सरकार से बात कर रहे हैं कि कैसे इसके प्रदूषण को रोका जाय? ताकि आगरा, मथुरा और इसके क्षेत्र में पड़ने वाले जो जिले हैं उनको शुद्ध पीने का पानी मिल सके और सिंचाई की व्यवस्था हो सके। मान्यवर, गंगा की सफाई के लिये सातवीं योजना में 150 करोड़ रुपये के व्यय होने का अनुमान है । इसमें से ऋषिकेश, हरिद्वार, फर्रुखा-बाद, फतेहगढ़, कानपुर, मिर्जापुर, इलाहाबाद आदि जिलों को चुना गया है। यह जो बड़े शहर हैं, इनमें प्रयास किया जायेगा कि सीवर का पानी गंगा में न गिरने पाए । साथ ही उद्योग धंधों का जो गंदा पानी आता है, वह गंगा में न गिरने पाए। इसके लिये तेजी से कार्य हो रहा है। ऋषिकेश और हरिद्वार में कार्य करीब-करीब पूरा हो गया है, और जगह काम होने वाला है।

मान्यवर, सबसे बड़ी बात लोगों को उद्योग धंधा देने की है। इसके लिये इन्फ्रास्ट्रक्चर बनाने की आवश्यकता है। अगर उद्योग लगाने की सुविधाएं नहीं देते हैं, तो उद्योग लगाने वाले आते नहीं हैं। इसके लिये विशेष प्रयास किया जा रहा है। जो पिछड़े क्षेत्र हैं, हमने देखा है कि वहां पर पहले से ही उद्योग

धंधे बिलकुल नहीं है। आवश्यकता इस बात की है अगर वहां पर उद्योग धंधे नहीं लगाए जाते हैं तो वहां की स्थिति कभी अच्छी नहीं हो पाएगी। भारत सरकार ने बैकवर्ड एरिया के नाम पर, जो बंटवारा किया है, उसमें 42 जिले पिछड़े क्षेत्रों में आते हैं। उनमें से 15 जिले "ए" श्रेणी में हैं जहां कोई भी इंडस्ट्री नहीं है, उद्योग विहीन जिले हैं। फिर 6 कैटेगरी (बी) में आते हैं जहां कहीं-कहीं पर थोड़े उद्योग हैं जो 'सी' केटिगरी है उसमें 21 जिले हैं। मान्यवर, इनमें जो पिछड़े जिले हैं उसमें सुविधाएं भी दी गयी हैं। 'ए' केटिगरी वाले को 25 प्रतिशत सब्सिडी, 'बी' केटिगरी वाले को 15 प्रतिशत सब्सिडी और 'सी' केटिगरी को 10 प्रतिशत सब्सिडी मिलती है।

मान्यवर, इसके अतिरिक्त 'ए', 'बी' 'सी' केटिगरी के जो जिले हैं उनमें सेल्स टैक्स की भी सुविधा दे रहे हैं ताकि वहां 4 वर्ष, 5 वर्ष या 6 वर्ष सेल्स टैक्स न लें ताकि बहुत से उद्योग धंधे पनपे। इस तरह से मान्यवर, जहां पर उद्योग धंधे नहीं पनप पा रहे हैं वहां उद्योग धंधे पनपेंगे ।

मान्यवर, इसी प्रकार हमारे यहां सेंट्रल सेक्टर प्रोजेक्ट कम थे । हमारा यह प्रयास रहा कि सेन्ट्रल सेक्टर प्रोजेक्ट के अंतर्गत सार्वजनिक क्षेत्र में जो उद्योग लगें, उत्तर प्रदेश में ज्यादा लगें और मुझे यह कहते हुए खुशी है कि इस दिशा में काफी प्रयास हुआ और काफी काम हुआ है। मान्यवर, मैं यह कहना चाहता हूं कि इस क्षेत्र में 7 हजार करोड़ रुपये से बड़े-बड़े उद्योग लगेंगे। मान्यवर, यह कहा जाता है कि यह उद्योग कब लगेंगे। माननीय सदस्य जानते हैं कि जो बड़े-बड़े उद्योग होते हैं उनमें किसी में 3 वर्ष, किसी में 5 वर्ष का भी समय लग जाता है। जो बड़े-बड़े उद्योग हैं, उसमें थोड़ा समय लगता है। इसलिए इसमें थोड़ी दिक्कत होगी, समय लगेगा। लेकिन मान्यवर, हमारा सबसे बड़ा प्रयास होगा कि प्रदेश में छोटे-छोटे धंधे अधिक संख्या में लगायें ।

(मेजों की थपथपाहट)

मान्यवर, इसके अतिरिक्त हमने जो योजना बनायी है, उसके अंतर्गत हर जिले में कम से कम हम दो ब्लाक चुनेंगे और उन दोनों ब्लाक में हेड क्वार्टर पर 50-50 लघु उद्योग लगायेंगे। मान्यवर, इसमें हम देखेंगे कि किस तरह से ट्रेनिंग की व्यवस्था करें, मार्केटिंग को देखेंगे। मान्यवर, यह जो प्रयास होगा, इसमें काफी उद्योग प्रदेश में लग जायेंगे । मान्यवर, इसके अतिरिक्त हमारा यह प्रयास है कि ग्रामीण क्षेत्रों में खादी ग्रामोद्योग की तरफ से काफी उद्योग लगें । मान्यवर, इस साल काफी उद्योग लगने भी जा रहे हैं। उसमें तेजी से काम हो रहा है। इसके अतिरिक्त मैं यह कहना चाहता हूं कि जो हमारे आरटीजन हैं, उनकी ओर भी सरकार का ध्यान है कि कैसे हम उनको अधिक से अधिक सुविधाएं दे सकें । मान्यवर, मुरादाबाद का ब्रासवेयर, लखनऊ का चिकन उद्योग, अलीगढ़ का ताला उद्योग, आगरा का स्टोन उद्योग, बनारस का जरी का काम, भदोही का कारपेट उद्योग यह कुछ छोटे-छोटे परम्परागत ऐसे उद्योग हैं--वहां पर हमें देखना है कि कैसे हम ज्यादा सुविधाएं उनको दे सकते हैं ताकि जो पुराने उद्योग हैं वे अच्छी हालत में चल सकें और उनमें फायदा हो सके ।

मान्यवर, आपको मालूम है कि जो गरीबी की रेखा के नीचे लोग हैं, कुछ वर्षों में उन्हें सहायता दी जा रही है

लेकिन मान्यवर, अभी तक उनका मूल्यांकन नहीं हो पाता था कि जो सहायता दी जा रही है उसका फायदा उन्हें पूरा-पूरा हो रहा है या नहीं । अब यह प्रयास किया जा रहा है कि जो लोग पहले सहायता पाये हैं, उद्योग धन्धे लगाये हैं या कोई कारोबार किये हैं, उनका मूल्यांकन हो। गरीबी की रेखा से ऊपर उठाने के लिये लोगों को जो सहायता दी जा रही है उसमें यह प्रयास होगा कि जो भी सुविधाएं लोगों को दिलायी जायें वे पूरी की पूरी उन्हें मिले और उसका पूरा का पूरा सदुपयोग हो और जिस उद्देश्य के लिये उसे लगाया जाय, उस उद्देश्य की पूर्ति हो। मान्यवर, तब ही हम लोग पायेंगे कि हमने उन्हें फायदा पहुंचाया है, हम चाहते हैं कि इस दिशा में हमें जनप्रतिनिधियों का सहयोग मिले ताकि हम इस काम को तेजी से कर सकें। यह एक ऐसा कार्यक्रम है जो गांव-गांव तक फैला हुआ है और परिवार-परिवार तक फैला हुआ है। जब तक आप लोग सहयोग नहीं देंगे तब तक जितनी सफलता हमको मिलनी चाहिए, उतनी सफलता नहीं मिल पायेगी।

यह बात सही है कि जो हमारे माइनोरिटी के लोग हैं, उन्हें बहुत तरह की सुविधायें पहुंचनी हैं। कुछ सुविधायें हमने उनको दी भी हैं। जैसे अर्ध-सरकारी और सरकारी प्रतिष्ठानों में उनकी भर्ती को उचित प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए। पहले अर्ध-सरकारी प्रतिष्ठानों में यह होता था कि उन्हें उचित प्रतिनिधित्व नहीं मिल पाता था लेकिन अब उनको वहां उचित प्रतिनिधित्व दिलाया जायेगा। सेना और पुलिस में अल्पसंख्यक लोगों को सेवा में लेने का विशेष प्रयास किया जा रहा है। इसी प्रकार आई० टी० आई० और पालीटेक्नीक आदि में भी उन्हें सुविधायें दी जा रही हैं। अल्पसंख्यकों के कल्याण के लिए 15 सूत्रीय कार्यक्रम के लिए विशेष सेल का गठन किया गया है।

मान्यवर, हमारे जो पहाड़ी क्षेत्र हैं, उनके लिए 205 करोड़ रुपए का परिव्यय रखा गया है। लेकिन वहां पर सबसे पहले वे कार्य किये जायेंगे जिनकी वहां पर सबसे पहले आवश्यकता है। वहां पर उद्योग धन्धे लगाये जायेंगे और लोगों को रोजगार उपलब्ध कराना और पेयजल की व्यवस्था कराना, आने-जाने के लिए सुविधायें प्रदान कराना आदि। उनकी हालत और कैसे अच्छी हो सकती है, उसे भी देखा जायेगा। जो कार्य वहां पर किये जायेंगे, उनका मूल्यांकन किया जायेगा और जो कार्य वहां पर हो चुके हैं, उनका मूल्यांकन किया जायेगा। यदि किसी अधिकारी या कर्मचारी ने उसमें गलती की होगी तो उसके खिलाफ कार्यवाही की जायेगी।

मान्यवर, हरिजनों को हम जहां तक प्रोटेक्शन दे सकते हैं, उनको प्रोटेक्शन दें और उन्हें रोजगार दिलाने में योगदान दें। उनको हर क्षेत्र में ट्रेन्ड करें और जहां उनकी उपयुक्तता हो, वहां उन्हें रोजगार दें और जहां उनका कोटा पूरा नहीं हुआ है, वहां पर उनका कोटा पूरा किया जायेगा।

मान्यवर, निर्बल वर्ग के लोगों के भूमि आवंटन की शिकायतें आती हैं। नवम्बर, 1985 तक 19 लाख एकड़ जमीन को लगभग 21 लाख 77 हजार अनुसूचित जाति के लोगों में बांटा गया है। 19 लाख एकड़ भूमि में से 18 लाख 50 हजार एकड़ भूमि पर लोगों को कब्जा मिल गया है। जहां तक आवास आवंटन का प्रश्न है, लगभग 18 लाख 92 हजार 482 आवासों में से

18 लाख 50 हजार 62 परिवारों को आवंटित किया जा चुका है, जिसमें से 14 लाख 37 हजार अनुसूचित जाति के लोग हैं। 18 लाख 46 हजार आवंटियों को कब्जा दिला दिया गया है और शेष पर भी कब्जा दिलाये जाने का प्रयास किया जा रहा है।

मान्यवर, नेता विरोधी दल ने कुछ बातें कहीं। उनकी बात मैं यहां पर रखना चाहता हूं। उन्होंने कहा कि इस सरकार ने टैक्स-रहित बजट देने का प्रयास किया है। यह बात सही है कि बजट जो प्रस्तुत किया गया है, कोई टैक्स नहीं लगाया है। वैसे टैक्स लगाना कोई जुर्म नहीं है, अगर कोई काम करना होगा, प्रदेश को आगे ले जाना होगा, तो टैक्स लगाना होगा, लेकिन हमने यह प्रयास किया है कि हमारे प्रदेश में टैक्स देने की जितनी क्षमता होनी चाहिए, उतनी नहीं है। इसी-लिए कोशिश की है कि टैक्स न लगाना पड़े, और जो संसाधन जुटाने हैं मित-व्ययिता करके, वसूली करके, जहां पर लीकेज है, पैसे का दुरुपयोग होता है, तरह-तरह की गलतियां होती हैं, उसको ठीक करके पूरा किया जाय। इसमें तो नेता, विरोधी दल को प्रशंसा करनी चाहिये थी कि सरकार ने अच्छा काम किया है कि सरकार ने बिना टैक्स का बजट पेश कर दिया। टैक्स लगा दें तब भी शिकायत, टैक्स न लगायें तब भी शिकायत।

यह कहा गया है कि अन्य राजस्व और भू-राजस्व का अनुपात बराबर बढ़ता जा रहा है जिससे कर का बोझ बढ़ता जा रहा है। यह बात जो कही जा रही है, यह बात नहीं है। यह कर का भार जितना हमारे प्रदेश में कम है, दूसरे प्रदेशों में बहुत ज्यादा है। हमारा यह प्रयास है कि कर का भार ज्यादा न बढ़ने पाये। इस दिशा में जो इस साल बजट पेश किया है इसमें प्रयास भी किया है और आप देख लें वर्ष 1981-82 में अन्य राज्यों में यह भार कितना अधिक रहा है—आन्ध्र प्रदेश में था 8·46 प्रतिशत, मध्य प्रदेश में 7·25 प्रतिशत, राजस्थान में 6·18 प्रतिशत, जब कि हमारे प्रदेश में 5·63 प्रतिशत रहा है। यह कहना ठीक नहीं है कि यह बढ़ रहा है।

यह कहा गया है कि आयोजनेत्तर व्यय, आयोजनागत व्यय की तुलना में बढ़ रहा है यानी नान-प्लान एक्सपेण्डीचर, प्लान एक्सपेण्डीचर से बढ़ रहा है। माननीय नेता, विरोधी दल को मालूम है कि पंचवर्षीय योजना पूरी होने पर या कोई भी प्रोजेक्ट जब समाप्त हो जाता है, काम खत्म हो जाता है तो जो परिव्यय रखा जाता है, लग जाता है। उसके बाद जो मैण्टीनेन्स का काम होता है, नान-प्लान में होता है। यह तो हर वर्ष आता है। जो चीजें प्रथम पंचवर्षीय योजना में चलायीं, द्वितीय में चलायीं, तृतीय में चलायीं, चतुर्थ में चलायीं, उनका सबका काम है। इसी प्रकार, जो स्टाफ का है, अन्य व्यय हैं, वे सब इसमें आ गये। मंहगाई जब बढ़ती है, वेतन बढ़ता है, महंगाई भत्ता बढ़ता है, बोनस बढ़ता है। यह कोई हमारे आपके बस में तो है नहीं। यह तो बढ़ेगा ही। आज तरह-तरह के खर्चे बढ़ जाते हैं। शान्ति व्यवस्था स्थापित करने में, व्यवस्थायें करनी पड़ती हैं, उसमें भी खर्च बढ़ जाते हैं। इस साल बोनस देना पड़ा, यह भी बढ़ गया। इसको रोका नहीं जा सकता है, यह तो बढ़ता ही है।

यह कहा गया कि जो बजट प्रस्तुत किया गया है, वह घाटा 2032 करोड़ रु0 का है, 88 करोड़ रु0 का नहीं है, लेकिन माननीय नेता विरोधी दल ने एक चीज को नहीं देखा कि प्राप्तियों को अंकलित करने में कर्जों से होने वाली 1942 करोड़ रु0 की प्राप्तियों को आपने हिसाब में नहीं जोड़ा है, यदि इसे जोड़ लिया जाय जो 88 करोड रु0 बचता है।

श्री मुलायम सिंह यादव–

आपने जो कुछ प्राप्तियां दर्शायी हैं वह कर्ज लेकर दिखायी हैं, इसलिए बजट में घाटा है।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष–

माननीय सदस्यों से कहना है कि शान्ति बनाये रखें, उत्तेजित न हों।

श्री वीर बहादुर सिंह–

जो धन भारत सरकार से हमें मिलता है, भारत सरकार से हमें ऋण लेना पड़ता है और उसे हम प्राप्तियों में दिखाते हैं। जो योजनायें बनायी जाती हैं उनके लिए भी हमें भारत सरकार से ऋण तथा अनुदान मिलता है, यह सब प्राप्तियों में ही आता है और ऐसे ही दिखाया जाता है, यह नियम है।

श्री विजय सिंह राणा–

और इसका ब्याज कहां जाता है?

श्री वीर बहादुर सिंह–

ब्याज भी अलग से रहता है। मान्यवर, यह कहा गया कि आकस्मिकता निधि की धनराशि 200 करोड़ के बजाए 400 करोड़ रुपए कर दी जाय। आपको मालूम होगा कि प्रदेश में सूखा पड़ा, प्रदेश में बाढ़ आयी और इसके लिये हमें भारत सरकार से 142 करोड़ रुपए की सहायता प्राप्त हुई। इसको हम कैसे निकालें, इसके लिए अध्यादेश लाया गया और उसके द्वारा यह निकाला गया।

यह भी कहा गया कि राज्य सरकार की ऋणदक्षता बराबर बढ़ती जा रही है। 1986-87 में यह 90 अरब हो जायेगी। 48 अरब रु0 जो है, यह सरकार की दिवालियेपन की स्थिति में है। मैं नहीं समझता हूं कि अगर कोई कारखाना लगा दें तो दिवालिया हो जायेंगे? पावर प्रोजेक्ट लगाने से हम दिवालिया बन जायेंगे?

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष–

कृपया आप लोग शान्ति बनाये रखें।

श्री वीर बहादुर सिंह–

(सत्ता पक्ष को इंगित करते हुए) आखिर आप लोग क्यों शोर मचा रहे हैं? तो मैं कह रहा था कि यह भी कहा गया कि कर्जा लिया जाता है। तो मैं बतलाना चाहता हूं कि जो भी कर्जा लिया जाता है उससे बड़े-बड़े इरीगेशन के प्रोजेक्ट बने हैं, पावर के प्रोजेक्ट बने हैं, उद्योग धन्धे लगाये गये हैं, जल निगम के द्वारा ज्यादा से ज्यादा पेयजल की व्यवस्था की गयी है, सड़कों का निर्माण कराया गया है, कालेज बनाये गये हैं, अस्पताल खोले गये हैं। यह हमारे एसेट्स हैं। आपके हिसाब से यदि देखा जाय तो यह 90 अरब रु0 बहुत ज्यादा है। कर्जा लेकर यदि आप उसे उत्पादन के कार्य में लगाते हैं तो इससे लाभ ही होता है, कोई नुकसान नहीं होता है, हमने ज्यादा उत्पादन कार्यों में लगाया है। आप लोग शान्ति बनाये रखें।

(व्यवधान)

मैं आपको फिर बताये दे रहा हूं। जो सड़क बनायी गयी है, जो बिजली

घर बनाये गये हैं, चाहे सिंचाई के काम किये गये हों, जैसे नहर कोई बनायी गयी हो, तो जो कुछ बना है, उससे उत्पादन हो रहा है, उत्पादन बढ़ रहा है। उद्योग धन्धे लगाये गये हैं, उनसे उत्पादन होगा और लोगों को रोजगार मिलेगा।

मान्यवर, यह कहा गया, माननीय नेता विरोधी दल ने कहा कि तीन महीने से विकास के सभी काम ठप्प हैं। नेता विरोधी दल ने जिलों-जिलों में जाकर मीटिंग तो बहुत किया है, लेकिन उन्होंने यह नहीं देखा कि जिलों में क्या काम हो रहे हैं। अगर उन्होंने फील्ड में काम देखा होता, तो उनको मालूम हो जाता कि कितना काम हुआ है। मैं खुद बरेली, कुमायूं और गढ़वाल मंडलों में गया था और वहां के कार्यों का मूल्यांकन किया है, तो मैं कहना चाहता हूं कि जितना काम इन तीन महीनों में हुआ है, उतना काम पिछले 6 महीनों में नहीं हुआ है।

नेता विरोधी दल का तो ज्यादा समय 'रास्ता रोको' में लग गया, उनको कार्यों के मूल्यांकन का समय ही नहीं मिला। मान्यवर, हमारी जो वसूली है, वह अच्छी है। वसूली बढ़ रही है। आपने कहा कि योजना आयोग को राज्य सरकार ने 2387 करोड़ रुपये की योजना प्रस्तुत की थी तो आवश्यकतानुसार उसको प्रेषित किया गया था और जो मन्जूरी दी जाती है वह संसाधनों को देखते हुये दी जाती है। संसाधन जितने जुटा पाते हैं, उसी के अनुसार वह होती है। आपने कहा कि रुपया दिया नहीं गया, जितना मांगा गया, तो ऐसा नहीं है।

मान्यवर, यह कहा गया कि राष्ट्रीय विकास परिषद् की बैठक हुई, उसके बारे में कई बातें रखी गयीं, मुझे भ्रम नहीं है और किसी को भ्रम नहीं होना चाहिये। मान्यवर, फैक्ट यह है कि आबादी जितनी बढ़ रही है, उसके अनुसार जो परिव्यय है, उतना नहीं है और संसाधन जितने बढ़ने चाहिये, उतने नहीं बढ़े हैं। पर-कैपिटा जितना इनवेस्टमेंट करना चाहिए, वह नहीं कर पाते हैं, इसलिये हम पिछड़े रह जाते हैं। हम कोशिश करते हैं कि पिछड़ापन दूर हो। हम इस दिशा में प्रयास कर रहे हैं। यह कहा गया कि अन्य प्रदेशों को पर-कैपिटा धनराशि ज्यादा दी जाती है और उत्तर प्रदेश को नहीं दी जाती है। इसका उत्तर दिया जा चुका है। महाराष्ट्र में पर-कैपिटा कर भार अधिक है, वहां 218 रुपया प्रति व्यक्ति है और उत्तर प्रदेश में यह 73 रुपया प्रति व्यक्ति है। यह 50 प्रतिशत से कम है। हमारे संसाधन जुटाने की क्षमता कम है और इसलिए हमारी परेशानी है, इसलिए हम इतना नहीं कर पाते हैं। माननीय नेता विरोधी दल ने कहा कि संसद सदस्यों को आपने जीप दी है। मान्यवर, हमारा एक प्रयास यह रहता है कि कैसे जनप्रतिनिधियों को हम, ऐसे जो हमारे प्रोग्राम हैं, जो कार्य हैं, जो विकास के कार्य हो रहे हैं, उन कार्यों में उनका ज्यादा इनवाल्वमेन्ट कैसे हो सकता है और यही कारण है कि इसके लिए हमने कहा, जो जनप्रतिनिधि हैं अगर उनको कुछ सुविधा देते हैं तो वह जायेंगे और यह कहा गया कि वह जायेंगे और जो देखेंगे उसकी रिपोर्ट देंगे, उसके ऊपर कार्यवाही होगी। तो ऐसा नहीं है, उससे सरकार को फायदा होगा और उससे नुकसान नहीं होने वाला है। जैसा नेता विरोधी दल ने कहा है तो जब वह संसद सदस्यों

को नहीं चाहते हैं तो विधायकों को कैसे चाहेंगे कि दिया जाय।

श्री विजय सिंह राणा–

मान्यवर, सांसद तो पार्लियामेन्ट से लेंगे, हम तो विधायक हैं हमको यहां से दिलाइयें।

श्री वीर बहादुर सिंह–

इसलिए मान्यवर, जन प्रतिनिधियों को, जो विकास के काम हैं, उसमें हम ज्यादा लेना चाहते हैं और यह हमारा प्रयास है। मैं यह भी देखूंगा कि प्रधान को, ब्लाक प्रमुख को और विधायकों को कैसे विकास कार्यों में लगाया जाय, यह बड़ा आवश्यक है।

श्री किरन पाल सिंह–

मान्यवर, एक-एक साइकिल दिलवा दीजिए।

श्री वीर बहादुर सिंह–

मान्यवर, यह कहा गया कि जो इलाहाबाद में स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों का सम्मेलन हुआ, उसमें कहा गया कि 15 करोड़ रुपये खर्च हो गये। मान्यवर, अगर कोई बात कही जाय और उसमें एक परसेन्ट भी सही हो तो कोई बात है, ऐसी बात कही जाय।

श्री विजय सिंह राणा–

आप सही-सही खर्चा बता दें।

श्री वीर बहादुर सिंह–

मान्यवर, आपको मालूम है कि वर्ष 1983 में यह निर्णय लिया गया था कि जिले के बाहर होने वाले स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के सम्मेलन में भाग लेने जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी जायेंगे उन्हें परिवहन निगम की बसों में निःशुल्क सुविधा प्रदान की जायेगी, यह व्यवस्था जारी है तो यह जो परिवहन की बसों की सुविधा उनको मिली हुई है यह 1983 से मिली हुई है। जो यह कहा गया कि 1000 बसें लगायी गयीं तो बसों का जो खर्चा हुआ होगा वह तो उन बेचारों को मिलना ही था इसमें कोई ऐसी नयी बात नहीं है।

श्री मुलायम सिंह यादव–

कितना खर्चा हुआ है, यह बता दें।

श्री वीर बहादुर सिंह–

बसों का जो खर्चा हुआ है वह 11 लाख 24 हजार 568 रुपया 43 पैसा बसों पर खर्च हुआ है। परिवहन की बसों से पूरे प्रदेश से जो लोग गये थे, उन पर यह खर्चा हुआ है।

कुंवर रेवती रमण सिंह–

कुल खर्चा कितना हुआ, बिजली, पानी, तम्बू, खाना आदि में यह बता दें।

श्री लोकपति त्रिपाठी–

जनता पार्टी का जब सम्मेलन हुआ था तो वहां पर हमने एक चिकित्सालय भी खोला था, उसके बारे में भी पूछिये कि कितना खर्चा हुआ था। (व्यवधान)

श्री वीर बहादुर सिंह–

मान्यवर, वहां पर जो सम्मेलन हुआ उसमें भोजन का, उनके रहने का जो पंडाल पड़ा था, यह सारा खर्चा कांग्रेस पार्टी ने बर्दाश्त किया। उसमें एक पैसा किसी का नहीं था। मान्यवर, एक बात जरूर है। जैसा कि अभी हमारे स्वास्थ्य मंत्री ने कहा, जब कहीं कोई सम्मेलन होता है या मेला होता है या इतने ज्यादा लोग इकट्ठा होते हैं तो वहां पर दवा दारू की व्यवस्था हम करते हैं। वे पोलिटिकल सफरर थे (व्यवधान)

श्री किरन पाल सिंह–

दवा और दारू दोनों की व्यवस्था करते हैं?

श्री वीर बहादुर सिंह–

दारू की नहीं, दवा की।

श्री उपाध्यक्ष–

दवा-दारू तो एक मुहावरा है जो दवा के लिए इस्तेमाल होता है।

श्री वीर बहादुर सिंह–

जहां कहीं कोई टूरिस्ट प्लेस होता है और वहां बाहर के लोग आते हैं तो हर तरह की व्यवस्था करनी पड़ती है। (व्यवधान)

श्री शतरुद्र प्रकाश–

दारू के अलावा हर तरह की व्यवस्था में कौन-कौन व्यवस्था आप करते हैं, यह बता दें ?

श्री वीर बहादुर सिंह–

खाना, पीना सब आता है। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष–

कृपया शान्त रहें ।

श्री वीर बहादुर सिंह–

मान्यवर, यह सब बातें कही गई हैं यह हमारे देश के वह लोग हैं जिन्होंने इस देश की आजादी के लिए कुर्बानी की है। उन्हें यह देश भूल नहीं सकता और जितने माननीय सदस्य यहां बैठे हैं, चाहे कोई भी हो, उन्हीं लोगों का आशीर्वाद है, उन्हीं का त्याग और बलिदान है कि हम लोग यहां पर बैठे हुये हैं। मान्यवर, उनके बारे में बार-बार यह सवाल किया जाय कि उनको सम्मान क्यों दिया गया

एक सदस्य–

यह नहीं कहा गया (व्यवधान)

श्री वीर बहादुर सिंह–

बिलकुल कहा गया। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष–

शान्ति बनाये रखें ।

श्री मुलायम सिंह यादव–

आप कार्यवाही उठाकर देखिये। मैंने यह कहा था कि हमारी उनके प्रति अपार श्रद्धा है लेकिन जो खर्चा किया गया है मैं उसमें नहीं जाना चाहता हूं, आपने बता दिया है लेकिन जब कोई सम्मेलन होता है हमारा भी सम्मेलन हुआ है तो उसके लिए हमने रसीद, बहियां या कूपन छपाये हैं और चन्दा लिया है। आप बता दें कि आपने रसीद, बहियां या कूपन छपवाकर चन्दा लिया है?

श्री वीर बहादुर सिंह–

मान्यवर, यह तो पार्टी से पूछिये कि कैसे क्या किया है? यह सब पार्टी करती है। मैं मुलायम सिंह तो नहीं हूं कि झट से कह दूं ।

मान्यवर, यह जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हैं उनका जिन्दगी में पहली बार इलाहाबाद में सम्मेलन हुआ और इतना उसके लिये वे खुश हैं, सारे देश से वे लोग आये थे, जिनको यहां पर सम्मान दिया गया, इतने प्रसन्न हैं, इतने खुश हैं कि हमने त्याग और बलिदान किया है और उसके लिए हमें सम्मान दिया गया है। इसके लिए विरोधी दल के नेताओं को और सम्मानित सदस्यों को बुरा नहीं मानना चाहिए। मान्यवर, यह कहा गया कि विष्णु प्रयाग जल विद्युत परियोजना में 10 करोड़ 40 लाख रु0 व्यय किया गया और फिर स्थान बदल दिया गया है तो मुख्य स्थल पर कोई परिवर्तन नहीं किया गया है। लेकिन उस प्रोजेक्ट में कुछ संशोधन किये गये हैं। तो इससे पैसा बरबाद नहीं हुआ है संशोधन करके उसकी क्षमता को बढ़ा दिया गया है ।

इसी तरह से लक्ष्मण झूला में कोटली बहु उद्देशीय योजना है जो लगभग 12 सौ करोड़ की है उसमें कहा गया कि कितना धन व्यय कर दिया गया है। मान्यवर, जब कोई बड़ी योजना बनायी

जाती है उसमें सर्वे होता है और दूसरे बहुत से खर्च होते हैं तो करीब 12 करोड़ रुपये के खर्च की बात है यह बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है इसमें कितना खर्च होता है तो जो खर्च हुआ है वह बेकार नहीं गया है यह आवश्यक है।

मैं संक्षेप कर रहा हूं । यह कहा गया कि भ्रष्टाचार दूर करने के लिए एक समिति बनाई जाय। मान्यवर, आपको मालूम है कि पिछले दिनों हमने जो रास्ता अपनाया है जिस प्रकार हम कार्य कर रहे हैं वह सबको मालूम है उससे विभागों में चुस्ती आई है, लोग गलत काम करने से डरने लगे हैं। जांच कराने की बात जो आपने कही है तो जांच रोज होती रहती है। सी0 आई0 डी0 की जांच भी होती रहती है लेकिन तब भी कमियां रह जाती हैं, इसलिए इसमें आपका सहयोग चाहिये। लेकिन यह काम, सख्ती से कोशिश की जा रही है लोग ऐसा न कर पायें तो माननीय नेता विरोधी दल की जो शिकायत है वह नहीं रह जायेगी और उनके इस सुझाव की आवश्यकता नहीं है।

श्री किरन पाल सिंह–

क्या आपने यह जाने में कहा या अनजाने में कि सुझाव की आवश्यकता नहीं है।

श्री वीर बहादुर सिंह–

मैंने कहा इस तरह के सुझाव की आवश्यकता नहीं है। एक बात और आपने कही कि लघु और कुटीर उद्योग स्थापित किये जायं। यह मैं पहले कह चुका हूं कि इस दिशा में हम काम कर रहे हैं।

एक सुझाव आपने दिया कि बढ़ती हुई जनसंख्या पर रोक लगाने के लिए दो या तीन बच्चों के बाद टैक्स लगा दिया जाय। आपका सुझाव नोट कर लिया है आगे आने वाले समय में देखेंगे।

श्री विजय सिंह राणा–

अभी आपने कहा कि सुझाव की आवश्यकता नहीं है।

श्री वीर बहादुर सिंह–

मान्यवर, मैं दो तीन बातों की ओर संकेत करना चाहता हूं बाकी तो मैंने संक्षेप में कह दिया है। एक बात मितव्ययिता के संबंध में मैंने कहा है कि विशेष ध्यान दिया जाय और फिजूलखर्ची नहीं होने दी जायेगी और कोशिश होगी कि ज्यादा से ज्यादा उत्पादक कार्यों पर खर्च किया जाय। दूसरी बात जो 88 करोड़ रुपये के संबंध में कहा गया कि कैसे पूर्ति करेंगे तो उसके लिए हमने कहा है कि वसूली काफी करनी बाकी है उसे सख्ती से वसूल किया जाय जो बकाया पैसा है उसे वसूल किया जायेगा और उससे हम अपना घाटा पूरा करेंगे। साथ ही प्रयास करेंगे कि जो चीज बने जैसे सड़क या नहर तो उसमें क्वालिटी कन्ट्रोल पर विशेष ध्यान दिया जायेगा ताकि जो चीज बने वह ठीक और अच्छी बने। साथ ही प्रयास होगा कि समयबद्ध काम हो और हर काम समय से पूरा किया जायेगा, इसीलिए यह बजट मार्च में पास किया जा रहा है ताकि अप्रैल के महीने से 3-3 महीने का प्रोग्राम बनायेंगे और उसमें वह काम किया जायेगा और उसका मूल्यांकन किया जायेगा कि कितना काम हुआ है और उसी आधार पर पैसा दिया जायेगा। इस प्रकार समय से काम पूरा होगा और उसमें इस प्रकार से दुरुपयोग की संभावना कम हो जायेगी।

मान्यवर, यह भी प्रयास होगा कि इसका मूल्यांकन जिला, मंडल और प्रदेश स्तर पर करें ताकि जहां कोई कमियां

हों वह मालूम हो सकें और उसमें सुधार किया जा सके और गल्ती करने वालों के खिलाफ कार्यवाही कर सके जिससे आगे वैसी गल्तियां न हों।

मान्यवर, हमारा यह भी प्रयास होगा कि जो आज बेकारी बढ़ रही है उसको दूर करने के लिए ऐसे कार्य किये जायं जिससे लोगों को ज्यादा से ज्यादा रोजगार के अवसर मिल सकें। मान्यवर, यह भी हमारा प्रयास होगा कि ब्लाक स्तर से लेकर जिला स्तर तक जो हमारे जनप्रतिनिधि हैं उनको विश्वास में लेकर, उनका सहयोग लेकर जो विकास के कार्य हो रहे हैं वह किये जायं ताकि उनके योगदान से हम अच्छे काम कर सकें और कमियां न रहें।

मान्यवर, यह सारी बातें, जो बजट की प्रमुख विशेषतायें रही हैं, उनकी ओर संकेत किया है और नेता विरोधी दल एवं अन्य माननीय सदस्यों ने जो अच्छे सुझाव दिये हैं मैं चाहूंगा कि आने वाले समय में उनका उपयोग हो और जो सुझाव माननीय सदस्य ने भ्रमवश दिये हैं, मैं चाहूंगा कि उनको वह वापस ले लेंगे ताकि उनको भ्रम न रह जाये। मान्यवर, कुछ सुझाव भ्रमवश आ जाते हैं तो उसमें उनका दोष नहीं होता है बल्कि लिटरेचर जो बजट का दिया जाता है उसका अध्ययन न करने से भ्रम हो जाता है, इसलिए यदि वह अध्ययन करके आयेंगे तो भ्रम नहीं होगा।

इन शब्दों के साथ जिन माननीय सदस्यों ने अपने विचार व्यक्त किये हैं उनके प्रति हम आभार प्रकट करते हैं।

श्री मुलायम सिंह यादव–

मान्यवर, मेरी राय और सुझाव आपको है कि संसद सदस्यों को जो जीप देने का विचार कर रहे हैं उसको स्थगित करें, यह अच्छी परम्परा नहीं है क्योंकि हमारे माननीय सदस्य भी मांग करेंगे तो आपको देना जरूरी हो जायेगा और प्रदेश की हालत आप जानते हैं। मेरा सुझाव है कि विधायकों को कम ब्याज पर कर्जे दें जिससे माननीय सदस्य डीजल जीप खरीद सकें, इस पर क्या आप विचार करेंगे। संसद सदस्य जो कर्जा लेना चाहे उसको भी कम ब्याज पर कर्ज दे दें जिससे वह डीजल जीप अपनी खरीदें, क्या इस पर आप विचार करेंगे।

(कोई उत्तर नहीं दिया गया)

श्री उपाध्यक्ष–

मद संख्या–25

(व्यवधान के मध्य)

श्री विजय सिंह राणा–

मान्यवर, जो नेता विरोधी दल ने सुझाव दिया है उसका उत्तर तो दिलवा दें।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष–

नेता विरोधी दल का सुझाव मुख्य मंत्री जी ने सुन लिया, अब यह उनके ऊपर है, चाहें तो जवाब दें। अब आप बैठिये।

श्री शारदा नन्द अंचल–

जो सुझाव नेता विरोधी दल ने दिया है कि सभी विधायकों को कम ब्याज पर गाड़ी के लिए ऋण दिया जाए . .

श्री उपाध्यक्ष–

अब आप बैठिये, स्पष्टीकरण हो चुका है, अब मुख्यमंत्री जी कुछ नहीं कहना चाहते हैं।

श्री मैनेजर सिंह–

श्रीमन्, यह सदन की परम्परा का प्रश्न है। नेता विरोधी दल ने एक प्रश्न किया है, उसका 'हां' या 'ना' में

माननीय नेता सदन को उत्तर देना चाहिए।

श्री उपाध्यक्ष–

यह केवल उनका सुझाव था . . .

(व्यवधान)

श्री मैनेजर सिंह–

इस पर कुछ तो कह दें।

श्री वीर बहादुर सिंह–

मान्यवर, यह जो संसद सदस्यों को दिया गया है, वह विकास कार्यों में उनका योगदान लेने के लिए दिया गया है, इसलिए मान्यवर, कोई योगदान दे रहा है तो इसमें आप क्यों व्यवधान डाल रहे हैं। कम ब्याज पर विधायकों को ऋण देने का जो सुझाव दिया है, उस पर विभाग से विचार विमर्श करके जो सम्भव होगा, करेंगे।

श्री भोपाल सिंह–

मान्यवर, 85-86 व 86-87 के बजटों में बराबर पश्चिमी उत्तर प्रदेश के साथ अन्याय किया गया है, पश्चिमी जिलों के साथ सौतेला व्यवहार किया जाता है। जिला मेरठ के उस क्षेत्र के साथ खासकर, जहां से जननायक चौधरी चरण सिंह जीत कर आते हैं घोर उपेक्षा की गयी है। (व्यवधान) मेरे क्षेत्र बरनावा में नहर सिंचाई पानी के लिए साढ़े 19 करोड़ रुपये में से केवल इसमें 5 लाख रुपया 85-86 के बजट में से दिया गया है, अब आप बताइये इससे कोई काम वहां कैसे सम्भव है। सत्ता-पक्ष के एक विधायक हैं जो मेरे क्षेत्र के रहने वाले हैं, इस समय वहां पर पानी सिंचाई व पेयजल की विकट समस्या है। मान्यवर, 86-87 के बजट में नहर खुदवाने के लिए ज्यादा रुपये का प्राविधान किया जाय ताकि सिंचाई व पेयजल की समस्या का समाधान हो सके।

श्री उपाध्यक्ष–

यह स्पष्टीकरण का कोई समय नहीं है। अब आप बैठें, मैं आपको बराबर रोके रहा हूं। हर वक्त कौन स्पष्टीकरण देगा। (व्यवधान) तो आप स्पष्टीकरण ले लीजिए। वह क्या बताएंगे।

नियम 51 के अन्तर्गत सूचनाएं

श्री उपाध्यक्ष–

नियम 51 के अन्तर्गत 10 सूचनाएं प्राप्त हुई हैं, उसमें से माननीय अशोक बाजपेई की जो सूचना जो प्रमोद कुमार बाजपेयी, जिला सेवायोजन अधिकारी, सीतापुर की मृत्यु के संबंध में है उसको केवल नियम 51 में स्वीकार किया गया है, बाकी सबको अस्वीकार किया गया है।

मुरादाबाद स्थित ग्राम गनीमत नगर के खेड़े के समीप नदी में एक महिला की लाश पाये जाने के सम्बन्ध में वक्तव्य

श्री उपाध्यक्ष–

अब मैं मद संख्या 16(2) को लेता हूं, जो स्थगित था और जिसमें माननीय गृहमंत्री का वक्तव्य होना है।

गृह राज्य मंत्री (श्री सुरेन्द्र सिंह चौहान)–

प्राप्त सूचना के अनुसार . .

श्री उपाध्यक्ष–

इसको पढ़ा हुआ हुआ मान लिया जाए?

(सदन की सहमति से वक्तव्य को पढ़ा हुआ माना गया)

श्री सुरेन्द्र सिंह चौहान –

[दि0 12-2-86 को प्रातः 11-15 बजे मृतिका के ससुर श्री प्रसादी पुत्र लाल सिंह, निवासी गनीमत नगर उर्फ गनी नगर थाना भोजपुर, जिला मुरादाबाद ने दस अन्य ग्रामवासियों के साथ थाना

नोट:–[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

भोजपुर पर लिखित सूचना दी कि श्रीमती लीलावती पत्नी श्री डोरी, ढेला नदी में डूब कर मर गई है। उसको मिरगी का दौरा पड़ा था और उसको किसी पर शक नहीं है। इस सूचना का अंकन थाना भोजपुर की सामान्य दैनिकी की रिपोर्ट संख्या 17, समय 11-15 प्रातः पर किया गया। लाश के पंचायतनामें में मृतिका के गले एवं ठोढ़ी पर नीले निशान होना अंकित किया गया था, पर गांव के प्रधान एवं अन्य पांच व्यक्तियों ने मृत्यु मिरगी का दौरा पड़ कर डूबने से होना व्यक्त किया था। उपनिरीक्षक श्री रणवीर सिंह ने भी पंचायतनामा में पंचों की राय से सहमति व्यक्त की, लेकिन फिर भी मृत्यु का सही कारण जानने के लिये लाश को पोस्टमार्टम हेतु भेजा गया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मृत्यु का कारण गला घुटने के फलस्वरूप श्वासावरोध पाया गया, जिसके आधार पर दिनांक 13-2-86 को सायंकाल 20-30 बजे थाना भोजपुर पर मुकदमा अपराध संख्या 29/86, अन्तर्गत धारा 302 भा0 दं0 वि0 विरुद्ध अज्ञात पंजीकृत किया गया। इस अभियोग की विवेचना थाना-ध्यक्ष भोजपुर श्री सुखपाल सिंह द्वारा की जा रही थी। अब इस मामले की विवेचना अपराध अनुसंधान विभाग को अभिदिष्ट कर दी गई है।

दिनांक 13-2-86 को लाश का पोस्ट-मार्टम हो चुकने के उपरान्त मृतिका का पति श्री डोरी पुत्र प्रसादी गांव के कुछ अन्य व्यक्तियों के साथ वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक मुरादाबाद से मिला और एक लिखित शिकायती पत्र दिया जिसमें उसने यह आरोपित किया था कि दिनांक 12-2-86 को समय 7 बजे प्रातः उसकी पत्नी लीलावती रोजाना की तरह ढेला नदी पर जल चढ़ाने गई थी। उस समय वह गले में चांदी की हंसली व हार तथा पैरों में पायजेब पहने थी, जिसे बदमाशों ने लूटकर तथा बलात्कार करके उसे नदी में डाल दिया। थाने पर इस घटना की सूचना पर उपनिरीक्षक श्री रणवीर सिंह घटनास्थल पर पहुंचे और लाश को थाने पर ले आये और अपनी मर्जी के अनुसार रिपोर्ट लिखाई जिसमें उन्होंने मृत्यु का कारण मिरगी के दौरे से पानी में डूबना बताया। बार-बार कहने पर भी रिपोर्ट पढ़कर नहीं सुनाई और थाने से बाहर निकाल दिया। पत्नी की लाश को बिना उसकी मर्जी तथा उसे साथ न ले जाकर दो कान्सटेबिलों के द्वारा एक पत्थर से लदे ट्रक में रखकर अस्पताल भिजवा दिया। उसने यह भी आरोप लगाया कि श्री रणवीर सिंह उपनिरीक्षक ने बदमाशों से मिलकर यह षडयंत्र रचा है।

उपर्युक्त आरोपों की जांच मौके पर जाकर क्षेत्राधिकारी ठाकुरद्वारा द्वारा की गई। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से बलात्कार की पुष्टि नहीं हुई है। जांच से ज्ञात हुआ है कि उपनिरीक्षक श्री रणवीर सिंह ने मृत्यु का सही कारण पता लगाने का प्रयत्न नहीं किया। मृतिका के गले में दो निशान नीले होते हुये तथा दांत बन्द पाये जाने पर भी उपनिरीक्षक ने पंचों की राय से कि मृत्यु पानी में डूबने से हुई, सहमति व्यक्त की। पानी में डूबने से मृत्यु होना असम्भव प्रतीत होती है। जांच से उपनिरीक्षक श्री रणवीर सिंह द्वारा पोस्टमार्टम के लिये लाश पत्थर के ट्रक में रखवाकर भेजने के तरीके का ग्राम-प्रधान द्वारा विरोध किये जाने पर भी लाश को कान्सटेबिलों के साथ ट्रक द्वारा भेजा जाना और घर के किसी व्यक्ति को लाश के साथ नहीं भेजे जाने का आरोप सही पाया गया। उपनिरीक्षक श्री रणवीर सिंह को हत्या के सही तथ्यों का पता न लगाने में लापरवाही करने का दोषी पाया गया। अतः उसे निलम्बित कर पुलिस लाइन

स्थानान्तरित कर दिया गया है तथा उसके विरुद्ध विभागीय कार्यवाही की जा रही है। उपनिरीक्षक श्री रणवीर सिंह के विरुद्ध इस कार्यवाही के कारण जनता में इस घटना को लेकर पुलिस के प्रति अब कोई रोष नहीं है। अभियुक्तों का पता लगाने तथा निष्पक्ष विवेचना हेतु मामला अपराध अनुसन्धान विभाग को अभिदिष्ट कर दिया गया है।]

निर्माण निगम के कर्मचारियों द्वारा अपनी मांगों को लेकर विधान सभा के समक्ष धरना देने के संबंध में नियम 49 के अन्तर्गत चर्चा

श्री मित्रसेन–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से, निर्माण निगम के सम्बन्ध में जो चर्चा स्वीकार की गई है नियम 49 के अन्तर्गत, उस पर अपने विचार व्यक्त करने के लिए खड़ा हुआ हूं। निर्माण निगम की स्थापना का उद्देश्य सार्वजनिक उद्यमों के मजदूरों को सुविधाएं देने और उन पर होने वाले शोषण को रोकने का था। 25 अप्रैल, 75 में कम्पनी एक्ट में इन निगमों की स्थापना करके मजदूरों को तरह-तरह की सुविधाएं देने का विचार था और उस उद्देश्य के तहत जो कमीशनखोरी होती थी, उससे सम्बन्धित ठेकेदारी प्रथा को समाप्त करने के लिए निर्माण निगम की स्थापना की गई थी।

मान्यवर, इसके पास जो काम हैं उनको देखने से लगता है कि इसकी स्थापना के समय इसमें मात्र 10 इंजीनियर काम करते थे और आज यह विकसित होकर, इसमें 8 क्षेत्रीय प्रबन्धक, 86 परियोजना प्रबन्धक और 300 से ज्यादा यूनिटें काम कर रही हैं और लगभग 20 हजार मजदूर लगे हैं। इतने बड़े निगम में जिसमें प्रदेश के अंदर और बाहर काम करने वालों को इतनी बड़ी संख्या हो और इतने निर्माण के काम हों और इतना बड़ा विभाग हो उसके अन्दर काम करने वाले मजदूरों के लिये जो नियम और कानून हैं उनका लाभ उनको न मिले तो यह हमारे लिये, हमारी सरकार के लिये और विभाग के लिये शर्म की बात है।

मान्यवर, इसमें अलग-अलग, काम करने की दृष्टि से अलग-अलग नंचर के कर्मचारी हैं और वे एक साल से लेकर दसियों वर्षों से काम कर रहे हैं। जो श्रम कानून और मजदूरों के हित के कानून हैं उनकी इसमें बराबर उपेक्षा हो रही है। इसी को लेकर श्रमिकों ने समय-समय पर धरना, आंदोलन किये हैं और अपनी मांगों को लेकर सरकार के सामने आवाज उठाते रहे हैं। इस विभाग में ड्राइवर भी हैं, लिपिक, टाइपिस्ट, मशीन मैन और बड़ी-बड़ी मशीनों को चलाने वाले कुशल और अर्ध कुशल कर्मचारी भी होंगे लेकिन किसी का नियमितीकरण या किसी की स्थायी सर्विस नहीं है। इस संबंध में छंटनी शुदा कर्मचारियों के बारे में समय-समय पर सवाल उठते रहे हैं और हमारे लेबर एक्ट के अन्तर्गत जो प्राविधान है कि किसी भी कर्मचारी की छंटनी करते समय श्रम विभाग की अनुमति लेनी चाहिए तो निर्माण निगम के अधिकारी इसका पालन नहीं करते हैं।

मान्यवर, हमारे सामने समस्या यह है कि इसमें ठेकेदारी प्रथा को समाप्त किया जाय और जिस उद्देश्य से यह निगम स्थापित हुआ है कि मजदूरों को राहत मिले और उनको सुख सुविधा मिले उसका पालन किया जाय। इस दृष्टिकोण से अगर हम देखते हैं तो जो स्टैंडिंग आर्डर्स हैं और जो मेमोरेंडम आफ

एसोशियेशन हुआ है और जो हमारे मैनुअल आर्डर्स है उसके 27 से 38 तक जितनी सुविधायें उनको मिलने का जिक्र है उनका कहीं पर पालन नहीं हुआ है। कांट्रेक्ट आफ लेबर रेगूलेशन एण्ड एबोलीशन एक्ट जो 1971 से लागू हुआ है) उसके अनुसार 120 दिन से अधिक काम करने वाले लोगों को स्थायी माना जाना चाहिये । जो हमारे निर्माण निगम के स्टैंडिंग आर्डर्स है उसके अनुसार 90 दिन से अधिक काम करने वाले और जो हमारा इंडस्ट्रियल एक्ट है उसके अंतर्गत 240 दिन तक काम करने वालों को परमानेंट माना जाना चाहिये लेकिन इसका पालन कहीं नहीं हो रहा है ।

मान्यवर, एक सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग है या फैसला है उसमें सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन है । अपील नं0 839/83, पी0 डब्लू0 डी0, इलेक्ट्रिसिटी डेली वेजेज वर्कर्स वर्सेज स्टेट कर्नाटका दि0 17-12-85 को आर्डर हुये हैं कि 6 महीने से अधिक काम करने वालों को स्थाई कर दिया जाना चाहिये।

उत्तर प्रदेश सरकार की राजाज्ञा है ई0एम0 248/कार्मिक-40-81 लखनऊ दिनांक 9-2-81 अस्थाई विभाग जो पांच वर्षों से अधिक से चल रहे हैं उसमें तीन साल से काम करने वाले श्रमिकों को स्थाई कर देना चाहिए। मान्यवर, हमारी केन्द्र सरकार की सुप्रीम कोर्ट की जो लेबर मैनुअल है, लेबर एक्ट है हमारा निर्माण निगम बराबर उसका वाइलेशन कर रहा है और इसके फलस्वरूप निर्माण निगम में काम करने वाले मजदूर समय-समय पर आन्दोलित होते रहे हैं, लेकिन दुर्भाग्य की बात है इतनी बड़ी यूनिट, जो हमारे प्रदेश और देश के बाहर काम कर रही है, उन मजदूरों को स्थाई नहीं किया गया है।

मान्यवर, मेरे पास मजदूरों की एक लम्बी लिस्ट है जो अस्थाई हैं। आज तीन सौ यूनिटें काम कर रही हैं इसमें जो 20 हजार लेबर काम कर रहे हैं उसमें एक से दसियों वर्ष के कुशल और अकुशल श्रमिक है। साथ ही प्रदेश का कोई ऐसा विभाग नहीं है जिसका इतना विस्तार किया गया हो, और उसका विस्तार इतना सफल हुआ हो । इसमें करोड़ों करोड़ पूंजी लगी हुई है, जिसमें अरबों का मुनाफा हुआ है, लेकिन यहां के मजदूरों को स्थाई नहीं किया जा रहा है।

मान्यवर, मैं निवेदन कर रहा था राजकीय निर्माण निगम, जिसकी इतनी यूनिट काम कर रही है, उसमें यूनिट से दूसरी यूनिट में मजदूरों को स्थानान्तरित नहीं किया जाता है। कोई भी कार्य सीखने में मजदूरों को टाइम लगता है, कई लोग ऐसे हैं क्लर्क हैं, टाइपिस्ट हैं, ड्राइवर हैं। बहुत से लोग अस्थाई है उनको भी स्थाई नहीं किया जाता है ।

श्री उपाध्यक्ष–

अब आपका समय समाप्त हुआ।

श्री मित्रसेन–

मान्यवर, जहां तमाम मजदूर काम करते हैं वहां अफसरों को छोड़कर, दसियों वर्ष मजदूरों के सेवा करने पर भी उन्हें स्थाई न किया जाना शर्म की बात है। मजदूरों को समय-समय पर आन्दोलित करने का जो सरकार का दरवाजा खुला हुआ है, उसको बंद करना चाहिए ।

श्री उपाध्यक्ष–

समाप्त करें और भी लोग बोलेंगे ।

श्री मित्रसेन–

मैं इस प्रस्ताव को रखते हुए माननीय सदस्यों से उम्मीद करूंगा कि वह इस सम्बन्ध में अपने-अपने विचार रखेंगे। [समय 5.24 मिनट] वह इसमें सहयोग दें।

सार्वजनिक निर्माण राज्य मंत्री (श्री सीताराम निषाद)–

मान्यवर, माननीय सदस्य ने कुछ बिन्दु उठाए हैं, राजकीय निर्माण निगम के संबंध में। इन्होंने कहा है कि श्रम नियमों का पालन नहीं किया जाता है। ठेकेदारी प्रथा है, वह समाप्त हो सुविधायें नहीं दी जाती हैं, नियमितीकरण और स्थाईकरण नहीं किया जाता है यह मुख्य विन्दु हैं जो इन्होंने उठाए हैं। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इस राजकीय निर्माण निगम में इन्डस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट जो है उसका पालन किया जाता है इसकी धारा 25 एफ-एफ-एफ में लिखा है कि जिस यूनिट में काम हो, उस यूनिट का कार्य जब समाप्त हो जाता है, तब उसमें जो कर्मचारी लगे हुए हों उनकी छटनी की जा सकती है और उसी के अनुसार हमारे प्रदेश में और प्रदेश के बाहर जहां भी इसकी यूनिट लगी हुई हैं, इस समय 82 यूनिट काम कर रही हैं, जहां पर काम समाप्त हो जाता है, वहां के जो लेबर हैं, कर्मचारी हैं, उनकी छटनी कर दी जाती है और जैसा कि नियम है कि उन्हें नोटिस दी जानी चाहिए, तो नियमानुसार उन्हें एक महीने की नोटिस दी जाती है या एक महीने का वेतन देकर छटनी कर दी जाती है। अगर एक साल से ज्यादा उन्होंने काम किया है, तो उन्हें उतने 15 दिन की मजदूरी-वेतन प्रतिवर्ष के हिसाब से देकर उन्हें रिटरैंच किया जाता है, उनकी छटनी की जाती है और इसका पालन राजकीय निर्माण निगम में किया जा रहा है। इस निगम में पी0 आर0 डब्लू0 के माध्यम से श्रमिक रखे जाते हैं, इसमें उन्हें स्थायी करने का या स्थानान्तरण करने का कोई प्रश्न नहीं उठता है।

इसलिए मान्यवर, चूंकि इसकी अलग-अलग यूनिटें होती हैं, और जब एक यूनिट का काम समाप्त हो जाता है, तो वह कर्मचारी अपने-आप खाली हो जाते हैं और उन्हें दूसरी जगह स्थानान्तरित करने का कोई प्रश्न नहीं उठता कि दूसरी जगह वह स्थानान्तरित कर दिये जांयं। मान्यवर, उनका अलग-अलग काम होता है, और उनके काम का नेचर भी अलग-अलग होता है, उनके काम की प्रकृति अलग-अलग होती है, इस लिए इनमें ट्रान्सफर करने का कोई प्राविधान नहीं है। मान्यवर, 280 दिन की जो बात इन्होंने कही है, वह सरकारी विभागों के लिए हो सकती है, लेकिन इस राजकीय निर्माण निगम में, हमारे यहां जो पी0आर0डब्लू0 के माध्यम से काम होता है, उसके लिए हमारे यहां वर्किंग मैनुअल है और उस मैनुअल में प्रदत्त प्राविधान है, उसी के अनुसार काम होता है। जो आपने बिन्दु उठाया है ठेकेदारी प्रथा के बारे में, इस राजकीय निर्माण निगम में कोई ठेकेदारी प्रथा नहीं है।

हमारे पूरे प्रदेश में तथा प्रदेश के बाहर राजकीय निर्माण निगम में ठेकेदारी प्रथा नहीं रखी गयी है। मान्यवर, ठेकेदारी के लिए अलग कायदा होता है उसके लिए सिक्योरिटी जमा होती है। उसका कंट्रेक्ट होता है, एग्रिमेंट होता है। किन्तु हमारे राजकीय निर्माण निगम में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है, इसलिए उसके समाप्त करने का कोई प्रश्न नहीं उठता है।

मान्यवर, जो कर्मचारी, जिनकी छटनी की गयी है, वह नियमानुसार की गयी है। उनको नोटिस दी गयी है। उसमें बहुत से लोगों ने उसका कम्पेंसेशन भी ले लिया है और मैं यह भी निवेदन

करना चाहूंगा कि हमारे माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद ने 1982 में रिट नं0 4652 में यह फैसला भी किया है, इसी बिन्दु पर कि हमारी यूनिट में काम समाप्त होता है, तो हम उन्हें नोटिस देकर, कम्पेंसेशन देकर, उन्हें निकाल सकते हैं ।

श्री यदुनाथ सिंह–

मान्यवर, जब यह चर्चा के लिए स्वीकार कर लिया गया है, तो उत्तर देते समय माननीय मंत्री जी सब-जूडिस की क्यों बात कर रहे हैं । इस समय माननीय उच्च न्यायालय का हवाला देने का औचित्य नहीं है ।

श्री उपाध्यक्ष–

हवाला दिया जा सकता है।

श्री सीताराम निषाद–

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय सदन को जानकारी देना चाहता हूं कि जिन छटनी शुदा कर्मचारियों के संबंध में माननीय सदस्य ने प्रश्न उठाया है, उनमें से कुछ लोगों ने रिट भी इलाहाबाद उच्च न्यायालय में दायर कर रखा है। वह रिट एडमिट है, लेकिन उन्हें स्टे-आर्डर भी नहीं मिला है और इस प्रकार मामला अभी कोर्ट में विचाराधीन है।

श्री राज किशोर सिंह–

मान्यवर, उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम एक राजकीय निगम है। इस पर माननीय मित्रसेन यादव जी ने विस्तार से सारी बातें रख दी हैं और इसमें हजारों आदमी लगे हुये हैं और बड़ी-बड़ी मशीनें जिनकी कीमत बहुत अधिक है, वहां रखी गयीं हैं और पूरे प्रदेश में जहां-जहां कर्मचारी इसमें रखे गये हैं, उसमें से 300 कर्मचारियों की छटनी हो गयी है, इसको लेकर कर्मचारी विधान सभा के सामने धरना दे रहे हैं। जिनकी छटनी हुयी है, उनकी सेवाएं एक वर्ष से लेकर 10 वर्ष तक की हैं और जिनकी सेवाएं इतनी अवधि को हो गयी हैं, जिन्हें सरकार कहीं और ले भी नहीं सकती है। इसलिए यह कार्य जो हुआ है वह श्रम नियमों के विरुद्ध है और दूसरे श्रम न्यायालय से बगैर अनुमति और आज्ञा प्राप्त किये हुए किसी भी कर्मचारी की छटनी नहीं की जा सकती है, लेकिन निगम ने उनकी छटनी कर दी है, जो श्रम न्यायालय के कानून के बिल्कुल खिलाफ है।

दूसरे, सरकार एक तरफ तो यह कहती है कि हम बेरोजगारी को कम करने जा रहे हैं और इसके लिए ऐसी योजनाएं चला रहे हैं जैसे आई0 आर0 डी0 योजना तथा स्वतः योजनाएं आदि। लेकिन यहां पर सरकार इसके विपरीत काम कर रही है कि जो लोग पहले से कार्य पर लगे हैं, उन्हें हटा रही है, जो बहुत ही अनुचित कार्य है। जबकि सरकार दूसरी तरफ यह वायदे भी करती है कि हम अपने प्रदेश के बेरोजगार लोगों को रोजगार देने के लिए छोटे-छोटे लघु उद्योग, कुटीर उद्योग तथा बड़े-बड़े कारखाने लगाने जा रहे हैं और जो निगम पहले से काम हैं, जिसमें वर्षों से लोग काम कर रहे हैं, उनकी आप छटनी कर उनकी जिन्दगी से खिलवाड़ कर रहे हैं, क्योंकि इस उम्र में उन्हें कहीं भी नौकरियां मिल नहीं सकती हैं। जिनकी सेवाएं 9 माह को हो जाएं, उनको स्थायी हो जाना चाहिए, यही नियम है श्रम न्यायालय के परन्तु यहां पर इसका उल्टा है कि जिनकी सेवाएं 10-10 वर्षों की हो गयीं और उन्हें सरकार ने आज तक स्थायी नहीं किया। और उन्हें जो सुविधाएं मिलनी चाहिए। वह सुविधाएं भी उन्हें नहीं दी गयीं । इसलिए मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय

मंत्री जी से यह कहना चाहता हूं कि जिन कर्मचारियों को निकाला गया है और वह जहां-जहां रहे हैं, उन्हें वहीं पर फिर से रखा जाए और उन्हें वह तमाम सुविधाएं भी दी जाएं जो उन्हें मिलती हैं। बस मान्यवर, मैं अन्त में फिर यही कहते हुए अपनी बात को खत्म करता हूं और आपसे यही उम्मीद करता हूं कि आप उन कर्मचारियों को वापस ले लेंगे, उनकी तमाम सुविधाओं के साथ ताकि उनका और उनके बच्चों का जीवन-निर्वहन हो सके।

* श्री यदुनाथ सिंह–

मान्यवर, इस चर्चा में मुझे भी कुछ कहने का मौका जो मिला, इसके लिए आपको धन्यवाद देता हूं। मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने अपने उत्तर से मामले को और फंसा दिया है। 20 दिसम्बर से राजकीय निर्माण निगम के कर्मचारी विधान भवन के सामने धरना दिए बैठे हैं और उन लोगों ने इस बीच कई दफा प्रबन्ध निदेशक से और माननीय संबंधित मंत्री जी से अपनी बात कहने के लिए कोशिश की कि 25 हजार लगभग कर्मचारी इस निर्माण निगम में लगे हुए हैं और उनका यह कहना है कि एक मशीन मैन दूसरे मशीन मैन का काम कर सकता है। एक ही तरह का नेचर आफ वर्क है। निर्माण निगम का 28 जगहों पर काम चला है, चाहे संजय गांधी मेडिकल इंस्टीट्यूट हो, चाहे पोलिटेक्निक हो, चाहे आवासीय भवन हो, चाहे सीमेंट फैक्ट्री चुनार हो हर जगह एक ही तरह का काम हुआ है। यहां तक की विदेशों में भी राजकीय निर्माण निगम को काम करने का मौका मिला है। हमारा इतना ही निवेदन है कि जो छटनी शुदा कर्मचारी हैं, 5 वर्ष 10 वर्ष काम कर चुके हैं जिन्होंने 240 दिन पूरा कर लिया है, वह धरना पर बैठे यह उचित नहीं है। सब कुशल कारीगर हैं, कई बार किसी न किसी रूप में यह मामला आपके सामने आया। मंत्री जी ने कहा कि कुछ मुद्दे हाई-कोर्ट में गये हैं।

मैं कहना चाहता हूं कि कारीगर लेबर कमिश्नर के यहां से जीत चुके हैं। न्याय बहुत महंगा है। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में लड़ने का पैसा मजदूरों के पास नहीं है। यह 25 हजार कर्मचारियों का मामला है। जो छटनी शुदा कर्मचारी हैं और जिन्होंने 240 दिन पूरा कर लिया है, अगर यह कर्मचारी प्रदर्शन करेंगे तो हमारे और आपके लिए एक समस्या बनेगी। मैं मंत्री जी से निवेदन करूंगा जो छटनी शुदा कर्मचारी हैं, यह सरकार कल्याणकारी सरकार बनती है, लोकतांत्रिक सरकार है तो जैसे और कारपोरेशनों में छटनी शुदा कर्मचारियों को रखा गया है उसी तरह से इसको भी रखने की कृपा करें।

श्री मित्रसेन–

मैं अपनी सरकार से निवदन करना चाहता हूं कि यह प्रस्ताव हो सकता है कि विपक्ष से आया है, मंत्री जी अपनी तरफ से प्रस्ताव ले आयें। 20 हजार मजदूर 10 वर्षों से काम कर रहे हैं, उनके स्थायीकरण पर विचार किया जाना चाहिये। दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि इनके यहां भर्ती के लिए एक फार्म भरवाया जाता है, जिसको कोई एम0 डी0 नहीं भरता है। जो 10 वर्षों से काम कर रहे हैं जो छटनी शुदा कर्मचारी हैं, उनके बारे में चाहे अपनी तरफ से प्रस्ताव लायें, चाहे कोई नियम बनायें, यह कह कर फूर

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

सत नहीं ली जा सकती है, मंत्री जी जो तर्क दे रहे हैं वह किसी की समझ में आने वाला नहीं है। मंत्री जी अपने पद पर रहते हुए कुछ ऐसा काम कर जायं जो विभाग में इतिहास रहे, उनको लोग याद करें। इतने दिनों तक लोगों ने नियम नहीं बनाया मंत्री जी इस पर गौर करें। हाउस में चाहे जो जवाब दे लेकिन बाहर यह समस्या मंत्री जी के लिये भी है। जो छटनी शुदा कर्मचारी हैं, उनकी जिन्दगी और उनके बाल-बच्चों के जीवन का प्रश्न है, मैं मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि उनको रखने के बारे में विचार करें। जो 10 वर्षों से काम कर रहे हैं उनके स्थायीकरण के बारे में माननीय मंत्री जी से आश्वासन चाहता हूं। राजकीय निर्माण निगम इनकी सबसे मजबूत यूनिट है, इसके इतिहास को देखते हुए, इन कर्मचारियों को रखना आवश्यक है। मैं मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि इनके बारे में विचार करें।

श्री सीताराम निषाद–

मान्यवर, मजदूरों के साथ हमारी सरकार की पूरी हमदर्दी है, हमारी पूरी हमदर्दी है। लेकिन मजबूरी यह है कि जब यूनिटों का काम समाप्त हो गया है, तो उनको हम रखें कहां यह प्रश्न है। स्थायीकरण की बात है, ट्रान्सफर की बात है, तो मान्यवर, उसका कोई प्राविधान नहीं है। इसलिये हमारे सामने, सरकार के सामने यह मजबूरी है कि उनका हम न ट्रान्सफर कर सकते हैं न उनका स्थायीकरण कर सकते हैं।

अंग्रेजी 'साप्ताहिक सन्डे' समाचार पत्र के प्रकाशक, सम्पादक एवं सम्बन्धित संवाददाता के विरुद्ध उठाये गये विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न पर श्री अध्यक्ष का निर्णय

श्री उपाध्यक्ष–

मेरे पास 3-4 सूचनाएं हैं, जो विशेषाधिकार की सूचनाएं थीं, उन पर श्री अध्यक्ष द्वारा निर्णय हो चुका है, मैं उनको पढ़े देता हूं।

श्री यदुनाथ सिंह–

मान्यवर, चूंकि यह कल्याणकारी सरकार ढोंग कर रही है, इसलिये मैं सदन से बहिष्कार कर रहा हूं।

(श्री यदुनाथ सिंह सदन त्याग कर चले गये)

श्री उपाध्यक्ष–

श्री हर्षवर्धन, सदस्य, विधान सभा ने दिनांक 20 अगस्त, 1985 को अंग्रेजी 'साप्ताहिक सन्डे' के 18–24 अगस्त, 1985 के अंक में पृष्ठ-25 पर माननीय अध्यक्ष, विधान सभा के सम्बन्ध में प्रकाशित समाचार के विषय में उक्त साप्ताहिक समाचार पत्र के प्रकाशक, सम्पादक एवं सम्बन्धित सम्वाददाता के विरुद्ध सदन की अवमानना की सूचना दी थी। 'सन्डे' साप्ताहिक के उक्त अंक में माननीय अध्यक्ष, विधान सभा के सम्बन्ध में इस आशय की टिप्पणी छपी है कि वह आनरेरी पोस्ट ग्रहण करने के सम्बन्ध में अजनबी नहीं है एवं वह स्वयं अल्पसंख्यक वित्त विकास निगम के सदस्य हैं।

'सन्डे' साप्ताहिक की उक्त टिप्पणी देखने से विदित होता है कि इसमें केवल वास्तविकता का उल्लेख है। इसमें सदन या माननीय अध्यक्ष, के

सम्बन्ध में किसी प्रकार की टीका-टिप्पणी नहीं की गयी है और न ही उनके प्रति असम्मानजनक अथवा अनादरपूर्ण शब्दों का प्रयोग नहीं किया गया है, उक्त अंश में माननीय अध्यक्ष अथवा सदन का कोई अवमान नहीं हुआ है। अतः इस मामले में अवमानना का प्रश्न अन्तर्ग्रस्त नहीं है, और मैं इसे सदन में उठाने की अनुमति नहीं देता हूं।

तत्कालीन खाद्य मंत्री श्री वासुदेव सिंह के विरुद्ध उठाये गये विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न पर श्री अध्यक्ष का निर्णय

श्री उपाध्यक्ष–

डा0 बंगाली सिंह, सदस्य विधान सभा ने दिनांक 2-9-1985 को तत्कालीन मा0 खाद्य मंत्री श्री वासुदेव सिंह के विरुद्ध सदन की अवमानना के प्रश्न की सूचना दी थी। सूचना में माननीय सदस्य का कहना है कि विधान सभा के 1985 के द्वितीय सत्र में पांचवें गुरुवार के लिए निर्धारित अतारांकित प्रश्न संख्या-30 का उत्तर तथ्यों से परे है। उनका कहना है कि आपूर्ति निरीक्षकों के प्रोन्नति कोटे के अन्तर्गत रिक्त पदों के न भरने के जो कारण मा0 मंत्री जी ने बताये थे, वह सही नहीं है।

मैंने इस सम्बन्ध में वस्तुस्थिति की जानकारी प्राप्त की। उक्त जानकारी के अवलोकन से विदित होता है कि तत्कालीन मा0 खाद्य मंत्री का उत्तर उन्हें उपलब्ध कराये गये तथ्यों पर आधारित था। इसके अलावा माननीय सदस्य ने अपनी सूचना में यह नहीं कहा है कि उक्त उत्तर जानबूझकर गलत रूप में दिया गया था। सदन में समय-समय पर अध्यक्ष पीठ से यह व्यवस्था दी जा चुकी है कि किसी मंत्री द्वारा दिया गया त्रुटिपूर्ण उत्तर भी सदन की अवमानना का आधार नहीं बनता, जब तक यह सिद्ध न हो जाय कि ऐसा गलत उत्तर जानबूझकर सदन को गुमराह करने के आशय से दिया गया है।

उपरोक्त के आधार पर यह निष्कर्ष निकलता है कि इस मामले में सदन की अवमानना का प्रश्न अन्तर्ग्रस्त नहीं है और मैं इसे सदन में उठाने की अनुमति नहीं देता हूं।

श्री राजा मोहम्मद अमीर मोहम्मद खां, सदस्य, विधान सभा के विरुद्ध उठाये गये विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न पर श्री अध्यक्ष का निर्णय

श्री उपाध्यक्ष–

श्री माता प्रसाद पाण्डे एवं श्री किरन पाल सिंह, सदस्यगण, विधान सभा ने दिनांक 27-9-85 को श्री राजा मोहम्मद अमीर मोहम्मद खां, सदस्य, विधान सभा के विरुद्ध विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न की सूचना दी थी। सूचना में माननीय सदस्यों का कहना है कि दिनांक 6 अगस्त, 1985 को सदन में अपना स्पष्टीकरण देते समय श्री राजा मोहम्मद अमीर मोहम्मद खां ने गलत बयानी की और अपनी सदस्यता को वैध साबित करने की कोशिश में सदन को गुमराह किया। माननीय सदस्यों ने यह भी कहा है कि उपरोक्त स्पष्टीकरण देने के पश्चात् दिनांक 10 अगस्त, 1985 को श्री राजा मोहम्मद अमीर मोहम्मद खां ने मतदाता सूची में अपना नाम शुद्ध रूप से प्रविष्ट कराया, जो अनुचित है।

श्री राजा मोहम्मद अमीर मोहम्मद खां की सदस्यता का मामला दिनांक 19-7-85 तथा 22-7-85 को भी उठाया गया था और उस पर मेरा विस्तृत निर्णय दिनांक 20 अगस्त, 1985 को हो चुका है। उक्त निर्णय में मैंने कहा था कि सदन के किसी सदस्य का निर्वाचन कानूनी तौर पर सही है अथवा नहीं, इस पर विचार करना इस सदन के क्षेत्राधिकार में नहीं आता। मैंने यह भी कहा था कि ऐसे निर्वाचनों को इलेक्शन पेटीशन के अलावा अन्य किसी प्रकार से चुनौती नहीं दी जा सकती।

उपरोक्त परिस्थितियों में विशेषाधिकार की अवहेलना के इस मामले को सदन में पुनः उठाने की इजाजत देना उचित न होगा। मैं इसे अस्वीकार करता हूं।

तत्कालीन कृषि मंत्री चौधरी नरेन्द्र सिंह के विरुद्ध उठाये गये विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न पर श्री अध्यक्ष का निर्णय

श्री उपाध्यक्ष–

अगली सूचना श्री जनार्दन प्रसाद ओझा की थी। श्री जनार्दन प्रसाद ओझा ने माननीय कृषि मंत्री के खिलाफ विशेषाधिकार की अवहेलना की सूचना दिनांक 23 जुलाई, 1985 को इस आधार पर दिया था कि दिनांक 18 जुलाई, 1985 को निर्धारित उनके तारांकित प्रश्न 18 का गलत उत्तर कृषि मंत्री ने सदन को गुमराह करने की नीयत से दिया था।

श्री ओझा का प्रश्न यह था कि उन्होंने गत वर्ष 7 करोड़ के मूल्य के आइसोप्रोटुशन की जिस अनावश्यक खरीद के मामले की ओर शासन का ध्यान आकृष्ट कराया था उसकी जांच की गई थी अथवा नहीं? अपने उत्तर में कृषि मंत्री ने बताया था कि कुल 180 मिट्रिक टन आइसोप्रोटुशन की खरीद की गई थी जिसका मूल्य केवल 3.4 करोड़ था। चूंकि खरीद नियमानुकूल थी, अतः उसमें जांच का कोई सवाल नहीं पैदा होता। इसी उत्तर के आधार पर दिनांक 23 जुलाई, 1985 को प्रश्नगत सूचना दी गयी थी।

मैंने दिनांक 18 जुलाई, 1985 को उक्त प्रश्न स्थगित कर दिया था जो दिनांक 1 अगस्त, 1985 को पुनः निर्धारित हुआ था। दिनांक 1 अगस्त, 1985 को अनुपूरक प्रश्नों के दौरान कृषि मंत्री ने बताया कि कृषि विभाग ने मात्र 180 मिट्रिक टन दवा खरीदी तथा शेष रसायन पी0 सी0 एफ0, टी0 डी0 सी0 तथा इफ्को द्वारा खरीदा गया। अपने अनुपूरक प्रश्नों में श्री ओझा ने खरीद के ब्यौरे पर आपत्ति नहीं की थी। उनकी मूल मंशा यह थी कि गेहूं पर छिड़काव के लिये कम मात्रा में इस रसायन के खरीद की जरूरत थी फिर भी कृषि विभाग ने आवश्यकता से अधिक मात्रा में रसायन की खरीदारी की।

दिनांक 1 अगस्त, 1985 को ही श्री ओझा ने नियम 49 के अन्तर्गत इस प्रश्न पर चर्चा की भी मांग की थी, जो स्वीकार नहीं हो सकी। उक्त सूचना में श्री ओझा ने कहा था कि माननीय मंत्री जी द्वारा दिया गया उत्तर अस्पष्ट तथा अधूरा है। उस उत्तर को श्री ओझा ने गलत नहीं बताया था।

अपने स्पष्टीकरण दिनांक 31

जुलाई, 1985 में कृषि मंत्री ने स्पष्ट तौर पर बताया है कि वर्ष 1983-84 में कुल 295 मिट्रिक टन आइसोप्रोटु-शन खरीदा गया जिसकी कुल लागत 5.44 करोड़ थी। इसमें कृषि विभाग द्वारा केवल 180 मिट्रिक टन रसायन 3.5 करोड़ का खरीदा गया। शेष रसायन अन्य विभागों द्वारा खरीदा गया था। श्री ओझा ने कोई ऐसा साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया है जिसके आधार पर यह कहा जा सके कि कृषि मंत्री द्वारा दिया गया उत्तर गलत था।

उपरोक्त परिस्थितियों में मैं विशेषाधिकार अवहेलना की इस सूचना को अस्वीकार करता हूं।

अब हम उठते हैं कल 11-00 बजे पुनः बैठेंगे।

(इसके बाद सदन 5 बजकर 45 मिनट पर अगले दिन के 11 बजे तक के लिये स्थगित हो गया।)

भाल चन्द्र शुक्ल,
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश।

लखनऊः
25 फरवरी, 1986

नत्थी "क"

(देखिए अता0प्र0सं0–15 का उत्तर पीछे पृष्ठ 30 पर।)

विक्रेता का नाम	क्रेता का नाम	भूखण्ड संख्या तथा विक्रीत भूमि का क्षेत्रफल	विक्रीत भूमि की मालियत	विक्रीत दर वर्गफीट में	रजिस्ट्रेशन प्रलेख (सं0)	तारीख
1	2	3	4	5	6	7
1––मानस उत्थान एवं कल्याण सहकारी आवास समिति लि0, लखनऊ। हरीशचन्द्र सानवाल, सचिव	किरन जायसवाल पत्नी अशोक कुमार।	भूखण्ड संख्या 33, 34 रकबा 3943 वर्गफीट	बैनामा 1971 5/ मालियत रु0 23,658	6/- प्रति वर्गफीट	6055/1985	16-1-85
2––उक्त	खीमानन्द काण्डपाल पुत्र कमलापति काण्डपाल	भू0सं0 18 रकबा 1785 वर्गफीट	बैनामा 8032-50, मा0 10710-00	उक्त	5863/1985	11-1-85
3––उक्त	जीवनचन्द्र पन्त पुत्र श्री हरीराम पन्त	भू0सं0 16 रकबा 1644 वर्गफीट	बैनामा 17358-00 मा0 9864.00	उक्त	5864/1985	11-1-85
4––उक्त	मोहन सिंह बोरा पुत्र किशन सिंह	भू0सं0 17, रकबा 1721 वर्गफीट	बैनामा 7744-50 मा0 10326-00	उक्त	5600/1985	2-1-85
5––उक्त	श्री नरेश कुमार पुत्र श्री राम किशोर	भू0सं0 38, रकबा 1640 वर्गफीट	बैनामा 8200/4 मा0 9840-00	उक्त	6458/1985	24-1-85
6––उक्त	चन्द्र मोहन पुत्र सतीशचन्द्र	भू0सं0 19, रकबा 2774 वर्गफीट	बैनामा 12483-00 मा0 16644/-	उक्त	6459/1985	24-1-85

7—उक्त	गोविन्द बल्लभ जोशी पुत्र माधोनन्दन जोशी।	बै0भू0सं0 5 रकबा 2550 वर्गफीट	61—प्रति वर्ग फीट	बैनामा 11475-00 मा0 15300/-	1302/1985	15-2-85
8—उक्त	हरीदत्त काण्डपाल पुत्र गोपाल दत्त	भू0सं0 2-ए, रकबा 1140 वर्गफीट	उक्त	बनामा 5130/- मा0 6840-00	7085/1985	12-2-85
9—मानस उत्थान एवं कल्याण सहकारी आवास समिति लि0 लखनऊ, सचिव श्री हरीशचन्द्र सनवाल।	कृष्ण चन्द्र पुत्र थोपीराम पाण्डेय।	भूखण्ड सं0 4, रकबा 2490 वर्गफीट	उक्त	बैनामा 11205-00 मालियत 14950-00	7086/1985	12-2-85
10—उक्त	रवाधर काण्डपाल पुत्र मोतीराम।	भू0सं0 2, रकबा 1170 वर्गफीट	उक्त	बैनामा 5365-00 मा0 7020-00	7087/1985	12-2-85
11—उक्त	चन्द्रमोहन जोशी पुत्र रमेश चन्द्र	भू0सं0 29, रकबा 3200 वर्गफीट	उक्त	बैनामा 16000/- मा0 19200/-	7551/1985	20-2-85
12—उक्त	चन्द्रमोहन कुकरेती पुत्र दौलत राम।	भू0सं0 20, रकबा 1428 वर्गफीट	उक्त	बैनामा 4244-00 मा0 8568.90	7552/1985	20-2-85
13—उक्त	प्रेमा सानवाल पत्नी हरीश चन्द्र।	भू0सं0 8, 9, रकबा 3000 वर्गफीट	उक्त	बैनामा 13500/- मा0 18000-00	7553/1985	20-2-85
14—उक्त	दीवाकर मान सिंह पुत्र लुकमान सिंह।	भू0सं0 21/ए, रकबा 900 वर्गफीट	उक्त	बैनामा 3600/- मा0 5400/-	7171/1985	13-2-85
15—उक्त	ललित मोहन पाण्डेय पुत्र-हरीशचन्द्र पाण्डेय	भू0सं0 21, रकबा 1449 वर्गफीट	उक्त	बैनामा 6520/- मा0 8694-00	6159/1985	18-1-85
16—उक्त	प्रमोद कुमार शर्मा पुत्र मनमोहन लाल।	भ0सं0 24 व 25 रकबा 2738 वर्गफीट	उक्त	बैनामा 12321/- मा0 16428-00	6160 1985	18-1-85

नत्थी "ख"

(देखिए अता0प्र0सं0 33 का उत्तर पीछे पृष्ठ 37 पर।)

ग्राम महोतरा एवं ग्राम गुमाई के हरिजनों द्वारा थाना अतर्रा में माह फरवरी, 1985 से अब तक दर्ज कराए गये मुकदमों का विवरण व कार्यवाही की स्थिति।

ग्राम महोतरा

1--अहस्तक्षेपीय रिपोर्ट संख्या 139/85 धारा 323/504 506 भा0द0वि0 दिनांक 31-7-85 वादी श्री राजकरन आत्मज बाल चमार, सा0 कल्लू अहीर का पुरवा मजरा महोतरा, बांदा बनाम 1--केदार आत्मज छोटे लाल व अन्य के सम्बन्ध में न्यायालय से अनुमति लेकर विवेचना की गयी और विवेचना के बाद अपराधी के विरुद्ध 30-1-86 को आरोप-पत्र प्रेषित किया गया।

2--दिनांक 22-9-85 को अहस्तक्षेपीय रिपोर्ट संख्या 172/85 अन्तर्गत धारा 323 504/506 भा0द0वि थाना अतर्रा में श्री नत्थू आत्मज कल्लू बनाम नरेन्द्र प्रसाद आत्मज महाराज पंजीकृत हुआ। वादी व अपराधी में समझौता होने के कारण 30-1-86 को अन्तिम रिपोर्ट प्रेषित कर कार्यवाही समाप्त की गयी।

3--दिनांक 30-1-86 को अहस्तक्षेपीय रिपोर्ट संख्या 16/86 धारा 323 504/506 थाना अतर्रा में वादी श्री राम औतार कोरी बनाम मुन्ना शुक्ला अन्य पंजीकृत हुआ। विवेचना करने के लिए न्यायालय से अनुमति प्राप्त करने के सम्बन्ध में कार्यवाही की जा रही है।

ग्राम गुमाई

1--दिनांक 9-5-85 को अहस्तक्षेपीय रिपोर्ट संख्या 91/85 अन्तर्गत धारा 323/504/506 थाना अतर्रा में वादी श्रीमती रुकमणि पत्नी मातादीन बनाम राम गोपाल उर्फ गोला व अन्य पंजीकृत हुआ। विवेचना से मुकदमा झूठा लिखाया जाना पाया गया। अतः अन्तिम रिपोर्ट दिनांक 8-1-86 द्वारा विवेचना समाप्त की गयी।

2--दिनांक 26-6-85 को अहस्तक्षेपीय रिपोर्ट संख्या 101/85 धारा 323/504 थाना अतर्रा में वादी देशराज चमार बनाम भूरजा चमार व अन्य अंकित हुआ। मुकदमा हरिजन बनाम हरिजन होने के कारण कोई कार्यवाही नहीं की गयी।

नत्थी "ग"

(देखिए आगे पृष्ठ 95–96 पर।)

प्रदेश की प्रमुख मन्डियों के आलू के बाजार भाव जो कृषि विपणन अधिकारी लखनऊ से प्राप्त हुए हैं––

दिनांक 14–2–1986

क्रम-संख्या	मण्डी का नाम	तिथि	बाजार भाव (रुपए प्रति कुन्तल)
			रु0
1	लखनऊ	14–2–86	86
2	कानपुर	13–2–86	68
3	आगरा	12–2–86	65
4	बरेली	12–2–86	75
5	अलीगढ़	12–2–86	75
6	हल्द्वानी	13–2–86	65
7	हापुड़	10–2–86	102
8	सहारनपुर	10–2–86	105
9	वाराणसी	12–2–86	90
10	गोरखपुर	13–2- 86	80
11	बांदा	12–2–86	75
12	फर्रुखाबाद	11–2–86	मिलिट्रो 65
			ओ0एन0
			1645 50

पी0 एस0 यू0 पी0-एल-42 वि0 सभा- (64)-1986-813।